जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

वर्ष 2020-21 (Part-I)

—: द्वारा :—

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जनपद– अल्मोड़ा

05962- 237874, 237875 (1077 टोल फ्री)
ddmo.alm@gmail.com

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

जनपद– अल्मोड़ा

मुख्य परामर्शदाता एवं सम्पादन

श्री नितिन सिंह भदौरिया(आई0ए0एस0)

जिला मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा

पर्यवेक्षण

श्री बी0एल0 फिरमाल (पी0सी0एस0)

अपर जिला मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा

संकलन एवं प्रारुप

राकेश जोशी

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा

सहयोग एवं टंकन

श्रीमती पूजा, डाटा इन्ट्री आपरेटर

भूपेन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री आपरेटर

भुवन लाल, कनिष्ठ सहायक

—:: संदेश ::—

आपदायें अचानक घटित होने वाली प्राकृतिक अथवा मानव जनित विस्मयकारी घटनायें हैं। प्रतिवर्ष इनसे जन–जीवन, सम्पदा एवं धन–धान्य का व्यापक नुकसान होता है। आपदायें असामान्य रूप से कभी भी और कहीं भी घटित होकर कुछ ही समय में भू–भौतिक, जलवायविक, जैविक और मानवीय कारकों के द्वारा व्यापक स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं। आपदाओं के घटित होने का कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है किन्तु इनकी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार होने वाले नुकसान और दुष्प्रभावों को, पहले से तैयारी कर, न्यूनीकृत एवं नियंत्रित किया जा सकता है। आपदाओं की स्थिति में त्वरित बचाव, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा तथा समय पर राहत सहायता उपलब्ध कराते हुये, प्रभावितों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की समस्या का निराकरण कर सामान्य स्थिति की बहाली और समन्वित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना आपदा प्रबन्धन चक्र के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

अपनी विशिष्ट भू–भौतिक स्थिति, जलवायु में विविधता, भूगर्भीय संरचनाओं के कारण जनपद अल्मोड़ा में भूकम्प, भूस्खलन, त्वरित बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदायें, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, हिमस्खलन और वज्रपात जैसी जलवायविक विपदायें अक्सर घटित होती रहती हैं। तीर्थाटन, पर्यटन, परिवहन, व्यापार, कृषि एवं वानिकी आधारित कार्यों एवं गतिविधियों के कारण यहां पर सड़क एवं मार्ग दूर्घटनाऐं, अग्निकांड, वनाग्नि, महामारी तथा नरभक्षी जानवरों के आतंक की समस्याऐं भी हमेशा बनी रहती हैं। उपरोक्त आपदाओं के न्यूनीकरण एवं नियंत्रण हेतु पूर्व तैयारियां विभाग और जन समुदाय के बीच परस्पर समन्वय तथा आपदाओं से पूर्व, आपदाओं के दौरान एवं पश्चात की स्थितियों में नियंत्रण ,खोज बचाव, राहत, पुनर्स्थापना कार्यों को सुगमता से करने के उद्देश्य से जनपद अल्मोड़ा की जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना बनायी गयी है, ताकि अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्यावहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिये मैं अपनी पूर्ववर्ती जिलाधिकारियों , उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC), देहरादून द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूॅ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में अपर जिला अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों, जिला सूचना अधिकारी और भारत सरकार व राज्य सरकार के क्षेत्रीय व जनपदीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं। मैं आशा करता हूॅ कि यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला मैजिस्ट्रेट
अल्मोड़ा

:— प्रस्तावना :—

प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों की तरह ही इस नैसर्गिक जनपद अल्मोड़ा में भी भवन निर्माण में बेतहासा वृद्धि हुई है और इस वृद्धि ने संवेदनशील क्षेत्र की तरफ अनेकानेक विचारकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों को इस क्षेत्र के लिए सोचने पर मजबूर किया हैं। बीती शताब्दियों से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन व भूकम्प ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप ने मानव समाज, पर्यावरण एवं विकास प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाला है। जनपद भूकम्प के दृष्टिगत जोन 4 व 5 में आता हैं।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संवेदनशीलता के चलते आपदा प्रबन्धन मंत्रालय एवं विभाग का गठन किया गया है। इसके पीछे आपदाओं के न्यूनीकरण का मकसद ही प्रमुख है। यही वजह है कि गांव—गांव तक लोगो को आपदाओं के वक्त सचेत करने के लिए बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में आपदा प्रबन्धन को शामिल किया गया है। युवाओं तथा महिलाओं के साथ पंचायतों को इस दिशा में सजग किया जा रहा है। अब यह जरूरी हो गया है कि हम आपदाओं से नित्य जूझने की मानसिकता तैयार करें व अपनी जीवन शैली में आपदा न्यूनीकरण के उपायों को अपनायें। अभी तक के अनुभव बताते हैं कि जिन देशों ने आपदाओं के न्यूनीकरण की दिशा में कदम उठाये हैं वहां पर आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने में सफलता पाई हैं। इस पक्ष में आत्मसात किए जाने के सरकारी प्रयासों के साथ आम आदमी को इसमें भागीदार बनना होगा। विकास की प्रक्रिया को सतत जारी रखने के लिए हमें उन उपायों पर भी ध्यान देना होगा जिससे प्रकृति के साथ होने वाली छेड़छाड़ से बचा जा सके।

प्राकृतिक आपदायें हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रही है। किन्तु इस आपदा से जूझना मानव स्वभाव हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के प्रयासों के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण बेहतरीन कार्य करने का प्रयास कर रहा हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य की सफलता का मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ—बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता है। तथापि मेरा विश्वास है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा संकलित सामग्री आपदा की स्थिति में प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करेगी।

(बी0एल0 फिरमाल)
अपर जिला मैजिस्ट्रेट
अल्मोड़ा

अनुक्रमणिका

अध्याय 1	
प्रस्तावना	2
मुख्य उद्देश्य	2
संकल्पना एवं नीतिगत विवरण	3
बहु आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर विभिन्न दूरगामी विशयों का क्रियान्वयन	3–4
अध्याय 2 : जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढ़ांचा	
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	5
जिला आपदा प्रबंधन की शक्तियां एवं कृत्य	5–8
जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र	8
इन्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम	8–39
अध्याय 3 : जनपद अल्मोड़ा – एक परिचय	
जनपद का ऐतिहासिक परिचय एवं भौगोलिक स्थिति	40–41
क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक विभाजन	
सामाजिक (जनांकिकी)	
जनसंख्या	41
भू विज्ञान एवं भू आकृतिकी	
जलवायु	42–43
भूमि उपयोग	44–45
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	46–56
पशुपालन विभाग	57–58
पुलिस	59–85
परिवहन एवं दूरसंचार तंत्र	86–100
अध्याय 4 : खतरा एवं संवेदनशीलता विश्लेषण	
खतरा विश्लेशण	100–102
मौसम का चित्रण एवं आपदा की प्रमुख घटनायें	103
जनपद में स्थापित किये गये स्वचलित मौसम स्टेशन/ स्वचलित वर्षामापी यंत्रो की सूची	103–104
निगरानी एवं आंकलन प्रणाली	105
अध्याय 5 : पूर्व सूचना	106
महत्वपूर्ण कार्यवाहियां	107–109
आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत किये जाने वाले उपाय	110–111
अध्याय 6 : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अल्मोड़ा की पूर्व तैयारी एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना	
आपदा जोखिम के पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण के मुख्य कार्य	112–115
न्यूनीकरण योजनाएं	
अध्याय 7 : आपदा प्रतिवादन कार्यविधि	
आपदा प्रतिवादन हेतु विभागों में कार्य विभाजन	116–118
जिला प्रतिवादन योजना	119–123
विशिष्ट आपदा में किये जाने वाले कार्य	123–129
अध्याय 8 : स्कूल सुरक्षा नीति हेतु दिशा–निर्देश	130–131
अध्याय 9 : प्राकृतिक आपदाएं क्या करें, क्या न करें	132–133
क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फोटोग्राफ	134–141

प्रस्तावना

यह जनपद अल्मोड़ा की आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु बहुउद्देश्यीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना है, जिसका उद्देश्य आपदाओं से पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण, आपदाओं के समय खोजना, बचाना एवं राहत सम्बन्धी कार्यो को सुगमता से संचालित करना तथा आपदाओं के पश्चात सामान्य स्थिति की बहाली, संसाधन एवं सम्पतियों की पुर्नस्थापना और पुनर्वास सम्बन्धी क्रियाओं का निर्धारण करना है, जिससे आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकें, तथा जनपद स्तर पर समुदाय आधारित विभिन्न संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक उपायों, विकासपरक और आधारभूत संसाधनों की अवस्थापनाओं को जनसुविधाओं और आपदाओं के साथ उनकी प्रवृति को ध्यान में रखते हुये विकसित किये जाने का प्रयास भी है, जिससे आपदाओं के न्यूनीकरण और नियंत्रण के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य भी प्राप्त किये जा सकें।

मुख्य उद्देश्य

प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावना, आपदाओं की स्थित एवं आपदाओं के घटित होने के पश्चात विभिन्न व्यवस्थाओं एवं कार्यो के सम्यक और समय पर प्रबन्धन हेतु यदि पूर्व में ही विशेष रूप से निर्दिष्ट कार्य योजना न हो तो विलम्ब तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिससे नियन्त्रण, न्यूनीकरण एवं सामान्य स्थिति की बहाली में बाधायें आती हैं और उपकरण, सामग्री एवं सम्पदाओं का सही उपयोग नहीं हो पाता है। आपदाओं के सम्यक प्रबन्धन हेतु एक बहुआपदा अनुक्रिया योजना जिसमें विभिन्न स्थितियों के अनुसार कार्य, कार्य विभाजन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, सामग्री, उपकरण एवं अवस्थापना की उपलब्धता आदि के बारे में विस्तृत सूचना एवं मार्गदर्शन हों, आवश्यक है, जिससे स्थितियों का प्रबन्धन सुगमता से हो सकें, जो इस कार्य योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इन्हें निम्न प्रकार परिलक्षित किया जा रहा है–

- श्रृंखलाबद्ध एवं समयबद्ध ढ़ंग से त्वरित कार्यवाही करना।
- कार्यदायी विभागों, संस्थानों, अधिकारियों, प्रभारी/प्रतिनिधियों, आदि के बीच कार्य और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना।
- उपकरण, उपलब्ध सामग्री, संसाधनों आदि का प्रभावी उपयोग एवं सम्यक प्रबन्धन।
- विभिन्न विभागों, राहत कर्मियों और अन्य कार्यकारी ऐजेंन्सियों के बीच स्तरीय कार्यक्रम, प्रक्रिया एवं समन्वयन की स्थापना करना।
- विभिन्न विभागों, स्थानीय, निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधनों का आपदा के समय उपलब्धता का निर्धारण करना। बहुआपदा की स्थितियों के अनुसार संसाधनों की स्थिति एवं उपलब्धता, कमियाँ, वैकल्पिक उपाय एवं आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त करना ।
- विभागों एवं संस्थानों का तकनीकी एवं संसाधनों की दृष्टि से सशक्तीकरण एवं उनकी सहभागिता प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरण और अभिमुखीकरण।
- जनपद स्तर पर प्रशासनिक, विकास कार्यो तथा सामुदायिक सहभागिता के प्रसार हेतु सूचनाओं का प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन।

- जनपदीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना को एक प्रभावी प्रबन्धकीय कुंजी के रूप में सतत अद्यतन (Update) करते हुए उपयोग करना जिससे आपदाओं के पूर्व, आपदाओं दौरान एवं पश्चात उनका न्यूनीकरण और सुगमता से नियन्त्रण होता रहे।

संकल्पना एवं नीतिगत विवरण

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना की मुख्य नीति आपदाओं से होने वाली जनहानि, सम्पति एवं अधिसंरचनाओं की सुरक्षा करना तथा आपदा के पश्चात खोज–बचाव एवं राहत तथा पुर्नवास व्यवस्थाओं द्वारा सामान्य स्थिति को बहाल करते हुये सम्यक विकास करना है। यह भी देखा गया है कि आपदाओं से पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जन समुदाय के बीच सुरक्षात्मक उपायों का प्रसार, सरंचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक कार्यो द्वारा आपदाओं के प्रभाव को कम करना लाभकारी एवं तर्क संगत है। इसलिए पूर्व तैयारी और न्यूनीकरण के उपायों को विशेष महत्व इस कार्य योजना में दिया जा रहा है।

आपदा के समय अतिशीघ्र एवं त्वरित गति से प्रभावित जन समुदाय, स्त्री, बूढ़े एवं बच्चे और विकलांगों तथा बीमारों को बचाने हेतु उपाय किया जाना, चिकित्सा एवं जन आपूर्ति व्यवस्थाओं को सुचारू करना, घायल एवं मृत लोगों को खोजना एवं बचाना आवश्यक है जिसके लिए सतत प्रशिक्षण, स्थितिगत मूल्यांकन, स्थानीय जन सहभागिता एवं स्थलीय जानकारियों का होना आवश्यक है। इस कार्य योजना में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और तत्सम्बन्धी विवरण एवं तालिकाऐं दी जा रही हैं।

अल्मोड़ा जनपद में आपदा घटित होने के पश्चात जन समुदाय का विस्थापन अथवा पुर्नवास करना एक कठिन कार्य है। योजना में जन समुदाय से वस्तुस्थिति के अनुसार विचार विमर्श करते हुये ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, विस्तार एवं पुर्नस्थापना करना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही सम्भावना के अनुसार अवस्थापनाओं की पुर्नस्थापना यथाशीघ्र करते हुये सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों को प्राथमिकता दिया जाना अभीष्ट है।

बहु आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर विभिन्न दूरगामी विषयों का क्रियान्वयन

जनपद अल्मोड़ा में विभिन्न आपदाओं की प्रकृति, यहां के सामरिक महत्व, तीर्थाटन और संरचनागत विकास को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में निम्नलिखित विषयों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है, ताकि एक दूरगामी नीति और व्यावहारिक विषय के रूप में इनका सतत क्रियान्वयन हो।

(1) जनपद के तीर्थाटन और सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सामरिक महत्व को देखते हुये यहां का संरचनागत विकास जिसमें मुख्यतः सड़क, पुल, पुलिस, चिकित्सा, संचार, खाद्यान्न, जन स्वास्थ्य आदि को आपदाओं के समय सुरक्षा हेतु विशिष्ट उपायों और संसाधनों से परिपूर्ण किया जाना अपेक्षित है ।

(2) भूकम्प एवं भूस्खलन सुरक्षित निर्माण, आपदाओं के समय क्या करें ? क्या न करें? तथा खोज–बचाव और प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण प्रत्येक विभागीय कर्मचारी/अधिकारी और स्थानीय ग्रामीणों को होना आव यक है। विभिन्न स्तरों पर इस हेतु विशेष और रिफ्रेसर प्रशिक्षण संचालित हों। अध्यापक एवं सरकारी

कर्मचारियों हेतु इन प्रशिक्षणों को आवश्यक घोषित किया जाना दूरगामी दृष्टि से लाभदायक होगा।

(3) आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तम एवं प्रभावी तंत्र आपदा राहत बचाव दलों का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में जैसे आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यकीय है इसके लिए आपदा प्रबन्धन विषय में जनसमुदाय को जागरूक करना एवं आपदा राहत प्रबन्धन कार्य में समुदाय की सहभागिता आवश्यक है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।

(4) आपदा राहत प्रबन्धन कार्य आपदा क्षति न्यून करने का अति महत्वपूर्ण अंग हैं। उसके लिए आपदा राहत खोज एवं बचाव कार्यदल का गठन एवं कार्यदल सदस्यों को खोज बचाव कार्य एवं प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण अति आवश्यक है जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्र में बचाव एवं राहत कार्य में तुरन्त व महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकें।

(5) उत्तराखण्ड राज्य के छितरे हुए एवं दूरस्थ गॉवों में आवागमन दुर्गमता व संचार साधनों की कमी तथा आपदा के दौरान सीमित यातायात व संचार व्यवस्था के टूटने व खराब होने के कारण कई घन्टों या दिनों बाद उपलब्ध सहायता अपनी उपयोगिता खो देती है। इसलिए उत्तराखण्ड के ग्रामों में खोज एवं बचाव दलों का गठन किया जाना आवश्यक है क्योंकि इन कार्यदलों के सदस्यों को अपने संसाधन एवं क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान होता है जिसका उपयोग कर ये दल समय पर जन हानि को कम कर सकते हैं।

(6) आपदाओं के वृहद स्वरूप, सीमित संसाधनों की उपलब्धता तथा कठिन भू–भौतिक स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन में जन–सहभागिता को प्राप्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु जनसमुदाय को प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा एवं उनको समय पर सहायता उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर कार्यवाही किया जाना आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से उपयोगी होगा।

(7) विकास विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं जैसे मनरेगा, आत्मा आदि में आपदा प्रबन्धन के तत्वों को शामिल किया जाना उचित होगा।

जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन का संस्थागत ढांचा

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, की अधिसूचना संख्या–1511/XVIII (2)/07/07–3 (6)/2007, दिनांक 04 दिसम्बर 2007 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 53 वर्ष 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, द्वारा इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विभिन्न कार्यो तथा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन के लिये एक जिला स्तरीय अर्थात अल्मोड़ा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नवत रूप में संरचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है–

- जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा : अध्यक्ष
- जिला पंचायत अध्यक्ष, अल्मोड़ा : सह अध्यक्ष
- पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा : सदस्य
- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा : सदस्य
- प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन/ अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा : सदस्य/मुख्य अधिशासी अधिकारी
- मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा : सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा : सदस्य

जनपद के समस्त मा0 विधायकगण प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमंत्री होंगे तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में नामित किया गया है–

- जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा।
- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा।
- अधिशासी अभियन्ता, कुमाऊँ सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा। (नोडल अधिकारी)
- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, अल्मोड़ा।
- अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, अल्मोड़ा। (नोडल अधिकारी)
- भू–वैज्ञानिक, भू–तत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, अल्मोड़ा।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
- मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य प्रदान किये गये हैं–

1. जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा

अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले के आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

2. जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता हैं

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकाारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उसका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा।

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा की स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्ग निर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निर्देश दे सकेगा।

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा।

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा।

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा।

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही हैं।

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबन्धन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं ।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

जिला कार्यालय में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना की गई है जो कि 24X7 के आधार पर वर्ष भर कार्य करता हैं तथा सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं किसी भी आपदा के दौरान सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को पुलिस संचार नेटवर्क से भी जोड़ा गया हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचनाओं एवं मौसम सम्बन्धी जानकारियों को जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जाता हैं। आपदा के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की पंजिका में दर्ज किया जाता हैं तथा आपदा क्षति से सम्बन्धित सूचनाओं को अद्यतन करने का कार्य भी किया जाता हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित दूरभाष का नं0 1077 (टोल फ्री), कार्यालय दूरभाष 05962–237874, 237875 तथा मोबाईल नम्बर 7900433294 है।

इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम

जनपद में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशानुसार इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम का गठन किया गया है।

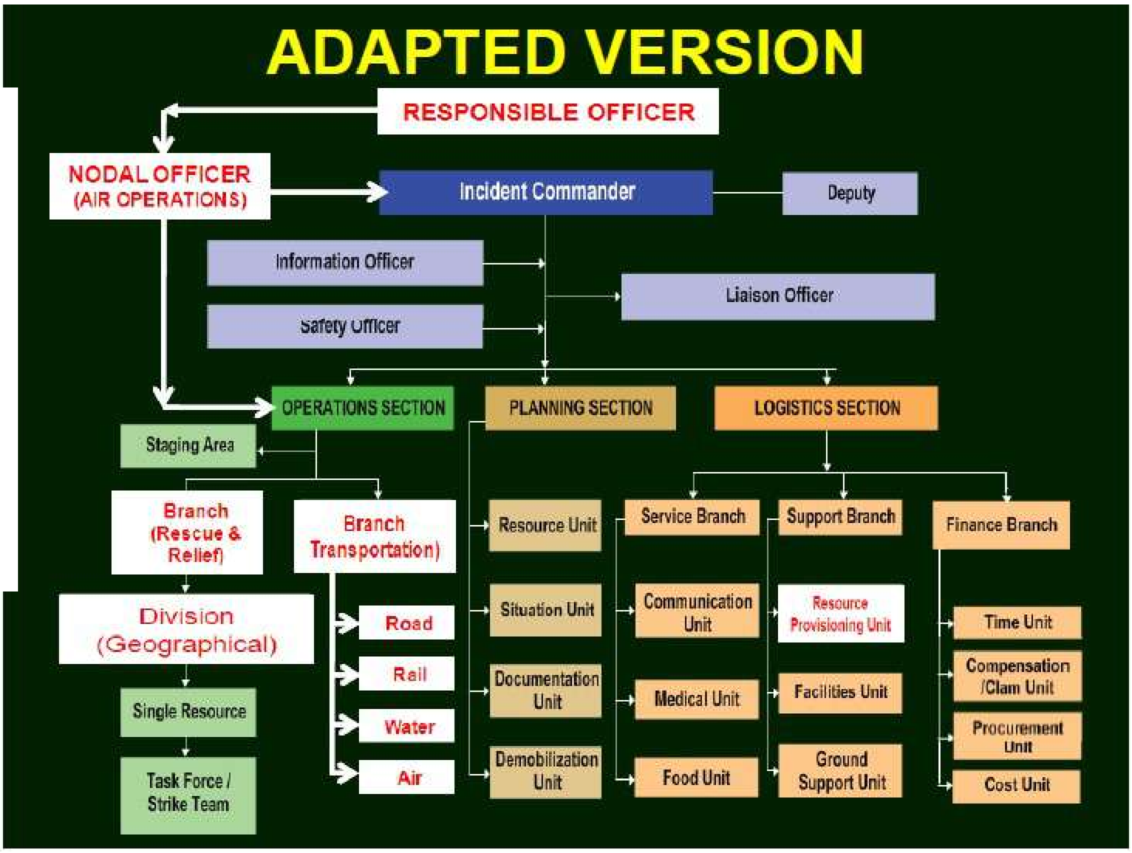

Responsible Officer (आर0ओ0) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. जिला मजिस्ट्रेट जिला प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। जिला मजिस्ट्रेट को जिले में Responsible Officer (आर.ओ.) के रूम में पदनामित किया गया हैं।
2. आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करते हुए जिले में विभिन्न विभागों के प्रमुखों को अलग–अलग भूमिकाएं निभानी होती हैं। डी.डी.एम.ए. के सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, संबंधित सदस्यों के परामर्श से अग्रिम में तय की जाएंगी। अन्य संबद्ध विभागों की भूमिकाओं को भी जिला डी.एम. योजना में विभिन्न आपदा परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जाएगा जिससे कि कार्रवाई के दौरान अपने कार्यो के बारे में किसी प्रकार का संदेह न हो।
3. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (डी0सी0)/आर.ओ./जिला मुख्यालय/उप–मंडल और तहसील/ब्लॉक स्तरों पर आई0आर0टी0 के गठन के लिए एक स्थायी आदेश जारी करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि आई0आर0टी0 के लिए उपयुक्त और अनुभवी अधिकारियों का चयन किया जाएगा।
4. तथापि Operation Section Chief (ओ0एस0सी0) का चयन आपदा की प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ या भूकंप आ जाने की स्थिति में, कार्रवाईकर्ताओं का प्रमुख कार्य प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचना, प्रभावित व्यक्तियों को बचाना और उन्हें राहत उपलब्ध कराना होता है। लोगों को अपने घर जल्दी में छोड़ने पड़ते हैं और वे अपनी मूल्यवान वस्तुएं नहीं ले जा पाते। ये उजड़े हुए घर असुरक्षित हो जाते हैं।
5. राहत सामग्रियों के परिवहन किए जाने के समय उनके लूटे जाने की संभावना होती है। ऐसे मामलों में, पुलिस और सशस्त्र बल अभियान चलाने और नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। जिला स्तर पर आग लगने की स्थिति में, परिस्थिति पर कार्रवाई करने के लिए जिला अग्निशमन अधिकारी उपयुक्त अधिकारी होगा। स्वास्थ्य संबंधी आपदा के मामले में, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
6. घटना कार्रवाई के अनुवीक्षण और सहायता के लिए Responsible Officer (आर0ओ0) सभी अपेक्षित Incident Response Team (आई0आर0टी0) को घटना स्थल पर Incident Commander (आई0सी0) की सहायता के लिए सम्मिलित करेगा। ऐसे मामले में जब केंद्रीय टीमें (एन0डी0आर0एफ0, सशस्त्र बल) तैनात की जाएं, तो आर.ओ. यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतभेदों का समाधान हो जाए। इस प्रयोजन के लिए वह Emergency Operation Center (ई0ओ0सी0) में ऐसे अभिकरणों के प्रतिनिधि को सम्मिलित कर सकेगा जहां सभी मतभेदों का समाधान उच्चतम स्तर पर आसानी से किया जा सके। इस प्रकार तैनात टीमों को Operation Section Chief (ओ0एस0सी0) के पर्यवेक्षण में एकल संसाधन, स्ट्राइक टीमों या कार्य बलों के रूप में Operation Section (ओ0एस0) में कार्य करना होगा। यदि अपेक्षित हो, तो Incident Commander (आई0सी0) भी सभी विवादों/मतभेदों के समाधान के लिए निकट पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।

7. सुनिश्चित करेगा कि जिला, उप–मंडल तहसील/ब्लॉक स्तरों पर आई.आर.टी. तैयार कर ली गई है और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अनुसार आई.आर.एस. को जिला डी.एम. योजना में शामिल कर लिया गया है।

8. सुनिश्चित करेगा कि पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सीय सहायता के लिए सभी विद्यमान टोल फ्री आपातकालीन नम्बर, कार्यवाई, कमान और नियंत्रण के लिए Emergency Operation Center (ई.ओ.सी.) से जुड़े हों। उदाहरण के लिए यदि कोई आग लगने की घटना घट जाए तो सूचना केवल अग्निशमन केन्द्र पर ही नहीं पहुंचे बल्कि Emergency Operation Center (ई.ओ.सी.) तक एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं जुटाने के लिए निकटतम अस्पताल तक भी पहुंचें।

9. जब और जैसे अपेक्षित हो, जिला मुख्यालय, उप–मंडल, तहसील/ब्लाक स्तरों पर Incident Response Team (आई.आर.टी.) को सक्रिय करेगा।

10. जब और जैसे अपेक्षित हो, आई.सी. और आई.आर.टी. को नियुक्त/तैनात, बर्खास्त और भंग कर सकता हैं।

11. समग्र घटना उद्देश्य, प्राथमिकताएं निश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न उद्देश्यों के मध्य आपस में टकराव न हो।

12. सुनिश्चित करेगा कि Incident Action Plan (आई.ए.पी.) आई.सी. द्वारा तैयार और क्रियान्वित किया जाए।

13. जिले में सरकार के किसी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, प्राईवेट सेक्टर आदि के पास उपलब्ध संसाधनों को निर्मुक्त (जारी) करने और उनका उपयोग किए जाने के लिए निर्देश देगा।

14. सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय सशस्त्र बल कमांडरों को योजना प्रक्रिया में शमिल किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उनके संसाधनों का समुचित रूप से सह प्रयोग किया जाए।

15. केंद्रीय और राज्य सरकार के Nodal Officer (एन.ओ.) के साथ समन्वयन में हवाई प्रचालन आयोजित करने के लिए जिला स्तर पर एक एन.ओ. की नियुक्ति की जाए। यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिले के आई.आर.टी. के सभी आई.सी. इससे अवगत हों।

16. सुनिश्चित करेगा कि एन.जी.ओ. अपने क्रियाकलापों का संचालन साम्यपूर्ण और भेदभाव रहित तरीके से करें।

17. आवश्यकता पड़ने पर घटना स्थल पर जिला मुख्यालय के आई.आर.टी. की तैनाती करें।

18. सुनिश्चित करेगा कि कारगर संचार सेवाएं उपलब्ध रहें ।

19. सुनिश्चित करेगा कि सभी ई.एस.एफ. की दूरभाष निर्देशिका (टेलीफोन डायरेक्टरी) तैयार की जाए तथा वह ई.ओ.सी. एवं आई.आर.टी के सदस्यों के पास उपलब्ध हों

20. कार्मिक की जवाबदेही और सुरक्षित प्रचलनात्मक वातावरण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

21. स्थिति बिगड़ जाने की दशा में आर.ओ., आई.सी. की भूमिका अपनाएगा तथा राज्य स्तरीय आर.ओ. सहायता हेतु अनुरोध कर सकता है।
22. जहां आवश्यक प्रतीत हो, सलाह और सहायता के लिए संगत क्षेत्रों से विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं को एकत्र करेगा।
23. किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से सुविधाओं का अनन्य या अधिमानतः प्रयोग प्राप्त करेगा।
24. आई.आर.टी के कार्यपालन पर कार्रवाई–पश्चात पुनरीक्षण करेगा और कार्यपालन में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठाएगा।
25. ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा जैसा कि स्थिति की मांग हो।

Incident Commander (आई0सी0)

घटना कमांडर (आई.सी.) किसी घटना स्थल पर कार्यवाही के प्रबन्धन के लिए समग्र प्रभारी होता है। इसे आर0ओ0(सी0एस0/डी0एम0/डी0सी0) द्वारा नियुक्त/पदनामित किया जाता है। इस घटना के परिमाण और प्रकृति के आधार पर वह अपने अधीन एक डिप्टी रख सकता है। उसकी सहायता और घटना के प्रबन्धन के लिए स्टाफ के दो वर्ग (क) कमान स्टाफ, और (ख) सामान्य स्टाफ। कमान स्टाफ आई0सी0 सूचना एवं मीडिया अधिकारी (आई0एम0ओ0) सुरक्षा अधिकारी (एस0ओ0) और सम्पर्क अधिकारी (एल0ओ0) से मिलकर बनता है।

Incident Commander (आई0सी0) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना :–
   क) स्थिति की प्रास्थिति जैसे लोगो की संख्या और प्रभावित क्षेत्र आदि ;
   ख) संसाधनों की उपलब्धता और अधिप्राप्ति ;
   ग) आई0सी0पी0 स्टेजिगं एरिया, घटना बेस, शिविर, राहत शिविर आदि जैसी सुविधाओं की आवश्यकता ;
   घ) संचार प्रणाली की उपलब्धता और आवश्यकता ;
   ड़) आई0एम0डी0 से भविष्य में मौसम का हाल और
   च) सभी उपलब्ध स्रोंतो से कार्यवाही के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना और स्थिति की विश्लेषण करना।
2. उपलब्ध सूचना और संसाधनों के आधार पर घटना के लिए उद्देश्य और रणनीतियों निर्धारित करना।
3. खोज बचाव तथा राहत सामग्री वितरण रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना।
4. घटना स्थल पर कानून एवं व्यवस्था, यातायात आदि यदि कोई हो, बनाए रखने के लिए अपेक्षाओ को आकंलन करना और स्थानीय पुलिस की सहायता से व्यवस्था करना।
5. अनुबन्ध–1 में संलग्न आई0आर0एस0 घटना की सूचना देने (ब्रीफिगं) वाला फॉर्म–001 के अनुसार स्थिति के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को संक्षेप में वितरण देना और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त संसाधनों के लिए अनुरोध करनां
6. यदि आर0ओ0 द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो ए0सी0 और यू0सी0 के क्रियान्वयन के लिए सहायता देना।
7. घटना के नियंत्रण के दायरे और पैमाने के आधार पर अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और ईकाइयो के साथ समुचित आई0आर0एस0 संगठन स्थापित करनाः।

8. किसी उचित स्थान पर Incident Command Post (आई0सी0पी0) स्थापित करना। घटना के बहु क्षेत्राधिकार वाला होने पर भी एक ही आई0सी0पी0 होगी। पूर्ण संचार उपस्कर के साथ मोबाईल वैन और उपयुक्त कार्मिकों का भी आई0सी0पी0 के रूप में उपयोग किया जा सकता है। भवनों के पूर्णतया नश्ट हो जाने की स्थिति में टैन्टों या अस्थायी शरणस्थलों का उपयोग किया जा सकता है। यदि समुचित या पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो तो अन्य अनुभाग किसी भिन्न सुविधाजनक स्थान से कार्य कर सकते है, किन्तु तुरन्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए आई0सी0पी0 के साथ उचित और अचूक सुरक्षित सम्पर्क रहना चाहिए।
9. यह सुनिश्चित करना कि आई0ए0पी तैयार है।
10. यह सुनिश्चित करना कि टीम के सदस्यों को आई0ए0पी0 के अनुसार विभिन्न कार्यपालन के सम्बन्ध में संक्षेप में अवगत (ब्रीफ) कराया जाए।
11. किसी आई0ए0पी0 के क्रियान्वयन का अनुमोदन और उसे प्राधिकृत करना और यह सुनिश्चित करना कि आई0ए0पी0 को आई0आर0टी0 सदस्यों की डिब्रीफिगं के अनुसार नियमित रूप से विकसित और अद्यतन किया जाए। इसे प्रत्येक 24 घण्टो में पुनरीक्षित और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को परिचालित किया जाए।
12. यह सुनिश्चित करना कि योजना बैठके नियमित अन्तरालों पर आयोजित की जाए। कारगर घटना अनुक्रिया के लिए बैठको में क्रियान्वयन रणनीति और आई0ए0पी0 तैयार की जायेंगी इस बैठक को आयोजित करने के निर्णय की एकमात्र जिम्मेदारी आई0सी0पी0 की है। यह सुनिश्चित करना कि अन्य सदस्यों के अलावा, पी0एस0सी0 सभी ब्रीफिगं और डिब्रीफिगं बैठको में उपस्थित हों।
13. यह सुनिश्चित करना कि सभी अनुभाग या इकाईयां आई0ए0पी0 के अनुसार कार्य कर रहे है।
14. यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाही कर्ताओं और प्रभावित समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हो।
15. आई0आर0टी0 के सभी अनुभागों कार्यवाही क्रियाकलापों में कार्यरत अभिकरणों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी विवादों का समाधान हो जाए।
16. यह सुनिश्चित करना कि योजना बनाने, संसाधन लामबन्दी और प्रशिक्षित आई0आर0टी0 सदस्यों के नियोजन लिए कम्प्यूटरीकृत और वेब आधारित आई0आर0टी0 समाधानों का उपयोग किया जाए।
17. ऐसे संसाधनों, और उपस्करों की आवश्यकता पर विचार करना जो कार्यात्मक क्षेत्राधिकार में उपलब्ध न हो पी0एस0सी0 और एल0एस0सी0 से चर्चा करना और उनके प्रापण के सम्बन्ध में आर0ओ0 को सूचित करना।
18. यह अनुमोदित और सुनिश्चित करना कि अपेक्षित अतिरक्त संसाधन अधिप्राप्त करके सम्बन्धित अनुभागों, शाखाओं और इकाइयों आदि को दिए जाये और उनका उचित उपयोग किया जाए। सौपा गया कार्य पूर्ण हो जाने पर संसाधनों को उनका उपयोग कही और किए जाने के लिए वापस करें या सम्बन्धित विभाग को तुरन्त वापस किया जाए।
19. यदि अपेक्षित हो तो पी0आर0आई0, यू0एल0बी0, सी0बी0ओ0, एन0जी0ओ0 आदि से सम्पर्क स्थापित करना और आई0ए0पी0 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना तथा बाहरी बचाव और राहत दलो की सहायता करने में स्थानीय गाइडों के रूप में कार्य करने में उनके सहयोग हेतु उन्हे सूचीबद्ध करना।
20. स्वयं सेवको और वैसे ही अन्य कार्मिको की तैनाती का अनुमोदन करना और यह सुनिश्चित करना करना कि वे कमान की श्रृंखला का अनुसरण करें।

21. मीडिया को देने के लिए जानकारी सम्बन्धी प्रक्रिया को प्राधिकृत करना।
22. यह सुनिश्चित करना है कि बाहर से जुटाए गए संसाधनों का अभिलेख (रिकार्ड) रखा जाए ताकि किराए पर प्राप्त संसाधनों के सम्बन्ध में तुरन्त भुगतान किया जा सके।
23. यह सुनिश्चित करना कि घटना प्रास्थिति सार (आई0एस0एस0) पूरा किया जाए और इसे आर0ओ0 को अग्रेशित किया जाए (अनुबन्ध–2 के साथ आई0आर0एस0 फार्म–0022 संलग्न है)।
24. जब समुचित हो, आई0आर0टी0 की अलामबन्दी की सिफारिश करना।
25. लोक शिकायतों की समीक्षा करना और आर0ओ0से समुचित शिकायत निवारण उपायों की सिफारिश करना।
26. यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित स्थलों में तैनात एन0जी0ओ0 और अन्य सामाजिक संगठन उचित रूप से और साम्यपूर्ण ढंग से कार्य करें।
27. घटना पर कार्यवाही के पूरा होने पर आई0आर0टी0 की अलामबन्दी के पूर्व कार्यवाही पश्चात रिपोर्ट (ए0ए0आर0) का तैयार किया जाना सुनिश्चित करना।
28. ऐसे किन्ही अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो घटना के प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो।
29. यह सुनिश्चित करना कि शाखाओं, प्रभागों इकाईयो/समूहो के सदस्यों द्वारा निश्पादित विविध कार्यकलापों का रिकार्ड इकट्ठा किया जाए (अनुबन्ध 4 के साथ संलग्न आई0आर0एस0 फॉर्म –004) और यूनिट लॉग में अनुरक्षित किया जाए (अनुबन्ध–3 के साथ संलग्न आई0आर0एस0 फॉर्म–003)।
30. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो आर0ओ0द्वारा समनुदेशित किए जाएंः

Information & Media Officer (आई0एम0ओ0) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

मीडिया ब्रीफिंग में आई0सी0 की सहायता के लिए Information & Media Officer (आई0एम0ओ0) सम्पर्क बिन्दु है। वह प्रारम्भिक रूप से कार्यवाही की जारी गतिविधियो का प्रलेखन भी करता है। आई.एम.ओ. की भूमिका और उत्तरादायित्व निम्नलिखित हैः–

1. घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना तैयार करना और Incident Commander (आई0सी0) के अनुमोदन से मीडिया अभिकरणों तथा अन्य को जारी करना।
2. आकस्मिक आपदाओं की स्थिति में जब Incident Response Team (आई0आर0टी0) पूर्ण रूप से सक्रिय नही हुई हो, लिए गये निर्णयों तथा जारी निर्देशों को संक्षेप में लिखना और सक्रिय हो जाने पर आई0ए0पी0 में समावेशित किए जाने के लिए Planning Section (पी0एस0) को सौपना।
3. घटना के पैमाने और कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त कार्मिक सहायता की मांग करना।
4. घटना के सम्बन्ध में ऐसी अनेक मीडिया रिपोर्ट को मॉनीटर और पुनरीक्षित करना जो घटना हेतु योजना बनाने के लिए उपयोगी हो सके।
5. Incident Commander (आई0सी0) के निर्देशानुसार या जब अपेक्षित हो आई0ए0पी0 की बैठके आयोजित करना।
6. मौसम की सूचना प्राप्त करने के लिए आई0एम0डी0 के साथ समन्वयन को बनाए रखना और इस सूचना को सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रसारित करना।
7. निश्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड आई0आर0एस0 फॉर्म –004 (अनुबन्ध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखना।
8. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो आई0सी0द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

Liason Officer (एल0ओ0) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Liason Officer (एल0ओ0) अनुक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न सम्बद्ध विभागों, एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधियों, पी0आर0आई0 और यू0एल0 बी0 आदि के लिए सम्पर्क का एक केन्द्र बिन्दु है। एल0ओ0 प्रथम कार्यवाही–कर्ताओं, सहयोगी अभिकरणों और कार्यवाही सम्बन्ध विभागो की सहायता का सम्पर्क बिन्दु है। एल0ओ0 की भूमिकाए और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

1. सम्बन्धित सम्बन्ध विभागों, अभिकरणों (सी0बी0ओं, एन0जी0ओ0 आदि) और उनके प्रतिनिधियों की विभिन्न स्थानों पर एक सूची तैयार रखना।
2. एन0डी0आर0एफ0 और सशस्त्र बलों सहित सभी सम्बन्धित अभिकरणों और सरकार के कार्यवाही सम्बद्ध विभागों से सम्पर्क बनाए रखना।
3. चालू या अभिकरणों के बीच की संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रचालनों को मॉनीटर करना।
4. योजना बनाने की बैठको में सम्मिलित होना और भाग लेने वाले अभिकरणों द्वारा कार्यवाही पर सूचना उपलब्ध करना।
5. यदि अपेक्षित हो तो कार्मिको की सहायता की मांग करना।
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों के कार्यवाही में सम्मिलित होने और उनके संसाधनों के सम्बन्ध में आई0सी0को सूचित करते रहना।
7. आई0सी0 के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों के ब्रीफिगं सत्र आयोजित करने में सहायता करना।
8. निष्पादित विविध कार्यकलापों का आई0आर0एस0 फार्म–004 के अनुसार रिकॉर्ड रखना।
9. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो आई0सी0 द्वारा समनुदेशित किए जाए:

Safety Officer (एस0ओ0) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Safety Officer (एस0ओ0) का काम कार्मिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय विकसित करना और उनकी सिफारिश करना तथा खतरनाक और असुरक्षित स्थितियों का निर्धारण करना और पूर्वानुमान लगाना है। असुरक्षित कार्यो को रोकने या बन्द करने के लिए एस0ओ0 प्राधिकृत है। एस0ओ0 की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

1. कार्यवाही कर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना और खतरनांक तथा असुरक्षित स्थितियों का निर्धारण करना या पूर्वानुमान लगाना और नियमित रूप से इसका पुनरीक्षण करना।
2. सहायको की मांग करना और अपेक्षानुसार उन्हें उत्तरदायित्व सौपना।
3. Incident Action Plan (आई0ए0पी0) तैयार करने के लिए योजना बनाने की बैठको में भाग लेना।
4. सुरक्षा अनुमानों (Implication) के लिए Incident Action Plan (आई0ए0पी0) का पुनरीक्षण करना।
5. यदि अपेक्षित हो या Incident Commander (आई0सी0) ने निर्देश दिया हो तो घटना क्षेत्र के भीतर हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे प्राप्त करना और उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचित करना।
6. जब कभी अपेक्षित हो स्थल सुरक्षा योजना का पुनरीक्षण और अनुमोदन करना।
7. निष्पादित विविध कार्यकलापों का आई0आर0एस0 फार्म–004 के अनुसार रिकॉर्ड रखना।
8. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो Incident Commander (आई0सी0) द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

Operation Section (प्रचालन अनुभाग)

प्रचालन अनुभाग किसी घटना के प्रबंधन पर सीधे तौर पर लागू होने वाले सभी प्रकार के क्षेत्रीय स्तर के कूटनीतिक प्रचालनों से सम्बन्धित है। इस अनुभाग का अध्यक्ष Operation Section Chief (ओ.एस.सी.) होता है और तथापि, ओ.एस.सी. का चयन आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर होगा। प्रचालन अनुभाग आगे शाखाओं, प्रभागों और समूहों में उप–विभाजित है, जो प्रचालन अनुभाग प्रमुख कमांडर के घटना की क्षेत्रीय प्रचालनों के निष्पादन में उनकी सहायता करते हैं। Operation Section Chief (ओ.एस.सी) आई.सी. को रिपोर्ट करेगा। वह आई.ए.पी. के अनुसार अपने अनुभाग के सक्रिय नियोजन और विस्तार के लिए उत्तरदायी होगा। भौगोलिक कारणों की वजह से जैसे–जैसे प्रचालन संबंधी कार्यकलापों में वद्धि होती है, ओ.एस.सी. उचित नियंत्रण के तालमेल और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए शाखा का प्रभागों में समावेशन या सक्रियण तथा विस्तार करेगा। रेखाचित्र–1 में ओ.एस. का संघटन दिया गया है:

Operation Section Chief (ओ0एस0सी0) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सक्रिय किए गए अनुभाग–प्रमुखों के साथ समन्वय।
2. घटना संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रचालनों का प्रबंधन करना।
3. प्रचालन अनुभाग तथा प्रभावित समुदायों में लगे कार्मिकों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. आई.सी. से परामर्श करके और आई.ए.पी. के अनुसार अपने अनुभाग के संगठनात्मक घटकों (शाखा, प्रभाग, समूह, आदि) में तैनाती, सक्रियण, विस्तार कार्य और पर्यवेक्षण करना।
5. कार्य को ध्यान में रखते हुए, उचित कार्मिकों को उनकी क्षमता अनुसार प्रचालन में उपयोग करना और ड्यूटी अधिकारी सूची (आई.आर.एस.फॉर्म–007) को उस दिन के लिए तैयार रखना।
6. सहायता के लिए, यदि आवश्यक हो, एक Deupty Operation Section Chief की व्यवस्था हेतु आई.सी. से अनुरोध करना।
7. प्रत्येक प्रचालन की अवधि के प्रारंभ में प्रचालन अनुभाग के कार्मिकों को ब्रीफ करना।
8. अपने अनुभाग की विभिन्न शाखाओं के बीच के सभी विवादों का समाधान करना, सूचना को साझा करना, समन्वय और सहयोग को सुनिश्चित करना।
9. यदि आवश्यक हो, तो आई.ए.पी. के अनुसार अनुभाग की प्रचालन संबंधी योजना तैयार करना।
10. आई.सी.को आई.ए.पी. में समीचीन परिवर्तनों के लिए सुझाव देना।
11. समय–समय पर आई.सी. से परामर्श करना और प्रचालन के बारे में उसे पूरी तरह अवगत कराना।
12. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निर्धारित करना और तद्नुसार मांग रखना और उनकी आवक सुनिश्चित करना।
13. शाखाओं, प्रभागों, यूनिटों/समूहों के सदस्यों (आई.आर.एस. फार्म–004) द्वारा किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड रखना और यूनिट लॉग (आई.आर.एस. फॉर्म–003) में इनका अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
14. आर.ओ./आई.सी. द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करना।

स्टेजिंग एरिया

स्टेजिंग एरिया ऐसा क्षेत्र है जहां संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है और क्षेत्रीय प्रचालनों (फील्ड ऑपरेशन) में उपयोग हेतु तैयार रखा जाता है, इनमें भोजन, वाहन और अन्य

सामग्रियां तथा उपस्कर जैसी वस्तुएं सम्मिलित हो सकती है। स्टेजिंग एरिया प्रभावित स्थल के निकट किसी उपयुक्त स्थान पर संसाधनों के तत्काल, प्रभावी और तुरंत नियोजन के लिए स्थापित किया जएगा। यदि आवश्यकता हो, तो एक से अधिक स्टेजिंग एरिया स्थापित किये जा सकेंगे। यदि संसाधनों की अन्य अवस्थानों पर अंततः प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के लिए लामबंदी की जाती है, तो ये अवस्थान भी स्टेजिंग एरिया के नाम से जाने जायेंगे। स्टेजिंग एरिया का संपूर्ण प्रभारी स्टेजिंग एरिया प्रबंधक (Staging Area Manager) के नाम से जाना जाता है, और उसके लिए प्रचालन अनुभाग प्रमुख (ओ.एस. सी.) के माध्यम से Logistic Section (एल.एस.) और Planning Section (पी.एस.) दोनों के साथ निकट तालमेल के साथ काम करना आव यक है।

Staging Area Manager (एस.ए.एम.)–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. स्टेजिंग एरिया को उचित सेटअप के साथ स्थापित करना, इसे व्यवस्थित रूप में बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि वाहनों, संसाधनों आदि के आवागमन में कोई बाधा न आए।
2. प्राप्त हुए संसाधनों के भंडारण और प्रेषण को संगठित करना और Incident Action Plan (आई.ए.पी.) के अनुसार उन्हें प्रेषित करना।
3. सभी प्राप्तियों और प्रेषणों की सूचना Operation Section Chief (ओ.एस.सी.) को देना और उनका रिकॉर्ड रखना।
4. स्टेजिंग एरिया के सभी कार्यकलापों का प्रबंधन करना।
5. सभी जल्दी खराब होने वाली आपूर्तियों का शीघ्रता से उपयोग करना।
6. यथोचित चेक–इन–फंक्शन स्थापित करना।
7. स्टेजिंग एरिया में उपस्करों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आव यकतानुसार अनुरोध करना।
8. यह सुनिश्चित करना कि आई.सी.पी. और अन्य अपेक्षित स्थानों, उदाहरणतः भिन्न–भिन्न स्टेजिंग एरिया, घटना स्थल, शिविर, राहत शिविर आदि, के साथ संचार व्यस्थाएं स्थापित हो।
9. संसाधन की प्रास्थिति बनाए रखना और Planning Section (पी.एस.) और Logistic Section (एल.एस.) को मुहैया करना।
10. अलामबंदी योजना के अनुसार (आई.आर.एस.फॉर्म–010) स्टेजिंग एरिया की अलामबंदी।
11. आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबंधित अनुभाग को भेजना और।
12. अन्य कर्तव्य, जो Operation Section Chief (ओ.एस.सी.) द्वारा सौंपे जाएं पूरा करना।

Response Branch (कार्यवाही शाखा)

कार्यवाही शाखा क्षेत्र में परिस्थिति से निपटने और विभिन्न कार्यों को पूरा करने वाली प्रमुख शाखा है। आपदा के पैमाने पर निर्भर करते हुए, Response Branch Director (आर.बी.डी.) को समूहों की संख्या में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है जिसके फलस्वरूप प्रभाग के सृजन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह ढांचा किसी बड़ी घटना के प्रबंधन में ओ.एस.सी. द्वारा निकट पर्यवेक्षण करने के लिए आशयित है। पर्यवेक्षण के लिए आदर्श विस्तार 1 : 5 है अर्थात् एक शाखा निदेशक पांच प्रभागों तक का पर्यवेक्षण कर सकता है, एक प्रभाग पर्यवेक्षण पांच समूहों तक का पर्यवेक्षण कर सकता है और एक समूह प्रभारी पांच टीमों का पर्यवेक्षण कर सकता है, आवश्यकतानुसार और अधिक शाखाएं, प्रभाग समूह बनाए जा सकते है।

Response Branch Director (आर.बी.डी.)–भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व

1. ओ.एस.सी. के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करना तथा सौंपी गई भूमिका के अनुसार आई.ए.पी. के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होना।
2. ओ.एस.सी. द्वारा आवश्यकता अनुसार योजना संबंधी बैठकों में भाग लेना।
3. अपनी शाखा के अधीन प्रभागों और समूहों के लिए समनुदेशन सूचियों के आई.आर. एस. फॉर्म–005 की समीक्षा करना।
4. प्रभाग तथा समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौपना।
5. शाखा के कार्यो का पर्यवेक्षण करना।
6. अधीनस्थों द्वारा सूचित किए गए विवादों को सुलझाना।
7. आई.ए.पी. में यदि अपेक्षित हो, संशोधनों के संबंध में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता अधिशेष संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियां या उल्लेखनीय घटना आदि होने पर ओ.एस.सी. को रिपोर्ट करना।
8. विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों को एकल संसाधन स्ट्राइक टीम और कार्य बल सहायता प्रदान करना।
9. यह सुनिश्चित करना कि सभी टीम लीडर द्वारा अपने–अपने क्षेत्र प्रचालनों के संबंध में पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का आई.आर.एस. फार्म–004 के अनुसार रिकॉर्ड रखा जाए और ओ.ए.एस.सी. को भेजा जाए।
10. ऐसे अन्य कर्त्तव्य पूरे करना जो ओ.एस.सी. द्वारा सौंपे जाएं।

प्रभाग पर्यवेक्षण और समूह–प्रभारी

प्रभाग तब सक्रिय होते है जब किसी एकांत और दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में या उचित नियंत्रण बनाए रखने के प्रयोजनार्थ जब कार्यात्मक समूहों की संख्या में वृद्धि की जाती या विभिन्न विशेषीकृत कार्यवाहीयों के लिए पर्यवेक्षणीय आवश्यकता होती है। समूह–प्रभारियों को शाखा के भीतर ही विशिष्ट कार्य करने के लिए सौंपे जाते हैं, जबकि प्रभाग बड़ी संख्या में समूहों के ऊपर प्रभावी पर्यवेक्षण करने के लिए सृजित किए जाते हैं।

प्रभाग पर्यवेक्षक और समूह–प्रभारी–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. प्रभाग या समूह को सौपे गए कार्यो की सूची का कार्यान्वयन करना।
2. उनके अधीन प्रभाग या समूह के भीतर संसाधन सौंपना।
3. प्रचालनों की प्रगति तथा प्रभाग या समूह के भीतर संसाधनों की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट करना।
4. समूह, स्ट्राइक टीम और कार्य बल के लीडरों को संगठनात्मक समनुदेशन सूची (आई. आर.एस. फॉर्म–005 के अनुसार) (प्रभागीय/समूह) परिचालित करना।
5. अधीनस्थों के साथ सौपें गए समनुदेशन और घटना संबंधी क्रियाकलापों की समीक्षा करना और स्थिति के अनुसार कार्य सौपना।
6. संलग्न प्रभागों या समूहों के साथ, यदि अपेक्षित हो, क्रियाकलापों का समन्वयन करना।
7. Response Branch Director (आर.बी.डी.) और Operation Section Chief (ओ.एस. सी.) को स्थिति और संसाधन की प्रास्थिति (स्टेटस) प्रस्तुत करना।
8. सभी खतरनाक परिस्थितियॉ, विशिष्ट परिणामों या उल्लेखनीय घटनाओं (दुर्घटनाओं, बीमारी, खराब मौसम आदि) की सूचना आर.बी.डी. और ओ.एस.सी. को देना,
9. प्रभाग या समूह के भीतर समस्याओं को सुलझाना,
10. अगली प्रचालन अवधि के लिए यदि अपेक्षित है आई.ए.पी. तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेना,

11. यह सुनिश्चित करना कि पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (आई.आर.एस फॉर्म–004 के अनुसार) रखा जाए और आर.बी.डी. और ओ.एस.सी. को भेजा जाए।
12. कोई अन्य कर्त्तव्य पूरा करना, जो आर.बी.डी./ओ.एस.सी. द्वारा सौंपा जाए।

एकल संसाधन

एकल संसाधन के अन्तर्गत किसी निर्धारित घटना में तैनात किए जाने वाले कार्मिक और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर, उदाहरण के लिए अपेक्षित कार्मिक सहित अग्नि शामक तथा अपेक्षित चिकित्सा अधिकारी, पराचिकित्सकीय (पैरामेडिक्स) और ड्राइवर सहित एम्बुलैंस आदि, दोनों सम्मिलित है।

एकल संसाधन लीडर–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. आवश्यक उपस्कर और आपूर्तियों का प्रभार लेना।
2. स्वयं को सौपे गए क्षेत्र में स्थानीय मौसम और वातावरण की दशा, विधि और व्यवस्था की स्थिति आदि का निर्धारण करना और प्रभार को सूचित करना।
3. स्वयं को सौंपे गए कर्त्तव्य को पूरा करना।
4. अपने पर्यवेक्षक के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
5. कोई ऐसा अन्य कर्त्तव्य पूरा करना जो पर्यवेक्षक द्वारा सौंपा जाए।

स्ट्राइक टीम या कार्य बल

स्ट्राइक टीम एक साधन के ही प्रकार और किस्म का एक सामान्य संचार सुविधा और लीडर सहित, एक संयोजन है। कार्य बल एकल साधन से भिन्न प्रकार और किस्म का एक संयोजन है। ये किसी विशिष्ट सामरिक आवश्यकता के लिए एक सामान्य संचार सुविधा और एक लीडर सहित गठित किए जाते है। स्ट्राइक टीम की उस समय भी आवश्यकता पड़ सकती है जब किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य में विशिष्ट विशेषज्ञता अपेक्षित हो और साधनों को एक लीडर के अधीन समूहबद्ध किया जाए।

स्ट्राइक टीम या कार्य बल लीडर–भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व

1. अपने दल के सदस्यों के साथ सौंपे कार्यो की समीक्षा करना।
2. कार्य प्रगति पर रिपोर्ट करना।
3. निकटवर्ती एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम और कार्य बल के साथ कार्यकलापों, यदि सौंपे गए है, में समन्वयन करना।
4. संचार व्यवस्था को स्थापित और सुनिश्चित करना।
5. सौंपे गए अन्य कार्य पूरा करना।
6. विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना।

Transport Branch परिवहन शाखा

प्रचालन अनुभाग में परिवर्तन शाखा विभिन्न साधनों, राहत सामग्रियों, प्रभावितों स्थलों पर कार्मिकों का परिवहन करके तथा यदि आवश्यक हो, तो विपदाग्रस्तों का भी परिवहन करके कार्यवाई प्रयासों में सहायता करता है।

यद्यपि Logistic Section (एल.एस) में एक Ground Support (स्थल सहायता) यूनिट है जो सभी प्रकार का परिवहन और अन्य संबद्ध संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है, फिर भी प्रचालन अनुभाग में परिवहन शाखा Incident Response Team (आई.आर.टी) और आई.ए.पी. की आवश्यकताओं के अनुसार घटना–स्थल पर परिवहन के वास्तविक नियोजन और उपयोग को व्यवस्थित है।

परिवहन शाखा के सभी कार्यात्मक समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) का प्रबंध परिवहन शाखा निदेशक द्वारा किया जाता है। चूंकि हवाई परिवहन को राज्य और जिला स्तरों पर समन्वित करना होता है, इसलिए परिवहन शाखा निदेशक के लिए हवाई प्रचालनों के लिए

आर.ओ, आई.सी और एन.ओ. के साथ निकट तालमेल बनाकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। वह संबन्धित एन.ओ से सभी संबद्ध उड़ानों का ब्यौरा एकत्रित करेगा और स्थल सहायता की आवश्यकता का प्रबंध करेगा।

परिवहन शाखा निदेशक आई.ए.पी के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक समूहों के सक्रियण और विस्तार के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Transport Branch Director (परिवहन शाखा निदेशक) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. विभिन्न प्रचालन समूहों, जैसे सड़क, रेल, जल और वायु का सक्रियण और प्रबंध करना।
2. आवश्यक संसाधनों के लिए एल.एस. के साथ समन्वय करना और अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना।
3. रेलवे, सड़क परिवहन, जल परिवहन और विमानपत्तन प्राधिकारियों के साथ यथा आवश्यक सहायता के लिए समन्वय करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभागीय/समूह) आई.आर.एस. फॉर्म–005 के समूह प्रभारी (प्रभारियों) और अपनी शाखा के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं के बीच सुनिश्चित करना।
5. हवाई प्रचालनों को स्थलीय सहायता उपलब्ध करना और समुचित सुरक्षा प्रबंधों को सुनिश्चित करना।
6. रेल और जल संबंधी प्रचालन समूह को यथा आवश्यक सड़क परिवहन सहायता उपलब्ध करना।
7. घटना कार्रवाई संबंधी कार्यकलापों में शामिल अपनी शाखा के सभी कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
8. यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में संचालित सभी यूनिटें सड़क मानचित्र या स्थानीय पथ प्रदर्शक (गाइड) की सहायता से मार्ग से परिचित हों।
9. परिवहन शाखा (टी.बी) की प्रगति के बारे में ओ.आर.सी. और आई.ए.पी. के अनुसार परिवहन योजना, यदि अपेक्षित हो, तैयार करना।
10. आई.ए.पी के अनुसार परिवहन योजना, यदि अपेक्षित हो, तैयार करना।
11. अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता, उनके उचित और भरपूर उपयोग का निर्धारण करना और तद्नुसार अग्रिम तौर पर मांग प्रस्तुत करना।
12. समस्याओं और विवादों, यदि कोई हो, को सुलझाना।
13. भाड़े (किराये) पर लिए गए साधनों की प्रास्थिति को बनाए रखना, उनके भरपूर उपयोग और समय पर निर्मुक्ति को सुनिश्चित करना।
14. यह सुनिश्चित करना कि प्रचालन संबंधी अलग–अलग समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा किए गए विविध कार्यकलापों का रिकार्ड आई.आर.एस.–004 के अनुसार रखा जाए और संबंधित अनुभाग को भेजा जाए।
15. आई.सी. या ओ.एस.सी. द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य पूरा करना।

Transport Branch (टी.बी.) में चार प्रचालन समूह, जैसे सड़क रेल, जल और वायु समाविष्ट हो सकेंगे। इन समूहों को जब भी अपेक्षित हो, सक्रिय किया जा सकेगा। आपदाओं के दौरान वायु प्रचालन एक महत्वपूर्ण परिवहन क्रियाकलाप होता है, जिसके लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है। वायु प्रचालनों के लिए राज्य और जिला के आर.ओ एक Nodal Officer (एन.ओ) निर्धारित करेंगे और उसे पदनामित करेंगे।

समूह प्रभारी (सड़क प्रचालन)

समूह प्रभारी, सड़क प्रचालन Transport Branch Director (टी.बी.डी.) के अधीन कार्य करता है और सभी सड़क परिवहन क्रियाकलापों के लिए उत्तदायी है। उसके पास सहायता के लिए उसके अधीन एक समन्वयक (सड़क प्रचालन) होता है। यदि प्रचालनों के पैमाने में वृद्धि होती है, तो टी0बी0डी0 एक सहायक समन्वयक के पद को सक्रिय कर सकता है। भारण और अभारण प्रभारी (लोडिंग एंड अनलोडिंग इंचार्ज) समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

समूह प्रभारी (सड़क प्रचालन)—भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. प्रभावित स्थलों तक सड़क द्वारा साधनों के परिवहन को सुनिश्चित करना।
2. अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए मांग करना।
3. ओ.एस.सी. के निर्देश पर योजना संबंधी बैठकों में भाग लेना।
4. आई.ए.पी. के अनुसार विभिन्न गंतव्य स्थानों के साथ समन्वय प्रक्रिया का निर्धारण करना।
5. पार्किंग के लिए उचित स्थल सुनिश्चित करना।
6. समूह के बीच के विवादों, यदि कोई हो को सुलझाना।
7. सड़क प्रचालन योजना को यथा अपेक्षित अद्यतन करना और उनकों उच्च प्राधिकारियों के साथ सांझा करना।
8. दुर्घटनाओं के मामले में Transport Branch Director (टी.बी.डी.) तथा स्थानीय पुलिस को सूचित करना और आवश्यक हो तो जॉच में सहायता करना।
9. यह सुनिश्चित करना कि वाहनों की मरम्मत के लिए मैकेनिक उपलब्ध रहे तथा पेट्रोल, तेल और स्नेहक (लुब्रिकेंट) की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना।
10. नियोजित किए गए वाहनों की संख्या, वाहनों का स्रोत (अर्थात सरकारी या प्राईवेट), ऐसे स्थान जहां वाहन तैनात किए गए है तथा साथ ही साथ उनके द्वारा ले जाए जाने वाले संसाधन के विवरण आदि से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना।
11. रेल जल और हवाई प्रचालनों की आवश्यकता के अनुसार उनके सड़क संबंधी प्रचालनों के भाग में सहायता और समन्वय करना।
12. समन्वयक और अन्य सदस्यों से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई.आर.एस. फॉर्म—004 के अनुसार रखना और Transport Branch Director (टी.बी.डी.) या Operation Section Chief (ओ.एस.सी.) को भेजना।
13. टी.बी.डी. या ओ.एस.सी. द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य पूरे करना।

समन्वयक (सड़क प्रचालन)—भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

समन्वयक (सड़क प्रचालन) मुख्यतः सड़क परिवहन संबंधी आवश्यकताओं में समन्वय करने के लिए उत्तरादायी है। तैनात किए गए वाहनों की संख्या पर निर्भर करते हुए एक से अधिक समन्वयक हो सकते हैं। समन्वयक (सड़क प्रचालन) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः

1. परिवहन के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण करने और अन्य संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए सौंपे गए घटना—स्थल के क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।
2. घटना की गंभीरता पर निर्भर करते हुए और आवश्यकता के आधार पर सहायक समन्वयक (सड़क प्रचालन) के लिए मांग करना।
3. संसाधनों के निर्बाध परिवहन के लिए Staging Area Manager (एस0ए0एम0) के साथ समन्वय करना।

4. समनुदेशन (Assignment) प्राप्त करना, मार्गो के बारे में चालकों (ड्राइवरों) को ब्रीफ करना, लक्ष्य सौंपना वाहनों की आवाजाही का पर्यवेक्षण करना और वाहनों के रखरखाव और मरम्मत संबधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
5. सौंपे गए सभी वाहनों के क्रियाकलापों को मॉनीटर करना और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना।
6. Transport Branch Director (टी0बी0डी0) को सड़क प्रचालनों में धटित होने वाली धटनाओं या दुर्धटनाओं की रिपोर्ट करना।
7. भिन्न–भिन्न स्थानों को की गई आपूर्तियों का रिकॉर्ड रखना।
8. वाहनों की आवाजाही पर दृष्टि बनाए रखना। जी0पी0एस0 सहायता यदि उपलब्ध है, प्रदान करना।
9. राहत सामग्री के परिवहन के लिए सुरक्षा सहायता यदि अपेक्षित हो के लिए अनुरोध करना और परिवहन मार्ग के साथ पडने वाले प्रभावित क्षेत्रों मे पुलिस प्रशासन को सतर्क करना।
10. भारण और अभारण स्थलों पर समन्वय बनाए रखना।
11. अपने अधीन कार्यरत कार्मिको की आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उनकी पूर्ति करना
12. पूरे किये गये विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई0आर0एस0 फॉर्म–004 के अनुसार रखना और उसे Transport Branch Director (टी0बी0डी0) को भेजना।
13. Operation Section Chief (ओ0एस0सी0) या Transport Branch Director (टी0बी0) द्वारा सौपे गए अन्य कर्त्तव्य पूरे करना

भारण/अभारण प्रभारी– भूमिकाये एवं उत्तरदायित्व

किसी आपदा पर कार्यवाही में भारण/अभारण प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सड़क, रेल, और जलीय प्रचालनों में की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व एक समान है जबकि हवाई प्रचालनों में भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व कुछ अलग है। इसलिए भारण/अभारण प्रभारी की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व रेल, सड़क और जलीय प्रचालनों के लिए एक समान हैं। भारण/अभारण प्रभारी समन्वयक के अधीन कार्य करेगा। भारण/अभारण प्रभारी (सड़क, रेल और जल) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है

1- भारण/ अभारण कार्यकलापों के सुरक्षित प्रचालनों का पर्यवेक्षण करना।
2- समूह प्रभारी (सड़क, रेल और जल परिवहन) से प्रचालनों का सारांश प्राप्त करना।
3- भारण (लोडिग) वाले क्षेत्रों का संगठन करना।
4- भारण तथा अभारण कर्मीदल का पर्यवेक्षण करना और यथा अपेक्षित उपस्मर (सीढ़ी, दस्ताने, हैलमेट आदि) एकत्रित करना।
5- भारण/अभारण कार्यकलापों की प्रगति के बारे में समय–समय पर समन्वयक को सूचित करना।
6- भारण/अभारण योजना उनके संसाधनों और गंतव्य स्थानों के ब्यौरों सहित, तैयार करना।
7- पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार रखना और Transport Branch Director (टी.बी.डी.) को भेजना ।
8- समन्वयक या प्रभारी (सड़क, रेल और जल) द्वारा सौपे गए अन्य कर्त्तव्य को पूरा करना।

Air Operation (हवाई प्रचालन)

भारत में विपदा की कार्रवाई के लिए हवाई प्रचालनों की चार कार्यो के लिए आवश्यकता हो सकती है (क) प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों और संसाधनों के शीघ्र परिवहन के

लिए (ख) अगम्य और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों, भोजन, औषधियों आदि का शीघ्र वितरण (हवाई जहाज द्वारा गिराना), (ग) अगम्य क्षेत्रों में फंसे विपदाग्रस्तों की खोज और बचाव और (घ) हताहत व्यक्तियों को निकालना। हवाई सहायता प्रचालनों का कार्य सामान्यतः भारतीय वायु सेना को सौंपा जाएगा। समय–समय पर इंडियन एयरलाइंस, पवनहंस और अन्य प्राईवेट एयरलाइनों का भी परिवहन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

किसी भी हवाई प्रचालन को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निकट समन्वय होना अनिवार्य है। इस कार्य के लिए एन.डी.एम.ए., एन.ई.सी. एयरफोर्स, नागरिक उड्डयन मंत्रालय राज्य के आर.ओ. तथा उन जिलों के आर.ओ. जहां हवाई प्रचालन किया जाना है, के बीच घनिष्ठ सम्पर्क की आवश्यकता होती है। अतः यह अति आवश्यक है कि इन सभी स्तरों पर समन्वय के लिए तथा हवाई सहायता से सक्रियण के लिए अग्रिम तौर पर एक Nodal Officer (एन.ओ.) की पहचान और पदनामित किया जाना चाहिए। Stakeholdar (हितधारकों) को हवाई प्रचालनों के लिए पदनामित एन.ओ. की जानकारी होना चाहिए।

आई.आर.एस के संदर्भ में, प्रभावित क्षेत्रों में सभी अपेक्षित अवतरण (लैंडिंग) और उड़ान भरने की सुविधाओं पर एक स्थल सहायता अवयव स्थापित किया जाना होगा। हवाई प्रचालनों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल (ए.टी.एफ), सुरक्षा आदि सहित स्थल सहायता संबंधी आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व Transport Branch Director (टी.बी.डी.) का होगा। हवाई प्रचालन चलाने का फैसला लेने पर टी.बी.डी. अपने अधीन के हवाई प्रचालन समूह को सक्रिय करेगा। समूह का नेतृत्व एक पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा और सभी हवाई अड्ड़ों, हेलीबेसों, हेलीपेडों पर एक प्रभारी के नेतृत्व में अपेक्षित अवतरण और उड़ान भरने के स्थानों पर आवश्यक संगठनात्मक अवयव सक्रिय किए जाएंगें।

Nodal Officer, Air Operation (एन.ओ)–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. हवाई प्रचालनों के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।
2. आई.ए.पी. के आधार पर समुचित प्राधिकारियों को अपेक्षित हवाई सहायता के प्रकार का अनुमान लगाना और अग्रिम तौर पर कम से कम चौबीस घंटे पूर्व या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना।
3. अपने–अपने क्षेत्रों में के हवाई संचलनों और अवतरण (लैंडिंग) समय–सारणियों के बारे में आई.सी. और ओ.एस.सी. को सूचित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि हवाई प्रचालनों में शामिल सभी अभिकरणों के पास घटनाग्रस्त स्थानों के प्रासंगिक मानचित्र उन स्थानों की सही जानकारी देने के लिए उपलब्ध हों, जहां हवाई सहायता की आवश्यकता है।
5. एयरफोर्स प्राधिकारियों और राज्य के प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके हेलीपैड और हेलीबेसों की उपयुक्तता का निर्धारण करना।
6. हवाई संचालनों और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के संबंध में हवाई यातायात नियंत्रण और स्थल सहायता स्टाफ के साथ संचार को बनाए रखना।
7. अपेक्षित एटीएफ आदि को अधिप्राप्त करने में आई.सी.और एल.एस.सी. की सहायता करना।
8. हवाई प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों के बारे में आर.ओ. को सूचित करना।
9. आर.ओ. और आई.सी. द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य पूरे करना।

समूह–प्रभारी (हवाई प्रचालन)–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1- हवाई प्रचालनों को आई.ए.पी. के अनुसार स्थल सहायता प्रदान करना।

2- हवाई प्रचालनों की प्रगति की टी.बी.डी. को रिपोई करना और एन.ओ., आई.सी., ओ. एस.सी. और टी.बी.डी. के साथ निकट समन्वयन में कार्य करना।
3- यह सुनिश्चित करना कि हवाई प्रचालनों के लिए अपेक्षित संसाधनों और आपूर्तियों की संबंधित स्थानों पर उपलब्धता रहें।
4- हवाई प्रचालन में शामिल पायलटों और अन्य व्यक्तियों को सही समन्वय प्रदान के लिए समुचित मानचित्रों को रखना।
5- अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए मांग करना।
6- यह सुनिश्चित करना कि हवाई जहाज के उतरने और उड़ान भरने के स्थानों पर तेल भरने की सुविधाएं उपलब्ध हो।
7- यह सुनिश्चित करना कि हेलीबेस और हेलीपैड हेतु स्थानों की पहचान हो और समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हों।
8- प्रत्येक हेलीबेस और हेलीपैड पर कार्मिक और उपस्कर सौंपने के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना।
9- हेलीबेसों और हेलीपैड़ों की पहचान और अंकन (मार्किंग) सुनिश्चित करना।
10- यह सुनिश्चित करना कि संचार प्रणालियां सुव्यवस्थित हों।
11- एन.ओ. द्वारा यथासूचित हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के उतरने और उड़ान भरने की समय–अनुसूची को अद्यतन करना।
12- राहत आपूर्तियों की उचित रूप से भारण/अभारण के लिए लोड मैनिफेस्ट की तैयारी को सुनिश्चित करना।
13- हवाई अड्डों/हेलीपैड़ों पर जो राहत सामग्री पहुंचती है, उसकी उतराई और प्रेषण या भण्डारण की व्यवस्था करना। हवाई अड्डों को प्रचालन योग्य बनाने के लिए, वहॉ आने वाली बिना आग्रह की (अनसॉलिसाइटेड) राहत आपूर्तियों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसे आपूर्तियों को प्रचालन क्षेत्र से तुरन्त हटाया जाना चाहिए।
14- यह सुनिश्चित करना कि पैकिंग करने और तोलने की सही सुविधाएं हों और राहत सामग्रियों की चढ़ाई (लोडिंग) में प्रयुक्त की जाएं।
15- सड़क परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सड़क प्रचालन समूह के साथ सम्पर्क रखना।
16- हेलीबेसों और हेलीपैड़ों पर हवाई जहाजों के बचाव और अग्निशमन सेवा की क्रियाशीलता (फंक्शनलिटि) सुनिश्चित करना और सुरक्षा, उचित प्रकाश स्मोक कंडल, यंत्र तोलने की सुविधाएं, विंड डायरेक्शन सॉक्स आदि सही स्थान पर मौजूद हो।
17- हेलीबेस और हेलीपैड प्रभारी से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई. आर.एस. फॉर्म–004 रखना और Transport Branch Director (टी.बी.डी.) या Operation Section Chief (ओ.एस.सी.) या Incident Commander (आई.सी.) को भेजना।
18- Transport Branch Director (टी.बी.डी.) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य पूरे करना।

हेलीबेस/हेलीपेड प्रभारी–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

हेलीबेस हेलीकॉप्टरों को खड़ा करने (पार्किंग), ईधन भरने और रखरखाव करने के लिए मुख्य स्थान है। इसे राहत सामग्रियों की भारण और अभारण के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। हेलीपैड घटना–स्थल क्षेत्र में ऐसे अस्थायी स्थान हैं जहां हेलीकॉप्टरों को सुरक्षति रूप से उतारा जा सकता है और उड़ान भरी जा सकती है।

हेलीबेस प्रायः हवाई अड्डे या जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर संचालित करने वाले अभिकरण से परामर्श और अनुमोदन करने के पश्चात् विनिश्चित किए गए किसी अन्य स्थान पर खड़ा किया जाता है जब एक से अधिक हेलीबेस स्थापित किया जाता है, तो यह घटना के नाम और संख्यांक द्वारा नामोदिश्ट होगा। हेलीपैड केवल प्रचालन संबंधी प्रयोजन, जैसे कार्मिकों, उपस्करों और अन्य राहत सामग्री आदि की भारण–अभारण, के लिए स्थापित और प्रयुक्त किए जाते हैं। हेलीबेस/हेलीपैड प्रभारी Transport Branch Director (टी0बी0डी0) को रिपोर्ट करेगा। हेलीबेस/हेलीपैड प्रभारी की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :–

1. घटना स्थल पर हेलीकॉप्टरों को सभी स्थान सहायता की आवश्यकता को मुहैया कराना।
2. पायलटों के साथ सही समंन्वय बनाने के लिए समुचित मानचित्र रखना।
3. संभावित वायुयान जोखिम और अन्य संभाव्य कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए हैलीबेस/हैलीपैड क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।
4. यह करना कि हेलीपैड और हेलीबेस का अंकन समुचित रूप से किया गया हो ताकि यह वायुयानों के निर्बाध अवतरण के लिए आकाश से ही दृष्टिगोचर हो।
5. हेलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए स्थल पर्यवेक्षक के साथ समन्वय करना।
6. स्थलीय और आकाशीय सुरक्षा आवश्यकताओं तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण और क्रियान्वयन करना।
7. निर्धारित हेलीबेसों और हेलीपैडों की निरंतर मॉनीटरिंग करना और ऐसी असामान्य घटना या जोखिम के प्रति सतर्क रहना जो हवाई प्रचालनों को प्रभावित करे तथा एहतियाती उपाय करना।
8. यह सुनिश्चित करना कि हेलीबेसों और हेलीपैडों पर नियोजित सभी कार्मिक सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता हों।
9. भूमि संचार (ग्राउंड कम्युनिकेशंस) सुविधाएं स्थापित करना।
10. हेलीकॉप्टर की समय–अनुसूचियों में किसी विलम्ब के बारे में तुरन्त पर्यवेक्षक को सूचित करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि हवाई जहाज संबंधी बचाव उपाय, अग्निशमन सेवाएं, प्रकाश व्यवस्था, स्मोक केंडल्स, तोलने की सुविधाएं, विंड डायरेक्शन सॉक्स, धूल प्रशमन उपाय और सुरक्षा आदि सुव्यवस्थित हों तथा हेलीबेसों और हेलीपैडों पर उचित रूप से कार्य कर रही हों।
12. वायुयान कर्मियों के लिए आराम, जलपान, पानी और सफाई की उचित सुविधाएं सुनिश्चित करना।
13. लक्ष्य (मिशन) के पूर्ण होने के बारे में पर्यवेक्षण को सूचित करना।
14. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई0आर0एस0 फॉर्म– 004 के अनुसार रखना और समूह–प्रभारी को भेजना।
15. समूह–प्रभारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

समन्यवन की आवश्यकता–सुरक्षा विभाग के हेलीपैड पर नागरिक हेलीकप्टरों के उतरने की स्वीकृत की प्राप्त की प्रक्रिया को सरल बनाने को सुनि चत होना।

भारण/प्रभारी–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. हेलीबेसों पर कार्गो और कार्मिकों की सुरक्षित भारण और अभारण संबंधी प्रचालनों कें लिए उत्तरदायी होना।
2. एयरबेसों, हेलीबेसों और हेलीपैडों के प्रभारी को रिपोर्ट देना।
3. कार्मिकों और कार्गो के लोड मैनिफेस्ट को सुनिश्चित करना।

4. यह सुनिश्चित करना कि वायुयानों में कोई ज्वलनशील सामग्री न चढ़ाई जाएं।
5. भारण और अभारण कर्मीदल का पर्यवेक्षण।
6. लदानों (लोड) की उचित पैकेजिंग, ऐसे वजन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करना, जो मौसम की दशा के कारण पायलटों द्वारा लगाये जा सकते है तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे प्रयोजन के लिए तोलने की सुविधाएं हो।
7. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार रखना और समूह–प्रभारी को भेजना।
8. कोई अन्य कर्त्तव्य पूरे करना जो समूह–प्रभारी, हेलीबेस प्रभारी और हेलीपैड प्रभारी द्वारा सौंपे जाएं।

Planning Section (योजना अनुभाग)

योजना अनुभाग (Planning Section) संसाधन इकाई (Resource Unit), स्थिति इकाई (Situation Unit), प्रलेखन इकाई (Documentation Unit) और अलामबंदी इकाई (Resource Unit) से मिलकर बनता है। अनुभाग का मुखिया Planning Section Chief (पी.एस.सी.) कहलाता है। Planning Section Chief (पी.एस.सी.) सूचना एकत्रित करने, मूल्यांकन करने, प्रसारित करने और उसका उपयोग करने का जिम्मेदार होता है। यह बदलते घटनाक्रम और संसाधनों की प्रास्थिति पर नजर रखता है। आवश्यकता पड़ने पर, किसी घटना के प्रबंधन में तकनीकी योजनागत मामलों का समाधान करने के लिए Planning Section (पी.एस.) में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकता है। ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची Planning Section (पी.एस.) में उपलब्ध रखी जाएगी। Planning Section Chief (पी.एस.सी.) Incident Commander (आई.सी.) को रिपोर्ट करता है और अपेक्षा के अनुसार इकाइयों को सक्रिय करने तथा अनुभाग में कार्मिक तैनात करने के लिए उत्तरदायी होगा।

Planning Section Chief (पी.एस.सी.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. आई.सी. के साथ परामर्श करके, योजना बनाने और Incident Action Plan (आई.ए.पी.) तैयार करने के लिए सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करेगा।
2. सुनिश्चित करेगा कि आकस्मिक आपदाओं के मामले में, जब पी.एस. सक्रिय नहीं किए गए थे, लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश Information And Media Officer (आई.एम.ओ.) से प्राप्त किए जाएं और उन्हें आई.ए.पी. में सम्मिलित किया जाए।
3. संबंधित विभागों और अन्य स्रोतों से मौसम, पर्यावरण में विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि सहित घटनाओं के बारे में सूचना के संग्रहण, मूल्यांकन और प्रसार को सुनिश्चित करेगा। पी.एस. के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके स्थानों सहित एक डेटा बैंक होना चाहिए जहां से उसे जुटाया जा सके।
4. वह आई.ए.पी. तैयार करके वर्तमान स्थिति के निर्धारण, घटना की संभाव्य दिशा का अनुमान करके और प्रचालनों के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करके समन्वय करेगा। आई.ए.पी. में संपूर्ण घटना रणनीति और विशिष्ट कूटनीतिक कार्रवाईयों को प्रतिबिंबित करने वाले उद्देश्य और अगली प्रचालनात्मक अवधि के लिए सहायक सूचना शामिल होती है। (24 घंटों को एक प्रचालनात्क अवधि मना जाता है) योजना मौखिक अथवा लिखित हो सकती है। लिखित योजना में घटना उद्देश्यों, संगठन समनुदेशन सूची आई.आर.एस. फॉर्म–005, घटना संचार योजना आई.आर.एस. फॉर्म–009, अलामबंदी योजना आई.आर.एस. फॉर्म–010, यातायात योजना, सुरक्षा

योजना और घटना मानचित्र आदि सहित बहुत से अनुलग्नक हो सकते हैं। आई.ए.पी. तैयार करने में उठाए जाने वाले प्रमुख कदम निम्नानुसार हैः–

- क्षति और खतरे की प्रारंभिक सूचना और निर्धारण
- अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण
- घटना उद्देश्य तैयार करना और कार्यनीति बैठकों का संचालन
- प्रचालन विवरण (ब्रीफिंग)
- आई.ए.पी. का क्रियान्वयन
- आई.ए.पी. की समीक्षा, और
- यदि अपेक्षित हो, तो अगली प्रचालनात्मक अवधि के लिए घटना उद्देश्य तैयार करना,

5. सुनिश्चित करेगा किघटना प्रास्थिति सार (आई.आर.एस. फॉर्म–002) भरा जाए और आई.ए.पी. में समावेशित हो।
6. सुनिश्चित करेगा कि संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभागीय/सामूहिक) आई.आर.एस. फॉर्म–005 इकाई लीडरों और उसके अनुभाग के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं के मध्य परिचालित किया जाए।
7. आई.सी. और ओ.एस.सी. के साथ परामर्श करके, आई.आर.एस. संगठनात्मक पदों (Position) को सक्रिय और निष्क्रिय, जैसा उचित हो, करने की योजना बनाएगा।
8. घटना प्रबंधन के लिए किसी विशेषज्ञता प्राप्त संसाधन की आवश्यकता निर्धारित करेगा।
9. सकारात्मक योजना के लिए आई.टी. समाधानों, निर्णय समर्थन के लिए जी.आई.एस. तथा हताहतों के निर्धारण और प्राक्कलन एवं व्यापक कार्रवाई प्रबंधन योजना के लिए मॉडलिंग क्षमताओं का उपयोग करेगा।
10. घटना होने की संभावना पर समय–समय पर पूर्वानुमान लगाना।
11. घटना की प्रास्थिति में होने वाले किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की रिपोर्ट आई.सी. को देगा।
12. घटना अलामबंदी योजना (आई.आर.एस. फॉर्म–010) की तैयारी और क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा।
13. समुचित कार्मिकों को, कार्य के लिए उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, समनुदेशित करेगा और दिन के लिए ड्यूटी पर अधिकारियों की सूची (आई.आर.एस. फॉर्म–007) तैयार रखेगा।
14. सुनिश्चित करेगा कि इकाइयों के सदस्यों द्वारा निष्पादित विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड आई.आर.एस. फॉर्म–004 संगृहीत किए जाएं और इकाई लॉग आई.आर.एस. फॉर्म–003 में रखे जाएं।
15. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा जो आई.सी. द्वारा समनुदेशित किया जाए।

Resource Unit Leader (आर.यू.एल) – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सभी प्राप्त संसाधनों की आवक (Check In) के निरीक्षण द्वारा और संसाधन का जायजा रखने वाली प्रणाली बनाए रखकर घटना स्थल पर सभी समनुदेशित संसाधनों (प्राथमिक और सहायक) की प्रास्थिति (स्टेटस) बनाए रखेगा और प्रदर्शित करेगा। प्राथमिक संसाधन कार्यवाहीकर्ताओं के लिए और सहायक संसाधन प्रभावित समुदायों के लिए आशयित होते हैं।
2. सभी उपलब्ध संसाधनों की एक संपूर्ण माल–सूची संकलित करेगा। वह, अन्य स्थानों पर अपेक्षित सभी संसाधनों की उपलब्धता के बारे में सूचना प्राप्त करेगा और, यदि

अपेक्षित हो, तो संसाधनों को जुटाने के लिए एक योजना बनाएगा। इस प्रयोजन के लिए आई.डी.आर.एन., सी.डी.आर.एन. और आई.डी.के.एन सुविधाओं का भी उपयोग किया जाएगा।
3. विभिन्न घटना स्थल पर चेक–इन कार्य सुनिश्चित और स्थापित करेगा।
4. समय–समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की प्रास्थिति के संबंध में Planning Section Chief (पी.एस.सी.) और Incident Commander (आई.सी.) को अद्यतन करेगा।
5. आवंटित संसाधनों की प्रास्थिति की जांच और उपयोग के लिए विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और ओ.एस. के समूहों के साथ समन्वयन रखेगा।
6. नश्यवान (जल्दी खराब होने वाले) संसाधनों को शीघ्र और उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा।
7. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभाग को भेजेगा और
8. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा जो उसे पी.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किया जाए।

Situation Unit Leader (एस.यू.एल.) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सभी घटनाओं की सूचनाएं, विश्लेषण के लिए यथा संभव शीघ्र एकत्रित, प्रक्रियान्वित और संकलित करेगा; ऐसे प्रयोजनों के लिए, वह एकल संसाधन, कार्य बलों के सदस्यों, स्ट्राइक टीम, क्षेत्र स्तरीय (फील्ड लेवल) सरकारी अधिकारियों और पी.आर.आई., सी.बी.ओ., एन.जी.ओ., आदि के सदस्यों की सहायता ले सकेगा।
2. घटना की प्रगति पर आवधिक भावी पूर्वानुमान (यदि आवश्यक हो तो मानचित्र सहित) तैयार करेगा और पी.एस.सी. तथा आई.सी. को सूचित करता रहेगा।
3. स्थिति और संसाधन प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करेगा और अपेक्षानुसार उन्हें प्रचारित–प्रसारित करेगा।
4. यदि अपेक्षित हो, तो प्राधिकृत मानचित्र फोटोग्राफी सेवाएं, कार्यवाहीकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा।
5. अपेक्षित जानकारी, आकड़ों दस्तावेजों और भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्रों आदि के साथ आई.ए.पी. बैठक में शामिल होगा।
6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभाग को भेजेगा।
7. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा जो एस.यू.एल. या पी.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किया जाए।

Documentation Unit Leader (डी.यू.एल.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सुनिश्चित करेगा कि सभी अपेक्षित फार्म और लेखन–सामग्री प्राप्त कर ली जाए तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों समूहों और इकाइयों को जारी कर दी जाए।
2. घटना से संबंधी सभी जानकारी और रिपोर्ट संकलित करेगा।
3. सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्डो ओर विभिन्न आई.आर.एस. फॉर्मो का पुनरीक्षण और संवीक्षा करेगा।
4. समुचित इकाइयों को उनके प्रलेखन में गलतियों या चूकों, यदि कोई हों, के संबंध में सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गलतियों और चूकों का परिशोधन कर दिया गया है।
5. घटनोपरांत विश्लेषण के लिए फाइलों का समुचित रूप से सुरक्षित रखेगा।

6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड, आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभाग को भेजेगा।
7. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा जो Situation Unit Leader (एस.यू.एल.) या Planning Section Chief (पी.एस.सी.) द्वारा समनुदेशित किया जाए।

Demobilization Unit Leader (डीमोब.यू.एल.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

किसी बड़ी घटना के प्रबंधन में, अलामबंदी (Demobilization) खासा जटिल क्रियाकलाप हो सकता है और इसमें समुचित तथा पृथक योजना अपेक्षित होती है। जब आपदा कार्रवाई पूर्ण होने के निकट हो, तो कार्रवाई के लिए जुटाए गए संसाधनों को वापस किया जाना होता है। इसे एक सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

अलामबंदी में, उपस्कर और कार्मिक, दोनों का निकट और दूरस्थ दोनों प्रकार के स्थानों की बड़ी संख्या के लिए परिवहन किया जाना अपेक्षित होता है। अलामबंदी इकाई, Responcible Officer (आर.ओ.) Incident Commander (आई.सी.) और Planning Section Chief (पी.एस.सी.) के साथ परामर्श करके एक अलामबंदी योजना तैयार करेगी। योजना में, अलामबंदी किए जाने वाले कार्यवाहीकर्ताओं, तारीख, परिवहन की किस्म, स्थान जहां से उन्हें अलामबंद किया जाना है, गंतव्य स्थान जहाँ उन्हें अंततः पहुंचना है, आदि के ब्यौरे सम्मिलित होने चाहिए। इसी प्रकार की एक योजना खराब उपस्करों और बीमार कार्मिकों के लिए भी होगी। Demobilization Unit Leader (डीमोब, यू.एल.) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

1. आई.आर.एस. फॉर्म–010 के अनुसार घटना अलामबंदी योजना (आई.डी.पी.) बनाएगा
2. अधिशेष संसाधनों की पहचान करेगा और पी.एस.सी. के साथ परामर्श करके एक अनंतिम (टेन्टेटिव) आई.डी.पी. तैयार करेगा और अधिशेष संसाधनों की अलामबंदी को प्राथमिकता देगा।
3. सभी अुनभागों के साथ परामर्श करके, अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना चेक–आउट फंक्शन शुरू करेगा और पी.एस. को भेजेगा।
4. एल.एस. के साथ परामर्श करके घटना अलामबंदी के लिए संभार–तंत्र और परिवहन सहायता हेतु योजना बनाएगा।
5. समुचित समय पर शामिल हितधारकों को आई.डी.पी. का प्रचार–प्रसार करेगा।
6. सुनिश्चित करेगा कि सभी अनुभागों, इकाइयों टीमों और संसाधनों को अपनी–अपनी जिम्मेदारियों की समझ है, और उन्हें अलामबंदी सुविधाएं प्राप्त हों।
7. आई.डी.पी. के समुचित पर्यवेक्षण और निष्पादन की व्यवस्था करेगा।
8. अलामबंदी की प्रगति के संबंध में पी.एस.सी. को अवगत कराएगा।
9. यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त मानव संसाधनों के लिए पी.एस.सी. से अनुरोध करेगा।
10. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड, आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभाग को भेजेगा।
11. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा जो पी.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किया जाए।

Technical Spacilist (टी.एस.) – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

यदि अपेक्षित हो, तो आर.ओ. और आई.सी. के परामर्श से, Planning Section Chief (पी. एस.सी.) विशिष्ट कार्यवाही के लिए तकनीकी संसाधन और संसाधन जुटाएगा। तकनीकी योजना या विशिष्ट तकनीकी कार्यवाही के लिए उन्हें तैनात किया जा सकेगा और वे संबंधित अनुभाग के प्रमुख के अधीन कार्य करेंगे।

टी.एस., कार्यवाही प्रबंधन को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। जिला, राज्य, महानगर और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर टी.एस. का एक आंकड़ा आधार (डेटा बेस) अग्रिम में तैयार किया जाएगा और उनको डी.एम. योजना में समावेशित किया जाएगा।

Logistics & Finance Section संभार–तंत्र और वित अनुभाग (एल.एण्ड.एफ. एस.) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

संभार–तंत्र और वित्त अनुभाग कारगर कार्रवाई प्रबंधन के लिए सभी संभार–तंत्र सहायता प्रदान करता है। संभार–तंत्र और वित्त अनुभाग की विभिन्न शाखाओं के अधीन इकाइयॉं न केवल विभिन्न ''किस्म'' और प्रकार के संसाधनों की आपूर्ति के लिए बल्कि घटना बेस कैम्प, आई.सी.पी. और राहत कैम्प आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी उत्तरादायी हैं। इसमें सरकार के विभिन्न तरह के विभागों और अन्य अभिकरणों का शामिल होना अपरिहार्य होगा। इसमें प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर उचित और सुचारू समन्वयन की अपेक्षा होगी।

संभार–तंत्र और वित्त अनुभाग आर.ओ., ई.ओ.सी. और आई.सी के साथ सहयोग से कार्य करेगा। राज्य और जिला डी.एम योजनाओं में विस्तृत ब्यौरे जैसे कहां से अपेक्षित संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है और जनशक्ति को जुटाया जा सकता है, आदि होंगे। आई.डी.के.एन., आई.डी.आर.एन और सी.डी.आर.एन., भी उपस्कर और जनशक्ति को जुटाने के लिए उपयोगी हो सकते है।

Logistic & Finance Section Chief (एल.एण्ड.एफ.एस.सी.) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

अनुभाग का प्रमुख एल.एण्ड एफ.एस.सी. के रूम में जाना जाता है। एल.एण्ड एफ.एस.सी. की विभिन्न शाखाओं की सक्रियता विशेष संदर्भ से है और घटना की प्रमुखता और अपेक्षाओं के आधार पर निर्भर होगी। वित्त शाखा, विशेषकर शीघ्र प्रापण को सुकर बनाने के लिए और निम्नलिखित वित्तीय प्रक्रियाओं और नियमों के उचित देखभाल के लिए एल. एण्ड एफ.एस.सी. का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। एल.एण्डएफ.एस.सी. की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है:–

1. सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय।
2. सभी घटना के प्रति प्रयास जिसके अन्तर्गत स्थापना कार्य भी है के लिए संभार–तंत्र सहायता,घटना बेस कैम्प, राहत कैम्प, हेलीपैड उपलब्ध कराना आदि।
3. आई.ए.पी. के विकास और क्रियान्वयन में भागीदारी करना।
4. संबद्ध वित्तीय मुद्दों पर आर.ओ. और आई.सी. को सूचना देना।
5. यह सुनिश्चित करना कि संगठन समनुदेशन सूची को (प्रभागीय/समूह) आई.आर.एस. फॉर्म–005 शाखा निदेशकों और अपने अनुभाग के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं को परिचालित किया जाए।
6. पेशगी निधि (इम्प्रेस्ट फंड), यदि अपेक्षित है, के अनुमोदन का अनुरोध।
7. इस अनुभाग के सक्रिय इकाइयों का पर्यवेक्षण।
8. अपने अनुभाग के कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
9. अनुभाग के कार्मिकों को कार्य क्षेत्र और प्रारम्भिक कार्य समनुदेशित करना।
10. यह सुनिश्चित करना कि व्यापक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता से आई.ए.पी. की संभार–तंत्र अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है।
11. शाखा निदेशकों और ईकाई लीडरों को जानकारी देना।
12. राहत कार्य प्रचलनों के लिए सभी संभार–तंत्र अपेक्षाओं को पूर्वानुमान लगाना और तद्नुसार तैयार करना।

13. स्थिति की परिवर्तनीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना का लगातार पुनरीक्षण करना।
14. अतिरिक्त संसाधनों की अपेक्षा का निर्धारण करना और आर.ओ. और आई.सी. के साथ परामर्श करके उनके प्रापण के लिए कदम उठाना।
15. आर.ओ.और आई.सी. के अनुमोदन के अनुसार आई.डी.पी. के लिए संभार–तंत्र सहायता उपलब्ध कराना।
16. आई.डी.पी. के अनुरूप संसाधनों का दिया जानाा सुनिश्चित करना।
17. यह सुनिश्चित करना की अपेक्षित संसाधानों के किराये पर लिये जाने की प्रक्रिया का उचित प्रलेखन किया गया है और एफ.बी. द्वारा भुगतान किया गया है।
18. किये जाने वाले कार्यो के लिए कार्मिकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्मिकों का कार्य सौपना और दिन के लिए ड्यूटी अधिकारी सूची आई.आर.एस. फॉर्म–007 तैयार रखना।
19. यह सुनिश्चित करना कि समस्त कार्रवाई संबंधी कार्यकलापों का लागत संबंधी विश्लेशण तैयार कर लिया गया है।
20. यह सुनिश्चित करना कि शाखाओं और इकाइयो के सदस्यों द्वारा आई.आर.एस. फॉर्म–004 में किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड रखें गए और इकाई लॉग आई.आर.एस.फॉर्म–003 में अनुरक्षित किए गए है।
21. आर.ओ अथवा आई.सी द्वारा समनुदेशित कोई अन्य कर्त्तव्य करना।

Service Branch Director (एस.बी.डी.)–भूमिकाएं एवं उत्तरायित्व

1. एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और घटना प्रबंध के लिए सभी अपेक्षित सेवा सहायता का प्रबंध करना।
2. संचार ईकाई, चिकित्सा ईकाई, खाद्य ईकाई जैसी शाखा की विभिन्न इकाईयों और किसी अन्य सक्रिय इकाई का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना।
3. अपेक्षित सामग्रियों और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडरों से चर्चा करना और एल.एण्ड एफ.एस.सी. के अनुसार, कार्मिक, टीम संसाधन, आदि का उचित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करना।
4. समनुदेशन सूची, यदि अपेक्षित हो, तैयार करना।
5. समय–समय पर एल.एण्ड एफ.एस.सी. की सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करते रहना।
6. सेवा शाखा की समस्या, यदि कोई हो, को सुलझाना।
7. आई.आर.एस., फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबद्ध अनुभागों को भेजना और।
8. आई.सी और एल.एण्ड एफ.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना।

Communication Unit Leader (कॉम.यू.एल)–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. Service Branch Director (एस.बी.डी.) के निदेशानुसार कार्य करना।
2. संचार सुविधा, जब कभी अपेक्षित हो उपलब्ध कराना।
3. यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण चालू स्थिति में है और नेटवर्क कार्य कर रहा है।
4. संचार इकाई क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।
5. फील्ड में लगाए गए सभी संचार उपकरण का रिकॉर्ड रखना।

6. घटना का कार्य समाप्त होने के पश्चात् संचार इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण को वापस लेना। यह सुनिश्चित करना कि इसे उचित रूप से Incident Demobilize Plan (आई.डी.पी.) से जोड़ा गया है।
7. विभिन्न सक्रिय अनुभागों, भााखाओं, यूनिटों और उच्च प्राधिकरणों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेशों को प्राप्त करने पारेशित करने के लिए संदेश केन्द्र की स्थापना को सुनिश्चित करना और उनके रिकॉर्ड को रखना।
8. सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित खराबी की स्थिति में निष्पादन के लिए वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना। वैकल्पिक संचार नेटवर्क में वायरलेस सैटेलाइट फोन, सेल फोन, एच.ए.एम. रेडियो, आदि होंगे।
9. भारी आपदा के प्रबंधन के लिए गठित स्थानीय संचार सेटअप के साथ केंद्रीय टीमों (एन.डी.आर.एफ., सशस्त्र बल) के संचार सेटअपों के समेकन के लिए योजना तैयार करना जब वे कार्यवाही संबंधी कार्यकलापों में सहायता के लिए आती है।
10. पर्याप्त कर्मचारी (स्टाफ) सहायता की मांग करना और उसे सुनिश्चित करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि संचार योजना आई.ए.पी. की सहायता कर रही है।
12. आई.डी.पी. के अनुसार संचार केंद्र की अलामबंदी करना।
13. आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड को रखना, और उन्हें एस.बी.डी. को भेजना और,
14. एस.बी.डी. या एल.एण्ड एफ.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना ।

Medical Unit Leader (एम.यू.एल.)–भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व

1. एस.बी.डी. के निर्देशों के अधीन कार्य करना,
2. चिकित्सा योजना तैयार करना और आई.ए.पी के अनुसार अपेक्षित संसाधन प्राप्त करना, पीड़ितों को चिकित्सा सहायता और उनके परिवहन के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराना और इसका रिकॉर्ड रखना, जैसा आई.आर.एस. फार्म–008 में दिया गया है, एम्बुलेंस सेवाओं, चिकित्सा कार्मिकों और पीड़ितों के परिवहन के लिए पी.एस. से क्षेत्र का सड़क–मार्ग का मानचित्र प्राप्त करना
3. एस.बी.डी. और एल.एण्ड एफ.एस.सी. की सूचना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि के लिए ओ.एस. के अनुरोधों पर कार्रवाई करना।
4. ऐसे चिकित्सा कार्मिकों की सूची तैयार रखना जिन्हें आवश्यकता के समय काम पर लगाया जा सकें।
5. घटना उददेश्यों को पूरा करने के लिए जब कभी अपेक्षित हो, अधिक मानव संसाधनों की मांग करना।
6. निर्देशित (रेफरल) सेवा केन्द्रों की सूची तैयार करना और सभी चिकित्सा टीम लीडरों को परिचालित करना।
7. आई.आर.एस., फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और एस.बी.डी. को भेजना, और
8. एस.बी.डी. और एल.एण्ड एफ.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना।

Food Unit Leader (एफ.यू.एफ.)–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. एस.बी.डी. के निर्देशों के अधीन काम करना,
2. एस.बी.डी. के निर्देशों के अनुसार विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं और आई.आर.टी. के समूहों को संसाधनों की आपूर्ति करना,

3. आई.सी.पी., रिलीफ कैम्प, घटना बेस कैम्प, तथा आई.आर.टी कार्मिकों, अस्थायी शरण–स्थल राहत कैम्प आदि के पीड़ितों को खाद्य आपूर्ति करना।
4. सहायकों के लिए अनुरोध करना यदि कार्य काफी बड़ा हो जाता है। एल.एण्ड एफ. एस.सी. से ईकाई को दो समूहों में–एक कार्मिकों को और दूसरा पीड़ितों को खाद्य आपूर्ति के लिए अलग–अलग समूह बनाने का अनुरोध कर सकता है। घटना बेस, राहत कैम्प खाद्य और अन्य सुविधा–केन्द्रों को आपूर्ति करने के लिए परिवहन की मांग करना।
5. खाद्य और पेयजल की जरूरते और उनके परिवहन का निर्धारण करना और एस0बी0डी0 और एल.एण्ड एफ.एस.सी. को जानकारी देना।
6. संसाधनों की प्राप्ति और प्रेशण की सूची तैयार रखना।
7. इकाई क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।
8. आई0आर0एस0 फार्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और एस.बी.डी. को भेजना।
9. एस.बी.डी. और एल.एण्ड एफ.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना।

Support Branch Director (सपोर्ट बी.डी.)–भूमिकाएं एवं और उत्तरदायित्व

1. एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और संसाधन व्यवस्था इकाई, सुविधा इकाई और स्थल सहायता इकाई के कार्य का पर्यवेक्षण करना।
2. अनुभाग प्रमुख की सहमति से प्रचालनों के लिए अपेक्षित सामरिक सामग्री और संसाधन प्राप्त करना और प्रेषित करना।
3. एल.एण्ड एफ.एस.सी. की योजना बैठक में भाग लेना।
4. यह सुनिश्तिच करना कि शाखा से संबंधित संगठन समनुदेशन सूची उसके अधीन सभी इकाईयों को परिचालित की गई है।
5. सहायता शाखा के विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वय करना।
6. कार्य की प्रगति के बारे में एल.एण्ड एफ.एस.सी. को सूचित करते रहना।
7. अपनी इकाई की समस्या, यदि कोई है का समाधान करना।
8. आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबद्ध अनुभागों को भेजना।
9. एल.एण्ड एफ.एस.सी. द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना।

Resource Provisioning Unit Leader (आर.पी.यू.एल.)–भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व

1. सहायता शाखा निदेशक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना।
2. कार्मिक, उपस्कर और आपूर्ति की आवाजाही को आयोजित करना।
3. घटना कार्रवाई के लिए अपेक्षित आपूर्तियों को प्राप्त करना और सुरक्षित रूप से भंडारित करना।
4. आपूर्तियों और उपकरण की माल–सूची तैयार करना।
5. उपकरण और कार्मिक सहित आपूर्तियों की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड रखना।
6. टिकाऊ (नॉन–एक्सपेंडेबल) वस्तुओं की आपूर्तियों और उपस्कर की मरम्मत और सफाई–धुलाई कराना।
7. एल.एंड.एफ.एस. की योजना बैठक में भाग लेना।
8. उपलब्ध और प्रेषित वस्तुओं की आपूर्तियों की किस्म, प्रकार, और मात्रा, को मॉनीटर करना।

9. सक्रिय अनुभाग, शाखा, प्रभाग, इकाई और सहायता शाखा निदेशक की सूचना के अधीन आई.आर.एस. संगठन के समूहों से कार्मिक, आपूर्तियों और उपस्कर का अनुरोध प्राप्त करना और उन्हें भेजना।
10. यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की मांग करना। ऐसे सहायकों को संसाधन को आदेश, संसाधन प्रापण आपूर्ति प्राप्त करना तथा औजार और उपस्कर अनुरक्षण जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्रियाकलापों के लिए तैनात किया जा सकता है।
11. आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना।
12. एल.एण्ड एफ.एस.सी.या सहायता शाखा निदेशक द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना।

Facilities Unit Leader (फैसिलिटी.यू.एल.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1- घटना संबंधी सुविधाओं अर्थात् धटना बेस, शिविर, राहत शिविर आई,सी,पी,आदि का खाका तैयार करना और उन्हें प्रारम्भ करना तथा कार्यवाहीकर्ताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
2- सहायता शाखा निदेशक को रिपोर्ट करना,
3- आई,ए,पी,के अनुसार विभिन्न सुविधाओं का पता लगाना,
4- अनुभाग की योजना बैठक में भाग लेना, एल.एण्ड एफ.एस.सी. के समन्वय से प्रत्येक सुविधाओं और उसकी जरूरतों की सूची तैयार करना।
5- घटना बेस कैम्प आदि में सुविधाओं को मॉनीटर करने और प्रबंध करने के लिए अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, की मांग करना।
6- आई,आर,एस,फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना।
7- सहायता शाखा निदेशक द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना।

Facilities Unit Leader (फैसिलिटी.यू.एल.) के अधीन अन्य प्रभारी–भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व

अपेक्षित व्यवस्था के पैमाने और परिमाण के आधार पर सुविधा ईकाई लीडर को विभिन्न सुविधाओं और उनकी सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए अपने अधीन अन्य प्रभारी को तैनात करने की आवश्यकता हो सकती है।

विभिन्न अन्य प्रभारी और उनकी भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार है

सुविधा अनुरक्षण प्रभारी–भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व

1. यह सुनिश्चित करना कि सोने और आराम करने की उचित सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।
2. शौचालय,स्नान–गृह और स्वच्छता की व्यवस्था करके उन्हें उपलब्ध कराना।
3. प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग अरेंजमेंट) बनाए रखना।
4. घटना बेस शिविर (कैम्प), राहत कैम्प, आई,सी,पी,आदि में सामान्य सफाई बनाए रखना।
5. आई,आर,एस, फॉर्म–004 के अनुसार किए जाने वाले विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सुविधा इकाई लीडर को भेजना।
6. सुविधा इकाई लीडर के निर्देशानुसार किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

सुरक्षा प्रभारी की भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व

1. अपेक्षित स्थानों और राहत कैम्पों में कार्रवाईकताओं राहत सामग्री सहित उपलब्ध कराए गए संसाधनों की सुरक्षा उपलब्ध कराना,
2. यथापेक्षित स्थानीय विधि प्रवर्तन (लॉ एनफोर्समेंट) अभिकरण से संपर्क स्थापित करना,
3. कार्य समनुदेशन को पूरा करने के लिए, यदि अपेक्षा हो, कार्मिक सहायता की मांग करना,
4. घटना सुविधाओं के लिए सुरक्षा योजना का समन्वय करना,
5. आई,आर,एस, फॉर्म–004 (अनुबंध–3 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सुविधा ईकाई लीडर को भेजना और,
6. सुविधा ईकाई लीडर द्वारा कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सुविधा इकाई लीडर को भेजना, और
7. सुविधा इकाई लीडर द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना,

Ground Support Unit Leader (जी.एस.यू.एल.)–भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व

1. सहायता शाखा निदेशक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना।
2. टी.बी.डी. को फील्ड प्रचालनों के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करना।
3. हवाई प्रचालनों के सक्रिय होने की स्थिति में टी.बी.डी. के माध्यम से अपेक्षित स्थल सहायता की व्यवस्था करना और उपलब्ध कराना।
4. उचित प्रक्रियाओं के अनुसार घटना प्रबंधन के लिए प्रयुक्त सभी वाहनों और संबद्ध उपकरण के लिए अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं उपलब्ध करना और सहायता शाखा निदेशक और एल.एंड एफ.एस.सी. के माध्यम से संबद्ध सहवर्ती विभागों (लाइन डिपार्डमेंट्स) को सूचित करते रहना।
5. घटना यातायात योजना तैयार करना और लागू करना।
6. सभी वाहनों और उपकरण की उपलब्धता और सर्विसिंग के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना।
7. सहायता शाखा निदेशक के परामर्श से वायुयान सहित सभी परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना और उन्हें चालू करना।
8. समनुदेशित, उपलब्ध और अनुरक्षित (ऑफ रोड) या खराब संसाधनों की सूची बनाए रखना।
9. अपने क्षेत्राधिकारी के भीतर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
10. आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना और।
11. सहायता शाखा निदेशक द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

Finance Branch Director (एफ.बी.डी.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

वित्त भाखा निदेशक कार्यवाही प्रबंधन के सभी वित्तीय पहलुओं का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी है। वित शाखा को शीघ्र और प्रभावी प्रापण के लिए एल.एंड.एफ.एस.सी. के अधीन रखा गया है। सभी वित्तीय संव्यवहारों में सम्यक, सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है और उचित प्रक्रिया अपनाएं जाने की आवश्यकता है। इस शाखा के कार्यकरण के लिए वित्तीय नियमों के जानकार और अनुभवी कार्मिक का चयन करने में विशेश सावधानियां बरती जाएगी। वित शाखा निदेशक (एफ.बी.डी.) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है–

1. एल.एंड एफ.एस.सी. के अधीन कार्य करना।
2. योजना बैठकों में भाग लेना।

3. आई.ए.पी. के अनुसार जुटाए गए, प्राप्त किए गए या किराए पर लिए गए संसाधनों की सूची तैयार करना। वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना और अविलंब उनके प्रापण के लिए कदम उठाना।
4. यह सुनिश्चित करना कि भुगतान के लिए किराए पर लिए गए उपकरण, कार्मिक और उनकी सेवाओं के समय संबंधी रिकॉर्ड (टाइम रिकॉर्ड) सरकारी मानकों के अनुसार ठीक–ठीक बनाए रखे गए है।
5. संपूर्ण कार्रवाई क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत अलामबंदी और लगने वाली लागत का विश्लेशण है, मैं अंतग्रंस्त लागत की जांच करना और संवीक्षा करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि घटना के समय वहाँ एकत्रित सभी अनिवार्य दस्तावेजों को उचित रूप से तैयार और पूरा किया गया है तथा इन्हें समुचित अनुभाग प्रमुख और बी.डी. द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया है।
7. ध्यान दिलाए गए हेतु आवश्यक संबद्ध वित्तीय मुद्दों से संबंधित सभी घटना के बारे में या अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में एल. एंड एफ.एस.सी. या आई.सी. को ब्रीफ करना।
8. आई.आर.एस.फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड रखना और संबद्ध अनुभागों को भेजना और।
9. एल एंड एफ.सी. और आई.सी. द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

Time Unit Leader (टी.यू.एल.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. किराए पर लिए गए उपकरण और कार्मिक के समय का रिकॉर्ड के समय का रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित करना कि इसे दैनिक आधार पर और सरकारी मानकों के अनुसार अनुरक्षित किया जाए।
2. किराए पर लिए गए सभी उपकरण और कार्मिक का उनके इष्टतम उपयोग से संबंधित लॉगबुक की जांच करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि किराए पर लिए गए संसाधनों की अलामबंदी के पूर्व के सभी रिकॉर्ड सही और पूरे है।
4. बकाया मुद्दों और अपेक्षित किसी अनुवर्ती कार्रवाई पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं से एफ.बी.डी. को परिचित कराना।
5. सहायता के लिए मानव संसाधन, यदि अपेक्षित हो, की अतिरिक्त सहायता की मांग करना।
6. आई.आर.एस. फॉर्म–004 (अनुबंध–03 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और एफ.बी.डी. को भेजना और।
7. एफ.बी.डी. द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

Procurement Unit Leader (पी.यू.एल.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. विक्रेताओं और संविदाओं (ठेकों) से संबंधित सभी वित्तीय मामलों का काम देखना।
2. एफ.बी.डी. के परामर्श से प्रापण आवश्यकताओं की समीक्षा करना।
3. ऐसे विक्रेताओं (वेंडर्स) की सूची तैयार करना जिनके प्रापण किया जा सकता है और उचित प्रक्रियाएं अपनाना।
4. यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रापण आदेशों की समय से डिलीवरी हो जाए।
5. यथापेक्षित पेंशनी निधि (इम्प्रेस्ट फंड) के उपयोग के लिए एफ.बी.डी. के साथ समन्वय करना।
6. कार्रवाई प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों की अंतिम निपटान प्रक्रिया को पूरा करना और एफ.बी.डी. एल. एंड एफ.एस.सी. और आई.सी. के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना।

7. बकाया मुद्दों और अनुवर्ती अपेक्षाओं पर सिफारि ाों के साथ वर्तमान समस्याओं से एफ,बी,डी, को परिचित कराना,
8. आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और एफ,बी,डी, को भेजना और।
9. एफ,बी,डी, द्वारा यथासमनुदेि ात किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना।

Cost Unit Leader (सी.यू.एल.) – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 65 और 66 प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान करती है। आपदा कार्रवाई और बचाव अभियान, आदि के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत परिसर, किराए पर ली गई सेवा, संसाधनों और वाहनों के लिए भी भुगतान किया जाना होता है। सरकार को नुकसान के स्वरूप और परिमाण के आधार पर अनुग्रह राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

बाढ़ सूखा आदि जैसे विभिन्न परिदृश्यों में हानि की मात्रा निर्धारित करने के लिए कुछ मापदण्ड (बेंचमार्क) है। जहां कुछ राज्यों के पास ऐसे प्रयोजनों के लिए अपने निजी मानक हो सकते है, वहीं भारत सरकार ने भी सी.आर.एफ. मानक निर्धारित लिए है जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि घटना ऐसी है कि प्रतिपूर्ति और दावे से संबंधित भुगतान करने की अपेक्षा हो सकती है वहां आर.ओ. के परामर्श से आई.सी. प्रतिपूर्ति/दावा इकाई को सक्रिय करेगा और सी.आर.एफ. मापदण्ड के सुसंगत सरकारी मानको और निदेशों के प्रावधान के अनुसार जीवन और संपत्ति आदि की हानि के आंकड़े एकत्रित करने और संकलित करने के लिए एक लीडर नियुक्त करेगा। ऐसे मामलों में लीडर को, ऐसी क्षति जो हुई है, के फोटोग्राफ लेने की सलाह दी जानी चाहिए। और मृत पीड़ितों और पशुओं के फोटोग्राफ भी लिए जाने चाहिए। वह अधिगृहीत परिसरों ,सेवाओं और किराए पर लिए गए संसाधनों के भी ब्यौरे आगे आवश्यक आदेश और भुगतान के लिए आई.सी. के माध्यम से आर.ओ. को भेजे जाने चाहिए। प्रतिपूर्ति/दावा इकाई लीडर की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :

1. सभी लागत संबंधित आंकड़ा संगृहीन करना और लागत अनुमान उपलब्ध कराना।
2. ऐसे अधिग्रहण की सही तारीख और समय के साथ अधिगृहीन परिसर, सेवा, संसाधन और वाहन, आदि की सूची तैयार करना और उसका अनुरक्षण करना।
3. दावे तैयार करने और प्रतिपूर्ति के लिए समुचित प्रक्रियाओं का पालन करना।
4. अतिरिक्त मानव संसाधन यदि अपेक्षित हो, की मांग करना।
5. आई.आर.एस. फॉर्म–004 के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और एफ.बी.डी. को भेजना और।
6. एफ.बी.डी. द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

Cost Unit Leader (सी.यू.एल.)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

लागत इकाई लीडर सभी लागत संबंधी आंकड़े एकत्रित करने और लागत अनुमान उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। कार्रवाई की समाप्ति पर लागत इकाई लीडर लागत–किफायत (फॉस्ट इफेक्टिवनैस) विश्लेशण उपलब्ध कराता है। लागत इकाई लीडर की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :–

1. लागत विश्लेशण रिपोर्ट के आधार पर एफ.बी.डी. के परामर्श से घटना पर कार्रवाई संबंधी लागत का सार बनाना।
2. एफ.बी.डी. को लागत–बचत सिफारिशें करना।
3. अलामबंदी के पूर्व वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूरे करना।
4. आई.आर.एस. फॉर्म–004 (अनुबंध–03 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और एफ.बी.डी. को भेजना और।

5. एफ.बी.डी. द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

जनपद में इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम में निम्नानुसार जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया गया है–

Incident Response System

S.N.	Position of IRS	Nomination in IRS
1	Responsible Officer	District Magistrate
	Deputy Responsible Officer	Senior Superitendent of Police
2	Nodal Officer (Air Operation)	Chief Development Officer
3	Incident Commander	Chief Development Officer **(As Per Multi Tasking)**
4	Liaison Officer	D.D.O. and District Disaster Management Officer Ensuring effective coordination between departments of supplies, resources and capacities (A table will be provided just below this table to map out key areas of coordination between departments
5	Information Officer	District Information Officer and Executive Engineer, P.D.P.W.D.
6	Safety Officer	Sud Divisional Magistrate Assited By A.E. Public Work Department, Medical Officer, Fire Officer, Veterinary Officer
7	**Operation Section Chief**	Additional District Magistrate Assited By Circle Officer Police (Dy. S.P./A.S.P)
	Response Branch Director	Sub Divisional Magistrate assisted By. CO Police (Sub Divisional Level/As per scenario) and field Unite of Army, I.T.B.P., S.S.B. in District.
	Transportation Branch Director	Assistant Regional Transport Officer Assisted by District Supply Officer
	Road Operation	Executive Engineer, Public Work Department, P.D. Almora
	Air Operation	Sub Divisional Magistrate assisted By. CO Police (Sub Divisional Level/As per scenario) **(As Per Multi Tasking)**
4	**Planning section Chief**	Project Director DRDA assisted by D.D.O.
	Resource unit	District Disaster Management Officer**(As Per Multi Tasking)** assisted by Staff of D.S.T.O. and D.S.T.O
	Situation unit	Forest Range Officer, Revenue Sub Inspector, V.D.O., V.P.D.O., Aasha Karyakarti, Aanganbadi Karyakarti, Gram Prahari
	Documentation unit	District Disaster Management Officer**(As Per Multi Tasking)** and D.S.T.O. assisted by Staff of D.S.T.O.
	Demobilization unit	D.D.O and District Disaster Management Officer**(As Per Multi Tasking)**
5	**Logistics section Chief**	Chief Development Officer **(As Per Multi Tasking)**
	Service Branch	Additional District Magistrate **(As Per Multi Tasking)**
	1. Communication unit	D.G.M. BSNL, Executive Engineer from PWD, Jal Sansthan, A.D.B. and A.B.D. Aapada, Electricity, PMGSY, Radio Inspector Police Sanchar Vibhag

	2. Medical unit	Chief Medical Officer, Chief Veterinary officer and District Homyopathic Medical Officer and Medical Officer from Local Army,I.T.B.P., S.S.B Units.
	3. Food unit	District Supply Officer **(As Per Multi Tasking)** and Designated Officer Food Safety.
	Support Branch Director	Superintendent Engineer P.W.D.
	1. Resource provisioning unit	Sub Divisional Magistrate, SADAR **(As Per Multi Tasking)** assisted by District Excise Officer
	2. Facilities unit	Sub Divisional Magistrate, SADAR **(As Per Multi Tasking)** assisted by Tehsildaar, District Programe Officer (I.C.D.S.) & D.P.R.O.
	3. Ground support unit	Assistant Regional Transport Officer Assisted by District Supply Officer **(As Per Multi Tasking)**
	Finance Branch	Chief Treasury Officer
	1. Time unit	Treasury Officer with Executive Engineer Rural Work Department and Executive Engineer Jal Nigam
	2. Cost unit	Chief Administrative Officer Collactrate with Treasury Officer and District Supply Officer **(As Per Multi Tasking)**
	3. Procurement unit	Chief Treasury Officer with Superitendent Engineer Jal Nigam, D.S.T.O., Regional Employment Officer.
	4. Compensation/Clams unit	Additional District Magistrate **(As Per Multi Tasking)** assisted By Chief Agriculture Officer & C.R.A./A.C.R.A.

मॉक अभ्यास–

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक निरन्तर की जाती जनपद में आई0आर0एस0 का गठन किया गया है तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया गया है। विभागीय समन्वय के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर समय–समय पर आपदा मॉक अभ्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

जनपद अन्तर्गत आयोजित किये गये आई0आर0एस0 आपदा मॉक प्रशिक्षण/अभ्यास का विवरण–

क्र.सं.	आयोजन स्थल	दिनांक	विवरण
01	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	14-04-2016	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/मॉक अभ्यास (भूकम्प सम्बन्धित)
02	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	15-04-2016	आई0आर0एस0 प्रशि0/भूकम्प मॉक ड्रिल
03	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	20-04-2017	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन में जनपद वनाग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल
04	तहसील स्तर पर	20-04-2017	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम
05	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	14-07-2017	आई0आर0 एस0 प्रशिक्षण/मॉक अभ्यास
06	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	10-10-2017	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण /मॉक अभ्यास

07	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	01-02-2018	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण /मॉक अभ्यास (भूकम्प सम्बन्धित)
08	तहसील द्वाराहाट	13-02-2019	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
09	तहसील रानीखेत	14-02-2019	आई0आर0 एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
10	अल्मोड़ा	04-06-2019	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण /मॉक अभ्यास (भूस्खलन सम्बन्धित)
11	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	22-06-2019	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण
12	तहसील भनोली	24-06-2019	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास में प्राप्त सुझाव–

1. उपलब्ध संसाधनों की सूची तथा रख–रखाव अपडेट रखा जाना आवश्यक है।
2. आपदा के समय वाहनों को उचित स्थान पर पार्किंग करने की व्यवस्था चिन्हित किया जाना।
3. पुलिस वायरलेस सिस्टम में अलग–अलग चैनल आवंटित होने चाहिए।
4. इन्सीडेट कमाण्डर द्वारा की गयी मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. टास्क फोर्स के डिस्पेच में कम से कम समय लगना चाहिये।
6. राहत–बचाव कार्यो में पूर्व से प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिये।

भूकम्प मॉक अभ्यास से प्राप्त अनुभव

1– जनपद में उपलब्ध संसाधनों की कार्यक्षमता, सुदृढिकरण तथा रख–रखाव का अनुभव तथा उक्त संसाधनों के सफल संचालन/उपयोग का अनुभव का प्राप्त होना।

2– सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल बढा है एवं टीम भावना का विकास हुआ है।

3– भूकम्प के समय सफल राहत–बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) अनुरूप नामित अधिकारियों एवं समन्व्यक अधिकारियों को अपने कर्त्वयो का स्पष्ट ज्ञान होना।

4– आई0टी0बी0पी0 का मुख्य बल के रूप में कार्य किया जाना।

जनपद अल्मोड़ा : एक परिचय

जनपद का ऐतिहासिक परिचय एवं भौगोलिक स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य के मध्य हिमालय की गोद में स्थित कुमाऊँ भौगोलिक, ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से भारत के भू–भाग का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखण्ड, केदारखण्ड व मानस खण्ड में विभक्त है। जहॉ केदारखण्ड में वर्तमान गढवाल सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जनपद अल्मोड़ा के उत्तर में बागेश्वर, पूरब में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमायें हैं। कोसी एवं सुयाल नदी के मध्य स्थित काषायः पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित विष्णु क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा की स्थापना के संदर्भ में इतिहासकारों के मत में विभिन्नता है। विद्वानों का मानना है कि यह क्षेत्र सन् 1530 के आसपास राजा भीष्मचन्द्र ने बसाया था। चम्पावत से राजधानी स्थानांतरित कर राजा भीष्मचन्द्र ने अल्मोड़ा में यह नगर वर्तमान नगर के समीप खगमराकोट नामक स्थल के पुराने किले पर राजा द्वारा आवास बनाया गया था। इस जनपद का कुमाऊँ मण्डल में चन्दवंशीय राजाओं की राजधानी होने के कारण, अपनी प्राचीन परम्पराओं तथा संस्कृति के लिए एक विशेष स्थान है। अल्मोड़ा में चन्द राजधानी की स्थापना के साथ समाज के विविध वर्गों के लोग यहॉ बसते गये। धार्मिक प्रेवृति के होने से चन्द राजाओं ने कई धार्मिक उपासना केन्द्र यहॉ स्थापित किये थे। यहॉ की सांस्कृतिक उपलब्धि में अवरोध सन् 1744 में आया, जब रोहिला आक्रमण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण स्थलों को समाप्त करने के प्रयास हुये। सन् 1815 में यह क्षेत्र ब्रितानवी शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में जनपद अल्मोड़ा को कुमायूॅ कमिश्नरी मुख्यालय बनाया गया था, कालान्तर में कमिश्नरी मुख्यालय को नैनीताल स्थानान्तरित कर दिया गया।

देवभूमि हिमालय की संस्कृति में अल्मोड़ा का विशिष्ट स्थान रहा है। यह क्षेत्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज का आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वत मालायें विविध प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अवशेषों के प्रमाणों से भरी हैं। यह जनपद सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी अतीत से लेकर वर्तमान तक अनेक रूपों से विख्यात है तथा अनादि काल से महापुरूषों, सिद्धों एवं साधकों का प्रेरणास्रोत भी रहा है। जनपद अल्मोड़ा सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये विश्वविख्यात है, गॉधी जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, एनीवेसेन्ट एवं मीरा बहन जैसे विचारक ब्रूस्टर जैसे चित्रकार, उदयशंकर जैसे सांस्कृतिक कर्मी इसी अल्मोड़ा से प्रभावित हुए।

जनपद का भौगौलिक भू–भाग सिन्धुतल से 750 मीटर से प्रारम्भ होकर 2000 मीटर से ऊपर है। सरयू, कोसी, रामगंगा, गगास तथा सुयाल यहॉ की प्रमुख नदियॉ हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर जिले को मुख्य रूप से दो भागों में बॉटा जा सकता है–

1) पर्वतीय क्षेत्र

पर्वतीय क्षेत्र में उच्च पर्वत शिखर, जिनमें डोटियाल (मानिला), मालीखेत (स्याल्दे), भौनखाल (सल्ट), लोधियाखान (ताड़ीखेत), शेर, चौबटिया, स्याहीदेवी, भटकोट, वृद्धजागेश्वर, बिनसर, मोरनौला, गणानाथ, मल्लिका आदि हैं। इस क्षेत्र में घने वन हैं। वनों में सदाबहार व पतझड़वाले वृक्ष पाये जाते हैं, जिनमें बॉज, बुराश, उत्तीश ,काफल, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष हैं।

2) नदी घाटी क्षेत्र

नदियों के किनारे स्थित घाटी क्षेत्र 600 से 1200 मी0 तक हैं। प्रमुख नदियों में कोसी, सुयाल, पश्चिमी रामगंगा, गगास, पनार आदि हैं। नदियों के किनारे समतल उपजाऊ भूमि को स्थानीय भाषा में सेरा कहा जाता है। इनमें बासुलीसेरा, रावलसेरा, बैराटसेरा,

सोमेश्वरसेरा, चनौदासेरा, टूनाकोटसेरा, ईड़ासेरा, कामरसेरा, चौखुटिया व मासीसेरा, दैघाट व स्याल्दे के सेरे आदि प्रमुख हैं।

क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक विभाजन

जनपद अल्मोड़ा 3139 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जनपद अल्मोड़ा का प्रसार 29° 25' 39.5" N से 29° 59' 33"N अक्षांश और 79° 03' 03" से 80° 04' 45" देशान्तर तक हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जनपद अल्मोड़ा के उत्तर में बागेश्वर, पूरब में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमायें हैं। देव भूमि उत्तराखण्ड के कुमायूं मण्डल के मध्य में बसे अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 13 अक्टूबर 1892 को हुई। जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा पहले एक किला था। सन् 1790 से 1815 तक गोरखों के आधिपत्य में रहने के बाद यह क्षेत्र ब्रितानवी शासन के अंतर्गत आ गया। अंग्रेजों द्वारा बनाये उस समय के कुमाऊं जिले में अल्मोड़ा पहले एक तहसील बनायी गई और बाद में सन् 1892 में इसे जिले के रूप में सृजित किया गया। वर्ष 1960 से पूर्व जनपद पिथौरागढ़ जनपद अल्मोड़ा की एक तहसील थी, 14 सितम्बर 1997 तक जनपद बागेश्वर भी इसी जनपद का हिस्सा व तहसील थी। दो जनपदों को अलग करने के बावजूद अल्मोड़ा जनपद की भौगोलिक सीमाएं अभी भी काफी विस्तृत हैं। जनपद के अन्तर्गत 11 तहसीलें तथा 11 विकास खण्ड सम्मिलित हैं। जनपद के अन्तर्गत 2251 राजस्व ग्राम हैं, जो 211 पटवारी क्षेत्रों व 17 कानूनगो क्षेत्रों में विभाजित है। इसके अतिरिक्त जनपद में 12 पुलिस थानें एक नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा, 04 नगर पंचायत– द्वाराहाट, रानीखेत, चिलियानौला एवं भिक्यिासैण तथा एक छावनी परिषद, रानीखेत कार्यरत हैं।

Map 1: Location Map

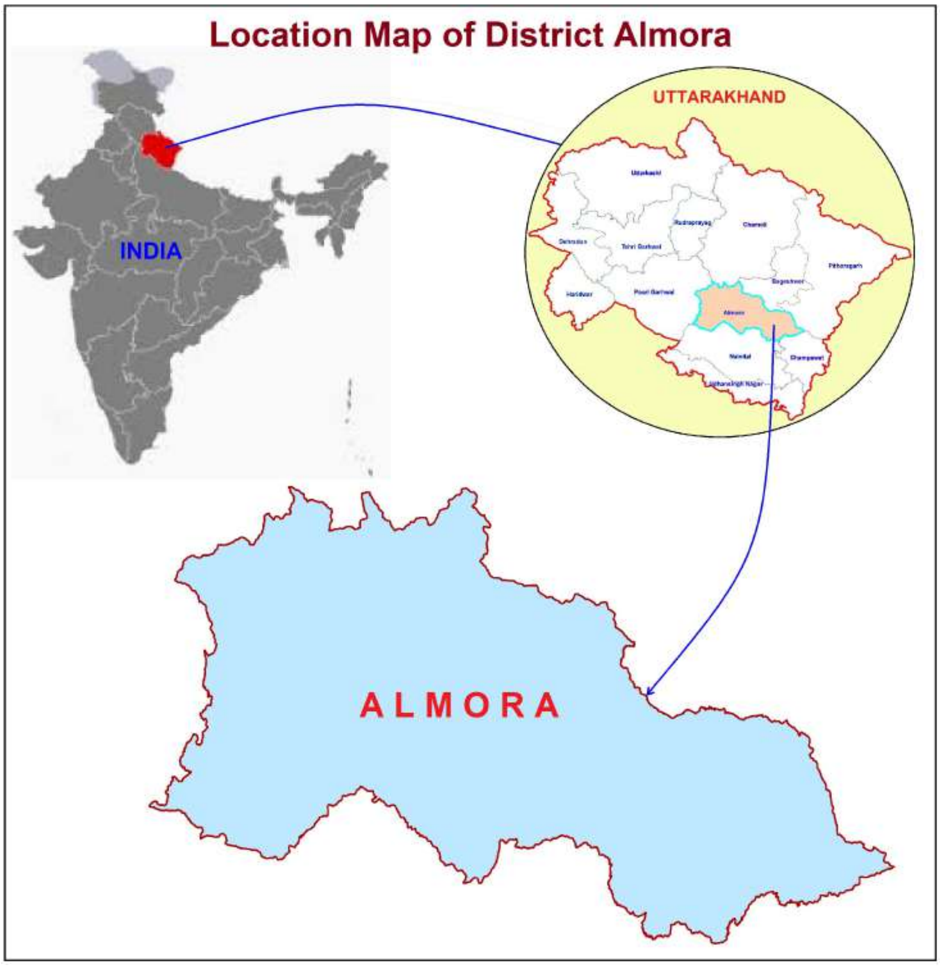

सामाजिक (जनांकीकी)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या 622506 है, जिसमें 291081 पुरूष एवं 331425 महिलाऐं है। अल्मोड़ा जनपद की सम्पूर्ण आबादी का लगभग 90 प्रतिशत भाग गांवो में तथा 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। क्षेत्र विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या बहुत विरल है, जनपद में जनसंख्या का घनत्व 205 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

जनसंख्या

लिंगानुसार वितरण		
कुल जनसंख्या	2011	622506
(i) पुरूष	2001	291081
(ii) स्त्री	2001	331425
(iii) दशक में जनसंख्या वृद्धि	2001–11	(-) 1.64
लिंग अनुपात	2011	1139
जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)	2011	198
ग्रामीण जनसंख्या	2011	554096
(i) पुरूष	2011	254231
(ii) स्त्री	2011	299865
अनुसूचित जाति		
कुल जनसंख्या	2011	150995
(i) पुरूष	2011	72695
(ii) स्त्री	2011	78300
ग्रामीण जनसंख्या	2011	140931
(i) पुरूष	2011	67162
(ii) स्त्री	2011	72558
अनुसूचित जनजाति		
कुल जनसंख्या	2011	1281
(i) पुरूष	2011	633
(ii) स्त्री	2011	648
ग्रामीण जनसंख्या	2011	728
(i) पुरूष	2011	351
(ii) स्त्री	2011	377

भू–विज्ञान एवं भू–आकृतिकी

भूगर्भीय मानचित्र के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में भूगर्भीय चट्टानों का क्रम इस प्रकार है–

जौनसार ग्रुप	:	नागथाट – बेरीनाग फॉरमेशन चांदपुर फॉरमेशन
तेजम ग्रुप	:	मन्धाली (सोर–थलकेदार) फॉरमेशन देववन (गंगोलीहाट) फॉरमेशन
डामटा ग्रुप	:	राउतगेरा फॉरमेशन
रामगढ़ ग्रुप	:	देवग्रू पोरपायरायड नथुवाखान एवं बेतालघाट फॉरमेशन
अल्मोड़ा ग्रुप	:	ग्रेनाइट– ग्रेनोडाइराइट– अगननीस सरयू –गुमालीखेत– मुन्स्यारी फॉरमेशन

Map 2: Almora Geologiccal Map

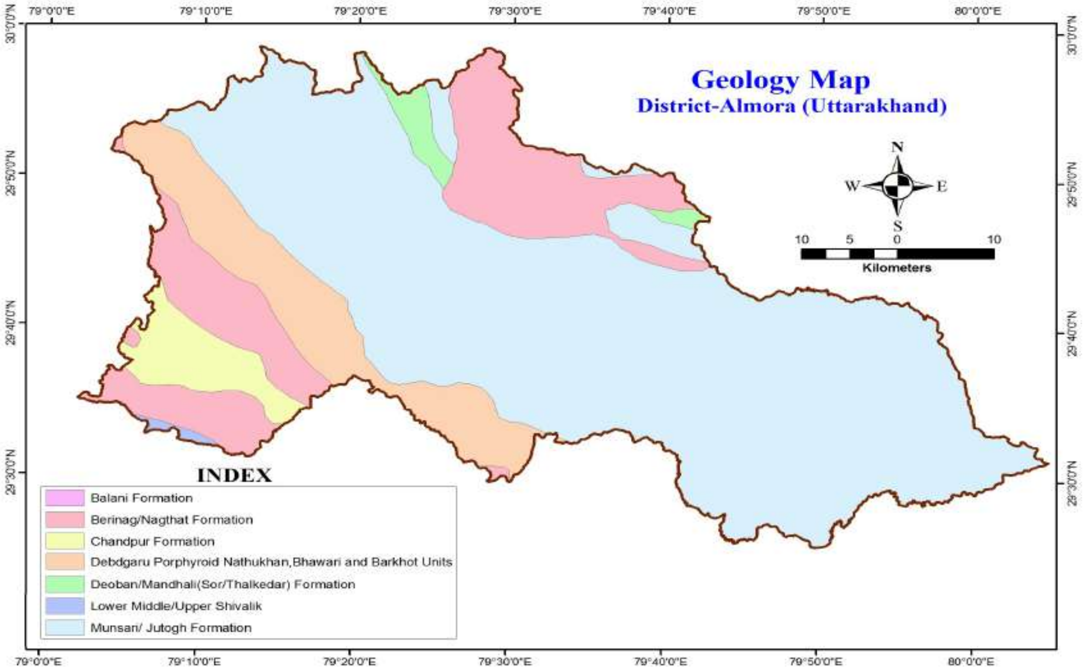

हिमालय पर्वत श्रृंखला अपेक्षाकृत तरूण पर्वत श्रृंखलायें हैं, जिनकी उत्पत्ति एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया का अंग है, इन उदीयमान पर्वत श्रृंखलाओं से अवनमित महानदियों, सरिताओं एवं उपनदियों तीव्र उर्ध्वाधर शिखर पर्वत मालाओं तथा स्लोपों का निर्माण हुआ इसमें कठोर स्तर से कमजोर प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं, निर्माण के मध्य विभिन्न अन्योग क्रियाओं (Interplay) वल (Folding) भ्रंश (Fault) आदि से वर्तमान स्थलाकृति निर्मित हुई, जिसके फलस्वरूप इनमें अर्न्तनिहित दुर्बल धरातल विद्यमान हैं, इन सबके फलस्वरूप चट्टानें अत्यधिक संधिवत है। स्थाईकरण की ये क्रियाएं अब भी सक्रिय हैं, कम्पन समय–समय पर महसूस होते रहते हैं।

भू–वैज्ञानिकों के मतानुसार हिमालय क्षेत्र में कई भ्रंश विद्यमान हैं इसमें से मुख्य सीमा भ्रंश (Main Boundry Fault) मुख्य स्फटकीय भ्रंश (Main crystalline thrust) मुख्य हैं, इनमें से मुख्य सीमा भ्रंश जनपद के दक्षिणी दिशा की सीमा पर टोटाम व मरचूला क्षेत्र के समीप से पास हो रहा है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जनपद के दक्षिण और उत्तर दिशा में दो भ्रंश गुजर रहे है जो कि उत्तरी अल्मोड़ा भ्रंश के नाम से जाने जाते हैं। भू–वैज्ञानिकों के मतानुसार मुख्य सीमा भ्रंश की रेखायें विगत कुछ वर्षो से गतिमान हैं,दक्षिणी अल्मोड़ा भ्रंश जनपद के सुयालबाड़ी से होता हुआ भिकियासैंण तत्पश्चात जिला पौड़ी में प्रवेश कर जाता है, उत्तरी अल्मोड़ा भ्रंश जनपद के उत्तरी सीमा के साथ–साथ पूरब में ताकुला क्षेत्र से होता हुआ पश्चिम में द्वाराहाट–चौखुटिया होते हुए जनपद चमोली में प्रवेश कर जाता है यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील है भूकम्प द्वारा तेज कम्पन्न के कारण अस्थिर धरातलों के खिसकने से भू–स्खलन उत्पन्न हो जाता है।

जलवायु

जनपद में सभी स्थानों पर जलवायु सामान्य न रहकर विभिन्न ऊँचाईयों पर आधारित है। विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र कोसी के अनुसार जनपद अल्मोड़ा का वर्ष 2013 का गर्मियों में औसत उच्चतम तापमान (31.2) सेन्टीग्रेड तथा सर्दियों में औसत न्यूनतम (0. 1) सेन्टीग्रेट अंकित किया गया तथा वर्ष 2013 में जनपद में 1202.60 मि0मि0 वास्तविक वर्षा रिकार्ड की गई। जनपद अल्मोड़ा समुद्र सतह से 1200 मी0 से लेकर 2200 मी0 से

ऊँचाई वाले भू–भाग में फैला हुआ है। लेकिन आबादी का अधिकांश भाग समुद्र सतह से 1400 मी0 तक ऊंची नदी घाटियों में बसा है। मौसम की दृष्टि से जनपद की नदी घाटियॉ अत्यन्त गर्मी तथा उमस वाली हैं तो ऊँचे क्षेत्र अत्यन्त शीतिथ। गर्मियों में जहाँ तापमान नदी घाटियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो सर्दियों में ऊंचे क्षेत्रों में शून्य से नीचे चला जाता है।

29.37^0 उत्तरी अक्षांश एवं 79.40^0 पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित अल्मोड़ा कुमाउं मण्डल में पड़ता है। इसकी समुद्र तल से उंचाई 1651 मीटर है। अल्मोड़ा की जलवायु समशीतोष्ण प्रकृति की है। विभिन्न ऋतुओं में तापमान में होने वाले बदलाव के माध्यम से जलवायु को चिन्हित किया गया है और मानसून ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय बारिश जिले को प्रभावित करती है। पूरे वर्श में अल्मोड़ा में कभी–कभी जलवायु शीत हो जाती है। अल्मोड़ा में औसत वार्षिक अधिकतम तापमान लगभग 30^0 सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 17^0 सेल्सियस होता है। आमतौर पर सर्दियों के दिन यहां पर बेहद सर्द होते हैं और उन दिनों यहां का तापमान 0^0 से नीचे चला जाता है।

314.85 मिमी0 मानक विचलन के साथ यहां वार्षिक मध्यम वर्षा 1027 मिमी0 है, जिसमें 71.15 प्रतिशत का योगदान वर्षा ऋतु के दौरान हुई बारिश का, जाड़ों में होने वाली वर्षा का योगदान 11.5 प्रतिशत तथा गर्मियों के दिनों में होने वाली वार्षिक वर्षा का योगदान 17.3 प्रतिशत है। अन्य ऋतुओं की तुलना में मानसून ऋतु के दौरान बदलाव की प्रवृत्ति बहुत कम (14.2 प्रतिशत) तक होती है, जिससे मानसून की बारिश पर निर्भरता का पता चलता है। पिछले 50 वर्षों में वर्षा की चरम घटनाओं की बात करें तो 26 जून, 1986 को एक दिन में 323 मिमी0 बारिश हुई थी। हांलाकि मानसून ऋतु के दौरान बाढ़ अथवा सूखा परिस्थितियों के साथ ही दैनिक वर्षापात का भौतिक एवं अस्थाई वितरण भी बहुत असमान है।

मौसम विज्ञान के लिए वर्षापात एक महत्वपूर्ण तत्व है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भौतिक एवं अस्थाई दोनों तरह की अस्थिरता के कारण वर्शापात की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन कार्य है। अपनी प्राकृतिक स्थलाकृति के साथ ही मानवीय प्रभावों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में वर्शा की अस्थिरता अधिक है।

भूमि उपयोग

भूमि उपयोग के दृष्टिकोण से अल्मोड़ा जनपद की भूमि को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं:–

1. वन भूमिः अल्मोड़ा जनपद का लगभग 50 प्रतिशत भू–भाग वन भूमि से आच्छादित है।
2. कृषि योग्य असिंचित भूमि : इस भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण गैर वानकीय कार्यो हेतु उपयोग में लायी जा सकती है,यहॉ पर कुछ भाग मे भूमि का ढाल सामान्य से अधिक हो सकता है।
3. कृषि योग्य सिंचित भूमि : इस भूमि में अधिकांशतः ग्रामीण लोग कृषि कार्य कर जीवन यापन करते हैं। यहॉ पर भूमि का ढ़ाल भी कम है। चट्टानों की स्थलाकृति पर निर्भर करता है, जहॉ कोमल भाग अपक्षरित हो जाता है तथा कठोर भाग यथावत रहकर पर्वतों, पृष्ठों का निर्माण करता है। इस प्रकार की भूमि अपक्षरण में एक समान होने के कारण समान स्वरूप की स्थलाकृति का निर्माण करती है। इन चट्टानों से युक्त स्थल शहरीकरण के लिए उत्तम समझे जाते हैं।

अल्मोड़ा जनपद में कुछ भागों में नीस प्रकृति की चट्टानें हैं, चूंकि स्थलाकृतियों का निर्माण चट्टानों की बनावट के साथ–साथ होने वाले अवकलन अपक्षयण द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिये नुकीली धार युक्त खड़ी ढ़लान वाली पहाड़िया बनती हैं, क्षेत्र का

अपवाह तन्त्र भी अपक्षयण प्रकिया से प्रभावित होता है तथा वृक्षांम प्रकार का अपवाह बनता है, गहरी अवशिष्ट मिट्टी पर अवनालिकाओं का बनना, रेतीली व चिकनी मिट्टी के मिश्रण में मध्यक अन्तराकर्षण को इंगित करता है, घाटियों की मोटी भूमि पासविका पर कृषि करके व ढलान युक्त पहाड़ियो पर वृक्षारोपण द्वारा यथासंभव भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

Map 3: Landuse Pattern-Almora District

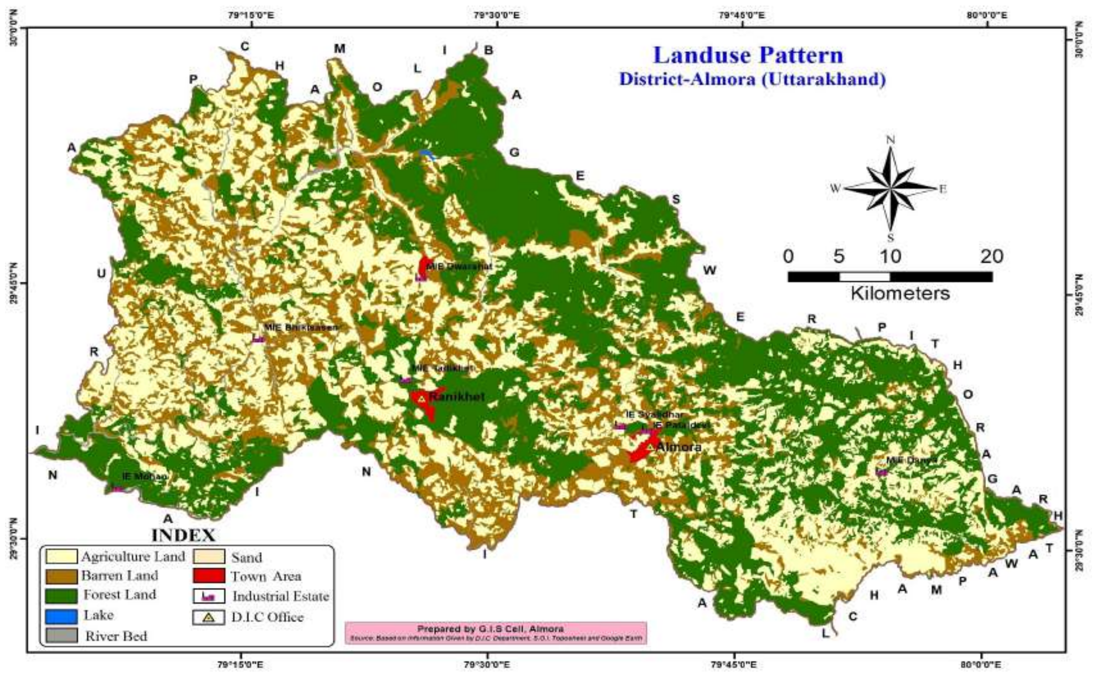

वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजनाओं को बनाते समय स्थलाकृतियों के ज्ञान एवं वर्तमान भूमि उपयोग तरीकों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहियेः—

1. भूमि संरक्षण हेतु पहाड़ो के 16 डिग्री से अधिक ढलान युक्त भागों पर फलोद्यान एवं वनावरण का विकास करना चाहिये ताकि स्थल खण्ड खिसकाव व मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सके। कृषि कार्य को 16 डिग्री से कम ढलान वाले घाटी क्षेत्रों में किया जाना चाहिये।
2. घाटियों एवं पर्वत पृष्ठों पर मार्ग कटान का कार्य वहॉ उपस्थित चट्टानों की उपयुक्तता, उनकी बनावट, कुल व्यय धनराशि तथा मार्गो के नियमित अनुरक्षण कार्यो के आधार पर किया जाना उचित होगा। सड़क घाटियों के बजाय चोटियों पर बनाये जाने से कृषि योग्य भूमि का संरक्षण संभव है।
3. चारागाहों के विकास एवं उनसे प्राप्त चारे के उपयोग के लिए समुचित ध्यान दिया जाना उचित होगा।
4. नदियों में उपलब्ध पानी द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन,पर्यटन स्थल के विकास के लिए भूमि उपयोग तथा खनिज विकास हेतु पर्यावरण प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना लाभकारी होगा।
5. गाँवों में उपलब्ध भूमि का एक डाटाबेस बना कर वहाँ की भूमि का वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण कराकर एवं जलवायु में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कृषि को

प्रोत्साहित करना उचित होगा ताकि उपज अच्छी हो सके, रोजगार के अवसर गाँवों में ही सृजित हों तथा पलायन को भी रोका जा सके।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जनपद में विगत वर्षो में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ हैं, कई स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भी जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा हैं।

Map 4: Health Centres-Almora District

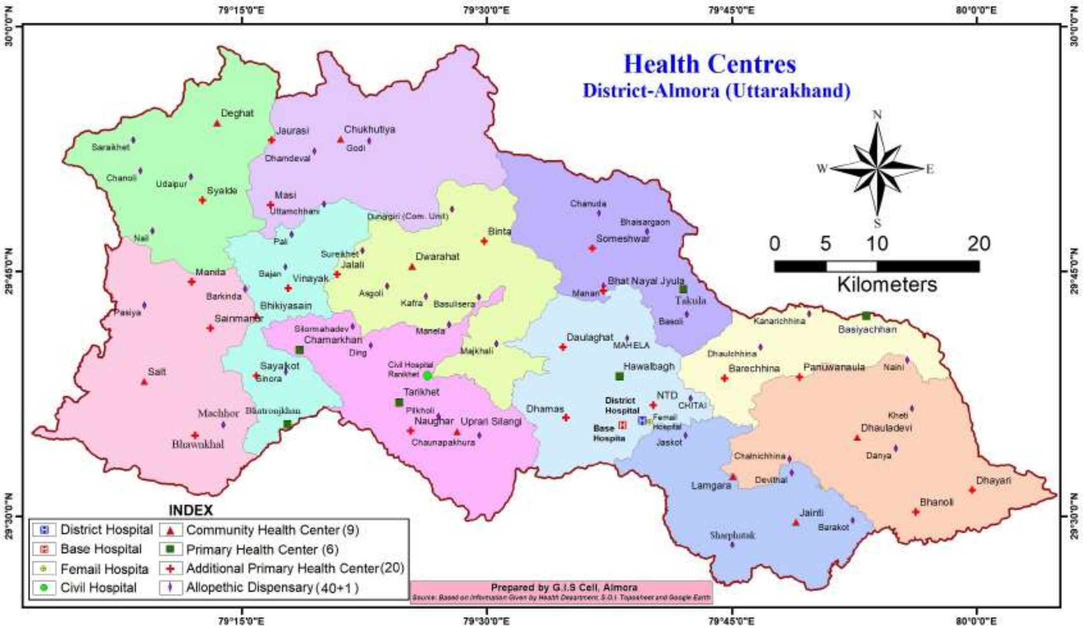

आपदा प्रबन्धन हेतु स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकताऐं तथा त्वरित कार्यवाहियाँ

1- पूर्व निर्मित भवनों का भूकम्प व भूस्खलन की संवेदनशीलता के प्रति अवलोकन हो तथा तद्नुसार उनके मरम्मत, रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) की कार्यवाहियां हों।

2- सभी निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित चिकित्सालय भवन एवं चिकित्सा केन्द्र भूकम्प एवं भूस्खलन सुरक्षित तकनीक से उपयुक्त स्थलों पर बनाये जायें।

3- चिकित्सा उपकरण एवं विशिष्ट मशीनों, दवाइयों आदि को अलमारियों या उनकी मेजों में इस प्रकार रखा जाये कि भूकम्पों के दौरान भवनों में कम्पन होने पर उन्हे क्षति न पहुंचे तथा अलमारियों को दिवार से ऐंकर किया जाय।

4- जनपद में विभिन्न सरकारी तथा वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं से चिकित्सा, तकनीकी एवं विशेषज्ञ स्टाफ की कमी दूर करने का प्रयास हो।

5- आपदा/दुर्घटना की स्थिति हेतु विशिष्ट उपकरणों, स्ट्रेचरो, विशेष प्रकार की ऐम्बुलेन्स आदि की व्यवस्था का प्रयास हो।

6- चिकित्सा विभाग जिला, विकासखण्ड, न्याय पंचायत स्तर पर त्वरित कार्यवाही दलों का गठन करे तथा प्राथमिक चिकित्सा में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाय।

7- रेडक्रॉस के माध्यम से भी विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षणों का संचालन नियमित अन्तराल पर होते रहना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं संस्थान का जनपदवार विवरण			
क्र0सं0	जनपद का नाम	स्वास्थ्य संस्थान	संख्या
1	अल्मोड़ा	प्रा0स्वा0केन्द्र	06
2		सामु0स्वा0केन्द्र	09
3		अति0स्वा0केन्द्र	21
4		जिला स्तरीय चिकित्सालय	02
5		उप तहसील स्तरीय चिकित्सालय	01
6		बेस चिकित्सालय	01

दैवीय आपदा हेतु उपलब्ध मानव संसाधन				
क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	चिकित्सा अधिकारी	280	185	95
2	फार्मासिस्ट	180	154	26
3	स्वास्थ्य पर्य0 पुरुश	73	06	67
4	ए0एन0एम0	250	198	52
5	बी0एच0डब्लू0	102	0	102
6	स्वास्थ्य पर्य0 महिला	32	11	21

चिकित्सा संस्थानों में वाहनों की स्थिति					
क्र0सं0	वाहन संख्या	स्थान	ऑन रोड/ ऑफ रोड	मॉडल	संख्या
1	UA-07 E1795	प्रा0स्वा0केन्द्र धौलादेवी	ऑन रोड	2002	01
2	UA-07 E1797	प्रा0स्वा0केन्द्र ताकुला	ऑन रोड	2003	01
3	UA-07 E2037	सामु0स्वा0केन्द्र द्वाराहाट	ऑन रोड	2002	01
4	UA-07 E1793	सामु0स्वा0केन्द्र भिकि0	ऑन रोड	2002	01
5	UA-07 D2044	सामु0स्वा0केन्द्र चौख0	ऑन रोड	2002	01
6	UA-07 D2379	प्रा0स्वा0केन्द्र सल्ट	ऑन रोड	1996	01
7	UA-01- 6876	नागरिक चिकि0रानीखेत	ऑन रोड		01
8	UA-01- 0030	जिला चिकि0 अल्मोड़ा	ऑन रोड	2009	01
9	UA-01- 5883	बेस चिकि0 अल्मोड़ा	ऑन रोड	2003	01

क्र0सं0	चिकित्सा इकाई का नाम	एम्बुलेंस	दूरभाष	रा0ए0चि0 का नाम	रा0आयु0चि0 का नाम
01	प्रा0स्वा0केन्द्र हवालबाग	—	05962—251155	1— चितई 2— मेहला	1—कोसी 2—शीतलाखेत 3—बसर 4—डीनापनी 5—शैल 6—स्युनाराकोट 7—अल्मोड़ा
02	प्रा0स्वा0केन्द्र ताकुला	उपलब्ध	05962—253195	1— बसौली 2— भैसडगाँव 3— मेहला 4— मनान	1—मनान 2—झुपुलचौरा

03	प्रा0स्वा0केन्द्र लमगड़ा	—	05962—256040	1— बाराकोट 2— जसकोट 3— शहरफाटक 4— देवीथल	1— संगरौली 2— बाकेश्वर 3— स्योनानी 4— मरगाँव 5— धारखोला 6— गौना
04	प्रा0स्वा0केन्द्र धौलादेवी	उपलब्ध	05962—271397	1— चलनीछीना 2—रा0ए0चि0 दन्या 3— खेती 4— नैनी	1— बमनस्वाल 2— जागेश्वर 3— चगेठी 4— भालपर 5— गुनादित्या 6— डौसला 7— बनथोक 8— दोराम 9—तोलीजिगोली 10— बसन्तपुर
05	प्रा0स्वा0केन्द्र भैसियाछाना	—	05962—212002	1— धौलछीना 2— कनारीछीना	1— नगरखान 2— नाली
06	प्रा0स्वा0केन्द्र ताड़ीखेत	—	05962—264318	1— चौनापाखुडा 2— डींगा 3— पिलखोली 4—सिलोरमहादेव	1— बमस्यू 2— सौनी 3— चमड़खान 4— काकड़ीघाट 5— भोला 6— देवलीखेत
07	प्रा0स्वा0केन्द्र सल्ट	उपलब्ध	05962—281949	1— बरकीन्डा 2— मछोड़ 3— पैसीया	1— आमधार 2— कालीगाँव 3— मणुली 4— क्वैरला 5— सैणमानुर 6— पीपना
08	प्रा0स्वा0केन्द्र देघाट	—	05962—247269	1— चनौली 2— नैल 3— सराईखेत 4— उदयपुर	1— गैरखेत 2—बसई—अगसपुर 3—मटेलामहादेव 4—नगचूलाखान 5—चित्तौडखाल
09	सामु0स्वा0केन्द्र द्वाराहाट	उपलब्ध	05962—244652	1— असगोली 2— बासुलासेरा 3— दुनागिरी 4— कफड़ा 5— मजखाली 6— मनेला 7— सुरईखेत	1— कुवालीं 2— सिमलगाँव
10	सामु0स्वा0केन्द्र चौखुटिया	उपलब्ध	05962—246505	1— धामदेवल 2— गोदी	1— भगौती 2— तड़ागताल

11	सामु0स्वा0केन्द्र भिकियासैन	उपलब्ध	05962–242068	1– पाली 2– सिनौडा 3– उत्तमछानी 4– बाजन	1– हउली 2– जीनापानी

जनपद में ट्रामा सेन्टर की स्थिति					
क्र0सं0	स्थान	स्वीकृति	निर्माणाधीन	निर्मित	क्रियाशील
1	बेस चिकि0 अल्मोड़ा	01	–	निर्मित	–
2	ना0चि0 रानीखेत	01	–	निर्मित	–

स्वैच्छिक रक्त दाताओं की सूची			
क्र0सं0	रक्तदाता का नाम	ब्लड ग्रुप	मोबाईल न0
O' Postitive			
1	Mr. Darmiyan Singh 39 yrs.	**O'** Postitive	9456371199
2	Mr. Rakesh Pande 27 yrs.	**O'** Postitive	9759244124
3	Mr. Kamal Kandpal 25 yre.	**O'** Postitive	9761739936
4	Mr. Devendra Bhatt 25 yre	**O'** Postitive	9458370439
5	Mr. Manish Ary	**O'** Postitive	8650253994
6	Mr. Karan Bisht 24 yer	**O'** Postitive	9411117156
7	Mr. Pankaj Tamta 34 yer.	**O'** Postitive	9412952055
8	Mr. Kavita 22 yer.	**O'** Postitive	7500918289
9	Mr. Manoj Verma	**O'** Postitive	9412344700
10	Mr. Kailash Singh Chilwal	**O'** Postitive	9627588582
11	Km. Aasha Arya	**O'** Postitive	9412045305
12	Mr. Ravindra Mehta	**O'** Postitive	9410013091
13	Mr. M.K.Chinyal	**O'** Postitive	9411134847
14	Mr. Dinesh Joshi	**O'** Postitive	9719208121
15	Mr. Himanshu Kandpal	**O'** Postitive	9412045156
16	Miss. Hemanti	**O'** Postitive	9410303601
17	Miss. Bhawana Sanwal	**O'** Postitive	9412375536
18	Mr. Pan Singh Bisht	**O'** Postitive	9411579959
19	Mr. Dinesh Singh	**O'** Postitive	-
20	Mr. Bhagwan Singh Negi	**O'** Postitive	9456108389
21	Mr. Mukesh Negi	**O'** Postitive	9568263353
A' Postitive			
22	Mr. Sunil Kumar 22 yer.	**A'** Postitive	9720214771
23	Mr. Manish Malhotra	**A'** Postitive	9756136907
24	Mr. Nand Singh 41 yer.	**A'** Postitive	9411546185
25	Mr. Govind Bisht 30 yer	**A'** Postitive	9837788198
26	Mr. Nandan Singh Kanwal	**A'** Postitive	9412924709
27	Mr. Manish 20yer.	**A'** Postitive	9410122316
28	Mr. Nitin Negi 20yer.	**A'** Postitive	9410163066
29	Mr. Hasan Khan 20yer.	**A'** Postitive	9690919754
31	Mr. Hem Chandra Tewari 25 yer.	**A'** Postitive	9410305050
32	Mr. Trilok Chandra Tewari 25yer.	**A'** Postitive	9410305050
33	Mr. Trilok Singh Parihar 23yer.	**A'** Postitive	7895048442
34	Mr. Gaurav Dhasmana 23yer.	**A'** Postitive	9997844939
35	Ms. Nikita Bisht	**A'** Postitive	8954991576
36	Mr. Pankaj Kumar Sah	**A'** Postitive	9720010600
37	Mr. Diwakar Sugra 38yer.	**A'** Postitive	9412188081

38	Mr. Vaibhav Kandpal	**A'** Postitive	9411776667
B' Postitive			
39	Mr. Sanjay Kumar Agrawal	**B'** Postitive	7409349098
40	Mr. Bhawan Giri 19yer.	**B'** Postitive	9917546789
41	Mr. Raju Singh Manral 22yer.	**B'** Postitive	
42	Mr. Santosh Kumar	**B'** Postitive	9411455907
43	Mr. Rajeev 28yer.	**B'** Postitive	9759110007
44	Mr. Jigyashu Kapil	**B'** Postitive	9927411851
45	Mr. Naveen Chamaliyal	**B'** Postitive	9690783630
46	Mr. Jiwan Singh	**B'** Postitive	9720202038
47	Mr. Dinesh Joshi	**B'** Postitive	9761113628
48	Mr. Mahendra Singh Rawat	**B'** Postitive	
AB' Postitive			
49	Mr. Alok Verma 26yer.	**AB'** Postitive	5962230019
50	Mr. Nitin Kapoor 35yer.	**AB'** Postitive	9917244866
51	Mr. Pankaj Joshi 23yer.	**AB'** Postitive	9917244866
52	Mr. Harish Kanwal	**AB'** Postitive	-
53	Mr. Gaurav Pande	**AB'** Postitive	9456160428
54	Mr. Sunil Joshi 31yer.	**AB'** Postitive	8958193728
55	Mr. Sanjay Kumar	**AB'** Postitive	9410363904
56	Mr. vinod Kandpal	**AB'** Postitive	9756506603
57	Mr. Prakash Chandra	**AB'** Postitive	-
58	Ms. Hema Pant	**AB'** Postitive	9410180349
59	Mr. Harish Kanwal	**AB'** Postitive	9410792394
60	Mr. Subhash Singh Bisht	**AB'** Postitive	-
A' Negative			
61	Mr. Ravi Kumar Pandey	**A'** Negative	9720438351
62	Dr. Chandra Prakash Verma	**A'** Negative	9456545000
63	Mr. Surendra Dev	**A'** Negative	9458155223
64	Mr. Prakash Singh Bhoj	**A'** Negative	9411334376
65	Mr. Rajesh Kumar Joshi	**A'** Negative	9410919128
66	Mr. Kundan Singh	**A'** Negative	9917454435
67	Mr. Ashok Singh Bisht	**A'** Negative	8057547131
68	Mr. Mahesh Upadhyay	**A'** Negative	9760013020
69	Mr. Bijendra Kumar	**A'** Negative	9548332709
70	Mr. Pawan Giri	**A'** Negative	9412478060
71	Mr. Deepak Pande 32yer.	**A'** Negative	9837706975
72	Mr. Bhagwat Singh	**A'** Negative	9468109980
73	Mr. Mahednra Singh Mer	**A'** Negative	9917684681
B' Negative			
74	Mr. Dherendra Singh Rawat	**B'** Negative	9411117661
75	Mr. Sndeep Singh Nayal 27yer.	**B'** Negative	9719862709
76	Mr. Jagdish Chandra Kandpal	**B'** Negative	9412908001
77	Mr. Umesh Chandra Pnat	**B'** Negative	9837416807
78	Ms. Babita Pangty	**B'** Negative	0596223522
79	Mr. Rajendra Prasad	**B'** Negative	9837950136
80	Mr. Rajesh Negi	**B'** Negative	
81	Mr. Deepak Kandpal	**B'** Negative	9411573669
82	Mr. Virendra Singh Rawat	**B'** Negative	9357127773
83	Mr. Deepak Kapoor	**B'** Negative	9412093580
84	Mr. Pankaj Pant	**B'** Negative	8941840887
85	Mr. Hari Singh Rawat	**B'** Negative	8006013584
86	Mr. Harish Chandra	**B'** Negative	9627563655

87	Mr. Rakesh Joshi 30yer.	**B'** Negative	9412092709
O' Negative			
88	Mr. Ganga Joshi 36yer.	**O'** Negative	-
89	Mr. Deepak Gaira	**O'** Negative	7579270346
90	Mr. Ramesh Nath Goswami	**O'** Negative	9627351252
91	Mr. Mohan Chandra Tewari	**O'** Negative	9411119746
92	Ms. Manju Verma 47yer.	**O'** Negative	9456765274
93	Mr. Kewal Joshi	**O'** Negative	9927431915
94	Mr. Ajay Tewari	**O'** Negative	9927431915
95	Mr. Videndra	**O'** Negative	9997872991
96	Mr. Rajesh	**O'** Negative	9759655812
97	Mr. Satya Pal Singh	**O'** Negative	-
98	Mr. Manav 22yer.	**O'** Negative	7579033571
99	Mr. Bhupendra Bhisht	**O'** Negative	-
100	Ms. Seema	**O'** Negative	-
101	Mr. Balwant Singh	**O'** Negative	9458305168
102	Mr. Anshu Joshi	**O'** Negative	9411579324
103	Mr. Harish Singh Bankoti	**O'** Negative	8958841727
104	Mr. Sankar Datt	**O'** Negative	9410917281
105	Ms. Lalita	**O'** Negative	-
AB' Negative			
106	Mr. Manoj Singh Pawar	**AB'** Negative	9719022108
107	Mr. Deepak Bhakuni	**AB'** Negative	9411366678
108	Ms. Prema Bisht	**AB'** Negative	9412310323
109	Mr. Surendra Singh Mahra	**AB'** Negative	9639334632
110	Mr. Bhgwan Singh Mahra	**AB'** Negative	9756878284
111	Mr. Mohan Ram	**AB'** Negative	8958707599
112	Mr. Nandan Arya	**AB'** Negative	9927199039
113	Ms. Geeta Mehra	**AB'** Negative	9761286131
114	Mr. Kailash Chandra	**AB'** Negative	9410311508
115	Mr. Ravi Prasad	**AB'** Negative	9758248808
116	Mr. Prdeep Badera	**AB'** Negative	9410993209
117	Mr. Manoj Kumar	**AB'** Negative	9760641564
118	Mr. H.C.Bisht.	**AB'** Negative	9412923771

आपदा राहत कार्यों हेतु जनपद स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी एवं उनका कार्यक्षेत्र

क्र. सं	मुख्यालय	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	कार्यक्षेत्र (विकासखण्ड)	मोबाइल न0
कन्ट्रोल रुम दूरभाष नम्बर 05962—233015						
1	अल्मोड़ा	डॉ0 योगेश चन्द्र पुरोहित	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सी0एम0ओ0 ऑफिस अल्मोड़ा	हवालबाग, ताकुला, भैंसियाछाना, धौलादेवी, लमगड़ा	9997776440
2		डॉ0 दीपाकंर डेनियल	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सी0एम0ओ0 ऑफिस अल्मोड़ा	द्वाराहाट, सल्ट, देघाट भिक्यिासैंण, चौखुटिया	9412121600

3		डॉ0 सविता ह्यांकी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सी0एम0ओ0 ऑफिस अल्मोड़ा	अल्मोड़ा एवं रानीखेत, ताड़ीखेत शहरी क्षेत्र	9411757084

आपदा राहत कार्यों हेतु विकासखण्ड स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी एवं उनका कार्यक्षेत्र

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यालय / एवं फैक्स दूरभाष	मोबाइल न0
1	हवालबाग	डॉ0 रंजन तिवारी	प्रा0स्वा0केन्द्र हवालबाग	05962–251155	7579186010
2	लमगड़ा / जैंती	डॉ0 कुलदीप मर्तोलिया	प्रा0स्वा0केन्द्र लमगड़ा	05962–256040	9761040544
3	धौलादेवी	डॉ0 बी0बी0 जोशी	प्रा0स्वा0केन्द्र धौलादेवी	05962–271397	9012478082
4	भैंसियाछाना	डॉ0 बी0बी0 जोशी	प्रा0स्वा0केन्द्र भैंसिया0	05962–212002	9012478082
5	ताकुला	डॉ0 सुधीर गुप्ता	प्रा0स्वा0केन्द्र ताकुला	05962–253192	8193926321
6	ताड़ीखेत	डॉ0 डी0एस0 नबियाल	प्रा0स्वा0केन्द्र ताड़ीखेत	05962–264318	9412162369
7	द्वाराहाट	डॉ0 तपन शर्मा	सामु0स्वा0केन्द्र द्वाराहाट	05962–244652	9837123984
8	भिक्यिासैण	डॉ0 पियूष रंजन	सामु0स्वा0केन्द्र भिकिया0	05966–242106	9411485572
9	चौखुटिया	डॉ0 अमित रतन	सामु0स्वा0केन्द्र चौखु0	05966–246505	7351608655
10	देघाट	डॉ0 पियूष रंजन	प्रा0स्वा0केन्द्र देघाट	05966–247269	9411485572
11	सल्ट	डॉ0 सौरभ कुमार	प्रा0स्वा0केन्द्र सल्ट	05966–281949	7310801640
12	रानीखेत	डॉ0 डी0एस0 नेई	नाग0चिकि0 रानीखेत	05966–220526	9412344863

जनपद अन्तर्गत चिकित्सा ईकाईयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

क्र0 सं0	चिकित्सा ईकाई का नाम	तैनात स्टाफ			शैय्याओं की संख्या	एम्बुलेन्स		दूरभाष न0
		पदनाम	स्वी0	कार्य0		विमा0	108	
1	बस चिकित्सालय अल्मोड़ा cmsbasealmor a@gmail.com	प्रमुख अधीक्षक	1	0	140	हॉ	–	05962–254101
		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1	0				
		चेस्ट फिजीशियन	1	1				
		जनरल	1	0				

		फिजीशियन						
		वरिष्ठ गाईनोकॉयोलाजिस्ट	1	0				
		चेस्ट सर्जन	1	0				
		आर्थोपैडिक सर्जन	1	1				
		ई0एन0टी0 सर्जन	1	2				
		न्यूरो सर्जन	1	0				
		एनैस्थेटिस्क	1	2				
		कार्डियोलॉजिस्ट	1	0				
		गाईनोकॉयोलाजिस्ट	1	0				
		जनरल सर्जन	1	1				
		बल रोग विशेषज्ञ	1	1				
		पैथोलॉजिस्ट	1	1				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	1				
		नेत्र सर्जन	1	2				
		ई0एम0ओ0	3	1				
		जी0डी0एम0ओ0– पुरूष	2	1				
		जी0डी0एम0ओ0 महिला	1	1				
		डेन्टल सर्जन	1	1				
2	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा cmsdhalmora@gmail.com	प्रमुख अधीक्षक	1	1	59	हॉ	हॉ	05962–232540,
		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1	0				
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	7	5				
		कॉडियोलॉजिस्ट	1	0				
		अस्थि रोग विशेशज्ञ	1	1				
		ई0एन0टी0 सर्जन	1	0				
		फिजीशियन	1	1				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	1				
		सर्जन	1	1				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	2				
		दन्त शल्यक	1	1				
		ई0एम0ओ0	2	2				
		पैथोलॉजिस्ट	1	1				
		चिकित्साधिकारी बी0डी0 क्लीनिक	1	0				
		निश्चेतक	1	1				
		चर्मरोग विशेषज्ञ	1	0				
		नेत्र सर्जन	2	2				

		रक्त कोष अधिकारी	1	1				
3	महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा cmswomengov@ gmail .com	मु0चि0 अधीक्षिका	1	1	39	नहीं	—	05962–233456,
		स्त्री रोग विशेषज्ञ	5	3				
		चिकि0अधि0 ई0एम0ओ0	2	0				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	1				
		निश्चेतक	1	0				
4	रानीखेत चिकित्सालय gsmghranikhet@ gmail.com	मु0 चि0 अधीक्षक	1	1	102	हॉ	हॉ	05966–220526
		वरिष्ठ नेत्र शल्यक	1	1				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	2				
		पैथेलॉजिस्ट	2	1				
		जी0डी0एम0ओ0	1	1				
		महिला चिकि0 अधि0ी	1	1				
		वरिष्ठ फिजीशियन	1	1				
		वरि0महिला विशेषज्ञ	1	1				
		सर्जन	1	1				
		ई0एन0टी0 सर्जन	1	0				
		दन्त शल्यक	1	0				
		आर्थोपैडिक सर्जन	1	3				
		आई0 सर्जन	1	1				
		ई0एम0 ओ0	1	1				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		वरिष्ठ एनैस्थेटिक	1	2				
5	सामु0 स्वा0 केन्द्र द्वाराहाट chcdwarahat@gmail.com	प्र0चिकि0अधि0	1	1	30	हॉ	हॉ	05966–244652
		प्र0चिकि0अधि0	2	1				
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		महिला चिकि0 अधि0	1	0				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	1				
		चिकित्सा अधि0 दन्त	1	0				
		सर्जन	1	0				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		फिजीशियन	1	1				
		एनेस्थेटिस्क						

6	सामु0 स्वा0 केन्द्र चौखुटिया chcchaukhutia@gmail.com	प्र0चिकि0अधि0	1	1	30	हॉ	हॉ	05966–246502
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		म0चिकि0 अधिकारी	2	2				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	0				
		चिकि0अधि0 दन्त	1	1				
		सर्जन	1	0				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		फिजीशियन	1	0				
		एनेस्थेटिस्क	1	0				
7	सामु0 स्वा0 केन्द्र भिकियासैन chcbhikiyasen@gmail.com	प्र0 चिकि0 अधिकारी	1	1	30	हॉ	हॉ	05966–242068
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		म0चिकि0 अधिकारी	1	1				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	0				
		चिकि0अधि0 दन्त	1	1				
		सर्जन	1	0				
		फिजीशियन	1	0				
		एनेस्थेटिस्क	1	0				
8	सामु0 स्वा0 केन्द्र जैंती	प्र0चिकि0अधिकारी	1	1	10	नहीं	हॉ	–
		चिकित्सा अधिकारी	1	0				
		म0चिकि0 अधिकारी	1	1				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	0				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		सर्जन	1	0				
		एनेस्थेटिस्क	1	0				
		चिकि0अधिकारी दन्त	1	0				
9	प्रा0 स्वा0 केन्द्र हवालबाग hawalbaghphc@gmail.com	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	1	1	4	नहीं	हॉ	05962–251155
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		महिला चिकि0अधि0	1	1				
10	प्रा0 स्वा0 केन्द्र ताकुला phctakulanrhm@gmail.com	प्र0चिकि0अधि0	1	0	4	नहीं	हॉ	05962–253192
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		महिला चिकि0 अधि0	1	1				
11	प्रा0 स्वा0 केन्द्र लमगड़ा lamgaraphc123@gmail.com	प्र0चिकि0 अधिकारी	1	1	30	नहीं	हॉ	05962–256040
		चिकित्सा अधिकारी	1	0				
		म0चिकि0	1	3				

		अधिकारी						
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	0				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		सर्जन	1	0				
		एनेस्थेटिस्क	1	0				
		चिकि0अधि0 दन्त	1	1				
12	प्रा0 स्वा0 केन्द्र धौलादेवी phcdhauladevi@yahoo.com	प्र0चिकि0 अधिकारी	1	1	30	हॉ	हॉ	05962–271397
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		म0चिकि0 अधिकारी	1	1				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	0				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		सर्जन	1	0				
		एनेस्थेटिस्क	1	0				
		चिकि0अधि0 दन्त	1	1				
13	सामु0 स्वा0 केन्द्र देघाट pphcdeghat@gmail.com	प्र0चिकि0 अधिकारी	1	1	4	नहीं	हॉ	05966–247269
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		म0चिकि0 अधिकारी	1	0				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	0				
		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		सर्जन	1	0				
		एनेस्थेटिस्क	1	0				
		चिकि0अधि0 दन्त	1	1				
14	प्रा0 स्वा0 केन्द्र भैसियाछाना phcbhaisiachhana@gmail.com	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	1	0	4	नहीं	हॉ	05962–212002
		चिकित्सा अधिकारी	1	1				
		महिला चिकित्सा अधिकारी	1	0				
15	प्रा0 स्वा0 केन्द्र सल्ट saltphc@gmail.com	प्र0चिकि0 अधिकारी	1	1	4	नहीं	हॉ	05966–281949
		चिकित्सा अधिकारी	1	0				
		म0चिकि0 अधिकारी	1	2				
		बाल रोग विशेषज्ञ	1	0				

		रेडियोलॉजिस्ट	1	0				
		सर्जन	1	0				
		एनेस्थेटिस्क	1	0				
		चिकि0अधि0 दन्त	1	1				
16	प्रा0 स्वा0 केन्द्र ताडीखेत Phctarikhet@gmail.com	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	1	1	4	नहीं	हॉ	05966–264318
		चिकित्सा अधिकारी	1	0				
		महिला चिकित्सा अधिकारी	1	1				

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग द्वारा आपदा के दौरान पशुधन की सुरक्षा एवं उनके भोजन आदि के लिए जनपद में विभिन्न स्थानों पर चारा बैंक एवं पशुचिकित्सा हेतु आवश्यक संसाधनों को रखा गया है। पशुपालन विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 05966–230166 है।

क्र0 सं0	नोडल अधि0 का	विकास खण्ड	नाम / पदनाम / पता	टीम का विवरण	मो0नं0
1	अल्मोड़ा	हवालबाग	डा0 बसुन्धरा गर्ब्याल, पशु चिकित्साधिकारी हवालबाग	टीम लीडर	9412952285
			श्रीमती गीता जंगदीप मेहता, पशु0प्र0अधि0, चितई	सदस्य	8446822444
			कु0 अंजना आर्या पशु0प्र0अधि0, पातलीबगड़	सदस्य	8006668903
		ताकुला	डा0 ओ0पी0 आर्या, पशु चिकित्साधिकारी, कफड़खान	टीम लीडर	9456154298
			श्री पंकज जोशी, पशु0प्र0अधि0 चनौदा	सदस्य	9410181487
			श्री पूरन सिंह पाटनी, पशु0प्र0 अधि0, चौपाता	सदस्य	9411705688
		लमगड़ा	डा0 संतोष कुमार बुधानी, पशु चिकि0अधि0, लमगड़ा	टीम लीडर	9412120856
			श्री नर सिंह मेवाडी, पशु0प्र0अधि0, खेरदा	सदस्य	9411792971
			श्री अनिल कुमार, पशु0प्र0अधि0, शहरफाटक	सदस्य	7500695139
		धौलादेवी	डा0 योगेश शर्मा, चिकि0अधि0, धौलादेवी	टीम लीडर	9837121896
			श्री राजेन्द्र सिंह भाकुनी, पशु0प्र0 अधि0, नैनी	सदस्य	9758588740
			श्री ललित मोहन भाकुनी, पशु0प्र0 अधि0, पनुवानौला	सदस्य	9492976828
		भैसियाछाना	डा0 दीपक मेहरा, पशु चिकि0अधि0, धौलछीना	टीम लीडर	9917188156

			श्री चन्द्रशेखर तिवारी, पशु0प्र0 अधि0, धौलनैली	सदस्य	9458701873
			श्री रवीन्द्र सिंह राणा, पशु0प्र0 अधि0, बाडेछीना	सदस्य	8057189973
		ताड़ीखेत	डा0 जयपाल करगेती, पशु चिकि0, ताड़ीखेत	टीम लीडर	9411557259
			श्री सतीश चन्द्र जोशी, पशु0प्र0 अधि0, सौनी	सदस्य	8476087564
			श्री हर्षवर्धन,पशु0प्र0 अधि0,अभ्याड़ी	सदस्य	9411341119
2		द्वाराहाट	डा0 आर पी0 सिंह, पशु चिकि0, द्वाराहाट	टीम लीडर	9719850007
			श्री विनोद कुमार, पशु0प्र0 अधि0, कफडा	सदस्य	9756952739
			श्री नरेश चन्द्र, पशु0प्र0अधि0, असगोली	सदस्य	9997134327
		चौखुटिया	डा0 आर0एन0 मौर्य, पशु चिकि0, चौखुटिया	टीम लीडर	9457695494
			हरीश सिंह, पशु प्र0 अधि0, महाकालेश्वर	सदस्य	8755139996
		भिक्यिासैंण	डा0 गणेश परिहार, पशु चिकि0 अधि0, भिक्यिा0	टीम लीडर	9756722444
			श्री भैरव दत्त, पशु प्र0अधि0, चौनलिया	सदस्य	9410569963
			श्री महेन्द्र सिंह रावत, पशु प्र0अधि0, सिनौड़ा	सदस्य	9411375565
		स्याल्दे	डा0 डी0एस0 मर्तोलिया, पशु चिकि0अधि0, स्याल्दे	टीम लीडर	9412419644
			श्री जगदीश चन्द्र पडलिया, पशु प्र0अधि0, सराईखेत	सदस्य	9759253153
			श्री सचिन कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, तुराचौरा	सदस्य	9917411066
		सल्ट	डा0 सुधाश मिश्रा, पशु चिकि0 अधि0, मौलेखाल	टीम लीडर	9415648304
			श्री राजवीर सिंह, पशु0प्र0अधि0, टुकरा	सदस्य	9758112212
			श्री राजपाल सिंह रावत, पशु0प्र0 अधि0, क्वैराली	सदस्य	9411300064

Map 5: Utility Map-Almora District

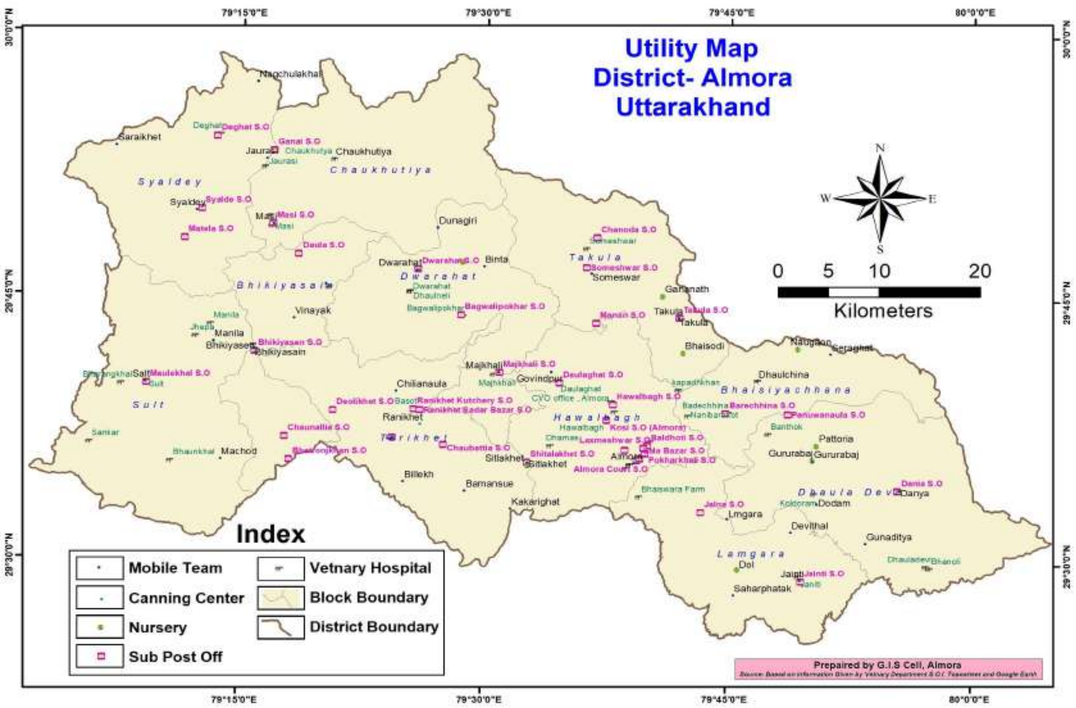

पुलिस

जनपद अल्मोड़ा आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण दैवी आपदाओं से निपटने हेतु राहत एवं बचाव कार्यो में अन्य विभागों से समवन्य करने में पुलिस एवं अग्निशमन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। जनपद अल्मोड़ा आपदाओं की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। यदि इसकी भौगोलिक संरचना व पूर्व इतिहास को दृष्टिगत किया जाये तो यह क्षेत्र भूस्खलन, भूकम्प, वनाग्नि, बाढ़ व बादल के फटने एवं गम्भीर सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं से न केवल त्रस्त रहा है अपितु इनका खतरा सदैव बना रहता है। आपदायें टाली नही जा सकती परन्तु सचेत रहने व पूर्व तैयारी से आपदाजनित क्षति से न्यूनीकृत किया जा सकता है। जनपद में दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु राहत एवं बचाव कार्यों में, जनसहभागिता एवं अन्य विभागों से समन्वय सुनिश्चित करते हुये, पुलिस विभाग की भूमिका की कार्ययोजना प्रस्तुत की जा रही है।

पुलिस लाईन की संरचना

1– प्रतिसार निरीक्षक	:	पुलिस लाईन के समस्त कार्यों के प्रभारी।
2– उप निरीक्षक स0पु0	:	प्रतिसार निरीक्षक के कार्यों में सहायता।
3– गणना मोहर्रिर	:	पुलिस बल को एकत्रित करना एवं तथा मांग के अनुसार वितरित करना।
4– लाईन मोहर्रिर	:	पुलिस बल का लेखाजोखा रखना।
5– स्टोर मोहर्रिर	:	आवश्यक वस्तु मुहैया करना।
6– प्रभारी हे0कानि0	:	
7– परिवहन शाखा	:	पुलिस बल व वस्तुओं के परिवहन हेतु आवश्यकतानुसार वाहनों का प्रबन्धन करना।
8– मैस मैनेजर	:	राहत एवं बचाव दल तथा रिजर्व बल हेतु भोजन का प्रबन्ध करना।
9– याता0 उप निरीक्षक	:	मुख्य मार्ग एवं विशेष कर चिकित्सालय के पास यातायात नियंत्रण।
10–कानि0 स0पु0	:	पुलिस लाईन में उपलब्ध रिजर्व पुलिस बल

Map 6: Police Stations-Almora District

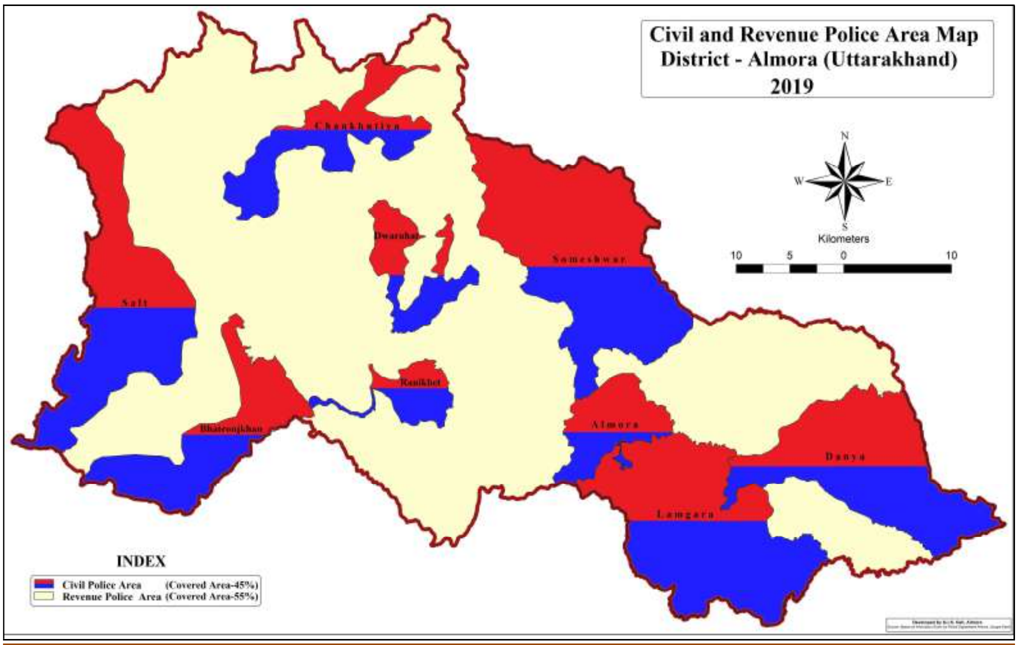

Map 7: Police Stations-Almora District

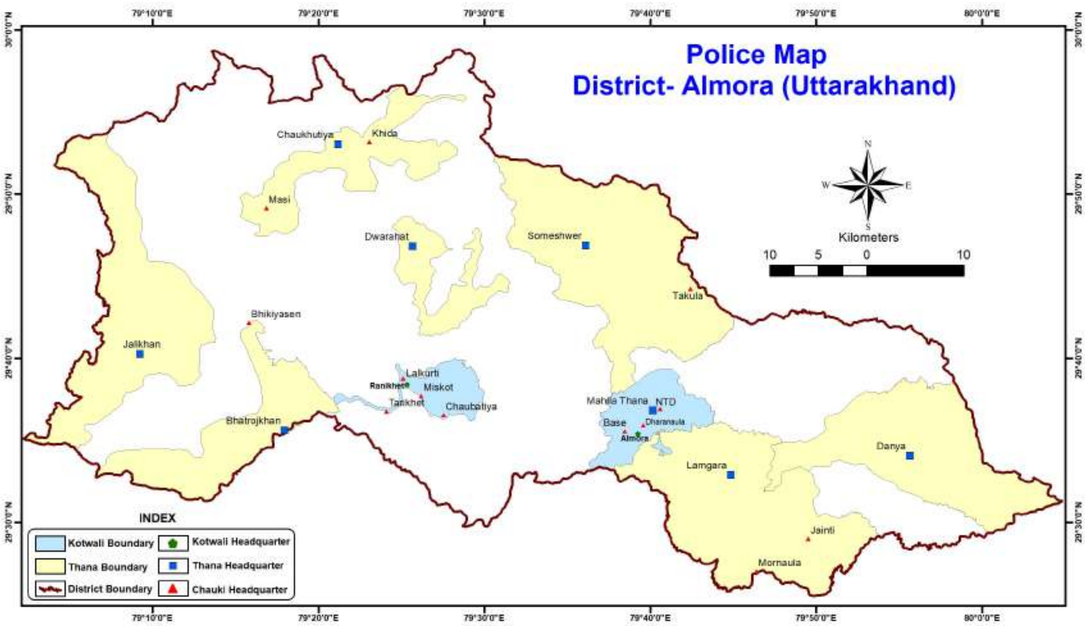

जिला स्तर पर पुलिस की संरचना

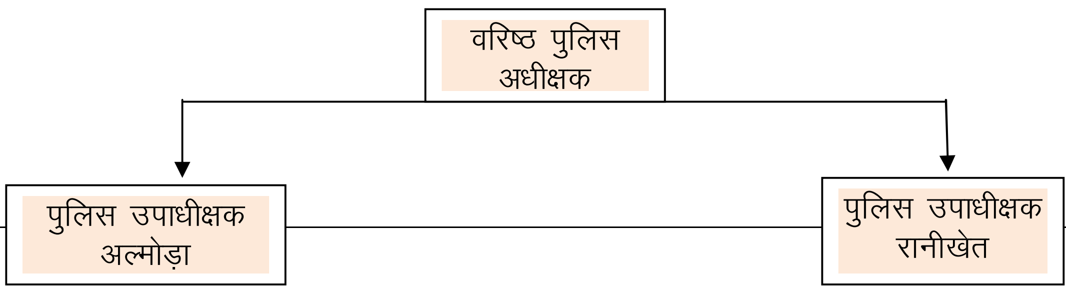

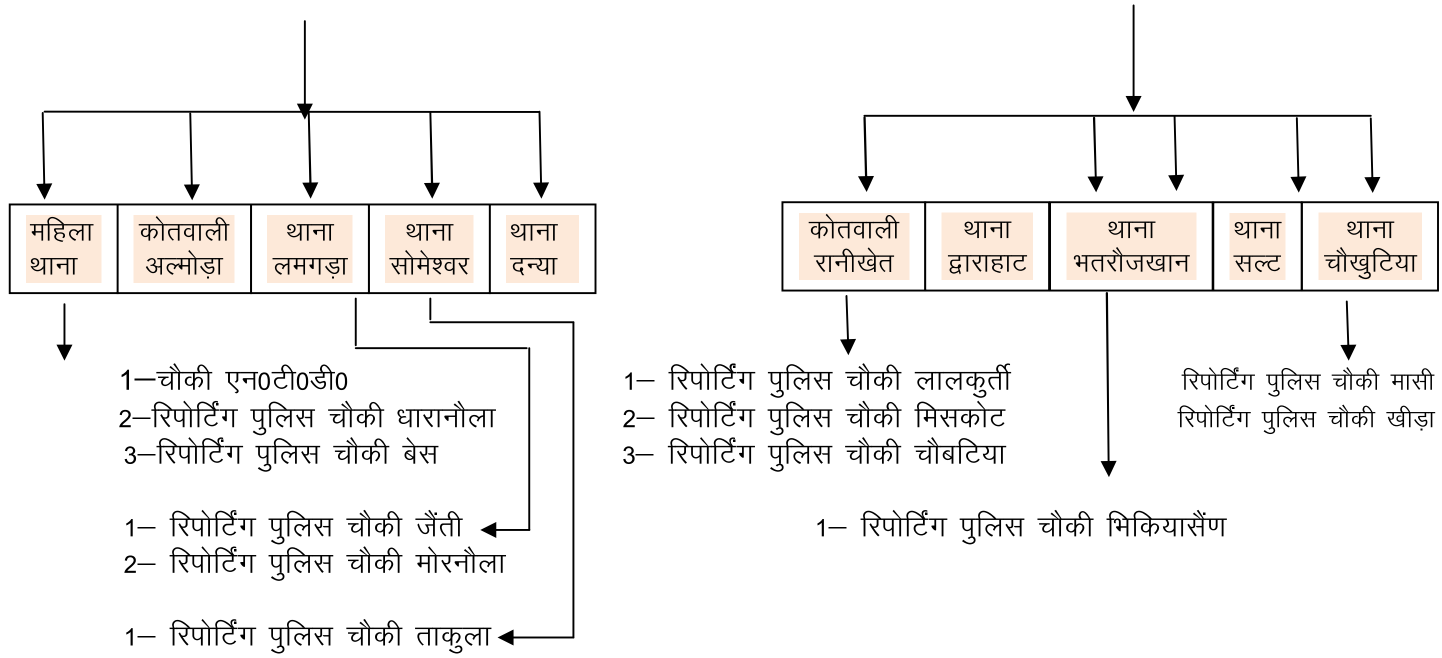

थाना स्तर पर पुलिस की संरचना

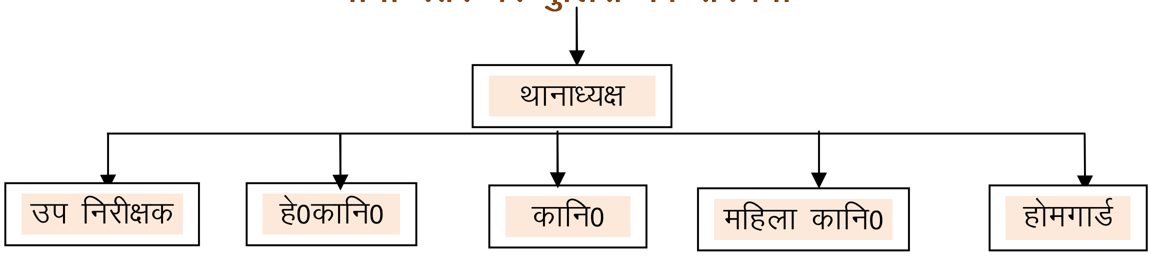

थाना/चौकी में पुलिस बल की उपलब्धता

नाम थाना /चौकी	निरीक्षक		उप निरीक्षक		हे0कानि0		कानि0		म0कान्स0	
	स्वीकृत	उपलब्धता	स्वीकृत	उपलब्धता	स्वीकृत	उपलब्धता	स्वीकृत	उपलब्धता	स्वीकृत	उपलब्धता
कोतवाली अल्मोड़ा	01	01	06	05	07	03	62	37	06	19
रिर्पोटिंग चौकी एन.टी.डी.	–	–	–	02	–	01	10	10	–	–
चौकी बाजार (धारानौला)	–	–	–	01	–	–	08	11	02	–
चौकी बेस	–	–	–	01	–	–	–	11	–	–
महिला थाना	–	–	02	02	02	01	–	02	16	22
थाना दन्या	–	01	02	04	01	03	11	11	–	05
थाना लमगड़ा	–	–	03	04	05	01	20	19	02	06
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जैंती	–	–	01	01	01	01	15	04	02	–
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मोरनोला	–	–	–	01	01	01	07	06	02	–
थाना सोमेश्वर	–	01	03	04	03	01	30	23	02	07
रिर्पोटिग चौकी ताकुला	–	–	01	01	01	01	15	07	–	–

कोतवाली रानीखेत	01	01	04	02	07	03	62	27	04	12
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी लालकुर्ती	–	–	–	01	01	–	08	02	–	–
चौकी ताड़ीखेत	–	–	–	01	–	–	04	03	–	–
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौबटिया	–	–	01	01	01	–	10	03	–	–
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मिसकोट	–	–	01	–	01	–	15	02	–	–
थाना भतरौजखान	–	01	02	03	03	02	20	19	02	04
रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भिक्यिासैंण	–	–	01	02	01	03	15	07	–	–
थाना द्वाराहाट	–	01	03	04	04	02	30	23	03	07
थाना चौखुटिया	–	–	01	04	02	02	11	13	–	04
रिपोर्टिंग चौकी मासी	–	–	–	01	–	–	08	05	–	–
रिपोर्टिंग चौकी खीड़ा	–	–	–	01	–	–	08	06	–	–
थाना सल्ट	–	–	02	05	02	03	30	18	–	05

पुलिस लाईन में पुलिस बल की उपलब्धता

पुलिस लाईन	प्रतिसार निरीक्षक		उप निरीक्षक स0पु0		हे0कानि0 स0पु0		कानि0 सशस्त्र पुलिस	
	स्वीकृत	उपलब्धता	स्वीकृत	उपलब्धता	स्वीकृत	उपलब्धता	स्वीकृत	उपलब्धता
	01	01	02	02	40	34	130	126

जनपद अल्मोड़ा में उपलब्ध वाहनों की सूची

क्र0 सं0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	मेक	वाहन की नियुक्ति	स्थिति
1.	UA 01-GA-0226	स्कार्पियो	2015	वरि0पु0अधी0	संतोशजनक
2.	UK07N-0707	ऐम्बेसडर कार	2006	पुलिस लाईन	संतोशजनक
3.	UA01-6975	मोटर साईकिल बजाज	2007	चौकी मोरनौला	संतोशजनक
4.	UA01-6980	मोटर साईकिल बजाज	2007	कोत0 रानीखेत	संतोशजनक
5.	UA01-6981	मोटर साईकिल बजाज	2007	थाना दन्या	संतोशजनक
6.	UA01-6983	मोटर साईकिल बजाज	2007	चौकी मासी	संतोशजनक
7.	UK01-0031	बजाज मो0सा0 पल्सर	2009	चौकी एन0टी0डी0	संतोशजनक
8.	UK01-0032	बजाज मो0सा0 पल्सर	2009	चौकी ताकुला	संतोशजनक
9.	UK01-0033	बजाज मो0सा0 पल्सर	2009	थाना चौखुटिया	संतोशजनक
10.	UK01-0034	बजाज मो0सा0 पल्सर	2009	चौकी भिकि0	संतोशजनक
11.	UK01-0035	बजाज मो0सा0 पल्सर	2009	चौकी जैती	संतोशजनक
12.	UK07GA-0494	हीरो होण्डा एचीवर	2009	थाना द्वाराहाट	संतोशजनक
13.	UK07GA-0495	हीरो होण्डा एचीवर	2009	पुलिस लाइन	संतोशजनक
14.	UK07-6087	मो0साइकिल हीरो होण्डो	2007	पुलिस लाईन	संतोशजनक
15.	UA 01-0083	मारूति वैन	2002	पुलिस लाईन	संतोशजनक

16.	UA 01-5900	मारूति जिप्सी	2006	महिला थाना	संतोशजनक
17.	UK01GA0-0175	महिन्द्रा बोलेरो	2014	पु0उपा0 अल्मोड़ा	संतोशजनक
18.	UK01GA0-0170	मेहन्द्रा बोलेरो	2013	थाना द्वाराहाट	संतोशजनक
19.	UK07-GA-0094	महिन्द्रा बुलेरो	2008	थाना सोमेश्वर	संतोशजनक
20.	UK01-GA-0056	महिन्द्रा बुलेरो	2010	थाना सल्ट	संतोशजनक
21.	UA 01GA-0243	टाटा सूमो गोल्ड	2010	थाना दन्या	संतोशजनक
22.	UK01-GA-0055	महिन्द्रा बुलेरो	2010	थाना भतरौजखान	संतोशजनक
23.	UK01GA0-0174	मेहन्द्रा बोलेरो	2014	कोत0 रानीखेत	संतोशजनक
24.	UA 01-5871	आयशर मिनी बस	2006	पुलिस लाइन	संतोशजनक
25.	UK01GA0-177	टाटा बस 712	2014	पुलिस लाइन	संतोशजनक
26.	UA 01- 6095	टाटा–407 प्रिजन वैन	2006	पुलिस लाइन	संतोशजनक
27.	Uk 01GA-0017	टाटा–407 प्रिजन वैन	2008	पुलिस लाइन	संतोशजनक
28.	UK01GA0-0192	टाटा 709 प्रिजन वैन	2014	पुलिस लाइन	संतोशजनक
29.	UA 02-0343	आयशर प्रीजन वैन	2002	पुलिस लाइन	संतोशजनक
30.	UK01-2243	टाटा 709	2003	पुलिस लाइन	संतोशजनक
31.	UA 01-4849	स्वराज माजदा	2005	पुलिस लाइन	संतोशजनक
32.	UK01GA0-0169	टाटा 407	2013	पुलिस लाईन	संतोशजनक
33.	UK07GA0-1284	टैम्पो ट्रेवलर	2013	एफएसएल अल्मोड़ा	संतोशजनक
34.	UK07GA-1428	टाटा 407 क्रेन	2014	पुलिस लाइन	संतोशजनक
35.	UK 01GA-0021	टाटा–1613 रिकवरी वैन	2008	पुलिस लाइन	संतोशजनक
36.	UK01GA-0345	टाटा जिनान	2015	पुलिस लाइन	अच्छी दशा में
37.	UK01GA-0555	बुलेरो	2016	पु0उपा0 अल्मोड़ा	अच्छी दशा में
38.	UK01GA-0556	बुलेरो	2016	पु0उपा0 रानीखेत	अच्छी दशा में
39.	UK01GA-0258	बुलेरो	2017	कैम्प कार्या0	अच्छी दशा में
40.	UK07GA-2117	बुलेरो	2017	थाना लमगड़ा	अच्छी दशा में
41.	UK07GA-2118	बुलेरो	2017	थाना चौखुटिया	अच्छी दशा में
42.	UK07GA-2122	बुलेरो	2017	एसओजी अल्मोड़ा	अच्छी दशा में
43.	UK07GA-0265	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	थाना सोमेश्वर	अच्छी दशा में
44.	UK01GA-0266	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	थाना लमगड़ा	अच्छी दशा में
45.	UK01GA-0267	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	कोत0 रानीखेत	अच्छी दशा में
46.	UK01GA-0269	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	थाना भतरौजखान	अच्छी दशा में
47.	UK01GA-0270	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	चौकी बग्वालीपोखर	अच्छी दशा में
48.	UK01GA-0271	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	थाना सल्ट	अच्छी दशा में
49.	UK01GA-0272	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	सीपीयू अल्मोड़ा	अच्छी दशा में
50.	UK01GA-0273	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	कोतवाली अल्मोड़ा	अच्छी दशा में
51.	UK01GA-0274	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	थाना दन्या	अच्छी दशा में
52.	UK01GA-0278	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	चौकी भिक्यिा0	अच्छी दशा में
53.	UK01GA-0279	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	थाना चौखुटिया	अच्छी दशा में
54.	UK01GA-0280	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	चौकी बेस	अच्छी दशा में
55.	UK01GA-0281	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	चौकी ताकुला	अच्छी दशा में
56.	UK01GA-0282	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	थाना द्वाराहाट	अच्छी दशा में
57.	UK01GA-0284	एचीवर मोटरसाईकिल	2017	सीपीयू अल्मोड़ा	अच्छी दशा में
58.	UK01GA-0263	हीरो स्कूटी	2018	थाना सल्ट	अच्छी दशा में
59.	UK01GA-0264	हीरो स्कूटी	2018	महिला थाना	अच्छी दशा में
60.	UK01GA-0268	हीरो स्कूटी	2018	थाना भतरौजखान	अच्छी दशा में

61.	UK01GA-0275	हीरो स्कूटी	2018	महिला थाना	अच्छी दशा में
62.	UK01GA-0276	हीरो स्कूटी	2018	थाना सोमेश्वर	अच्छी दशा में
63.	UK01GA-0277	हीरो स्कूटी	2018	कोत0 अल्मोड़ा	अच्छी दशा में
64.	UK01GA-0283	हीरो स्कूटी	2018	थाना द्वाराहाट	अच्छी दशा में
65.	UK01GA-0285	हीरो स्कूटी	2018	कोत0 रानीखेत	अच्छी दशा में
66.	UK01GA-0286	हीरो स्कूटी	2018	महिला थाना	अच्छी दशा में
67.	UK01GA-0287	हीरो स्कूटी	2018	थाना चौखुटिया	अच्छी दशा में
68.	UK01GA-2210	महिन्द्रा बुलेरो	2017		अच्छी दशा में

आपदा एवं बचाव प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की सूची

क्र0सं0	प्रशिक्षित कर्मचारियों की सूची	मोबाईल नम्बर	नियुक्ति स्थल
1.	कान्स0 153 ना0पु0 अनिल कुमार	8449166031	कोतवाली अल्मोड़ा
2.	कान्स0 14 ना0पु0 भूपेन्द्र सिंह	7500204161	कोतवाली अल्मोड़ा
3.	कान्स0 26 ना0पु0 दिनेश चन्द्र आर्या	9410511451	कोतवाली अल्मोड़ा
4.	कान्स0 81 ना0पु0 संदीप सिंह	9410580485	कोतवाली अल्मोड़ा
5.	कान्स0 105 ना0पु0 विजय कुमार आगरी	9456722429	कोतवाली अल्मोड़ा
6.	कान्स0 262 ना0पु0 प्रमोद सिंह	9410217971	कोतवाली अल्मोड़ा
7.	कान्स0 360 ना0पु0 केदार सिंह	9410304621	कोतवाली अल्मोड़ा
8.	कान्स0 388 ना0पु0 बालम सिंह	8941949705	कोतवाली अल्मोड़ा
9.	म0कान्स0 254 ना0पु0 शकुन्तला	9410570149	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी धारानौला
10.	कान्स0 03 ना0पु0 मनोज रावत	9761419977	कोतवाली रानीखेत
11.	कान्स0 02 ना0पु0 रोशन कुमार	7466994912	कोतवाली रानीखेत
12.	कान्स0 99 ना0पु0 महेश पंचपाल	9997022618	रिपो0पु0चौकी ताड़ीखेत
13.	उपनिरीक्षक ना0पु0 भूपाल राम	9456371524	थाना लमगड़ा
14.	कान्स0 144 ना0पु0 गोविन्द सिंह	9568274647	थाना लमगड़ा
15.	कान्स0 179 ना0पु0 महेश राम	9690676555	थाना लमगड़ा
16.	म0 कान्स0 273 ना0पु0 गीता कोठारी	7579470382	थाना लमगड़ा
17.	कान्स0 78 ना0पु0 विरेन्द्र सिंह मेहता	9410942685	रिपो0पु0चौकी मोरनौला
18.	हे0कान्स0 30 ना0पु0 प्रकाश चन्द्र	9410185177	थाना सोमेश्वर
19.	कान्स0 07 ना0पु0 मोहन राम	9410915827	थाना सोमेश्वर
20.	कान्स0 85 ना0पु0 विरेन्द्र राम	9657767728	थाना सोमेश्वर
21.	कां0 104 ना0पु0 महेन्द्र सिंह रावत	9456103786	थाना सोमेश्वर
22.	कान्स0 226 ना0पु0 संतोष सिंह	9458633443	थाना सोमेश्वर
23.	कान्स0 268 ना0पु0 भूपेन्द्र कुमार	9012108123	थाना सोमेश्वर
24.	म0 कान्स0 316 ना0पु0 संगीता कार्की	7579132262	थाना सोमेश्वर
25.	कान्सं0 58 ना0पु0 रणजीत सिंह बिष्ट	7500965554	थाना द्वाराहाट
26.	कान्स0 60 ना0पु0 प्रयागवती प्रसाद	8474975772	थाना द्वाराहाट
27.	म0कां0 157 ना0पु0 दीपा गोस्वामी	9411703480	थाना द्वाराहाट
28.	कान्स0 196 ना0पु0 दीपक सिंह	9837880082	थाना द्वाराहाट
29.	कान्स0 234 ना0पु0 मदन सिंह	9412163853	थाना द्वाराहाट
30.	कान्स0 354 ना0पु0 लोकेश चन्द्र	9412101587	थाना द्वाराहाट
31.	कान्स0 213 ना0पु0 प्रेम सिंह	9410237326	थाना चौखुटिया
32.	म0 कान्स0 258 ना0पु0 गीतांजलि	9412166243	थाना चौखुटिया
33.	कान्स0 195 ना0पु0 जबर सिंह	8958020305	रिपो0पु0चौकी खीड़ा
34.	कान्स0 352 ना0पु0 दीपक सक्टा	9456383175	थाना भतरौजखान
35.	कान्स0 396 ना0पु0 तारा सिंह	9456764000	थाना भतरौजखान

36.	कान्स0 431 ना0पु0 हरीश सिंह	9761252868	थाना भतरौजखान
37.	हे0का0 34 ना0पु0 रघुवर सिंह	9412940825	थाना सल्ट
38.	कान्स0 116 ना0पु0 राजकुमार	9458169005	थाना सल्ट
39.	कान्स0 265 ना0पु0 संजय कुमार	7579174746	थाना सल्ट
40.	कान्स0 350 ना0पु0 दीपक बहुगुणा	9412945437	थाना सल्ट
41.	उ0नि0 ना0पु0 मोहन सिंह	7500540119	थाना दन्या
42.	कान्स0 73 ना0पु0 पंकज रावत	9690135016	थाना दन्या
43.	कान्स0 127 ना0पु0 कल्याण सिंह	9411315786	थाना दन्या
44.	कान्स0 166 ना0पु0 आनन्द सिंह	9412925032	थाना दन्या
45.	कान्स0 190 ना0पु0 मदन सिंह धामी	9675037669	थाना दन्या
46.	कान्स0 235 ना0पु0 हर्ष बहादुर पाल	9410793559	थाना दन्या
47.	लीडिंग फायरमैन खीमानन्द	9568360028	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
48.	लीडिंग फायरमैन राजेन्द्र सिंह राणा	9412923558	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
49.	फायर चालक ईश्वर सिंह बोहरा	9736288371	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
50.	फायर चालक विनोद सिंह भण्डारी	9411196333	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
51.	फायर चालक उमेश सिंह दानू	9411656343	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
52.	फायर चालक उमेश चन्द्र सिंह	7533989873	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
53.	फायरमैन 241 प्रकाश चन्द्र पाण्डे	7599005088	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
54.	फायरमैन 326 विनोद्र चन्द्र आर्य	9927549455	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
55.	फायरमैन 581 धीरेन्द्र सिंह	9410793467	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
56.	फायरमैन 358 अनिल चन्द्र	7060743820	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
57.	फायर सर्विस बलवन्त सिंह	8534945660	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
58.	फायर चालक रमेश सिंह	7906624293	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
59.	फायरमैन 519 देवेन्द्र गिरी	9536299539	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
60.	फायरमैन 193 जीवन पुनेरा	9761714538	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
61.	फायरमैन 334 गंगा राम	9456703067	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
62.	फायरमैन 175 मोहन सिंह	9411307550	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
63.	फायरमैन 226 धीरज सिंह कर्म्याल	9639764846	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
64.	फायरमैन 385 खुशाल भारती	7579232880	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
65.	फायरमैन 438 नवीन चन्द्र सिंह	7409453262	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
66.	फायरमैन 305 दीपक राठौर	9760818120	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
67.	फायरमैन 309 भुवन कुमार	9411795677	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
68.	फायर चालक पंकज सिंह सुन्याल	7530769677	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
69.	फायर चालक राजकुमार	8958769046	फायर स्टेशन अल्मोड़ा
70.	फायर चालक उमेश कुमार	7534890103	फायर स्टेशन रानीखेत
71.	फायर चालक राजपाल सिंह	7055738936	फायर स्टेशन रानीखेत
72.	फायरमैन 249 जगदीश सिंह मर्तोलिया	9411348246	फायर स्टेशन रानीखेत
73.	फायरमैन 221 चन्दन राय	8650384228	फायर स्टेशन रानीखेत
74.	फायरमैन 154 रवि चन्द्र	9411105619	फायर स्टेशन रानीखेत
75.	फायरमैन 95 अनुज कुमार शर्मा	8057213148	फायर स्टेशन रानीखेत
76.	फायरमैन 27 राजेश सिंह कार्की	8449945388	फायर स्टेशन रानीखेत
77.	फायरमैन 140 प्रशान्त कुमार शर्मा	9690168275	फायर स्टेशन रानीखेत
78.	फायरमैन 445 चांद सिंह थापा	7579268595	फायर स्टेशन रानीखेत
79.	फायरमैन 418 कासिम अली	8476011249	फायर स्टेशन रानीखेत
80.	उ0नि0(वि0श्रे0)11स0पु0 रवीन्द्र प्रसाद	8650947985	पुलिस लाईन अल्मोड़ा

81.	उ0नि0(वि0श्रे0) स0पु0 कमलेश कोहली	9411210616	पुलिस लाईन अल्मोड़ा
82.	हे0कान्स0 31 स0पु0 भूपेश पूनेडा	7579090310	पुलिस लाईन अल्मोड़ा
83.	फायरमैन 472 जयवीर सिंह	9410349583	पुलिस लाईन अल्मोड़ा
84.	फायरमैन 596 विकास भण्डारी	8859682878	पुलिस लाईन अल्मोड़ा
85.	फायरमैन 378 रमेश चन्द्र	9458318556	पुलिस लाईन अल्मोड़ा
86.	हे0कान्स0 40 ना0पु0 ब्रजेश कोठारी	9412924231	सीओ पेशी अल्मोड़ा
87.	उ0नि0 ना0पु0 श्याम सिंह रावत	9411709898	वाचक कार्यालय
88.	कान्स0 18 ना0पु0 राम सिंह	9456109179	वाचक कार्यालय
89.	कान्स0 31 ना0पु0 रणजीत राम	9410111576	वाचक कार्यालय
90.	कान्स0 180 ना0पु0 अनुप भण्डारी	9411544193	वाचक कार्यालय
91.	मुख्य आरक्षी 36 ना0पु0 मुकेश कुमार	9410404966	अ0अनु0 विभाग देहरादून सम्बद्ध
92.	कान्स0 71 ना0पु0 रमेश राम	9410920295	अभियोजन कार्यालय
93.	म0 कान्स0 321 ना0पु0 पूनम कोंरगा	7599396001	अभियोजन कार्यालय
94.	कान्स0 06 ना0पु0 नवीन चन्द्र पाण्डे	9410183766	एस0आई0टी0 हल्द्वानी सम्बद्ध
95.	निरीक्षक ना0पु0 श्री हरेन्द्र चौधरी	9756231935	एसओजी, प्रभारी
96.	कान्स0 91 ना0पु0 संदीप सिंह	9719954802	एसओजी, प्रभारी
97.	कान्स0 215 ना0पु0 मनोज कुमार	9410375170	मा0 उच्च न्याया0 नैनीताल
98.	कान्स0 125 ना0पु0 योगेश कुमार	9456728641	मा0 उच्च न्याया0 नैनीताल सम्बद्ध
99.	उ0नि0ना0पु0 रजत कसाना	9412390890	थाना दन्या

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अल्मोड़ा एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त उपकरणों की सूची

क्र0सं0	उपलब्ध कराये गये आपदा प्रबन्धन उपकरणों के नाम/थाना	वर्ष	संख्या	वर्तमान स्थिति
	कोतवाली अल्मोड़ा			
1.	गैंती मय बैंटा	2006	04	सही स्थिति
2.	बेलचा मय बैंटा	2006	04	उपयुक्त
3.	फावड़ा मय बैंटा	2006	04	उपयुक्त
4.	सम्बल छोटे बड़े	2006	04	उपयुक्त
5.	सम्बल बड़े	2006	04	उपयुक्त
6.	कुल्हाड़ी मय बैंटा	2006	04	उपयुक्त
7.	तसला	2006	04	उपयुक्त
8.	फस्ट एड बाक्स	2006	01	उपयुक्त
9.	नाइलॉन तिरपाल	2006	04	उपयुक्त
10.	पेट्रोमेक्स	2006	02	अनपयुक्त
11.	टार्च 4 सेल	2006	04	उपयुक्त
12.	रेन शूट	2006	06	उपयुक्त
13.	दस्ताना जोड़ा	2006	07	उपयुक्त
14.	कैरीमेट	2006	12	उपयुक्त
15.	सर्च लाइट	2006	02	अनपयुक्त
16.	हेल्मेट मय टार्च	2006	02	उपयुक्त
17.	रस्सा नाइलॉन	2006	04	उपयुक्त
18.	माउंटिग रोप मय पुली	2006	02	उपयुक्त
19.	टेप सिलिंग	2006	06	उपयुक्त
20.	मानिला रोप	2006	02	उपयुक्त

21.	सीट हार्नेस	2006	02	उपयुक्त
22.	जुमार	2006	07	उपयुक्त
23.	डिसैण्डर	2006	06	उपयुक्त
24.	लाईफ जैकेट	2006	12	उपयुक्त
25.	सोलर लैम्प	2013	02	अनपयुक्त
26.	सोलर चार्जर	2013	02	उपयुक्त
27.	चार्जर लीड	2013	02	उपयुक्त
28.	स्ट्रैचर फोल्डिंग	2013	02	उपयुक्त
	कोतवाली रानीखेत			
1.	रौक पिटन	–	21	सही है
2.	रौक पिटन हेमर	–	06	सही है
3.	कैरावाइनर प्लेन	–	05	सही है
4.	पुली	–	04	सही है
5.	रोप क्लाइबिंग 10एमएम	–	01	सही है
6.	रोप रैपलिंग	–	01	सही है
7.	सिलिंग टेप	–	09	सही है
8.	चेस्ट हार्नेस	–	07	सही है
9.	रोप लेडर 40 फीट	–	01	सही है
10.	ग्लब्स मिटन/कैनवास	–	08	सही है
11.	टैण्ट होम सफेद	–	01	सही है
12.	रूक सैक	–	03	सही है
13.	विडप्रुफ जाकेट	–	08	सही है
14.	विडप्रुफ ट्राउजर	–	08	सही है
15.	रोक क्लाविंग बूट	–	06	सही है
16.	चेक नेट	–	05	सही है
17.	डांगरी	–	06	सही है
18.	फ्रेन्डस	–	02	सही है
19.	ट्रैकिंग सूज	–	06	सही है
20.	स्ट्रेचर	–	04	सही है
21.	वायरकटर	–	03	सही है
22.	एक्सटेंशन बोल्ट		01	सही है
23.	मल्टीपरपज नाइफ	–	01	सही है
24.	वायनाकुलर		01	सही है
25.	रोप नायलोन 11 मी	–	04	सही है
26.	माउनट्रेनिग रोप मय पुल	–	04	सही है
27.	टेप सिलिंग	–	12	सही है
28.	रोप लैडर 30 फिट	–	03	सही है
29.	मानिला रोप 50 मी0	–	03	सही है
30.	कैराविनर	–	03	सही है
31.	हैम्बर पिटौन	–	08	सही है
32.	सीट हार्नेस	–	06	सही है
33.	जुमार	–	08	सही है
34.	डिसैण्डर	–	08	सही है
35.	लाईफ जैकेट	–	12	सही है
36.	नाइलॉन तिरपाल	–	04	सही है

37.	हैल्मेट	—	18	सही है
38.	हैण्ड लैम्प	—	05	सही है
39.	आईस एक्स	—	03	सही है
40.	हार्नेस कम्बाईन्ड बांडी हारनेस	—	03	सही है
41.	टेन्ट सफेद	—	02	सही है
42.	रोक क्लाबिंग बूट	—	05	सही है
43.	कम्बल	—	03	सही है
44.	टार्च 4 सेल	—	08	सही है(सैल खराब हैं)
45.	शर्ट सिलिंग	—	03	सही है
46.	रैन सूट	—	05	सही है
47.	गिरी–गिरी	—	01	सही है
48.	एवलांच प्रोच	—	01	सही है
49.	स्नो एंकर	—	01	सही है
50.	कैराविनर मय स्क्रू	—	05	सही है
51.	रैपलिंग रोप 50मी0	—	02	सही है
52.	सैफ्टी नेट	—	01	सही है
53.	ट्रैकिंग बूट	—	05	सही है
54.	जुमार / लैफ्ट / राईट	—	02	सही है
55.	सरवाइवल कम्बल	—	01	सही है
56.	स्नो साल	—	01	सही है
57.	कैराविनर प्लेन	—	05	सही है
58.	लाउड टेलर	—	01	सही है
59.	ड्रेगन लाईट	—	01	सही है
60.	गैंती	—	03	सही है
61.	बेलचा	—	03	सही है
62.	फस्ट एड बाक्स	—	02	सही है
63.	फावड़ा	—	04	सही है
64.	सम्बल छोटे बड़े	—	08	सही है
65.	कुल्हाडी मय बेंटा	—	04	सही है
66.	तसला	—	04	सही है
67.	पेट्रोमैक्स	—	02	सही है
68.	टार्च 4 सेल	—	09	सही है
69.	रैन सूट	—	05	सही है
70.	दस्ताना	—	12	सही है
71.	कैरीमेट	—	07	सही है
72.	बाक्स लोहा बड़ा	—	02	सही है
73.	सर्च लाईट	—	03	सही है
74.	टार्च मय हैल्मेट	—	12	सही है
थाना लमगड़ा				
1.	फस्ट एड बाक्स	—	02	सही है
2.	स्ट्रेचर	—	06	सही है
3.	सोलर लाइट	—	02	सही है
4.	रस्सा नाईलोन	—	04	सही है
5.	सर्च लाईट	—	01	सही है
6.	ड्रेगन लाइट	—	01	सही है

7.	रोप	–	03	सही है
8.	पुली	–	01	सही है
9.	हेलमेट	–	04	सही है
10.	स्क्रू कैराबाईनर	–	04	सही है
11.	प्लेन कैराबिनर	–	04	सही है
12.	डिसेन्डर	–	02	सही है
13.	जुमार	–	01	सही है
14.	सीट हारनेस	–	03	सही है
15.	मिटन	–	03	सही है
16.	हैड लेम्प	–	02	सही है
17.	रूकसेक 75 ली0	–	01	सही है
18.	वुड कटर जंजीर	–	01	सही है
19.	वुड कटर	–	01	सही है
20.	बरसाती	–	03	सही है
21.	फ्लोरेंसी जैकेट	–	10	सही है
	थाना सोमेश्वर			
1.	रोप नाइलॉन 11 एमएम	2006	04	सही है
2.	माउनट्रेनिग रोप मय पुली	2006	04	सही है
3.	टेप सिलिंग	2006	12	सही है
4.	रोप लाइडर 30 फिट	2006	02	सही है
5.	मानिला रोप 50 मीटर(जूट)	2006	02	सही है
6.	कैराविनर	2006	04	सही है
7.	हैम्बर पिटौन	2006	08	सही है
8.	सीट हार्नेस	2006	06	सही है
9.	जुमार	2006	08	सही है
10.	डिसैण्डर	2006	08	सही है
11.	लाईफ जैकेट	2006	12	सही है
12.	सोलर लैम्प मय प्लेट	2006	02	खराब
13.	फोल्डिंग स्ट्रैचर	2006	04	सही है
14.	गैंती	2006	02	सही है
15.	बेलचा	2006	04	सही है
16.	फस्ट एड बाक्स	2006	02	खराब
17.	फावड़ा	2006	04	सही है
18.	सम्बल छोटे बड़े	2006	08	सही है
19.	कुल्हाड़ी	2006	04	सही है
20.	तसला लोहा	2006	04	सही है
21.	नाइलॉन तिरपाल	2006	05	सही है
22.	पेट्रोमैक्स	2006	02	सही है
23.	टार्च 4 सेल	2006	08	सही है
24.	रैन सूट जोड़ा	2006	12	सही है
25.	दस्ताना	2006	08	सही है
26.	कैरीमेट	2006	12	सही है
27.	बाक्स लोहा बड़ा	2006	02	सही है
28.	हैल्मेट	2006	08	सही है
29.	टार्च मय हैल्मेट	2006	12	सही है

30.	वाईनाकुलर दूरबीन		01	सही है
31.	कटर		01	सही है
		थाना द्वाराहाट		
1.	गैंती	–	04	ठीक है
2.	बेलचा	–	04	ठीक है
3.	फस्ट एड बाक्स	–	02	ठीक है
4.	फावड़ा	–	04	ठीक है
5.	सम्बल छोटे बड़े	–	04	ठीक है
6.	कुल्हाड़ी	–	04	ठीक है
7.	तसला	–	04	ठीक है
8.	लाइलॉन तिरपाल	–	05	ठीक है
9.	गैस सिलेण्डर पेट्रोमैक्स	–	02	ठीक है
10.	टार्च 4 सेल	–	09	सैल उपलब्ध नहीं हैं
11.	रैन सूट	–	12	ठीक है
12.	दस्ताना	–	09	ठीक है
13.	कैरीमेट	–	12	ठीक है
14.	बाक्स लोहा बड़ा	–	02	ठीक है
15.	सर्च लाइट	–	01	ठीक है
16.	रोप लेडर	–	02	ठीक है
17.	मानिला रोप	–	02	ठीक है
18.	कैराविनर	–	03	ठीक है
19.	हैम्बर पिटौन	–	08	ठीक है
20.	सीट हार्नेस	–	05	ठीक है
21.	जुमार	–	08	ठीक है
22.	डिसैण्डर	–	08	ठीक है
23.	लाईफ जैकेट	–	12	ठीक है
24.	हेलमेट मय टार्च	–	12	सैल नहीं हैं
25.	हैलमेट	–	12	ठीक है
26.	नाईलोन तिरपाल	–	01	ठीक है
27.	रोप 11एमएम नाइलॉन	–	04	ठीक है
28.	माउनट्रेनिग रोप मय पुली	–	04	ठीक है
29.	टेप सिलिंग	–	12	ठीक है
		थाना भतरौजखान		
1.	गैंती	2005	02	सही है
2.	बेलचा	2005	02	सही है
3.	फस्ट एड बाक्स	2005	01	सही है
4.	फावड़ा	2005	02	सही है
5.	सम्बल छोटे बड़े	2005	04	सही है
6.	कुल्हाड़ी मय बैंटा	2005	02	सही है
7.	तसला	2005	02	सही है
8.	नाइलॉन तिरपाल(नीला)	2005	02	सही है
9.	पेट्रोमैक्स	2005	01	सही है
10.	टार्च एवरेटी 4 सेल	2005	06	सही है
11.	रैन सूट विन्ड प्रुफ	2005	05	सही है
12.	दस्ताना मिटन	2005	10	सही है

13.	कैरीमेट (हरा कबर)	2005	06	सही है
14.	बाक्स बड़ा	2005	01	सही है
15.	सर्च लाइट ड्रैगन	2005	01	सही है
16.	हैण्ड टार्च	2008	06	सही है
17.	रेन कोट (लोवर एवं अपर काले बैंग में)		04	सही है
18.	जुमार	2008	06	सही है
19.	रोप नाइलॉन(नीला लाल)	2008	01	सही है
20.	माउनट्रेनिंग रोप(नारंगी	2008	02	सही है
21.	टेप सिलिंग(नारंगी)	2008	06	सही है
22.	रोप लेडर सीड़ी 40 फिट	2008	01	सही है
23.	मानिला रोप(रिंग में)	2008	01	सही है
24.	सीट हार्नेस	2008	09	सही है
25.	चेस्ट हार्नेस	2008	01	सही है
26.	डिसेन्डर	2008	06	सही है
27.	लाईफ जैकेट	2008	02	सही है
28.	हेलमेट सफेद	2008	02	सही है
29.	हैल्मेट लाल	2008	06	सही है
30.	रोक पिटौन मय हैमर	2008	05	सही है
31.	आईस एक्स	–	01	सही है
32.	सिलिंग टेप सौट	2008	03	सही है
33.	ओपन सिलिंग (काली)	2008	15	सही है
34.	सेफ्टी नेट	2008	01	सही है
35.	बैग ट्रैकिंग	2008	03	सही है
36.	बैग छोटे लाल पीले	2008	03	सही है
37.	विन्ड प्रूफ जैकेट	2008	08	सही है
38.	रॉक क्लाइम्बिंग भाूज	2008	08	सही है
39.	डांगरी	2008	03	सही है
40.	लोअर एण्ड अपर	2008	01	सही है
41.	चार्जर टार्च मय चार्जर	2008	03	सही है
42.	मल्टीपरपज नाईफ	2008	01	सही है
43.	पुली	2008	04	सही है
44.	क्लाइम्बिंग रोप (सफेद	2008	01	सही
45.	रोप रैपलिंग(नीला)	2008	01	सही
46.	ट्रेकिंग सूज	2008	08	सही
47.	कैराविनर प्लेन	2008	07	सही
48.	स्लिपिंग बैग	2008	02	सही
49.	रस्सा जूट	2008	01	सही
50.	चेकनेट	2008	39	सही
51.	फ्रैन्डस गैतीनुमा	2008	01	सही
52.	टैन्ट सेफट	2008	02	सही
53.	हार्नेस कम्पलीट	2008	02	सही
54.	कम्बल	2008	03	सही
55.	जमट	2008	01	सही
56.	रोप लेडर 30 फीट	2008	02	सही
57.	हैण्ड लैम्प	2008	02	सही

58.	गरी–गिरी	2008	01	सही
59.	स्नो एंकर	2008	01	सही
60.	मैस्यूम स्ट्रैचर मय पम्प	2008	01	सही
61.	स्क्रू कैराविनर	2008	05	सही
62.	सरवायकल कम्बल	2008	01	सही
63.	तिरपाल प्लास्टिक(हरा)	2008	01	सही
64.	रौक पिटोन	2008	24	सही
65.	ग्रफ फेडरस छोटे बड़े	2008	07	सही
66.	स्नो साल (बैलचानुमा)	2008	01	सही
67.	चौक प्लेट	2008	06	सही
68.	मल्टी फंकशन टूल्स	2008	01	सही
69.	रोप चितकबरा	2008	01	सही
70.	वायरकटर	2008	01	सही
71.	आयरन कटर		01	सही
थाना सल्ट				
1.	गैंती	2010	02	सही
2.	बेलचा	2010	02	सही
3.	फस्ट एड बाक्स	2010	01	सही
4.	फावड़ा	2010	02	सही
5.	सम्बल छोटे बड़े	2010	04	सही
6.	कुल्हाड़ी	2010	02	सही
7.	तसला	2010	02	सही
8.	टार्च एवरेडी	2010	06	सैल नहीं है।
9.	रैन सूट	2010	06	सही
10.	पेट्रोमैक्स	2010	01	सही
11.	दस्ताना जोड़े	2010	10	सही
12.	नाइलॉन तिरपाल	2010	03	सही
13.	कैरीमेट	2010	06	सही
14.	हेड टार्च	2010	06	सही
15.	रेनकोट	2010	04	सही
16.	जुमार	2010	06	सही
17.	रस्सा नाइलॉन	–	01	–
18.	माउनट्रेनिग रोप	2010	02	सही
19.	टेप सिलिंग	2010	06	सही
20.	रोप लेडर	2010	01	सही
21.	मानिला रोप	2010	01	सही
22.	कैराविनर स्क्रू	2010	04	सही
23.	सीट हार्नेस	2010	10	सही
24.	डिसैण्डर	2010	06	सही
25.	लाईफ जैकेट	2010	06	सही
26.	हेल्मेट	2010	09	सही
27.	हैण्ड लैम्प	2010	03	सही सैल नहीं है।
28.	रोक पिटन हेमर	2010	01	सही
29.	आईस एक्स	2010	02	सही
30.	सिलिंग टेप	2010	03	सही

31.	ओपन सिलिंग	2010	03	सही
32.	टैण्ट	2010	01	सही
33.	बैग ट्रेकिंग	2010	02	सही
34.	विंड प्रुफ जैकेट	2010	02	सही
35.	बैग छोटे	2010	03	सही
36.	रोक क्लाइबिंग शूज	2010	03	सही
37.	डॉगरी	2010	03	सही
38.	चार्जिंग टार्च	2010	02	खराब
39.	वायर कटर	2010	01	सही
40.	रैन कोट	2010	03	सही
41.	मल्टी परपज नाइफ	2010	01	सही
42.	पुली	2010	02	सही
43.	क्लाइम्बिंग रोप	2010	02	सही
44.	रैपलिंग रोप	2010	03	सही
45.	ट्रेकिंग शूज	2010	03	सही
46.	कैरावाइनर प्लेन	2010	02	सही
47.	स्लपिंग बैग	2010	02	सही
48.	रस्सा जूट	2010	01	सही
49.	स्ट्रैचर फोल्डिंग	2010	02	सही
50.	आयरन कटर	2014	01	सही
51.	ड्रेगन लाईट	–	01	सही
52.	बैग लाल/पीले	–	03	सही
क्यू0आर0टी0 पुलिस लाईन				
1.	आइरन कटर	–	01	खराब
2.	वुडन कटर	–	01	ब्लेड खराब है।
3.	सीट हार्नेस	–	04	सही
4.	कैराविनर	–	07	सही
5.	डिस्काउन्टर	–	03	सही
6.	पिटौन रोप	–	06	सही
7.	जुमार	–	03	सही
8.	क्लाइम्बिंग रोप	–	03	सही
9.	रोपलिंग रोप	–	02	सही
10.	पुली	–	02	सही
11.	रोप हैम्बर	–	01	सही
12.	ग्लब्स जोड़ा	–	07	सही
13.	रोप लैण्डर 30 फिट	–	02	सही
14.	हैल्मेट मय टार्च	–	20	सही
15.	टार्च 04 सैल	–	04	सही
16.	गैस पेट्रोमैक्स	–	03	सही
17.	टेप सिलिंग	–	08	सही
18.	रेन सूट	–	06	सही
19.	पिटौन	–	08	सही
20.	डिसैण्डर	–	03	सही
21.	गरी–गिरी	–	02	सही
22.	फस्ट एड बाक्स	–	01	सही

23.	डांगरी खाकी	—	10	सही
24.	सिलिंग	—	12	सही
25.	सिलिंग रोप	—	08	सही
26.	वायनाकूलर	—	01	सही
27.	नाइट विजन	—	01	सही
28.	गैस जनरेटर	—	01	सही
29.	ड्रैगन लाइट	—	01	खराब
		थाना दन्या		
1.	रोप	—	04	सही
2.	हेलमेट	—	05	सही
3.	हैड लेम्प	—	04	सही
4.	टेप सिलिंग	—	04	सही
5.	जुमार	—	03	सही
6.	डिसेन्डर	—	03	सही
7.	प्लेन कैराबिनर	—	04	सही
8.	स्क्रू कैराबाईनर	—	06	सही
9.	सीट हारनेस	—	05	सही
10.	मिटन	—	06	सही
11.	रोप लेडर	—	01	सही
12.	स्ट्रेचर	—	03	सही
13.	पुली	—	02	सही
14.	बक्सा बड़ा	—	01	सही
15.	वुड कटर	—	01	सही
16.	आयरन कटर ब्लेड	—	01	सही
17.	रूकसेक 75 ली0	—	01	सही
18.	सर्च लाईट	—	01	सही
19.	ड्रेगन लाइट	—	01	सही
20.	आस्का लाइट	—		सही
		थाना चौखुटिया		
1.	गैंती	—	01	सही
2.	बेलचा	—	01	सही
3.	सम्बल छोटे बड़े	—	02	सही
4.	पेट्रोमैक्स	—	01	सही
5.	रैन सूट	—	03	सही
6.	लाईफ जैकेट	—	14	सही
7.	बेलचा	—	01	सही
8.	कुल्हाड़ी	—	01	सही
9.	टार्च एवरेडी	—	06	सैल नहीं है।
10.	दस्ताना जोड़े	—	03	सही
11.	हेल्मेट टार्च	—	04	सही
12.	रस्सा	—	01	सही
13.	स्ट्रेचर	—	03	सही
14.	वुड कटर	—	01	सही
15.	सर्च लाईट	—	01	सही
16.	ड्रेगन लाइट	—	01	सही

17.	रोप	—	02	सही
18.	पुली	—	01	सही
19.	हेल्मेट	—	04	सही
20.	जुमार	—	02	सही
21.	डिसेन्डर	—	02	सही
22.	प्लेन कैराबिनर	—	04	सही
23.	स्क्रू कैराबाईनर	—	05	सही
24.	सीट हारनेस	—	03	सही
25.	मिटन	—	02	सही
26.	हैड लेम्प	—	04	सही
27.	रूकसेक 75 ली0	—	01	सही

फायर सर्विस अल्मोड़ा

(1) टेलीफोन

वाचरूम/कन्ट्रोल रूम में : 05966—234101,101
एस0एस0ओ0:— 9411113416

क्र0सं0	पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1	सी0एफ0ओ0	01	01	-
2	एफ0एस0ओ0	01	-	01
3	एस0एस0एस0ओ0	01	01	-
4	ए0एस0आई0 (एम)	01	-	01
5	एल0एफ0एम0	04	08	-
6	फा0स0 ड्रा0	06	08	-
7	फायर मैन	26	15	11
8	चतुर्थ श्रेणी	03	02	01

फायर स्टेशन अल्मोड़ा में उपलब्ध वाहन/मशीनों का विवरण

क्र0सं0	वाहन का नाम	उपलब्ध	कार्यशील	अकार्यशील
1	वाटर टैण्डर	01	कार्यशील	—
2	फोम टैण्डर	01	01	—
3	रेस्क्यू वाहन	01	01	—
4	पीपीसीवी	01	01	—
5	मिनी वाटर टैण्डर	01	01	—
6	बैकपैक सैट बाइक	01	01	—
7	तोहात्सु पोट्रेबल पम्प	01	01	—
8	हाई प्रेशर पम्प	01	01	—
9	जेनरेटर	03	03	—
10	जिनान	01	01	

फायर स्टेशन अल्मोड़ा में उपलब्ध रेस्क्यू उपकरणों का विवरण

क्र0सं0	उपकरण	संख्या	क्र0सं0	नाम उपकरण	संख्या
1	लाइफ जैकेट	06	10	रेस्क्यू कांटा	02
2	लाईफ बाय	05	11	इनफ्लेटिड टावर लाइट	02

3	वुडन कटर	01	12	लार्ज एक्स	04
4	रस्सा	05	13	ड्रेगन लाइट	02
5	गैंती	11	14	होस्पिटल ब्लैकेंट	43
6	फावड़ा	08	15	सर्च लाईट	02
7	बेलचा	07	16	हैमर	03
8	स्ट्रेचर	05	17	कोम्बीटूल्स	01
9	कोवार	11	18	न्यू मैट्रिकएयर प्रेशर बैग	01

जलापूर्ति के साधन – फायर हाईड्रेन्ट

क्र0सं0	उपलब्ध	प्रयोगशील	अप्रयोगशील
1	31	31	–

फायर सर्विस रानीखेत

(1)– टेलीफोन

वाचरूम/कन्ट्रोल रूम में:– 05962-222011

एस0एस0ओ0:–9411113417

क्र0सं0	पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1	एफ0एस0ओ0	01	-	01
2	एस0एस0एस0ओ0	01	-	01
3	एल0एफ0एम0	04	04	-
4	फा0स0 ड्राइवर	05	03	-
5	फायर मैन	26	10	16
6	ए0एस0आई0 (एम)	01	-	01
7	कुक	02	-	-
8	स्वच्छक	01	01	-

स्टेशन अल्मोड़ा में उपलब्ध वाहन/मशीनों का विवरण

क्र0सं0	वाहन का नाम	उपलब्ध	कार्यशील	अकार्यशील
1	मोटर फायर इंजन मय सहवर्ती उपकरण	02	–	–
2	मिनीवाटर टैण्डर मय सहवर्ती उपकरण	01	–	–
3	जीप बुलेरो कैम्पर	01	–	–
4	तोहात्सु पोर्ट्रेबल पम्प	01	01	–
5	प्लोटो पम्प	01	–	–

फायर स्टेशन रानीखेत में उपलब्ध रेस्क्यू उपकरणों का विवरण

क्र0सं0	उपकरण	संख्या	क्र0सं0	नाम उपकरण	संख्या
1	गैंती	05	11	टार्च 04 सैल	02
2	बेलचा	03	12	रोप लेडर	02
3	रस्सा	02	13	वुडन कटर	01
4	हैलमेट	03	14	बोल्ड कटर	04
5	स्ट्रेचर कैनवास	03	15	इनफ्लेटिड टावर लाइट	01
6	लाईफ बाय	05	16	सर्च लाईट	02
7	लाइफ जैकेट	06	17	कोवार	11

8	स्फेटीटूल्स बिद हूक	01	18	लार्ज एक्स	04
9	स्पेड मय बेंटा	05	19	हैमर	02
10	ड्रेगन लाइट	01	20	डोर वेकर	02

जलापूर्ति के साधन – फायर हाईड्रेन्ट

क्र0सं0	उपलब्ध	प्रयोगशील	अप्रयोगशील
1	18	17	01

पुलिस संचार विभाग के वी0एच0एफ0/एच0एफ0 संचार सेटों का विवरण

क्र0सं0	विवरण	वी0एच0एफ0 स्टेटिक सैट	वी0एच0एफ0 मोबाईल सैट	हैन्ड हैल्ड	एच. एफ. सैट	एच./बी. स्टेटिक सैट
1	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा	01	02	01	–	–
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा	01	02	01	–	–
3	मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा	–	01	–	–	–
4	अपर जि0अधि0 अल्मोड़ा	–	01	–	–	–
5	उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा	–	01	–	–	–
6	उपजिला0 रानीखेत	–	01	–	–	–
7	उपजिलाधिकारी सल्ट	–	01	–	–	–
8	क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा	–	01	01	–	–
9	क्षेत्राधिकारी रानीखेत	–	01	01	–	–
10	मुख्य अग्नि0 अधिकारी	–	01	01	–	–
11	जिला नियं0कक्ष अल्मोड़ा	04	–	–	–	01
12	पोलनेट अल्मोड़ा	01	–	–	–	01
13	कोतवाली अल्मोड़ा	01	01	07	–	–
14	कोतवाली रानीखेत	01	01	03	–	–
15	थाना सोमेश्वर	01	01	03	–	–
16	थाना भतरौजखान	01	01	01	–	–
17	महिला थाना	01	01	04	–	–
18	थाना द्वाराहाट	01	01	03	–	–
19	थाना लमगड़ा	01	01	02	–	–
20	थाना सल्ट	01	01	02		
21	थाना चौखुटिया	01	01	01		
22	थाना दन्या	01	01	02	–	–
23	रिपो0पु0 चौकी जैती	01	–	01	–	–
24	रिपो0पु0 चौकी मोरनौला	01	–	–	–	–
25	रिपो0पु0 चौकी एन.टी.डी.	01	–	02	–	–
26	रिपो0पु0 चौकी धारानौला	01	–	02	–	–
27	रिपो0पु0 चौकी ताकुला	01	–	–		
28	रिपो0पु0 चौकी मिस्कोट	01	–	–	–	–
29	रिपोर्टिंग चौकी चौबटिया	01	–	–	–	–
30	रिपो0पु0 चौकी लालकुर्ती	–	–	01	–	–
31	पुलिस चौकी ताड़ीखेत	01	–	01	–	–
32	पुलिस चौकी बेस	01	–	02	–	–

33	रिपो0पु0 चौकी भिक्यिा0	01	–	–	–	–
34	रिपो0पु0 चौकी मासी	01	–	–	–	–
35	रिपो0पु0 चौकी खीड़ा	01	–	–	–	–
36	बैरियर लोधिया	01	–	–	–	–
37	बैरियर मरचूला	01	–	–	–	–
38	बैरियर मोहान	01	–	–	–	–
39	बैरियर पिलखोली	01	–	–	–	–
40	पुलिस लाइन अल्मोड़ा	01	–	02	–	–
45	ट्रेफिक पुलिस	–	01	10	–	–
46	पुलिस कार्या0 अल्मोड़ा	01	–	01	–	–
47	एल0आई0यू0 अल्मोड़ा	–	–	01	–	–
48	आपदा प्रबन्धन कार्यालय	01	–	–	–	–
49	फायर स्टेशन अल्मोड़ा	01	02	01	–	–
50	फायर स्टेशन रानीखेत	01	02	–	–	–
51	कोसी बैराज	01	–	–	–	–
52	सर्किट हाउस	–	–	–	–	–
53	एच0एफ0 स्टे0 अल्मोड़ा	–	–		–	02
54	सी0सी0टी0वी0 पुलिस कार्यालय	01	–	–	–	01
55	सी0सी0टी0एन0एस0 पुलिस कार्या0 अल्मोड़ा	01	–	–	–	–

निजी टैक्सी मालिकों व चालकों के नाम, पता व फोन नम्बर कोतवाली अल्मोड़ा

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम	पता
1	UK-01-TA-0733 MAX	श्री पुष्कर बिष्ट	कबड़खान कसार देवी अल्मोड़ा
2	UK-01-TA-1266 ALTO	श्री महेश भटट	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा।
3	UK-01-TA-0351 MAX	श्री महेन्द्र सिंह कनवाल	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा।
4	UK-01-TA-7156 BOLERO	नरेन्द्र रावत	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा।
5	UK-01-TA-216 ALTO	नारायण सिंह	निवासी रैलाकोट अल्मोड़ा।
6	UK-01-TA-0271 SENTRO	हेम जोशी	निवासी रैलाकोट अल्मोड़ा।
7	UK-01-TA-0023 ALTO	भुवन भट्ट	निवासी चम्पानौला अल्मोड़ा।
8	UK-01-TA-1589 SUMO	कुन्दन लटवाल	निवासी अल्मोड़ा।
9	UK-01-TA-0029 ALTO	हरीश जोशी	निवासी थपलिया अल्मोड़ा।
10	UK-01-TA-0761 ALTO	प्रकाश लोहनी	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा।
11	UK-01-TA-1619 EON	नीरज कुमार	निवासी पातालदेवी अल्मोड़ा।
12	UK-01-TA-1552 SUMO	संजय कनवाल	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा।
13	UK-01-TA-0759 ALTO	तेज सिंह बिष्ट	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा।
14	UK-01-TA-0631 MAX	भानू जोशी	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा।
15	UK-01-TA-2018 ALTO	महेश तिवारी	निवासी खोल्टा अल्मोड़ा।
16	UK-01-TA-1389 ALTO	पूरन बिष्ट	निवासी दुगालखोला अल्मोड़ा।
17	UK-01-TA-0970 ALTO	किशन आर्या	निवासी दुगालखोला अल्मोड़ा।
18	UK-01-TA-6091 MAX	पूरन जोशी	निवासी खोल्टा अल्मोड़ा।

19	UK-01-TA-5474 ALTO	पंकज बोहरा	निवासी चौघानपाटा अल्मोड़ा।
20	UK-01-TA-2058 JEEP	संजय जोशी	निवासी चौघानपाटा अल्मोड़ा
21	UK-01-TA-1970 EON	शिव लाल	निवासी कसारदेवी अल्मोड़ा
22	UK-01-TA-1843 EON	सुन्दर लाल	निवासी कसारदेवी अल्मोड़ा
23	UK-01-TA-1183 EON	जगदीश लाल	निवासी कसारदेवी अल्मोड़ा
24	UK-01-TA-0364 TAVERA	देवेन्द्र मेहता	निवासी कसारदेवी अल्मोड़ा
25	UK-01-TA-0207 MARUTI VAN	राजू जोशी	निवासी थपलिया अल्मोड़ा
26	UK-01-TA-0930 ALTO	आशु पवार	निवासी रैमजे के पास अल्मोड़ा
27	UK-01-TA-1090 EON	राजु कनवाल	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा
28	UK-01-TA-0172 ALTO	राजेन्द्र कनवाल	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा
29	UK-01-TA-6804 SUMO	राजू भटट	निवासी धौलादेवी अल्मोड़ा
30	UK-01-TA-1205 SUMO	रेवाधर आर्य	निवासी स्यालीधार अल्मोड़ा
31	UK-01-TA-0540 ALTO	मनोज रावत	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा
32	UK-01-TA-1603 SUMO	शैलेन्द्र तिवारी	निवासी एन0टी0डी0 अल्मोड़ा
33	UK-01-TA-1037 MAX	बाल किशन जोशी	निवासी एन0टी0डी0 अल्मोड़ा
34	UK-01-TA-0798 ALTO	सोनू कनवाल	निवासी खत्याड़ी अल्मोड़ा
35	UK-01-TA-8685 SUMO	पान सिंह	निवासी खोल्टा अल्मोड़ा
36	UK-01-TA-0896 ALTO	आनन्द भोज	निवासी खूँट धामस अल्मोड़ा
37	UK-01-TA-2284 SUMO	शतेन्द्र हयांकी	निवासी तिलकपुर अल्मोड़ा
38	UK-01-TA-1780 TURBO	गुड्डू अहमद	निवासी करबला अल्मोड़ा

कोतवाली रानीखेत

क्र0सं0	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम	चालक का मो0न0	चालक का ऐसा पता जिस पर वह तत्काल उपलब्ध हो सके
1	UK-01-TA-1122 टाटा सूमो	श्री देवेन्द्र सिंह अधिकारी	9675321211	निवासी मल्ली रियूनी पो0 मजखाली रानीखेत अल्मोड़ा
2	UK-01-TA-0332 मैक्स	श्री हुकम सिंह चौहान	9756212566	निवासी मल्ली रियूनी पो0 मजखाली रानीखेत अल्मोड़ा
3	UK-01-TA-1406 विक्टा	श्री चन्दन सिंह अधिकारी	806359238	निवासी मल्ली रियूनी पो0 मजखाली रानीखेत अल्मोड़ा
4	UK-01-TA-7024 मैक्स	श्री अर्चन साह	9917318696	निवासी रायस्टेट रानीखेत अल्मोड़ा
5	UK-01-TA-1882 बोलेरो	श्री कुबेर सिंह	9411518166	निवासी मल्ली रियूनी पो0 मजखाली रानीखेत अल्मोड़ा
6	UK-01-TA-0015 मैक्स	श्री श्याम सिंह	9761251728	
7	UK-01-TA-1041 बोलेरो	श्री दलीप सिंह अधिकारी	9411520447	
8	UK-01-TA-2143 बोलेरो	श्री महेन्द्र सिंह अधिकारी	9627781550	निवासी डिकोटी पो0 मजखाली रानीखेत अल्मोड़ा
9	UK-01-TA-5570 मैक्स	श्री विरेन्द्र सिंह अधिकारी	9711706252	निवासी मल्ली रियूनी पो0 मजखाली रानीखेत अल्मोड़ा
10	UK-01-TA-9683 मैक्स	श्री कमलेश जोशी	9411306190	निवासी हाईडिल कॉलोनी रानीखेत अल्मोड़ा
11	जेसीबी	श्री अजय कुमार पाण्डे	9675739746	निवासी पुरानी आबकारी रानीखेत अल्मोड़ा

थाना लमगड़ा

क्र. सं.	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम	चालक का पता	चालक का फोन नम्बर
1	UK-04-TA-5452 बोलेरो	श्री नन्दन सिंह पुत्र श्री हरीश सिंह	ग्राम डोल थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा	9837113438
2	UK-04-TA-5273 टाटा सोमो	श्री डिगर सिंह पुत्र श्री पान सिंह	ग्राम तडेनी थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा	9411118820
3	UK-04-TA-2025 मैक्स	श्री पान सिंह	ग्राम सिलपड़ जैंती अल्मोड़ा	9012785415
4	UK-04-TA-1548 सुमो	श्री प्रकाश सिंह बिष्ट	ग्राम सिलपड़ जैंती अल्मोड़ा	
5	UK-04-TA-1313 मैक्स	श्री राकेश सिंह ढेला	ग्राम ढैली टकोली	-
6	UK-04-TA-3338 मैक्स	श्री हरीश सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह	ग्राम ढाट	9411797481

थाना सोमेश्वर

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पता/फोन नम्बर	चालक का नाम पता/फोन नम्बर	फोन नम्बर
1	UK-01-TA-0537 मैक्स	श्री भाष्कर सिंह नयाल निवासी फल्या अर्जुनराठ थाना सोमेश्वर	स्वयं	9410541024
2	UK-01-TA-0490 बुलेरो	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे निवासी झुपुलचौरा	अनिल निवासी ग्राम रैत थाना सोमेश्वर	9012350448
3	UK-01-TA-2301 सूमो	श्री आनन्द सिंह निवासी ग्राम दुमुण थाना सोमेश्वर	स्वंय	8958660638
4	UK-02-TA-1896 मैक्स	श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम दुमुणगॉव थाना सोमेश्वर	स्वंय	9756657832
5	UK-01-TA-1443 सूमो	श्री नन्दन सिंह निवासी थाना सोमेश्वर	स्वंय	9012033806
6	UK-01-TA-2194 बुलेरो	श्री बिशन सिंह निवासी गरूड़ा थाना सोमेश्वर	स्वंय	9012350481
7	UK-01-TA-1197 मैक्स	श्री दलीप सिंह निवासी खाड़ी थाना सोमेश्वर	महेन्द्र गिरी निवासी धामुक थाना सोमेश्वर 9639334557	9411496709
8	UK-01-TA-1845 जीप	श्री दलीप सिंह निवासी खाड़ी थाना सोमेश्वर	नन्दन बोरा निवासी ग्राम धामुक थाना सोमेश्वर	9411496709

थाना द्वाराहाट

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पता/फोन नम्बर	चालक का नाम पता/फोन नम्बर	चालक का ऐसा पता जिस पर वह तत्काल उपलब्ध हो सके/फोन नम्बर

1	UK-01-TA-0924 मैक्स	श्री नन्दन सिंह राणा निवासी विजयपुर द्वाराहाट अल्मोड़ा फोन–7579706705	श्री पियूश जोशी (पूरन) फो0न0– 9410918864	कालीखोली द्वाराहाट
2	UK-01-TA-0846 बोलेरो	श्री जगत सिंह निवासी विजयपुर द्वाराहाट अल्मोड़ा मो0–9412101218	श्री मदन सिंह बजेठा फो0न0–9628460461	डढोली द्वाराहाट
3	UK-01-TA-0164 मैक्स	श्री मोहन भट्ट निवासी विजयपुर द्वाराहाट अल्मोड़ा मो0–7500181064	स्वयं	स्वंय
4	UK-01-TA-7698 बोलेरो	श्री किशन सिंह रौतेला निवासी विजयपुर धनखलगांव द्वारा0 अल्मोड़ा–7533985463	श्री नवीन चन्द्र मैनाली फो0न0–8474959759	द्वाराहाट पेट्रोल पम्प के पास
5	UK-01-TA-0691 बोलेरो	श्री नवीन सिंह निवासी मल्ली मिरई अल्मोड़ा 9411317628	स्वयं	स्वंय
6	UK-01-TA-1385 मैक्स	श्री भरत साह निवासी पूजाखेत द्वाराहाट अल्मोड़ा फोन–9412926590	श्री कैलाश चन्द्र	रणा द्वाराहाट
7	UK-01-TA-7505 बोलेरो	श्री भुवन सिंह कैड़ा निवासी भतौरा बिन्ता द्वाराहाट फोन–9411579392	स्वयं	स्वंय
8	UK-01-TA-0805 मैक्स	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय निवासी पारकोट बिन्ता द्वाराहाट फोन – 9411517337	स्वयं	स्वंय

थाना भतरौजखान

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पता/फोन नम्बर	चालक का पता/फोन नम्बर	चालक का ऐसा पता जिस पर वह तत्काल उपलब्ध हो सके/फोन नम्बर
01	UK-04-TA-6884 मैक्स	श्री विजय कुमार निवासी भतरौजखान	चालक स्वंय	9412162287
02	UK-04-TA-6121 मैक्स	श्री तारा दत्त पंत निवासी बेतालघाट	स्वंय	8979433679
03	UK-04-TA-1540 मैक्स	श्री हरीश पटवाल निवासी हरनौली टानी भिक्यिासैण रोड	स्वंय	9458066818
04	UK-04-TA-5773 बोलेरो	श्री जगदीश सिंह निवासी लेथरा बेतालघाट रोड	स्वंय	8938897774
05	UK-01-TA-2261 टाटा सूमो	श्री कैलाश तिवारी निवासी पंतगॉव भतरौजखान	स्वंय	9536555712
06	UK-04-TA-3525 महेन्द्रा मैक्स	श्री सुनील निवासी ग्राम कस्बा भिक्यिासैण	स्वंय	9412924188
07	UK-04-TA-6614 बोलेरो	श्री कैलाश चन्द्र निवासी ग्राम कस्बा भिक्यिासैण	स्वंय	7579457372
08	UK-04-TA-3601 इयौन	श्री कुबेर सिंह निवासी भिक्यिासैण	स्वंय	8006003727

थाना सल्ट

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पता/फोन नम्बर	चालक का नाम पता/फोन नम्बर	चालक का ऐसा पता जिस पर वह तत्काल उपलब्ध हो सके/ फोन नम्बर
1	UK-04-TA-1115 मैक्स	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह	स्वंय	7351735063
2	UK-01-TA-6666 बुलेरो	श्री महेश्वर मेहरा पुत्र श्री मंगल सिंह	स्वंय	9411118515
3	UK-01-TA-5758 बुलेरो	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री शीशपाल सिंह	स्वंय	9927113266
4	A/F	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह	स्वंय	8755918837

थाना चौखुटिया

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार व नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पता/फोन नम्बर	चालक का नाम पता/ फोन न0	चालक का ऐसा पता जिस पर वह तत्काल उपलब्ध हो सके/फोन नम्बर
1	UK-01-TA-2360 सूमो गोल्ड	श्री दरपान सिंह–9720503175	श्री सुरेन्द्र सिंह	ग्राम–मल्लाताजपुर चौख0 8954553990
2	UK-11-TA-0682 मैक्स	श्री अमर सिंह – 9690452328	स्वयं	ग्राम–कुनीगाड़ चमोली
3	UK01-TA-2100 सूमो ए वन	श्री खीम सिंह – 9759216940	श्री राम सिंह	ग्राम–चौखुटिया गनाई
4	UK-11-TA-7158 सूमो गोल्ड	श्री कुँवर सिंह बिष्ट 7409019913	श्री जगत सिंह	ग्राम–कुड़खेत रोहिदा चमोली 8650610501
5	UK01-TA-0713 मैक्स	श्री गिरीश सिंह – 9759663446	स्वयं	ग्राम–उडलीखान
6	UK01-TA-2140 सूमो गोल्ड	श्री दयाल सिंह – 7500220606	स्वयं	ग्राम–उडलीखान
7	UK01-TA-2214 सूमो गोल्ड	श्री पूरन चन्द्र उप्रेती–9411117769	स्वयं	ग्राम–रामपुर चौखुटिया
8	UK01-TA-1575 सूमो गोल्ड	श्री कुन्दन सिंह मेहता–9411050797	स्वयं	ग्राम–जमणियां रामपुर
9	UK01-TA-2286 बोलेरो	श्री हेमन्त सिंह कैड़ा–9410725813	स्वयं	ग्राम–गणाई चौखुटिया

पुलिस विभाग द्वारा आपदा से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही

- एक विशेष योजना के अन्तर्गत समस्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा आपदा राहत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक थाने में आपदा राहत में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जायेगी।

- प्रत्येक थाना प्रभारी अपने थाने में मौजूद आपदा राहत उपकरणों तथा प्रशिक्षित स्टाफ की सूची कार्यालय में प्रदर्शित करेगे।
- सप्ताह में किसी एक दिन समस्त आपदा राहत के उपकरणों का प्रदर्शन थानाध्यक्ष के समक्ष किया जायेगा तथा थानाध्यक्ष इन उपकरणों की स्थिति व रख–रखाव की रिपोर्ट उस प्रयोजन हेतु बनाये गये पृथक रजिस्टर में करेगें।
- पर्यवेक्षण अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन उपकरणों के रख रखाव का भी निरीक्षण करेगे तथा कार्मिकों से मॉक–ड्रिल करायेगें।

आपदा के समय गठित विभिन्न दल

1– त्वरित कार्यवाही दल : थाना प्रभारी, प्रशिक्षित कानि0, कानि0, एन0सी0सी0, होमगार्ड, पी0आर0डी0, ग्राम चौकीदार, ग्राम प्रहरी, अर्द्ध सैनिक बल (वायरलैस हैण्ड सेट व वायर लैस युक्त वाहन से सज्जित)

2– सहायक दल : उपनिरीक्षक, हे0कानि0, प्रशिक्षित कानिकानि0–म0कानि0–होमगार्ड/पी0आर0डी0–एन0सी0सी0–अर्द्ध सैनिक

3– शांति व्यवस्था दल : हे0कानि0, कानि0, हो0गा0, पी0आर0डी0।

4– पंचायतनामा दल : उप निरीक्षक, हे0कानि0, कानि0, म0कानि0।

5– चलसम्पत्ति सुरक्षा दल : हे0कानि0, कानि0, म0कानि0, होमगार्ड, पीआरडी।

6– राहत शिविर सुरक्षा दल : हे0कानि0, कानि0, म0कानि0, होमगार्ड,पीआरडी।

7– चिकित्सालय दल : उप निरीक्षक, हे0कानि0, कानि0, म0कानि0, हो0गार्ड।

8– राहत सामग्री भण्डार सुरक्षा दल : उप निरी0, हे0कानि0, कानि0, म0कानि0, होमगार्ड।

9– एस्कोर्ट राहत सागग्री : उप निरीक्षक , कानि0, हो0गार्ड।

10–एस्कोर्ट वी0आई0पी0 : उप निरीक्षक , कानि0।

11–मृत व्यक्ति एवं पशु परित्याज्य टीम : हे0कानि0, कानि0।

12–आपदा परिचालन केन्द्र सुरक्षा बल : उप निरीक्षक, हे0कानि0, कानि0, होमगार्ड।

13–आपूर्ति दल : कानि0, होमगार्ड, अनुचर।

14–वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी टीम : कानि0।

15–रिजर्व दल थानाध्यक्ष : हे0कानि0, कानि0।

16–मुख्यालय रिजर्व दल : हे0कानि0, कानि0।

1– एक हे0कानि0 इस तथ्य को रिकार्ड करेगा कि यूनिट के विभिन्न दल सूचना मिलने के कितने समय बाद घटनास्थल पर पहुँचा।

2– अगर घटना एक से अधिक स्थान पर घटित हुई हो तो उनके लिए उपरोक्त प्रकार की अलग–अलग टीमों का गठन किया जायेगा।

3– दलों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज होगी।

4– उपरोक्त प्रकार से टीमों का वितरण होने के बावजूद भी टीम लीडर के निर्देशानुसार टीम से कोठ अन्य कार्य भी कराया जा सकता है।

भूकम्प की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

1. भूकम्प की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम प्रभावित क्षेत्र के थानाध्यक्ष तत्काल इंसीडेट रिस्पान्स सिस्टम के अधिकारियों के आवासीय क्षेत्रों में सायरन बजाकर सतर्क करेगें। फिर सूचना का इंतजार करेगें। स्थान व क्षति की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित स्थल के लिए प्रस्थान करेगें। वहॉ की स्थिति का तत्काल वायरलैस सैट से कन्ट्रोल रूम को सूचना देंगे। स्वयंसेवकों व स्थानीय लोगों एवं युवाओं को साथ लेकर बचाव एवं राहत कार्य प्रारम्भ करेगे।

2. थाने में सूचना मिलने के साथ ही सहायक दल के सदस्य शीघ्रातिशीघ्र एकत्रित होकर आपदा राहत के उपकरणों से लैस होकर, त्वरित दल द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर क्षतिग्रस्त स्थान पर पहुँचेगे तथा बचाव एवं राहत कार्य प्रारम्भ कर देंगे।
3. सहायक दल के कुछ सदस्यों को, घायलों को एम्बुलेंस तक पहुँचाने एव एम्बुलेंस के साथ चिकित्सालय तक जाने वाले अलग–अलग दलों में बॉटा जायेगा तथा एक पृथक टीम प्रभावित क्षेत्र में जीवित व्यक्ति विशेष कर महिला, बच्चे, विकलांगों और वृद्धों को घटना स्थल से जाकर सुरक्षित स्थान या राहत शिविर में पहुँचायेगे।
4. क्षति के आंकलन की सूचना मिलने पर तत्काल जिलाधिकारी से समन्वय कर राज्य आपदा केन्द्र को अपनी मांग प्रस्तुत की जायेगी।
5. कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सूचना मिलने पर पूरे जिले को हाई–अलर्ट किया जायेगा। घटना स्थल के आस–पास के थानाध्यक्ष सूचना मिलते ही तत्काल पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर रवाना होंगे।
6. **चिकित्सालय दलः**– यह दल इस प्रकार व्यवस्था बनायेगा कि घायलों का समुचित इलाज हो सके तथा भीड़ को नियंत्रित किा जा सके।
7. घटना स्थल से सबसे पहले घायल व्यक्तियों को उठाकर चिकित्सालय पहुँचाया जायेगा। तत्पश्चात एक–एक करके मृतक व्यक्तियों की शिनाख्त करते हुए उनका पंचायतनामा भरवाने की व्यवस्था की जायेगी।
8. **पंचायतनामा दलः**– यह दल मृत व्यक्तियों का पंचायतनामा भरेगा, पोस्टमार्टम के लिए नियत स्थान पर मृत शरीर को भेजेगा। यदि पोस्टमार्टम की व्यवस्था नही हो पाती है, तो मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
9. **सम्पत्ति सुरक्षा दलः**– यह दल घटनास्थल पर घायल एवं मृत व्यक्तियों की सम्पत्तियों को सूचीबद्ध करेगी। इस दल में ग्राम सुरक्षा समिति के कम से कम तीन सदस्य होगें।
10. **मृत व्यक्ति एवं पशु परित्याज्य दलः**– यह दल मृत पशुओं को पशुपालन विभाग/नगर पालिका से समन्वय स्थापित करके उनके परित्याग की कार्यवाही करेगा।
11. **राहत शिविर सुरक्षा दलः**– यह दल प्रत्येक राहत शिविर की सुरक्षा करेगा। इसमें भी ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों की अवश्यमेव शामिल किया जायेगा।
12. **गश्ती दलः**– घटना स्थल वाले इलाके के सुरक्षित बचे मकानों में चोरी आदि की घटना न हो सके इस हेतु यह दल प्रभावी गत में रहेगा।
13. मुख्यालय से घटना स्थल पर आवश्यक उपकरण/सामाग्री पहुँचाने हेतु एक टीम पृथक से लगाई जायेगी।
14. **वी0आई0पी0 एस्कोर्टः**– घटना स्थल पर वी0आईपी0 का आगमन प्रारम्भ हो जायेगा तो वी0आई0पी0 सुरक्षा हेतु यह दल कार्य करेगा।
15. **राहत सामग्री एस्कोर्टः**– बाहर से जब भी हवाई मार्ग से राहत सामग्री आती है तो हैलीपैड से गोदाम तक राहत सामग्री पहुँचाने हेतु इस एस्कोर्ट की व्यवस्था की जायेगी ताकि मार्ग में कोई लूटपाट न होने पाये।
16. **कानून व्यवस्था दलः**– कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अलग से यह टीम नियुक्त की जायेगी।
17. **आपदा परिचालन केन्द्र सुरक्षा दलः**– यह दल जिला मुख्यालय पर स्थित आपदा परिचालन केन्द्र की सुरक्षा करेगी।

जनपद अल्मोड़ा में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों/अनाजत्रित अधिकारियों को आवंटित सीयूजी नम्बरों की सूची

क0सं0	पद/थाना/इकाई	सी0यू0जी0 मोबाईल नम्बर
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा	9411112790
2	पुलिस उपाधीक्षक अल्मोड़ा	9456593379

3	पुलिस उपाधीक्षक रानीखेत	9456593373
4	मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा	9411113415
5	पुलिस संचार विभाग अल्मोड़ा	05962-232820
6	जिला नियंत्रण कक्ष अल्मोड़ा	05962-230274
7	अभिसूचना इकाई अल्मोड़ा	9411112805
8	कोतवाली अल्मोड़ा	9411112881
9	चौकी एन0टी0डी0	9456593316
10	पुलिस चौकी धारानौला	9456593317
11	पुलिस चौकी बेस	7088332368
12	कोतवाली रानीखेत	9411112882
13	अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा	9411113416
14	अग्निशमन अधिकारी रानीखेत	9411113417
15	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मिसकोट	8006015115
16	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौबटिया	9690004254
17	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी लालकुर्ती	9412410662
18	थाना लमगड़ा	9411112887
19	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जैंती	9456593301
20	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मोरनौला	9456593302
21	थाना सोमेश्वर	9411112883
22	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी ताकुला	7409802654
23	थाना द्वाराहाट	9411112886
24	थाना भतरौजखान	9411112884
25	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भिक्यिासैंण	9411322342
26	थाना सल्ट	9456593306
27	थाना चौखुटिया	9456593308
28	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खीड़ा	9411137189
29	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मासी	9411137194
30	महिला थाना	9411112885
31	थाना दन्या	9411113073

आपदा से निपटने हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं मोबाइल नं0

पार्टी प्रथम

क्र0सं0	नाम अधि0 कर्म0	मोबाइल नं0
1	उ0नि0 श्री अशोक कुमार	9456593317
2	हे0का0 64 नापु राजेन्द्र कुमार पन्त	9412480655
3	का0 26 नापु दिनेश चन्द्र	9410511461
4	का0 72 नापु मनीश पुनेठा	9411119270
5	का0 48 नापु विनोद कुमार	9410599833
6	का0 266 नापु राकेश भट्ट	9410586184
7	का0 310 नापु दीपक रौतेला	8126377022
8	का0 15 नापु महेन्द्र देवड़ी	9412539772

पार्टी द्वितीय

क्र0सं0	नाम अधि0 कर्म0	मोबाइल नं0
1	उ0नि0 श्री मनोहर लोहिया	9456593312
2	हे0का0 38 नापु राजेन्द्र प्रसाद	9410389038
3	का0 240 नापु अशोक बुदियाल	9458303507

4	का0 78 नापु विरेन्द्र चन्द्र	9412513790
5	का0 392 नापु शेर सिंह	9458940821
6	का0 57 नापु सूरज प्रकाश	9410307011
7	का0 241 नापु धीरज बोरा	9456396928
8	का0 184 नापु देवानन्द	7579456947

पार्टी तृतीय

क्र0सं0	नाम अधि0 कर्म0	मोबाइल नं0
1	उ0नि0 श्री गणेश मनोला	9456593316
2	हे0का0 26 नापु गंगा सिंह	9410526867
3	का0 69 नापु जगत सिंह	9410792483
4	का0 138 नापु आनंन्द नबियाल	9411113533
5	का0 45 नापु कुन्दन वर्मा	7579238931
6	का0 29 नापु गणेश पाण्डे	9458153939
7	का0 140 नापु खेम सिंह	9410168473
8	का0 134 नापु पूरन सिंह	9411318430

पार्टी चतुर्थ

क्र0सं0	नाम अधि0 कर्म0	मोबाइल नं0
1	उ0नि0 श्री संतोश तिवारी	9458267521
2	का0 112 नापु विनोद कुमार	9410501110
3	का0 128 नापु देवेन्द्र कुमार	9410156864
4	का0 384 नापु कविन्द्र सिंह	9758029151
5	का0 178 नापु मनीष उप्रेती	9410155980
6	का0 323 नापु मनोज गिरी	7579442428
7	का0 नापु खेम सिंह	9917566787
8	का0 134 नापु पूरन सिंह	9410585577

परिवहन एवं दूरसंचार तंत्र

जनपद में यद्यपि अधिकांश क्षेत्र परिवहन व्यवस्था से जुड़े है परन्तु सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी परिवहन व्यवस्था अपेक्षित है। जनपद में मुख्यतः उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम तथा के0एम0ओ0यू0लि0 द्वारा बसों का संचालन किया जाता है तथा इनके अपने–अपने रूट निर्धारित हैं। साथ ही साथ निजी टैक्सियां भी जनपद में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध जनपद में कुल पॉच बस स्टेशन हैं, जिनमें दो रोडवेज क्रमशः अल्मोड़ा व रानीखेत तथा तीन के0एम0ओ0यू0लि0 अल्मोड़ा, धारानौला, रानीखेत हैं।

जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 तथा ए0डी0बी0 की कुल 240 हल्के, भारी एवं ग्रामीण मोटर मार्ग हैं जिनका विवरण निम्नवत् है:–

Map 8: Road Network-Almora District

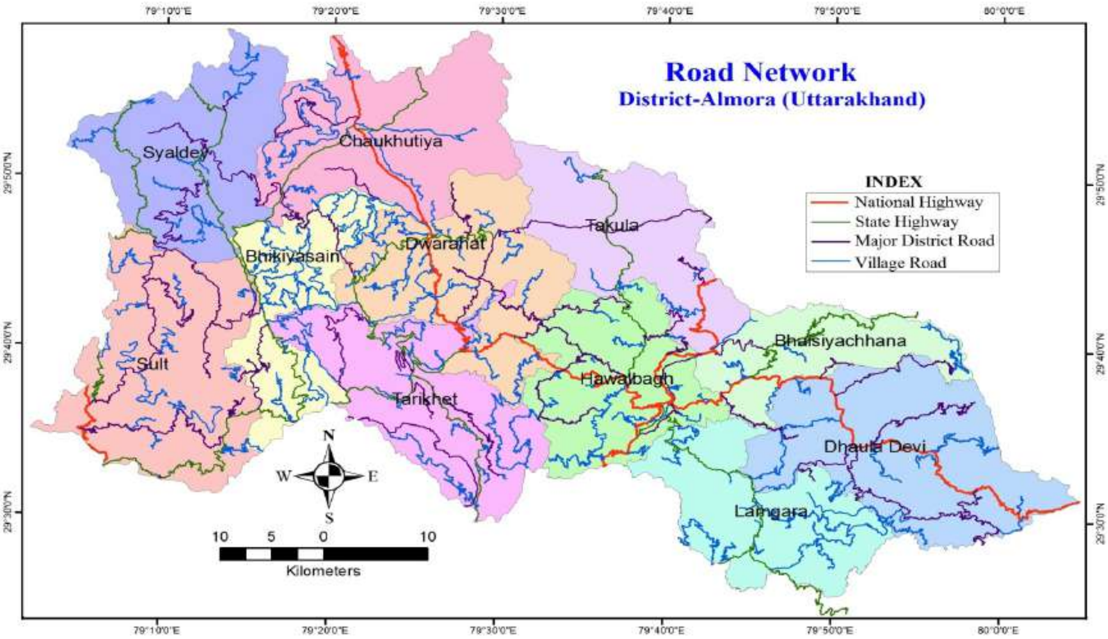

जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 तथा ए0डी0बी0 के कुल 305 हल्के, भारी एवं ग्रामीण मोटर मार्ग हैं जिनका विवरण निम्नवत् है

क्र.सं.	मार्ग का प्रकार	कुल मार्ग
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	02
2	राज्य मार्ग	18
3	अन्य जिला मार्ग	64
4	ग्रामीण मार्ग (लो0नि0वि0) समस्त खण्ड	172
5	ग्रामीण मार्ग (पी0एम0जी0एस0वाई0) समस्त खण्ड	81
6	प्रमुख जिला मार्ग	07
7	हल्का वाहन मार्ग/ पैदल मार्ग	12
	कुल योग	**356**

आपदा के बाद की कार्य योजना

1. आपदा के दौरान भवनों, मार्गों, सेतुओं के आंशिक या पूरी तरह से नष्ट होने की स्थिति में, सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा यह सूचना तत्काल सम्बन्धित खण्ड में अंकित होगी, भले ही सूचना आंशिक हो इसका पूर्ण ब्यौरा यथा शीध्र प्राप्त कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी तत्पश्चात यह सूचना आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी, राज्य स्तर पर एवं जिलाधिकारी को दूरभाष या फैक्स के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
2. मार्ग बन्द होने की स्थिति में मार्ग हेतु नामित नोडल अधिकारी एवं टीम द्वारा मार्ग अवरुद्ध हुए स्थल पर पहुॅच कर मार्ग को खोलने की कार्यवाही की जायेगी। टीम को यन्त्रों की आवश्यकता तथा उसकी स्थिति के बारे में जानकारी रहेगी। जे0सी0बी0 की मार्गो पर प्राथमिकता के आधार पर तैनाती, अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी तथा समस्त उपखण्डों को इसकी जानकारी रहेगी।

3. नोडल अधिकारी को कार्यस्थल की क्षति एवं मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यकतानुसार यदि अतिरिक्त यन्त्रों/श्रमिकों की अवश्यकता होती है तो वे इसकी सूचना तुरन्त अपने अधिशासी अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को देंगे।
4. आपदा के कारण पुल क्षतिग्रस्त, स्लिप होने पर वैली ब्रिज के माध्यम से उनके भागों को जोड़कर अस्थायी पुल का निर्माण किया जायेगा।
5. एक ही समय पर एक से अधिक स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता जे0 सी0 बी0 को भेजने की प्राथमिकता आवश्यकतानुसार निर्धारित करेंगे।
6. इस प्रकार विभागीय आपदा प्रबन्धन में मार्ग खुलवाने हेतु नामित नोडल अधिकारी तथा विभागीय टीम द्वारा उपकरणों के साथ मार्गो को यातायात हेतु सुचारू किया जायेगा, जिससे की सभी विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर पहुँचना सम्भव हो सके तथा आपदा राहत/पुनः स्थापना के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके।

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गो को खोलने हेतु विभागीय तैयारियों का संक्षिप्त विवरण

प्राकृतिक आपदा से यातायात हेतु बन्द हो चुकी सड़कों को खोला जाना विभाग की प्रथम प्राथमिकता होती है, ताकि दूरस्थ स्थानों तक यातायात सुविधा सुलभ हो सके, तथा आवश्यक राहत सामग्री जरूरत मंद लोगों तक पहुंच सके। इस हेतु लोक निर्माण विभाग, जनपद अल्मोड़ा ने निम्नानुसार अवरुद्ध मार्गों को खोले जाने हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती की है–

क्र0 स0	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	खुलवाने हेतु नामित नोडल अधिकारी नाम एवं पदनाम	मार्ग खुलवाने हेतु नामित नोडल अधि0 का मो0न0
1	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	अल्मोड़ा–बैंजनाथ–ग्वालदम–कर्णप्रयाग–मोटर मार्ग	श्री जे0सी0 पाण्डे सहा0अभि0	8393020502
2		अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग		
3		बाड़ेछीना–सेराघाट मो0मार्ग	श्री संजय नयाल सहा0अभि0	9412951505
4		काफलीखान भनोली मो0मार्ग	श्री जे0सी0 पाण्डे सहा0अभि0	8393020502
5		भनोली सिमलखेत मो0मार्ग		
1	निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	हरड़ा–भिक्यिासैण मोटर मार्ग	श्री चरण सिंह सैनी सहा0अभि0	9411756565
2		गनियादोली–अम्यारी मो0 मा0		
3		गनियादोली विशालकोट मो0मा0		
4		चौखुटिया–बछुवाबाण मो0मार्ग		
5		दौला–सिनार मो0मार्ग		
1	निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	सोमेश्वर से गिरेछीना मो0 मार्ग	श्री प्रकाश सिंह रौतेला, सहायक अभियन्ता	9412941119
2		मझखाली– से सोमेश्वर मो0 मार्ग		
3		पातलीबगढ़ से ममरछीना– गणनाथ मो0 मार्ग		
4		शीतलाखेत से खूंट मो0 मार्ग		

5		द्वाराहाट से दुनागिरी मो0 मार्ग	श्री चरण सिंह सैनी सहा0अभि0	7500331157
6		द्वाराहाट से बिन्ता मो0मा0		
7		द्वाराहाट से बिमाण्डेश्वर–ईडा मार्ग		
8		जैनल से देघाट मो0 मार्ग		
9	निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा	जैनल से डोटियाल मो0मार्ग	श्री प्रकाश सिंह रौतेला, सहायक अभियन्ता	9412941119
10		भिकियासैंण से विनायक मो0मा0		
11		रानीखेत से जालली–मासी मो0 मार्ग		
12		चितई–पैटशाल–भेटडांगी हल्का वाहन	श्री चरण सिंह सैनी सहा0अभि0	7500331157
13		धौलादेवी से खेती मोटर मार्ग		
14		स्यूनी से सिलोर महादेव मो0 मार्ग		
5		भतरौजखान से जीनापानी मोटर मार्ग		
1	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट	देघाट–चिन्तोला मो0 मार्ग लं0 22. 00 किमी0	श्री हेम चन्द्र पंत सहा0अभि0	9410334801
2		सराईखेत से चक्रगांव मोटर मार्ग लं0 4.00	इं0 जी0एस0 बिष्ट सहा0 अभि0	9917793463
3		लखरकोट से खानी मो0मार्ग लं0 6 किमी0	इं0 जी0एस0 बिष्ट सहा0 अभि0	9917793463
4		हिनौला–काने–पाटी मो0मार्ग लं012 किमी0	श्री हेम चन्द्र पंत सहा0अभि0	9410334801
5		थला–मनराल स्याड़ी मो0 मार्ग लं011 किमी0	श्री हेम चन्द्र पंत सहा0अभि0	9410334801
6		हरारा से पिनाव मो0मार्ग	ई0 बलवन्त सिंह सहा0 अभि0	7351109634
7		सोधार से पनुवाखन मो0 मार्ग लं015 किमी0		
8		काठ की नाव सजोली तल्ली मो0 मार्ग		
1	प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 रानीखेत	खैरना–रानीखेत–रामनगर (रा0मा0–14)	इं0 कुन्दन सिंह, सहा0 अभि0	9760854780
2		मरचूला–सराईखेत–बैजरों, पोखड़ा सतपुली पौड़ी, मो0 मार्ग (राज्य मार्ग–32) (मरचूला से सराईखेत)	इं0 नरेन्द्र सिंह रावत, सहा0अभि0	9410914609
3		भिक्यिासैंण–देघाट–बूंगीधार–मेहल चौरी–बछुवाबान–चौखु0, मो0मा0		
4		मरचूला–स्याल्दे–देघाट मो0मार्ग (प्र0जि0मा0सं0–04)		
5		रीची बिल्लेख भुजान मो0मार्ग (किमी0 1–33) (प्र0जि0मा0 सं0–06)	इं0 कुन्दन सिंह सहा0अभि0	9760854780
6		चौबुटिया कुनालखेत– बमस्यू मो0मा0(किमी0 1–16)	इं0 कुन्दन सिंह सहा0 अभि0	9760854780

7		गनियाधोली–सिंगोली–अम्याड़ी मो0मार्ग (किमी0 1–4)	इं0 कुन्दन सिंह सहा0अभि0	9760854780
8		गनियाद्योली–टाना–विशालकोट मो0मार्ग (किमी0 1)	इं0 कुन्दन सिंह सहा0अभि0	9760854780
9		भिकियासौंण–बासोट– घटटी मो0मार्ग (किमी0 1–21)	इं0 नरेन्द्र सिंह रावत, सहा0अभि0	9410914609
10		चिमटाखाल–भौनखाल–भतरौजखान मोटर मार्ग		
11		चिमटाखाल–भौनखाल–भतरौजखान मोटर मार्ग		
12		मरचूला–स्याल्दे–देधाट मो0 मार्ग।(किमी0 38–71)		
13		चमखला–क्वैरला–डभरा मो0 मार्ग		
14		पैसिया–पीपना–मो0मा0(किमी0 17)	इं0 कुन्दन सिंह सहा0अभि0	9760854780
15		ताड़ीखेत–पीपली–मंजूरखान मो0मा		
16		लोअर–मालरोड–रानीखेत मो0 मा0		
17		विल्लेख–लिंक मार्ग।(किमी0 4.40)		
18		रानीखेत–चिलियानौला–लिंक मा0		
19		सौनी–तितालीखेत–चमड़खान–वन मोटर मार्ग (किमी07.40)		
20		रानीखेत–एरोड़–मो0मा0(किमी0 4)		
21		हरड़ा–भिकियासैंण–मो0 मार्ग	इं0 नरेन्द्र सिंह रावत, सहा0अभि0	9410914609
22		भतरौजखान–जीनपानी मो0मा0		
23		शशिखाल–खुमाड़–शहीद–स्थल तक मो0 मार्ग		
24		मछोड़–से जांख मो0मार्ग(किमी0 9)		
1	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,द्वाराहाट	रामपुर से टटलगांव मोटर मार्ग,	श्री दीप चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता	9411353751
2		मासी जालली से ऊचावाहन मो0मा0		
3		तडागताल से खाला मोटर मार्ग,	श्री राजेन्द्र लाल साह, सहायक अभियन्ता	9410364031
4		पारकोट जाख से बैनाली मो0मार्ग,		
5		ऐना से जाख मोटर मार्ग, ल0 8.21 किमी0		
6		ओ0डी0आर0 30 के किमी0 31 से जमीनीवार मोटर मार्ग,		
7		उदालीखान से बेहटगांव मोटर मार्ग, ल0 6.97 किमी0	श्री हरीश चन्द्र भट्ट, सहायक अभियन्ता	9997343772
8		मासी कबडोला वाया कनरे मोटर मार्ग ल0 14.15 किमी0		
1	सिंचाई खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) अल्मोड़ा।	एम0डी0आर0–25 से भागादेवली मोटर मार्ग	मुकुल गिरी सहा0अभि0	8439334236
2		सुपईखान से बमन तिलाड़ी मोटर मार्ग	श्री ललित मोहन कश्यप सहा0अभि0	9927918888
3		दन्या से आरा सल्पड़ मोटर मार्ग लं0 30.660 किमी0	श्री के0एन0 सती सहा0अभि0	9412976554
4		छाना से फटक्वाल डुगरा मो0मा0		
5		आटी (हनुमान मन्दिर) से रंगोली		9412976554

		गली मोटर मार्ग	श्री के0एन0 सती	
6		चौसाला से चिल मो0मार्ग।	सहा0अभि0	
7 8		एस0एच0 6 के किमी0 219 (बसोली) से सुनौली माफी मो0मार्ग।	श्री ललित मोहन कश्यप सहा0अभि0	9927918888
9		चमतोला से पपोली मो0मार्ग।	श्री सन्तोष पाण्डे	9675836293
1 2	रा0रा0मा0 लोक निर्माण विभाग रानीखेत	रा0रा0मा0 संख्या 87 विस्तार (नया रा0मा0–109) (क्वारब से पाण्डवाखाल)	श्री पी0एस0 नेगी, सहायक अभियन्ता	9837362078
		रा0रा0मा0 संख्या 309 ए (कमेडीदेवी से अल्मोड़ा)	श्री दीपक कुमार जोशी	9756656404
3		रा0रा0मा0 संख्या 309 बी (शैल बैण्ड से पनार)	श्री दिनेश रावल सहायक अभियन्ता	7830640252
1	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	भतरौजखान–भिकियाo– चौखुटिया मो0मा0	श्री राजेश कुमार सहा0अभि0	9456720999
2		सौगढ़–पंतगॉव मो0मा0	श्री मनोज पाण्डे सहा0अभि0	9411334564
3		गनाई–जौरासी मो0मा0		
4		मासी–गैरखेत मो0मा0		
5		चौखुटिया–तड़ागताल मो0मा0	श्री डी0एस0 नेगी सहा0अभि0	9412039248
6		द्वाराहाट–सुरईखेत मो0मा0	श्री मनोज पाण्डे सहा0अभि0	9411334564
7		द्वाराहाट–असगोली मो0मा0		
8		नागार्जुन–डहल–जालली–मासी मो0मा0		
9		कफड़ा–बड़ेत मो0मा0		
10		कफड़ा–मासर मो0मा0		
1	प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा	मजखाली सोमेश्वर मो0 मार्ग	राधिका भट्ट, कनि0अभि0 मो0 9557822437	
2		कोसी दौलाघट मो0मार्ग		
3		कोसी–हवालबाग मो0मार्ग	श्री दीप चन्द्र पाण्डे, कनि0अभि0 मो0 8979774494	
4		शीतलाखेत–कठपुड़िया–दौलाघट मो0 मार्ग	राधिका भट्ट, कनि0अभि0 मो0 9557822437	
5		शीतलाखेत–खूट मो0 मार्ग		
6		हवालबाग–बसौली मो0मार्ग	श्री दीप चन्द्र पाण्डे, कनि0अभि0 मो0 8979774494	
7		द्वारसो–काकड़ीघाट मा0 (द्वारसों से)	श्री कमल गोयल, कनि0अभि0 मो0 9412923664	
8		द्वारसों–काकड़ीघाट मार्ग (काकड़ीघाट से) ग्रा0 मार्ग		
9		खूंट–काकड़ीघाट मो0मार्ग		
10		कठपुड़िया–ज्योली मो0मार्ग,	राधिका भट्ट, कनि0अभि0 मो0 9557822437	
11	प्रान्तीय खण्ड	मजखाली–बिटुलिया मो0मार्ग		
12		मजखाली बग्वालीपोखर ग्रा0 मार्ग		
13		गोलूछीना–श्रीखेत मोटर ग्रा0 मार्ग		
14		पैखाम–नैनोली मो0मार्ग		

15		द्वारसों–फुटहिल मार्ग	श्री कमल गोयल, कनि0अभि0 मो0 9412923664
16		कोसी दौलाघट मो0मार्ग /गवापानी से पत्थरकोट मोटर मार्ग	राधिका भट्ट, कनि0अभि0 मो0 9557822437
17		ज्योली–वाया–कुज्याड़ी बसर मार्ग	
18		शीतलाखेत–कठपुड़िया मार्ग से बडगल रौतेला ग्राम तक मोटर मार्ग	
19		चौसली से डोबा मो0मार्ग/ ग्रामीण मार्ग	श्री कमल गोयल, कनि0अभि0 मो0 9412923664
20		अल्मोड़ा बागेश्वर मो0 मार्ग/मुख्य जिला मार्ग	श्री दीप चन्द्र पाण्डे, कनि0अभि0 मो0 8979774494
21		अल्मोड़ा–बेरीनाग–अस्कोट मो0मार्ग	
22		अल्मोड़ा–रामेश्वर मो0मार्ग	
23		खूंट–अल्मोड़ा मोटर मार्ग	राधिका भट्ट, कनि0अभि0 मो0 9557822437
24		लोअर–अपर माल लिंक ग्रा0 मार्ग	श्री दीप चन्द्र पाण्डे, कनि0अभि0 मो0 8979774494
25		फलसीमा–टाटिक मो0 मार्ग	
26		एल0आर0साह0 मार्ग	
27		काठगोदाम(रानीबाग)– भीमताल–खूंटानी–पद्मपुरी–धानाचूली–पहाड़ पानी–शहरफाटक–मोरनौला–देवीधुरा–लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग/ राज्य मार्ग	श्री कैलाश रौतेला, सहा0अभि0 9412981282
28		अल्मोड़ा–शहरफाटक मो0मार्ग	श्री कैलाश रौतेला, सहा0अभि0 9412981282
29		अल्मोड़ा–विश्वनाथ घाट संपर्क मार्ग/अन्य जिला मार्ग	
30		मोरनोला–जैंती मो0मार्ग/ग्रामीण	
31		भनोली–जैंती मोटर मार्ग/ग्रामीण	
32		छडौंज–चलनीछीना मोटर मार्ग	
33		चायखान–थुवासिमल मोटर मार्ग	
34		ढौरा–मैगजीन मो0मा0	
35		जैंती पिपला वाल्का मोटर मार्ग	श्री कैलाश रौतेला, सहा0अभि0 9412981282
36		ढौरा–मेरगांव मोतियापाथर मोटर मार्ग/ ग्रामीण मार्ग	
37		स्यूनानी निरई बाजधार– ग्रामीण मार्ग/ ग्रामीण मार्ग	
38		डोल कल्याणी आश्रम मार्ग–ग्रामीण मार्ग	

मुख्य मार्ग बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का विवरण

क्र॰ सं॰	मुख्य मार्ग का नाम	वैकल्पिक मोटर मार्ग का नाम
प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा		
1	शीतलाखेत–कठपुड़िया– दौलाघट मोटर मार्ग–	शीतलाखेत–खूंट मोटर मार्ग
2	शीतलाखेत–खूंट मोटर मार्ग	शीतलाखेत–कठपुड़िया–दौलाघट मोटर मार्ग

3	द्वारसों–काकड़ीघाट मार्ग (द्वारसों से)	खूंट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग
4	खूंट–काकड़ीघाट मार्ग	डोबा–चोसली मोटर मार्ग
5	अल्मोड़ा–रामेश्वर मोटर मार्ग	बरेली–अल्मोड़ा– बागेश्वर मोटर मार्ग
6	भनौली–जैंती मोटर मार्ग	अल्मोड़ा–शहरफाटक –छड़ौजा से देवनाथल –फट्क्वाल तक मार्ग
निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा		
1	कर्णप्रयाग–सिमली–ग्वालदम–बागेश्वर –चौकोड़ी– थल–मुन्स्यारी–जौलजीबी मोटर मार्ग (कोसी–कौसानी प्रभाग)	अल्मोड़ा–ताकुला–कमेड़ीदेवी मो0मा0/एन0एच0 309 ए
2	बागेश्वर–गिरेछीना–सोमेश्वर–द्वाराहाट–विमाण डेश्वर–ईडा–रानीखेत (बिन्ता–सोमेश्वर–गिरेछीना प्रभाग	कोसी–दौलाघट मोटर मार्ग
3	अल्मोड़ा–बेरीनाग–अस्कोट मो0मा0 (बाड़ेछीना–सेराघाट प्रभाग)	अल्मोड़ा–ताकुला–कमेड़ीदेवी मो0मा0/एन0एच0 309 ए
3	आरतोला–जागेश्वर–नैनी मो0मा0	–
4	लोहाघाट–बाराकोट–सिमलखेत–काफलीखान –भनोली मोटर मार्ग (काफलीखान– भनोली–सिमलखेत प्रभाग)	ध्याड़ी–भनोली मोटर मार्ग
5	सुवाखान–दौड़म–चलनीछीना मो0मा0	अल्मोड़ा–घाट मो0मा0/एन0एच0 309 बी
6	ध्याड़ी–भनोली मो0मा0	काफलीखान–भनोली मो0मा0
7	धौलादेवी–खेती–जटेश्वर मोटर मार्ग	–
प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत		
1	चिमटाखाल भौनखाल भतरौजखान मो0मार्ग।	खैरना रानीखेत रामननगर मोटर मार्ग।
निर्माण खण्ड, रानीखेत		
1	भतरौजखान–भिकियासैन– चौखुटिया मोटर मार्ग, लम्बाई 58 किमी., श्रेणी– राज्य मार्ग सं. 12	रानीखेत–जालली– मासी मोटर मार्ग लम्बाई 30.50 किमी. श्रेणी मुख्य जिला मार्ग
2	नागार्जुन–डहल–जालली– मासी मोटर मार्ग लम्बाई 13.20 श्रेणी– ग्रामीण मार्ग	रानीखेत–जालली– मासी मोटर मार्ग लम्बाई 30.50 किमी. श्रेणी मुख्य जिला मार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग, रानीखेत		
1	ज्योलीकोट–अल्मोडा–पाण्डवाखाल–कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 विस्तार (नया–109) किमी 55.550 से 171.00 (क्वारब से पाण्डवाखाल)	खैरना–रानीखेत–घिंघारीखाल मोटर मार्ग/एस0एच0 एवं चौखुटिया–खेड़ा–मेहलचौरी मोटर मार्ग/ग्रामीण मार्ग
2	घाट–बेरीनाग–चौकोड़ी–कांडा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए किमी 93.00 से 206.00 दूधिया से अल्मोड़ा	अल्मोड़ा–बाड़ेछीना–सेराघाट–गंगोलीहाट–पनार मार्ग/130 किमी/एस0एच
3	अल्मोड़ा (शैल बैण्ड) पनार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 बह किमी0	अल्मोड़ा–कोसी–कौसानी–बागेश्वर मोटर मार्ग/130 किमी/एस0एच0
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा		
1	चौकुनी से दुगौड़ा मोटर मार्ग (18.03 कि0मी0)	एन0एच0 109 (घिंघारीखाल से गगास) एवं गगास बिन्ता मो0मा0
2	भुजान चापड़ हिडाम मो0मार्ग (27.49 कि0मी0)	रिची भुजान मोटर मार्ग

संवेदनशील और महत्वपूर्ण मार्गो/स्थानों पर सम्बन्धित अधिकारियों के मोबाईल नं0/दूरभाष नं0 को साईनेजेज के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना ताकि इनके अवरूद्व होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सके।

क्र.सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई	किमी. जिसमें बोर्ड लगा है	बोर्ड संख्या
निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा					
1	कर्णप्रयाग–सिमली–ग्वालदम–बागेश्वर –चौकोड़ी–थल–मुन्स्यारी–जौलजीबी मोटर मार्ग (कोसी–कौसानी प्रभाग)	राज्य मार्ग सं0–11	39.00	किमी0 16,23,24 (दाड़िमखोला) किमी0 51	4
2	बागेश्वर–गिरेछीना–सोमेश्वर–द्वाराहाट–विमाण्डेश्वर–ईडा–रानीखेत(बिन्ता–सोमेश्वर–गिरेछीना प्रभाग	राज्य मार्ग सं0–58	30.41	किमी0 1	
3	अल्मोड़ा–बेरीनाग–अस्कोट मो0मा0 (बाड़े0–सेरा0)	राज्य मार्ग सं0–3	42.70	किमी0 19 किमी0 39	2
4	लोहाघाट–बाराकोट–सिमलखेत–काफलीखान–भनोली मो0मा0 (काफलीखान–भनोली–सिमलखेत प्रभाग)	राज्य मार्ग सं0–57	42.53	किमी0 45 किमी0 79	2
5	सुवाखान–दौड़म–चलनीछीना मो0मा0	राज्य मार्ग सं0–59	18.30	किमी0 1 (सुवाखान)	1
6	आरतोला–जागेश्वर–नैनी मो0मा0	मुख्य जिला मार्ग–9	20.41	किमी0 1 बोर्ड लगा है।	1
7	ध्याड़ी–भनोली मो0मा0	अन्य जिला मार्ग	11.50	किमी0 1 बोर्ड लगा है।	1
प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत					
1	खैरना–रानीखेत–रामनगर मोटर मार्ग।	राज्य मार्ग	104.60	किमी. 1.00 (खैरना के समीप) एवं किमी. 90.00 (सौराल के पास)	1+1
2	चौबटिया कुनलाखेत बमस्यूॅ मोटर मार्ग।	अन्य जिला मार्ग	22.00	किमी. 8.00 (कुनलाखेत के पास)	1
3	मरचूला स्याल्दे देघाट मोटर मार्ग।	अन्य जिला मार्ग	34.60	किमी. 37.00 (डोटियाल के पास)	1
निर्माण खण्ड, रानीखेत					
1	भतरौजखान–चौखुटिया–भिकियासैन मोटर मार्ग	राज्य मार्ग सं. 12	58.00	25,58	2
2	द्वाराहाट–भगतोला मोटर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	9.00	1 (हे.मी.0–2)	1
3	द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	19.00	1 (हे.मी.0–2)	1

4	द्वाराहाट–असगोली मोटर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	11.00	1 (हे.मी.0–2)	1
राष्ट्रीय राजमार्ग, रानीखेत					
1	ज्योलीकोट–अल्मोडा–पाण्ड वाखाल–कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 विस्तार (नया–109) किमी 55.550 से 171.00 (क्वारब से पाण्डवाखाल)	राष्ट्रीय राज0	116.00	66,68,71,81, 58,162,167	7
2	घाट–बेरीनाग–चौकोड़ी–कांडा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए किमी 93.00 से 206.00 दूधिया से अल्मोड़ा	राष्ट्रीय राज0	113.00	154,158,164,168, 201	5
3	अल्मोड़ा (शैल बैण्ड) पनार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 बी किमी0	राष्ट्रीय राज0	77.10	8,22,50,75	4
सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा					
1	दन्या आरा सल्पड मो0मा0	पक्का	30.660	किमी0 18.00	1
2	चौसाला से चिल मोटर मार्ग।	पक्का	12.420	किमी0 6.00	1
3	आटी हनुमान मन्दिर से रंगोली गली मोटर मार्ग।	पक्का	8.480	किमी0 3.00	1
पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट					
1	सदर–सकनाड़ा से बेसरबगढ़ मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	–	किमी0 3	1
2	भौनडांडा से मनगांव मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	–	किमी0 2	1
3	सौधार से पनुवाद्योखन मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	15.75	किमी0 3 व 12	2
4	हिनौला–काने–खलपाटी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	12.434	किमी0 7	1
5	हरड़ा से पिनाकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	7.97	किमी0 4	1
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा					
1	चौकुनी से दुगौड़ा मोटर मार्ग (18.03 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	18.03	KM 1	2
2	एम0डी0आर0 के किमी0 4 गनियाधौली से पाली नदोली मो0मार्ग (2.615 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	2.615	KM 1	2
3	एम0डी0आर0 के किमी0 17 से बमस्यू ख्यूशियालकोट मो0 मार्ग (4.17 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	4.17	KM 1	2
4	उपराड़ी से तस्वाड (सिलंगी)	ग्रामीण मार्ग	4.95	KM 1	2

	मो0मार्ग (4.950 कि0मी0)				
5	भुजान चापड़ हिडाम मो0मार्ग (27.49 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	27.49	KM 1	2
6	अल्मियाकाण्डे से देहुली मो0मार्ग (18.025 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	18.025	KM 1	2
7	पपरसैंली से बल्टा मो0मार्ग (5.64 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	5.64	KM 1	2
8	आर्मीगेट से रैलाकोट मोटर मार्ग (6.925 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	6.925	KM 1	2
9	ए0बी0जी0के0 मोटर मार्ग के कि0मी0 31 से बामनीगाड़ मोटर मार्ग (6. 50 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	6.5	KM 1	2
10	चारपाथी से रिखी मोटर मार्ग (8.025 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	8.025	KM 1	2
11	कौसानी से डौनी मोटर मार्ग (5.00 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	5	KM 1	2
12	जाल से लखनारी मोटर मार्ग (7.125 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	7.125	KM 1	2
13	बसौली–पोखरी–नाईढौल मो0मार्ग (14.30 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	14.3	KM 1	2
14	पाथलीबाग से बरसीमी मोटर मार्ग (9.55 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	9.55	KM 1	2
15	ताड़ीखेत से ऊनी मो0मार्ग	ग्रामीण मार्ग	9.475	KM 1	2
16	भिकियासैण बैंना काड़ाकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	7.7	KM 1	2
17	अल्मियाकाण्डे देहुली मोटर मार्ग से इनाड मोटर मार्ग (स्टेज– I) (2.90 कि0मी0)	ग्रामीण मार्ग	2.9	KM 1	2

क्र.सं0	विभाग का नाम	क्रैश बैरियर की स्थिति
1	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	सभी खतरनाक स्थानों में कुल 5.00 किमी0 लम्बाई में क्रैश बैरियर लगाये जा चुके हैं।
2	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	खतरनाक स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाये गये हैं।
3	प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	इस खण्ड अधीन देघाट मौलेखाल मरचूला (राज्य मार्ग संख्या–52) एवं खैरना रानीखेत मोहान मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–14) के किमी. 85.00 (हे.मी. 2–4) में क्रैश बैरियर, साईन बोर्ड एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु क्रमशः रू 10.17 लाख, रू 3.89 लाख की सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है। परन्तु वर्तमान तक धनावंटन प्राप्त नहीं हुआ है। मोटर मार्गो के कुछ स्थानों पर आवश्यकतानुसार क्रैश बैरियर लगवाये गये है व पैरापिटों का निर्माण करवाया गया है तथा इसके अतिरिक्त कुछ मोटर मार्गो में दुर्घटना से सम्भावित स्थानों पर

		क्रैश बैरियर आदि लगाने हेतु आगणन शासन को प्रेषित।
4	निर्माण खण्ड, रानीखेत	सभी खतरनाक स्थानों में कुल 6.61 किमी0 लम्बाई में क्रैश बैरियर लगाये जा चुके हैं।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत निम्न स्थान वर्षाकाल में संवेदनशील है।

क्र०सं०	मार्ग का नाम	संवेदनशील किमी0
प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत		
1	चौबटिया कुनलाखेत बमस्यू मोटर मार्ग।	किमी. 8.00 (कुनलाखेत के समीप)
सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा		
1	दन्या आरा सल्पड मो0मा0	किमी0 18
2	चौसाला से चिल मोटर मार्ग।	किमी0 6 एवं किमी0 7
3	आटी हनुमान मन्दिर से रंगोली गली मोटर मार्ग।	किमी0 3
पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट		
1	सदर–सकनाड़ा से बेसरबगढ़ मोटर मार्ग	किमी0 3
2	भौनडांडा से मनगांव मोटर मार्ग	किमी0 2 व 3
3	सौधार से पनुवाद्योखन मोटर मार्ग	किमी0 3, 5, 7 व 9, 12
4	हिनौला–काने–खलपाटी मोटर मार्ग	किमी0 7 व 8
5	हरड़ा से पिनाकोट मोटर मार्ग	किमी0 4 व 6
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, द्वाराहाट		
1	गजार से क्वैराली मोटर मार्ग	किमी0 8.00, चैनेज 7.500 से 7.600
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा		
1	पपरसैली से बल्टा मोटर मार्ग	Km 4, 5
2	अल्मियाकॉण्डे से देहुली मोटर मार्ग	Km 2,3,4,5,6,7,10
3	भुजान चापड़ हिड़ाम मोटर मार्ग	Km 3, 21, 22
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड.।।।, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।		
1	डुंगरा जिंगोली से तोली जिंगोली मोटर मार्ग,स्टेज–II, लम्बाई 9.100 किमी0	किमी0 01 से किमी0 07 तक, (जगह– जगह पर मलवा आता है।)
2	भागादेवली से मेरगॉव मो0मा0,स्टेज–II, लम्बाई 6.900 किमी0	किमी0 02 से किमी0 6.900 तक (अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग की सतह दलदली हो जाती है, जिस कारण यातायात बाधित होता है।)
3	मौरनौला से खांकर मो0मा0,स्टेज–II ल0 4.400 कि0	किमी0 01,03 एवं किमी0 04
4	जैंती से नया सिंगरोली मो0रोड,स्टेज–II	किमी0 01 से किमी0 04
5	धौलछीना से कॉचुला मो0मा0, स्टेज–II,लम्बाई 5.650 किमी0	किमी0 03 से किमी0 5.650 तक (अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग की सतह दलदली हो जाती है, जिस कारण यातायात बाधित होता है।)
6	दशौला से मेल्टा मोटर मार्ग, स्टेज II, लम्बाई 8.625 किमी0	किमी0 05 से किमी 08

हैलीपैड : जनपद अल्मोड़ा में सड़क मार्गो के अवरूद्व होने पर 35 स्थान हैलीकाप्टरों के प्रयोग हेतु चिन्हित किये गए हैं। जिनके कॉर्डिनेट्स राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। जनपद के अलग–अलग क्षेत्रों में स्थित इन 35 हैलीपैडो का प्रयोग किसी भी आपदा के दौरान आवागमन हेतु वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जा सकता हैं। उपरोक्त के

अतिरिक्त जनपद की तहसील द्वाराहाट एवं चौखुटिया में यू0ई0ए0पी0—सिविल एवियेशन (ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषित) के अन्तर्गत 02 H3 हैलीपैडों का निर्माण प्रस्तावित हैं। जिस हेतु भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित अनापत्ति शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं।

Map 9: Helipad Location-Almora District

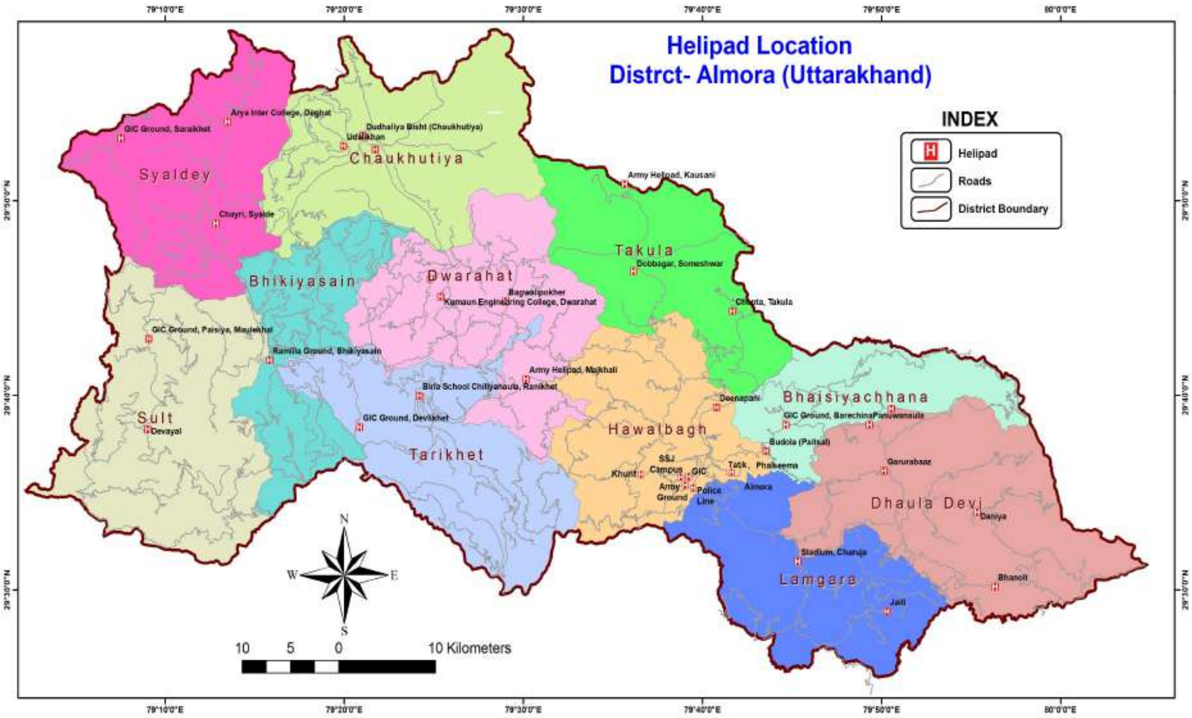

दूरसंचार

जनपद में दूरसंचार व्यवस्था मुख्यतः बी0एस0एन0एन0 के पास है। पूरे जनपद में उनकी अपनी अपनी नेट वर्किंग संचार व्यवस्था है। बी0एस0एन0एल0 की मोबाइल सेवा के अतिरिक्त प्राईवेट टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा भी जनपद में मोबाईल सेवा संचालित की जा रही है तथा कई दूरस्थ क्षेत्र भी इनके नेटवर्क से जुड़े हैं। जनपद के कई स्थानों में मोबाइल टावर स्थापित कर दिये गये है। इसके अतिरिक्त जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा प्रदत्त सैटेलाईट फोन भी उपलब्ध है।

राज्य के जनपदों में दिये गये सैटेलाईट फोन नं0 की सूची

क्र.सं.	जनपद का नाम	फोन नं0
1	जिलाधिकारी अल्मोड़ा	00870764128651
2	जिलाधिकारी नैनीताल	00870 764128655
3	जिलाधिकारी पिथौरागढ़	00870 764128659
4	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	00870 764128667
5	जिलाधिकारी पौढी	00870 764128675
6	जिलाधिकारी चमोली	00870 764128679
7	जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग	00870 764128683
8	जिलाधिकारी बागेश्वर	00870 764128687
9	जिलाधिकारी टिहरी	00870 764128691
10	जिलाधिकारी चम्पावत	00870 764128714
11	डी0एम0एम0सी0 देहरादून	00870 764460837

जनपद अल्मोड़ा में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा 15 सैटेलाईट फोन उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से 12 फोन तहसीलों को उपलब्ध कराये गये हैं तथा 03 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित सैटेलाईट फोन से प्रत्येक माह की 15 तारीख को समस्त तहसीलों को सैटेलाईट फोन पर सम्पर्क किया जाता है तथा अध्यावधिक स्थिति से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आख्या प्रेशित की जाती है।

तहसीलों में दिये गये सैटेलाईट फोन नं0 की सूची

क्र0सं0	स्थान का नाम	सैटेलाईट फोन नम्बर
1	तहसील अल्मोड़ा	8991119801
2	रानीखेत	8991119802
3	सल्ट	8991119803
4	द्वाराहाट	8991119804
5	जैती	8991119805
6	सोमेश्वर	8991119806
7	स्याल्दे	8991119807
8	लमगड़ा	8991119808
9	भनोली	8991118148
10	भिक्यिासैण	8991112990
11	चौखुटिया	8991112989
12	जिला आपात कालीन परिचालन केन्द्र, अल्मोड़ा	8991119809
13		8991112022
14		8991118148
15		8991119810

Map 10: Communication & Electrict/Road Network -Almora District

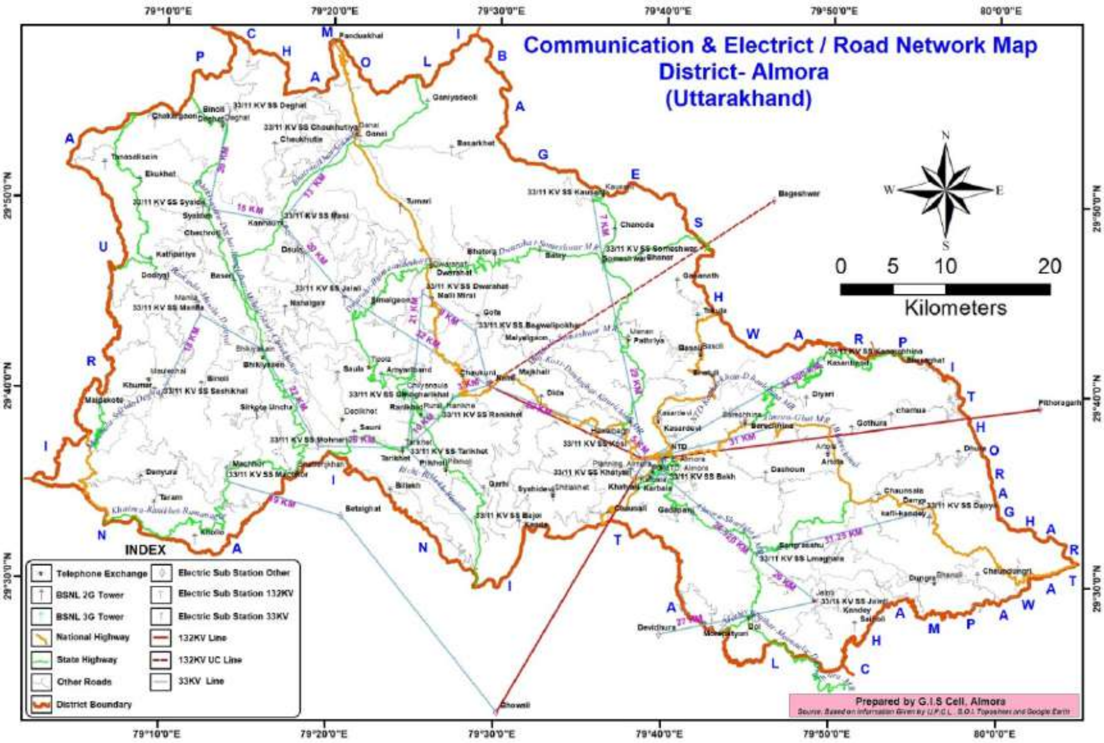

सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा

इस खण्ड का मूलभूत कार्य कृषकों को सिंचाई लाभ दिया जाना है। वर्तमान में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में 119 नहरें हैं, जिनके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस खण्ड द्वारा जनपद में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य भी सम्पादित कराये गये हैं। वर्तमान में इस खण्ड में 25 बाढ़ सुरक्षा कार्य निर्मित हैं। वर्षाकाल प्रारम्भ होने से पूर्व निर्मित बाढ़ कार्यो की चैक लिस्ट तैयार कर अतिआवश्यक कार्य उपलब्ध संशाधनों के आधार पर सम्पादित कराते हुए उन्हें दुरूस्त किया जाता है।

इस खण्ड का सम्पूर्ण भू–भाग पर्वतीय क्षेत्र होने से बाढ़, जल भराव/जल प्लावन की समस्या (नदी–नालों को छोड़कर) न होकर भू–स्खलन एवं बादल फटने की समस्या रहती है। इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में मुख्यतः कोसी, स्वाल, पनार नदी एवं इसकी सहायक नदियॉ हैं। वर्षाकाल में अत्यधिक वर्षा एवं अतिवृष्टि से नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण नदी के किनारे की कृषि भूमि व आबादी को खतरा बना रहता है जिनकी सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य योजना बनाई जाती हैं। वर्तमान में जनपद के अन्तर्गत 04 संख्या बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य योजनायें टी0ए0सी0 से स्वीकृति उपरान्त निर्माणाधीन है। 01 सं0 बाढ़ योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की गयी है।

इस खण्ड के समस्त सहायक अभियन्ताओं को वर्तमान मानसून सत्र 2015 में अपने–अपने कार्यक्षेत्र में सजगता बरतने तथा सम्भावित बाढ़ क्षेत्रों व नदी के तटों पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया ताकि वहॉ पर कार्य कर रहे मजदूर या गॉव के कोई परिवार टैन्ट इत्यादि लगाकर रह रहे हों तो उस क्षेत्र को सम्बन्धित तहसीलदार के सहयोग से बसे लोगों से क्षेत्र को तुरन्त खाली कराया जाये।

इस खण्ड द्वारा एक अपील ''जनपद अल्मोड़ा के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि मानसून अवधि में नदी/नालों में अचानक बाढ़/तेज जल प्रवाह की सम्भावना को देखते हुए नदी/नालों में एवं नदी/नालों के किनारें स्वयं जायें, न बच्चों/वृद्ध जनों को और न ही अपने मवेशियों को जाने दें'' समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा को दे दी गयी है। साथ ही नदियों के बहाव/व्यवहार की सतत जानकारी रखने के लिये क्षेत्रीय कर्मचारी तैनात है। जो कि अपने उच्चाधिकारियों को सूचनायें उपलब्ध करते रहेगें।

खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अन्य फील्ड कर्मचारियों के सम्पर्क नम्बर एवं तैनाती स्थान की सूची संलग्न है।

आपदा के समय खण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर स्थित सर्वशैड आपदा राहत कार्यो हेतु उपलब्ध कराये जा सकते है।

1–सोमेश्वर, वि0ख0– ताकुला, 2–सेराघाट,वि0ख0– भैसियाछाना, 3–खेतीपांडे, वि0ख0 – लमगड़ा, 4–लमगड़ा, वि0ख0– लमगड़ा, 5–बमनस्वाल, वि0ख0– धौलादेवी, 6–बाड़ेछीना, वि0ख0 – भैसियाछाना।

अध्याय : 4

खतरा एवं संवेदनशीलता विश्लेषण

खतरा विश्लेषण

यह जिला अपने विशेश भौगोलिक एवं जलवायु जनिक कारणों से भूस्खलन, भूकम्प, अग्निकांड, शीत लहर तथा वाहन दुर्घटनाओं आदि आवर्तक घटनाओं से प्रभावित होता रहा है। इन घटनाओं के कारण यह जिला आपदा के प्रति संवेदनशील रहा हैं। कोसी, गगास, रामगंगा, सरयू आदि नदियां जनपद की सीमा से होकर बहती हैं। मानसून में ये नदियां पानी से भरी रहती हैं जिससे नदी तट पर बसे क्षेत्रों सोमेश्वर, चौखुटिया, भिकियासैंण, बिन्ता आदि में भूकटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कई छोटे बड़े नालों में भारी वर्षा के कारण पानी बढ़ जाता है तथा पेयजल योजनाओं, घराटों, पुलों, रास्तों आदि को क्षति पहुँचती है।

भूकम्प की दृष्टि से जोन IV एवं V में अवस्थित होने के कारण जनपद में भूकम्प का भी खतरा बना रहता है। जनपद के अधिकांश पुल भ्रंशों के निकट हैं, **मरचूला (M.B.F.) खैरना (S.A.T.) क्वारब (S.A.T.) चौखुटिया (N.A.T.) सोमेश्वर (N.A.T.)** अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं।

खतरा	कारक / लक्षण	किन्हें / क्या जोखिम
अतिवृष्टि	बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ कभी–कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटी मीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण भूस्खलन हो जाता है तथा भारी तबाही होती हैं। जनपद में वर्ष 2010 में देवली एवं बल्टा ग्राम में अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन हुआ था जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई तथा कई भवन नष्ट हो गये।	नदी तटों में निवास करने वाले लोगों, नदियों में पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित पम्पों, घराटों, पुलों, रास्तों, मानव एवं पशु जीवन आदि के अतिरिक्त गरीब एवं अशिक्षित लोगों को ज्यादा जोखिम जो कि आपदाओं के प्रति जागरुक नहीं हैं।
भूकम्प	भूकम्प की दृष्टि से जोन IV एवं V में स्थित होने के कारण कभी भी और कहीं भी हो सकता है, सम्पूर्ण जनपद इसके लिये संवेदनशील है। विगत पूर्व कुछ दशकों में जनपद में भूकम्प से क्षति की कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं हुई है।	मानव एवं पशु जीवन, आवासीय एवं सार्वजनिक भवन, मंदिर, विद्यालय, पुल, सड़क मार्ग, विद्युत लाइनें, दूरसंचार व्यवस्था, जलापूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त गरीब एवं अशिक्षित लोगों को ज्यादा जोखिम जो कि आपदाओं के प्रति जागरुक नहीं हैं।
भूस्खलन	भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना,	मानव एवं पशु जीवन, वर्षों पुराने भूस्खलन के मलबे पर अवस्थित

	पथरीली मिटटी का बहाव, इत्यादि इसके अंतर्गत आते है। भू–स्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे–छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिटटी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकम्प के आने से भू–स्खलन हो सकता है। मानव गतिवधियों, जैसे कि पेड़ों को काटने, सड़क किनारे खड़ी चटटान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भू–स्खलन हो सकता है। निर्माण कार्यों के दौरान उच्च क्षमता के विस्फोटकों का उपयोग किये जाने से भी भूस्खलन की सम्भावना बढ़ जाती है।	संरचनाओं, मोटर मार्गों, पहाड़ की तलहटी में बसी बस्तियों के अतिरिक्त गरीब एवं अशिक्षित लोगों को ज्यादा जोखिम जो कि आपदाओं के प्रति जागरुक नहीं हैं।
ओलावृष्टि	यह एक मौसमी खतरा है ।	मानव एवं पशु जीवन और फसल, फलों की खेती आदि।
मार्ग दुर्घटनाऐं	सभी दुर्गम पर्वतीय मार्गो पर असावधानी पूर्वक वाहन चलाने से, वाहन में तकनीकि खराबी होने के कारण या चालक की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाओं का खतरा होता है।	मानव जीवन एवं आर्थिकी पर प्रभाव पड़ता है
वनाग्नि तथा अग्नि दुर्घटना	गर्मी के मौसम में वातावरण के तापमान में वृद्धि होने के कारण संकरी बस्तियों में, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉं पर कि लकड़ी एवं उपले आदि को ईंधन के रुप में प्रयोग किया जाता है, वहॉं पर इसका खतरा ज्यादा होता है।	मानव एवं पशु जीवन, आवासीय एवं सार्वजनिक भवन, मंदिर, विद्यालय आदि।

मौसम का चित्रण

क्र0सं0	खतरा	संभावित महीना											
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1.	त्वरित बाढ़							■	■	■			
2.	भूकम्प	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	अग्निकांड			■	■	■	■						
4.	तूफान				■	■							
5.	शीतलहर	■											■
6.	ओलावृष्टि			■	■								
7.	भूस्खलन							■	■	■			

आपदायें

बादलो का फटना, भूस्खलन, एकाएक बाढ़ और भूकम्प जिले की प्रमुख आपदायें है। बादलो के फटने के कारण आये एकाएक बाढ़ और भूस्खलन से 2010 में बहुत अधिक क्षति हुयी थी। विभिन्न आपदाओं से उत्तराखड जिलो की नाजुकता का स्पश्ट चित्रण मानचित्र में किया गया है। मानचित्र से यह स्पष्ट है कि अल्मोड़ा जिला बाए एवं भूकम्प जैसी आपदा के कारण नाजुक है। अल्मोड़ा जिला भूकम्प की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है क्योकि यह भूकम्प के चतुर्थ एवं पंचम जोन में आता है वही दूसरी ओर 2010 के बाद बादलो के फटने के कारण एकाएक बाढ़

भी जिले के लिए प्रमुख चुनौती हो गया है। इसी प्रकार 2013 में भारी वर्षा और भूस्खलन तथा 2014 में भारी हिमपात प्रमुख आपदायें रही जो इसे बहुआपदा बाहुल्य जिला बना दिया है।

जिला में आपदा की प्रमुख घटनायें

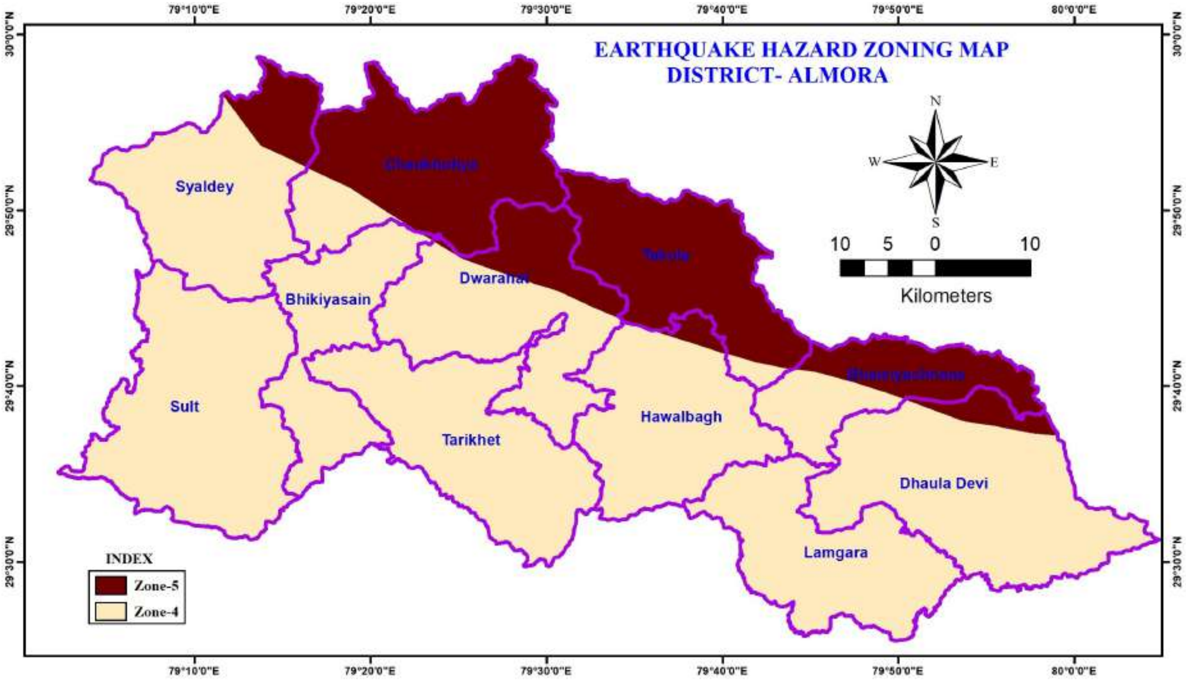

अल्मोड़ा जिला कई मानव जनित आपदाओ जैसे वनो में आग और सड़क दुर्घटनाओं आदि से भी प्रभावित रहा है।

मौसम सम्बधी पूर्वानुमान/वर्षा सम्बन्धी जानकारी में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली

Legends: (As per the new guidelines w.e.f January 1, 2016)

(A) Intensity of Rainfall **Terminology Used**

1-	Trace to 2.4 mm	(24 hrs)	Very Light rain
2-	2.5 mm to 15.5 mm	(24 hrs)	Light rain
3-	15.6 mm to 64.4 mm	(24 hrs)	Moderate rain
4-	64.5 mm to 115.5 mm	(24 hrs)	Heavy rain
5-	115.6 mm to 204.4 mm	(24 hrs)	Very Heavy rain
6-	More then 204.4 mm	(24 hrs)	Extremely Heavy rain

(B) Special distribution of weather phenomenon

Precentage Area Covered	**Terminology Used**
1. Up to 25	Unlikely
2. 26 to 50	Likely
3. 51 to 75	Very likely
4. 76 to 100	Most Likely

❖ Heavy snow: 64.5 – 115.5 cm (in depth) & Very heavy snow: 115.6 – 204.4 cm (in depth).

Isolated places: Less than or equal to 25% area.
Few places: 26% - 50% area.
Many places: 51% - 75% area.
Most places: 76% - 100% area

(C) Emergency Situation

1. When water level is rising above the danger of H.F.L.
2. When intensity of railfall is above 65 mm/ hr
3. When breaches are anticipated and may lead to disaster
4. When water levels are rising alarmingly.

WARNING (TAKE ACTION)	WATCH (BE UPDATED)
ALERT (BE PREPARED)	NO WARNING (NO ACTION)

कोसी बैराज एवं रामगंगा नदी का जल स्तर (मीटर में)

नदी का नाम	चेतावनी बाढ़ तल	खतरे का बाढ तल	उच्च बाढ़ तल
कोसी बैराज	1132.00	1135.00	1136.00
रामगंगा	921.525M	923.450	

सिंचाई विभाग अल्मोड़ा एवं रानीखेत द्वारा जनपद अन्तर्गत कोसी बैराज एवं चौखुटिया स्थित रामगंगा नदी के जलस्तर की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रातः 8 बजे एवं दिन में 2 बजे जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायी जाती है।

स्वचालित मौसम स्टेशन/स्वचालित वर्शामापी यंत्र

आपदा पुनर्निमाण परियोजना उत्तराखण्ड शासन के तत्वाधान के तहत जनपद अल्मोड़ा में मौसम पूर्व जानकारियां एवं वर्षा आंकड़े प्राप्त करने हेतु जनपद के विभिन्न स्थानों में स्वचालित मौसम स्टेशन (A.W.S.) स्वचालित वर्शामापी यंत्र (A.R.G) स्वचालित बर्फ मापी यंत्र (A.S.G.) उपकरण स्थापित निम्न स्थानों में स्थापित किये गये हैं:–

क्र0सं0	स्थान	चयनित स्थल	उपकरण का नाम
1	अल्मोड़ा	जिला अधि0 कार्या0 परिसर विकास भवन	एस0एफ0ओ0
2	भैसियाछाना	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय	स्व0 मौसम स्टेशन
3	भिक्यिासैण	तहसील परिसर	स्व0 मौसम स्टेशन
4	गुरूड़ाबाज	तहसील परिसर	स्व0 मौसम स्टेशन
5	चौखुटिया	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय	एस0एफ0ओ0
6	ताकुला	राज0क0इ0 कालेज सारकोट ताकुला	स्व0 मौसम स्टेशन
7	द्वाराहाट	तहसील परिसर द्वाराहाट	स्व0 मौसम स्टेशन
8	जैती	तहसील परिसर जैती	स्व0 मौसम स्टेशन
9	मासी	अतिथि गृह लो0नि0वि मासी	स्व0 वर्शामापी यन्त्र
10	शीतलाखेत	राजकीय इण्टर कालेज शीतलाखेत	स्व0 मौसम स्टेशन
11	सल्ट	तहसील परिसर सल्ट	स्व0 मौसम स्टेशन

निगरानी एवं आंकलन प्रणाली

निगरानी एवं आकलन प्रणाली की प्रमुख उद्येश्य नाजुकता एवं आपदाओं से वचाव एवं क्षतिपूर्ति के मध्य अन्तराल की समझ विकसित करना तथा वार्शिक आधार पर जिला आपदा प्रबन्धन योजना में उपयुक्त संशोधन करना है। आपदा प्रबन्धन की तैयारी तथा आपदा से बचाव के चरण में समन्वयन, समीक्षा और निगरानी की एक प्रणाली पहले से स्थापित हैं। फिर भी जिलें के सभी

विभागो की आपदा की तैयारी की स्थिति के आकलन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागो की एक बैठक मानसून के पूर्व आहूत की गयी। इसी प्रकार आपदा के समय, पूर्व चेतावनी, सूचना तथा बचाव की अवस्था/चरण में जिलाधिकारी प्रत्येक दिन समन्वयन एवं समीक्षा की बैठक करते है। पहले ही विभिन्न विभागो में सक्ष्म समन्वयन, संसाधन एवं मानव संसाधन में अन्तराल की पहचान किया जा चुका होता है। इन अन्तरालो को पूर्ण करने के लिए संस्तुतियॉ की जा चुकी होती है। फिर भी निगरानी एवं आकलन और जल्दी एवं दीर्घकालिक पुर्नस्थापन के चरण की अवधि में बचाव कार्य के समन्वित प्रणाली पहले से अच्छा निर्माण (Build Back Better) की संस्कृति को स्थायी एवं अनुकूलित विकास हेतु वढ़ावा दिया जाना चाहिए। अतः निम्नलिखित प्रणाली/तंत्र की संस्तुति की जाती हैः

क्षति एवं नाजुकता का पुनः आंकलन प्रणाली

विकासखण्ड जिले में विकास की आधारभूत (बुनियादी) इकाई होते हैं जबकि जिलास्तर के अन्य कार्यालयों का एक पदानुक्रम होता है। उदाहरण स्वरूप विभाग में 'खण्ड' एवं 'भाग' होते है जिनकी सीमायें विकासखण्ड की सीमा के पार जहॉ तक उनका अपना सेवाक्षेत्र होता है वहॉ तक उसका विस्तार होता है। इसी प्रकार विद्युत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्डों एवं उपखण्डों में ब्यवस्थित है। इस व्यवस्था में विकास खण्डवार आपदाओं से हुए क्षति का आकलन करना कठिन होता है। इसलिए यह संस्तुति किया जाता है कि सभी विभाग जहॉ तक सम्भव हो क्षतियों का विकास खण्डवार आख्या प्रस्तुत करें। इसके अलावा किसी भी विभाग से सम्बन्धित बुनियादी ढ़ाचें या परिसम्पत्त्यिों की क्षति या नाजुकता उस क्षेत्र में आने वाली नदियों के उपरी वहावक्षेत्र में हुए नुकसान या नाजुकता से भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अल्मोड़ा जिले के आपदा प्रबन्धन योजना में इस जिले में आने वाली नदियों के ऊपरी बहाव वाले जिलों के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के साथ जहॉ एक ओर समन्वयन स्थापित करने की आव यकता है वही नदी के ऊपरी एवं निचले बहाव के जिलो के नाजुकता की समझ विकसित करने की आवश्यकता है। विशेष उदाहरण के लिए घनघोर वर्षा के कारण धन का प्राथमिकता के आधार पर बचाव कार्य में 'जल्दी एवं व्यापक प्रभाव' के लिए विभिन्न विकास खण्डों के मध्य नुकसान की स्थिति के आधार पर सजल्द आवंटित हो जाना चाहिए। विशेष रूप से निम्नलिखित मुद्‌दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाय :

- नये (अत्यधिक) प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान
- प्रत्येक विकास खण्डों में पूर्व की अपेक्षा आपदा की तीव्रता एवं भयावहता कैसे अलग था का ज्ञान और
- काई नया प्रभाव (प्रतिरूप नया तथ्य) की पहचान

यह भी संस्तुति किया गया कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्निमाण चरण के प्रारम्भ के पूर्व (अक्टूबर/नवम्बर या जब अनुकूल हो) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व आपदा से सीख को जानने के लिए सभी विभागो की निगरानी एवं समीक्षा बैठक बुलाया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक विभाग बुनियादी सुविधाओ/परिसम्पत्त्यिों की क्षति का विकास खण्डवार ब्यौरा प्रस्तुत करें। अल्मोड़ा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में उपरोक्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए अतिरिक्त प्रोफेसनल की आवश्यकता होगी। यह भी संस्तुति की जाती है कि राज्य/केन्द्र सरकार उचित योजनाओं के माध्यम से इसके लिए बजट में प्राविधान करे।

पूर्व सूचना

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र जो कि 24x7 के आधार पर कार्य कर रहा है कि जिम्मेदारी कम से कम समय में सूचनाओं/चेतावनी को सम्बन्धित अधिकारियों तक प्रसारित करने की है। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली विशिष्टि जानकारियों एवं चेतावनी को निम्नलिखित जिम्मेदारियों के साथ प्रसारित करना भी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का दायित्व है–

- विभिन्न स्थानीय तकनीकी संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य करना।
- संचार तन्त्र को दुरस्त रखना तथा किसी कारणवश संचार तन्त्र के कार्य न करने पर एच0एफ0 सैट/सैटेलाईट फोन के माध्यम से वैकल्पिक संचार तन्त्र स्थापित करना।
- मीडिया के साथ समन्वय करना एवं प्रमाणिक सूचनाओं को प्रदान करना।
- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित संचार उपकरणों को प्रतिदिन जॉचना।

आपदा के सम्बन्ध में किसी भी माध्यम द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित उपजिला अधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को सूचित करना। वर्तमान में जनपद में पुलिस संचार केन्द्र द्वारा स्थापित वायरलैस सैट से सूचना प्राप्त करने में काफी मदद मिलती है। वाहन दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में 108 में दर्ज शिकायतों को पुलिस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी या तहसीलदार को घटना के सम्बन्ध में तुरन्त सूचित किया जाता है। तथा उसे जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की पंजिका में दर्ज किया जाता है। नियमित अन्तराल पर उन सूचनाओं को अद्यतन (Updete) भी किया जाता है।

भारी बारिश या मार्ग अवरूद्व होने पर आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलने पर वाहनों को सुरक्षित स्थानों में ही रोक देने हेतु अपर जिला अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, थाना प्रभारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।
जनपद में आपातकालीन परिचालन केन्द्र भारतीय मौसम विभाग, जी0एस0आई0 एवं सी0 डब्लू0 सी से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसारित करता हैं।
मौसम विभाग द्वारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10:00 बजे दिन में 1:00 बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल, डी0एस0पी0टी0 फोन तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वट्सएप गुप्र के माध्यम प्रचारित किया जाता है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(सूचना प्राप्त होने पर)

जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी अपर जिला अधिकारी	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	नोडल/समन्वयक अधिकारी इन्सीडेट रिस्पान्स सिस्टम

(उपरोक्त वर्णित क्रम में सूचनाओं का प्रेषण फोन/मोबाईल/बल्क एस0एम0एस0/ई–मेल /Whattsup द्वारा किया जायेगा)

सायरन–

जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र तथा जिला अधिकारी कार्यालय में स्थित सायरन एवं पुलिस, अग्निशमन तथा अन्य विभागों की गाडियों में स्थापित सायरन से एलर्ट किया जाता है। जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जन प्रतिनिधियों की सूची संकलित की गयी है जिससे आपदा के समय उनका उपयोग किया जा सके।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, स्वंयसेंवी संस्थायें जिला अधिकारी के निर्दे ान मे कार्य करेंगे।

(क) जिले मे सम्भावित आपदाओं के खतरों का विश्लेशण।
(ख) जिले मे सम्भावित आपदाओ की घातकता का विश्लेशण।
(ग) पूर्व तैयारी का मूल्यांकन।
(घ) जिला आपदा प्रंबधन कार्ययोजना का मूल्यांकन एवं सुझाव।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डी0डी0एम0ए0पी0) का प्रयोजन–

(क) जिले में सम्बद्ध विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के पास उपलब्ध आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में उनके वर्तमान संसाधनों एवं उनकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाय।
(ख) आपदा बाहुल की प्रतिकिया हेतु उनकी उपयुक्तता एवं कमजोरियॉं, यदि हों तो उनका मूल्याकंन कर लिया जाय।
(ग) जिला स्तर पर प्रशासकीय प्रतिक्रिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संस्थाओं के सुद्ढ़ीकरण का सुझाव देना, प्रौद्योगिकी सहायता लेना, सूचना प्रणाली का उच्चीकरण करना एवं सूचनाओं का संकलन करना।
(घ) इसे एक प्रशासकीय उपकरण के रूप में विकसित करना। उपरोक्त के आधार पर, उत्तराखण्ड भाासन द्वारा राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति
गठित की गई है और मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड भाासन द्वारा हर जिले के जिला प्रशासन को आपदा प्रबन्धन की वर्तमान क्षमता के सुद्ढ़ीकरण के लिए जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डी0डी0एम0ए0पी0) तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

महत्वपूर्ण कार्यवाहियां–

तहसील आपदा कन्ट्रोल रूम की स्थापना–

जनपद में आपदा के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के खण्डों एवं जिले की सभी तहसीलों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना तहसील मुख्यालय पर स्थापित की जाती है। सभी तहसीलदार/उपजिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम के लिए स्वंय जिम्मेदार रहते हैं तहसीलदार समस्त तहसील स्तरीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराते है।

किसी घटना/आपदा एवं क्षति के सम्बन्ध में सूचना का पंजीयन एवं अग्रिम कार्यवाही–

जनपद में मुख्य रूप से मानसून अवधि में यातायात मार्गो के अवरूद्व होने पर लोक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियंता, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं सम्बन्धित अन्य अवरूद्व मार्गो को तत्काल यातायात हेतु खोले जाने के लिए कार्यवाही अमल में लाते हुये मार्ग अवरुद्व होने तथा खोले जाने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, अल्मोड़ा, सम्बधित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी को

वट्सएप/ई–मेल/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु निम्न निर्णय लये गये हैं–

1. किसी भी विभागीय क्षति की सूचना सम्बन्धित विभाग द्वारा 24 घण्टे के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम में लिखित रूप से सूचित किया जाना होगा।
2. तहसील कन्ट्रोल रूम द्वारा उक्त विभागीय क्षति को पंजीकृत करते हुए पंजीकरण संख्या सम्बन्धित विभाग प्राप्त कर लें तथा तत्काल क्षति का सत्यापन राजस्व अधिकारियों द्वारा कराते हुए सत्यापन सम्बन्धी आख्या आंगणन में अंकित करेगें।
3. सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंगणन/प्रस्ताव पर राजस्व विभाग द्वारा क्षतियों के सत्यापन के उपरान्त तहसील कन्ट्रोल रूम में पंजीकरण संख्या का आवरण पृष्ठ पर स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
4. क्षतिग्रस्त कार्ययोजना के फोटोग्राफ्सों का सत्यापन सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा प्रस्तुत किये जाने वाले फोटोग्राफ्स में क्षतियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी आवश्यक है।
5. विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों के माध्यम से ही साप्ताहिक रूप से संकलित कर संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

सम्भावित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण–

मानसून अवधि में गाड़–गदेरे/नालों के किनारे बसी आबादी को आपदा के दृष्टिगत सचेत करने के उद्देश्य से जो भवन अत्यधिक खतरे की जद में हों उन पर लाल स्याही का चिन्ह लगाये गये है। ऐसे सभी परिवारों की सूची बना उन्हें नोटिस के माध्यम से सूचित सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा किया गया है। भविष्य में यथा आवश्यक उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 एवं सिंचाई विभाग के अभियंताओं का सहयोग लिया जायेगा।

खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति–

मानसून अवधि के दृष्टिगत जनपद में पूर्व वर्षो में आयी आपदा के अनुभव के आधार पर ऐसे क्षेत्रों/ग्रामों में अग्रिम तीन माह का खाद्यान्न का भण्डारण जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

इसके अतिरिक्त ऐसे स्थलों जहॉ पर सड़क मार्ग/पैदल मार्ग लम्बी अवधि के लिए अवरूद्व होने की स्थिति में पैट्रोल/डीजल, रसोई गैस, मिट्टी तेल, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी आवश्यकतानुसार भण्डारण किया गया है।

आकस्मिक चिकित्सा सेवा–

मानसूनकाल के लिए जनपद में सभी चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक मात्रा में औषधियों की उपलब्धता रहनी नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी निरन्तर समीक्षा करते हुये व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आई0टी0बी0पी0, सेना, निजी एवं विभिन्न आश्रमों के संचालित चिकित्सालयों/चिकित्सकों व अन्य सेवाओं यथा एम्बुलैन्स, दवाईयॉ, स्ट्रैचर आदि की सूची प्राप्त करेंगे तथा आपदा की स्थिति में उक्त सुविधाओं का अधिग्रहण यथा आवश्यक मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

संचार सेवा–

गत वर्षो में आपदा के अनुभवों के आधार पर सर्वाधिक अवरोध संचार व्यवस्था से हुयी है। अतः संचार सेवा को सुचारू रखने हेतु सम्बन्धित सेवा प्रदाता आवश्यक मात्रा में जनरेटर/पैट्रोल, डीजल आदि की व्यवस्था रखी जाय। इसके अतिरिक्त संचार सेवा लम्बी अवधि तक बाधित रहने की स्थिति में टावर टू टावर कनेक्टविटी किये जाने की व्यवस्था दूर संचार विभाग सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही आपदा की स्थिति में टावर आदि हेतु डीजल/पैट्रोल की व्यवस्था सम्बन्धित उपजिलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध करायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर आपदा की स्थिति में सेक्टरवार राहत बचाव कार्य की व्यवस्था—

आपदा की स्थितियों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर राहत व बचाव कार्य हेतु सेक्टरों का निर्माण किया गया है प्रत्येक सेक्टर में सम्बन्धित राजस्व अधिकारी, क्षेत्रीय रेंज अधिकारी, राजस्व निरीक्षक/उप निरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकत्री, ग्राम प्रहरी, वन पंचायत सरपंच एवं ग्राम स्तरीय स्वंयसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तत्काल राहत कार्य करना प्रारम्भ करेंगे। उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर घटित आपदाओं/घटनाओं/दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं से भी तहसील कन्ट्रोल रूम के साथ अपने जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के द्वारा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अवगत करायेंगे। ऐसा न किये जाने की स्थिति में समस्त सम्बन्धितों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यात्रा अवधि में मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति यात्रियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था—

आपदा की स्थिति में अत्यधिक समय तक मार्ग अवरूद्व होने पर यात्रियों हेतु रियायती दरों पर भोजन की व्यवस्था के लिए पूर्ति विभाग सरकारी दरों पर क्षेत्रीय ढाबा/होटल व्यवसायियों को खाद्यान्न उपलब्ध करायेगा, तथा राजस्व व पुलिस विभाग उक्त हेतु मूल्य निर्धारित कर मूल्य वृद्वि जैसी शिकायतों पर नियंत्रण करेगा। पूर्ति विभाग उक्त हेतु ढाबा/होटलों का चिन्हांकन कर अधिकारी नामित करते हुये सूची सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करगें। मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्र के कम से कम सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी निश्चित रूप से आधे घण्टे के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में उपस्थित रहेगा, साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक निश्चित रूप से मौके पर उपस्थित होकर यात्रियों के रहने (यथा आवश्यक स्थानीय विद्यालयों में) व रियायती दरों पर भोजन आदि की व्यवस्था उपरोक्तानुसार सुनिश्चित करेंगे।

आपातकालीन स्थितियों में आवश्यक सामग्रियों का क्रय—

आपदा की स्थिति में अत्याधिक आवश्यक वस्तुओं जैसे–मोमबत्ती, माचिस, दूध, बिस्कुट, पानी, टार्च, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जरूरत की सामग्री के क्रय हेतु तहसील स्तर पर निविदायें/कोटेशन आमंत्रित कर उक्त वस्तुओं की दरें निर्धारित कर ली गयी है। जिससे आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार उक्त सामग्रियों का क्रय किया जा सके।

आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत किये जाने वाले उपाय—

आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत सभी सड़क से सम्बन्धित विभाग निश्चित रूप से मानसून पूर्व सड़क में पानी की निकासी के लिए नालियों की सफाई सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायते मानसून पूर्व अपनी नालियों की सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में जहॉ आबादी के ऊपर वर्षा का पानी एकत्रित

होकर नाली के रूप में आबादी क्षेत्र में नुकसान कर सकता है, ऐसे क्षेत्रों में मनरेगा के तहत विभिन्न स्थानों पर पनकटे बनाकर आबादी को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

समय–समय पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय–

1. विगत दिनों में आयी आंधी–तूफान से विभिन्न प्रकार की क्षतियों के दृष्टिगत आवासीय भवनों व पशुशालाओं के निकट पेड़ों को सम्भावित खतरे के दृष्टिगत वन विभाग व राजस्व विभाग यथा आवश्यक पातन की अनुमति यथाशीघ्र प्रदान करेंगे।

2. इन्सीडेन्ट रिसपोन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) के तहत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए लॉजस्टिक अनुभाग का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। परन्तु महामारी व अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी आपदाओं की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी व अग्निकाण्ड सम्बन्धी आपदाओं के लिए अग्निशमन अधिकारी को लॉजस्टिक अनुभाग का दायित्व होगा।

3. आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार वाहनों का अधिग्रहण प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय के पर्यवेक्षण में व सहायक सम्भागीय परिवहन के दिशा निर्देशन किया जायेगा।

4. आपदा की स्थिति में स्टेजिंग एरिया के रूप में पुलिस लाईन को प्रयोग में किया जायेगा तथा तहसील स्तर पर तहसील कार्यालय परिसर को स्टेजिंग एरिया के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

5. जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे आपदा प्रबन्धन के तहत दिशा निर्देशों व निर्णयों से अपने समस्त अधिनस्थ कर्मचारियों को अवगत करायेंगे
साथ ही इनका अनुपालन भी सुनिश्चित करायेंगे।

6. आपदा की स्थिति में विभिन्न खाद्य सामग्री व आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने स्तर से स्थानीय अधिकारियों/कर्मियों को तैनात करेंगे, जिसमें पुलिस का सहयोग लिया जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार होटलों के किराये नियंत्रण हेतु पर्यटन अधिकारी तथा वाहनों के किराये में नियंत्रण हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का सहयोग अपेक्षित होगा। समस्त सम्बन्धित इस सम्बन्ध में आवश्यक खादय सामग्री, होटलों का किराया, वाहनों का किराया पूर्व निर्धारित कर उचित स्थानों पर चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे। आपदा की स्थिति में इसके उपरान्त किसी प्रकार की शिकायत पर सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धितों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

7. प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी दशा में अपने मोबाइल फोन बन्द नहीं रखेंगे एवं अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय/स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में संभावित आपदा के दौरान बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा करते हुये आपदा हेतु प्रतिवादन कार्यों को कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. स्वंयसेवी संगठनों के द्वारा प्रभावितों में राहत सामग्री वितरण कार्य किये जाने के लिए सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

9. जनपद स्तर पर सभी स्वयंसेवी संस्थायें तथा बाहर से आने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए जनपद स्तर पर स्वंयसेवी संस्थाओं का एक ग्रुप बनाया गया है। उक्त संस्थाओं के समूह के प्रतिनिधियों को आपदा सम्बन्धी बैठकों व योजनाओं में समाहित किया जायेगा। उक्त समूह द्वारा किसी भी स्वयंसेवी संस्था के लिए विभिन्न राहत कार्यो हेतु अधिगृहित किया जायेगा।

10. आपदा के दौरान अधिकांश रूप से पुलों के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बाधित होते हैं। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0/सीमा सड़क संगठन/राष्ट्रीय राजमार्ग/जिला पंचायत आदि सम्बन्धित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने संस्था के पुलों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

11. जनपद में मुख्यालय स्तर पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 का दल राहत–बचाव कार्य हेतु तैनात है, जो आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अथवा अपर जिलाधिकारी के दिशा–निर्देशन में कार्य करेंगे। साथ ही विभिन्न विद्यालयों एवं सामुदायिक क्षेत्रों में जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करेंगे।

12. विभिन्न आपदाओं की स्थिति में किये जाने वाले राहत–बचाव कार्यो व अन्य आवश्यक जानकारियों के लिए प्रैस ब्रिफिंग हेतु स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों एवं जिला स्तर पर मुख्य अधिशासी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/अपर जिलाधिकारी को नामित किया जाता है।

13. समस्त विभागीय नोडल अधिकारी अथवा क्षेत्रीय अधिकारी अपने विभागीय आपदा से सम्बन्धित सूचना व इसके साथ–साथ क्षेत्र में घटित अन्य सूचनाओं व राहत कार्यो से सम्बन्धित अन्य सूचनायें जनपद स्तर पर बनाये गये वट्सएप ग्रुप पर तत्काल सूचित करेंगे।

14. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में क्रियाशील क्षेत्रीय कर्मचारियों व स्थानीय नागरिकों को सूचना प्रेषण के लिए बल्क एस0एम0एस0 व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है।

15. आपदा जैसी स्थिति में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों से आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु उन्हें मानदेय के रूप में युवा कल्याण विभाग के स्वयंसेवकों को देय मानको के अनुसार मानदेय दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अल्मोड़ा की पूर्व तैयारी एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पूर्व तैयारी के लिये किये जाने वाले मुख्य कार्यो को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है– जैसे **(1)** आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के कार्य **(2)** क्षमता निर्माण के कार्य **(3)** कार्य निरंतरता की कार्यवाही और **(4)** आपातकालीन पूर्व तैयारी के कार्य। इन सभी के विवरण निम्नवत् है–

आपदा पूर्व तैयारी

(1) आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के कार्य

उददेश्य

विभिन्न विषयों पर सभी मुख्य विभागों के सभी विकास कार्यो में आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण के तत्वों को शामिल कराना।

मुख्य कार्य

- सभी मुख्य विभागों की सहभागिता से जिला आपदा प्रबन्धन योजना तथा जिला प्रत्युत्तर योजना तैयार करना ।
- राष्ट्रीय और राज्यीय नीतियों और जिला योजना के बीच समन्वय करना और अनुश्रवण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय प्राधिकरण द्वारा आपदा की रोकथाम, आपदा के प्रभाव के शमन, पूर्व तैयारी और प्रत्युत्तर उपायों पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन जिले में सरकार के सभी विभाग एवं स्थानीय अधिकारी कर रहे है।
- जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
- जिला स्तर के विभिन्न विभागों के द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो में आपदा की रोकथाम या उसके प्रभाव को कम करने के उपायों को सम्मिलित करने के लिये जरूरी दिशा निर्देश बनाना और इस हेतु उन्हें तकनीकि सहायता देना।
- पूर्व चेतावनी के लिये तंत्र विकसित करना, उनका रख–रखाव करना, उनकी समीक्षा करना तथा जनता में सही सूचना प्रसारित करना।
- जिले में आपदा या सन्निकट आपदा की परिस्थिति में इसकी रोकथाम या इसके प्रभाव को कम करने के कार्य त्वरित एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित होने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना एवं जरूरी दिशा निर्देश देना।
- जिला स्तर के सरकारी विभागों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारों की विकास योजना की इस दृष्टि से समीक्षा करना कि उनमें आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबन्धन को शामिल कराने के आवश्यक प्रावधान किया जा सके।
- जिले में हो रहे किसी भी तरह निर्माण कार्य की जांच करना और यह पाये जाने पर कि उस विशेष निर्माण कार्य के लिए तय आपदा की रोकथाम या उनके प्रभाव के शमन के लिये घोषित मानकों का अनुपालन नही किया जा रहा है ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी को यथोचित निर्देश देकर उन मानकों का पालन सुनिश्चित कराना।

- जिले के विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रमों एवं वाह्य सहायतित योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबन्धन के तत्व शामिल कराने एवं उनकी महत्ता पर जोर डालने के लिये बार–बार सुनिश्चित अवधि में बैठक बुलाना।
- किसी भी विभाग के विकास कार्य से पैदा होने वाले संभावित जोखिमों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना।
- तकनीकी एजेंसियों के परामर्श से आपदा के प्रभाव को सहन करने वाले डिजाइन विकसित करना जिससे कि सम्बन्धित विभाग उनका उपयोग कर सकें।

(2) क्षमता निर्माण के कार्य करना

उद्देश्य

आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपातकालीन प्रत्युत्तर और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग, समुदाय एवं अन्य हितधारकों की भूमिका एवं जबावदेयी कार्य को बेहतर करने के लिये पर्याप्त क्षमता निर्माण करना।

मुख्य कार्य

- स्वयंसेवको, पुलिस विभाग, होम गार्डस, युवक एवं महिला मंगल दलों एवं मुख्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों इत्यादि के लिये प्रशिक्षण जरूरतों का विश्लेषण करना एवं समय–समय पर प्रशिक्षण देना।
- चिन्हित प्रशिक्षण जरूरतों के लिए योजना बनाना, संसाधन जुटाना एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करना।
- आपदा या किसी सन्निकट आपदा की परिस्थिति पर किसी भी विभाग की प्रत्युत्तर क्षमता की समीक्षा करना और उसके उन्नयन के लिए यथा आवश्यक निर्देश देना।
- मौसम के अनुकूल एवं हितधारकों की जरूरत के मुताविक पूर्वाभ्यास (मॉकड्रिल) प्रशिक्षण एवं जागरूकता निर्माण कार्य के लिए कैलेण्डर विकसित करना ।
- जिले के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं स्वंयसेवी बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं समन्वयन करना ।
- स्थानीय निकायों और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा की रोकथाम और उसके प्रभाव के शमन के लिए समुदाय में प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा बढ़ाना।
- आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के सहयोग से समुदाय के लिए जागरूकता अभ्यास एवं अभियान चलाना, संभावित आपदाओं की जानकारी देना ताकि आपदा की स्थिति में उनके द्वारा आपदा की क्षति तथा लोगों के कष्ट कम करने की कार्रवाई करने में समुदाय सक्षम हो सके।
- सुनिश्चित करना कि संचार प्रणाली दुरस्त रहे और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय–समय पर किया जाता रहे।
- पड़ोसी जिले के अधिकारियों एवं यथोचित राष्ट्रीय–अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क बनाना और नेटवर्क कायम करना ।
- पिछली आपदाओं में किये गये राहत एवं बचाव कार्यों का विश्लेषण कर पता लगाना कि क्या सही हुआ और कौन सा काम और अधिक बेहतर ढ़ंग से किया जा सकता था। इन सभी का वार्षिक रूप से हर आपदा के बाद दस्तावेजीकरण करना तथा इन चीजों को जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अद्यतन (Update) करने वक्त उपयोग में लाना।

(3) कार्य निरंतरता की कार्यवाही

उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण किसी भी आपदा के प्रभाव से त्वरित तरीके से उबरने में सक्षम है और किसी भी आपदा के दौरान कार्यशील है।

मुख्य कार्य

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कामकाज संचालन हेतु विशेषकर आपदा के दौरान, नियम एवं विनियम को परिभाषित करना।
- अध्यक्ष/संयोजक की अनुपस्थिति में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की किसी बैठक को बुलाने के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करना।
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिए सुरक्षित कार्य परिचालन केन्द्र, मिटिंग भवन/स्थल चिन्हित करना, उपलब्ध न होने की स्थिति में वैकल्पिक स्थान से कार्य करना।
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण संचिका एवं जानकारियों की सुरक्षा करना और यथासंभव इनके बैकअप बनाना ।
- पुलिस, त्वरित प्रतिवादन दल, सेना, अर्द्ध सैनिक बल, एन0डी0आर0एफ0 इत्यादी मुख्य एजेंसियों के बीच त्वरित सूचना साझेदारी के लिए तंत्र विकसित करना। मोबाइल नेटवर्क काम न करने की स्थिति में, विशेष रूप से आपदा स्थिति के दौरान सूचना के आदान प्रदान के लिए बैकल्पिक तंत्र की व्यवस्था करना।

(4) आपातकालीन पूर्व तैयारी के कार्य

उद्देश्य

संभावित आपात स्थितियों की पहचान करने तथा एकीकृत एवं त्वरित प्रतिवादन के लिए तैयार रहना।

मुख्य कार्य

- संभावित आपदा स्थितियों को पहचानना तथा उस संदर्भ में आकस्मिक विशेष कार्य योजना के अनुसार कार्य करना ।
- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पुलिस, त्वरित प्रतिवादन दल, सेना, अर्द्ध सैनिक बल, एन0डी0आर0एफ0 इत्यादी मुख्य एजेंसियों के साथ निश्चित अन्तराल पर विशेषकर मानसून के दौरान बैठक करना।
- सुनिश्चित तौर पर आपदा के प्रति संवेदनशील जिले के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी विभाग तथा प्राधिकार द्वारा आपदा की रोकथाम एवं उसके प्रभाव के शमन के लिए उपाय कर दिये गये हैं।
- पूर्व तैयारी के लिए उठाये गये सभी उपायों की समीक्षा करना तथा जिले के संबंधित विभागों एवं स्थानीय प्राधिकारों को यथा जरूरत दिशा निर्देश देना कि मानक स्तर पर आपदा या संभावित आपदा में प्रभावी प्रतिवादन के लिए और उपाय किये जाय।
- आपदा या भावी आपदा में राहत केन्द्र/शिविर के रूप में उपयोग लायक भवन /स्थल को चिन्हित करना और आवश्यकतानुसार अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था करना ।
- राहत और बचाव सामग्री के भंडार की स्थापना करना और सुनिश्चित करना कि कम समय में राहत सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी है।
- किसी विशेष पूर्व तैयारी निर्देशन, आपूर्ति, पूर्व अभ्यास या प्रशिक्षण आदि के लिए आपदा प्रबंधन विभाग या अन्य मुख्य एजेंसियों से समन्वय करना ।
- विभिन्न श्रोतों से पूर्व चेतावनी की नियमता जानकारी लेने के लिए इओसी को निर्देश देना।
- पूर्व चेतावनी की जानकारी के त्वरित प्रसारण के लिए आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तंत्र विकसित करना ।

- जिले में उचित स्थल पर आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों की उपलब्धता का जायजा लेना, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त खरीद या सामग्री आपूर्ति की जरूरत का आकलन करना, इस हेतु संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाही के लिए आदेश देना।
- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पुलिस, त्वरित प्रतिवादन दल की आकस्मिक कार्य योजनाओं तथा उनकी पूर्व तैयारी की समीक्षा करना।

न्यूनीकरण योजनायें

न्यूनीकरण योजना में संरचनात्मक और गैर–संरचानात्मक दोनों तरह के अंश को सम्मिलित करने होंगे। खतरों के प्रभाव से बचने या कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय तथा खतरा प्रतिरोधी एवं रक्षात्मक संरचनाओं के निर्माण आदि कार्य संरचनात्मक न्यूनीकरण उपायों में शामिल है। नीति निर्माण, जागरूकता एवं ज्ञान का विकास, सार्वजनिक कार्य पद्धति एवं कार्य व्यवहार सहित जनभागीदारी एवं जनसूचना सुविधा आदि कार्य जोखिम एवं उनके प्रभाव को कम करने में मददगार गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय है।

उपर्युक्त विशिष्ट कार्यो के अलावा निम्नलिखित संरचानात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपाय भी किये जाने चाहिये –

न्यूनीकरण के संरचनात्मक उपाय

- सभी सार्वजनिक भवन यथा विद्यालय अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र आदि इस तरह बनाये जायें कि वह खतरों से सुरक्षित हो और भवन निर्माण में भूकम्प अवरोधी तकनीक का प्रयोग किया गया हो, उनमें पर्याप्त निकासी द्वारा तथा उचित स्थलों पर अग्निशामक यंत्र रखे हों।
- सभी संवेदनशील क्षेत्रों में बहु–उद्देशीय सामुदायिक आश्रम स्थल निर्माण करना।
- आवास निर्माण की स्थानीय संस्कृति के अनुकुल विविध खतरा बर्दाश्त करने वाले मकान बनाये जाय।

न्यूनीकरण के गैर–संरचनात्मक उपाय

- बीमा नीति एवं योजनायें लागू करवाना जिससे किसी खतरें से हुई क्षति की पूर्ति करायी जा सके, आर्थिक क्षति कम करने के लिए फसल, पशुधन लघु व्यापार आदि के लिए बीमा योजना को प्रोत्साहित करना करना।
- वास्तुकार, अभियन्ताओं एवं राजमिस्त्री आदि के समूह निर्माण करना एवं उन्हें सुरक्षित बुनियादी ढॉचे निर्माण के लिए प्रशिक्षित करना।
- दीर्घकालिक संवेदनशीलता कम करने के लिए सुरक्षित भवन निर्माण तकनीक को लगातार प्रोत्साहित करना एवं मुख्य धारा में शामिल कराना। इस हेतु नीतियॉ एवं नियम विकसित करना।
- निरंतर जागरूकता एवं प्रोत्साहन कार्य चलाकर समुदाय में नये डिजाइन के आपदा सहन करने वाले आवास बनाने की मुहिम चलाना एवं इसके लिए यथा संभव प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराना।
- प्राथमिक स्तर से लेकर विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य तकनीकी–गैर तकनीकी संस्थानों में आपदा प्रबन्धन के दो महत्वपूर्ण तथ्य प्राथमिक सहायता एवं खोज तथा बचाव का प्रशिक्षण दिया जाय।

आपदा प्रतिवादन कार्यविधि

आपदा प्रतिवादन हेतु विभागों में कार्य विभाजन

किसी भी आपदा के दौरान प्रभावशाली खोज बचाव एवं राहत तथा पुर्ननिर्माण कार्य की सफलता का सबसे बड़ा मापदण्ड है कि सम्बन्धित विभागों को आपदा प्रतिवादन हेतु अपने कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में पता हो तथा किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा अपने–अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए जिससे कि आपदा प्रतिवादन कार्य तेजी से हो तथा आपदा का प्रभाव कम हो सके। आपदा प्रतिवादन हेतु जनपद अल्मोड़ा में विभागों के बीच कार्य विभाजन निम्न प्रकार होगा :

क्र. सं.	मुख्य कार्य	अन्य कार्य	विभाग / अधिकारी
1	**यातायात व्यवस्था**	सड़क मार्ग बाधित होने एवं खुलने की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देना	जनपद में अवस्थित लोक निर्माण विभाग के समस्त खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग, ए0डी0बी0 के समस्त खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई के समस्त खण्ड
		मार्ग बाधित एवं खुलने की सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र / आयुक्त महो0 / जिला0 महोदय को प्रेषित करना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
		मार्ग बाधित होने या कोई चेतावनी प्राप्त होने पर वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोक देने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।	पुलिस / राजस्व विभाग / सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार
		बाधित मार्गो को खोलने की कार्यवाही करना	जनपद में अवस्थित लोक निर्माण विभाग के समस्त खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग, ए0डी0बी0 के समस्त खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई के समस्त खण्ड
		अस्थायी पुलों / ट्रालियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लगाने की व्यवस्था करवाना	अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
02	**आपदा के बाद**	आपदा की सूचना राज्य आपातकालीन परि0केन्द्र एवं अन्य सम्बन्धितों को उपलब्ध कराना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
		त्वरित प्रतिवादन दलों को भेजना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / पुलिस / सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र के उप जिलाधिकारी
		खोज एवं बचाव के कार्य	पुलिस / राजस्व पुलिस / जिला प्रशासन / आपदा प्रबन्धन विभाग के दल / एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0
		बाहरी मदद प्राप्त करने हेतु आपदा का आंकलन करना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / सम्बन्धित उपजिलाधिकारी जिला प्रशासन

		बाहरी मदद की मांग करना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ जिला प्रशासन
		आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं	चिकित्सा विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग
		घायलों को प्राथमिक सहायता के पश्चात् अस्पताल पहुंचाना	चिकित्सा विभाग/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन व्यवस्था	चिकित्सा विभाग/परिवहन विभाग
		पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करवाना	पूर्ति विभाग/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		मृत लोगों के सम्बन्ध के Medico Legal औपचारिकताएं	पुलिस/राजस्व पुलिस/ चिकित्सा विभाग
		मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	चिकित्सा/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		घायलों को एवं मृतकों के आश्रितों को राहत सामग्री/राहत राशि का वितरण करना	जिला प्रशासन/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		लापता लोगों की सूचना संग्रहित करना	पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		लापता लोगों की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देना	पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		सूचना संग्रहित कर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
3	**राहत शिविर**	आपदा प्रभावित जनसंख्या का चिन्हीकरण करना	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र/जिला प्रशासन
		राहत शिविर स्थापित करने के लिए आवश्यकताओं का आंकलन करना	
		राहत शिविर स्थापित करने हेतु जगह का चयन करना	
		राहत शिविरों में आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना	
		भोजन की व्यवस्था करना	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/ जिला पूर्ति अधिकारी
		पेयजल व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना	जल संस्थान
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्था	चिकित्सा विभाग
		सुरक्षा	पुलिस
4	**निकासी**	आवश्यकताओं का आंकलन	जिला प्रशासन
		वाहन व्यवस्था	परिवहन
		ईंधन आदि की व्यवस्था	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

		मार्ग में सुरक्षा	पुलिस
		वैकल्पिक मार्गो का चिन्हीकरण करना	लो0नि0वि0 / परिवहन
		हवाई मार्ग से निकासी हेतु आवश्यकता का आंकलन	जिला प्रशासन
		भारतीय वायुसेना से हवाई निकासी हेतु अनुरोध	जिला प्रशासन
		हैलीपैड़ो से सम्बन्धित व्यवस्था / पायलट एवं ग्राउण्ड स्टाफ के लिए व्यवस्था	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		Air Operation के लिए Liasion officer नामित करना	जिला अधिकारी
5	**अन्य व्यवस्थायें**	पशुधन के लिए आवश्यकता का आंकलन करना	पशुपालन विभाग
		पशुओं के लिए चारा आदि की व्यवस्था करना	पशुपालन विभाग
		पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / पशु चिकित्साधिकारी
		जीवनरक्षक सुविधाओं हेतु वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करना	विद्युत विभाग
		विद्युत आपूर्ति को बहाल करना	विद्युत विभाग
		सोलर लालटेनों / लाईट की व्यवस्था करना	उरेड़ा
		पेयजल हेतु अस्थायी संयोजनों की व्यवस्था करना	जल संस्थान / पेयजल निगम
		पेयजल आपूर्ति बहाल करना	जल संस्थान / पेयजल निगम
		प्रेस ब्रिफिंग	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर / इन्फारमेशन एण्ड मीडिया ऑफिसर
		मीडिया कार्मिकों हेतु व्यवस्था करना	जिला सूचना अधिकारी
		मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों से समन्वय स्थापित करना	जिला प्रशासन सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		मोबाईल टावरों के लिए वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करना	विद्युत विभाग
		वायरलैस सैटों के द्वारा संचार व्यवस्था दुरस्त रखना	पुलिस
		सैटेलाईन फोन सही स्थिति में रखना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
		विडियोकान्फ्रेन्सिंग	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
		क्षति का आंकलन करना	जिला प्रशासन / सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		क्षतिग्रस्त भवनों के लिए एवं अहैतुक सहायता उपलब्ध कराना	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी

जिला प्रतिवादन योजना

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की योजना दो मुख्य भागों में विभक्त है, (1) सभी आपदाओं में सामान्य कार्य (2) आपात स्थिति में विशिष्ट कार्य। सभी आपदाओं में किये जाने वाले सामान्य कार्य विविध चरणों में विभक्त किये गये है–

किसी भी आपदा में किये जाने वाले सामान्य कार्य

1. पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य
2. प्रत्युत्तर सक्रियरण के कार्य
3. राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य
   - खोज एवं बचाव
   - प्रारम्भिक आकलन
   - राहत वितरण
   - अनुश्रवण
4. प्रत्युत्तर का निष्क्रियरण
5. पुर्ननिर्माण कार्य।

पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य

उद्देश्य

स्थिति का अनुश्रवण और पूर्व चेतावनी का प्रसारण ।

मुख्य कार्य

- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डीईओसी) से न्यूनतम दो बार प्रतिदिन आपदा के परिमाण, स्थान, गंभीरता आदि की जानकारी लेना। जानकारी लेने की आवृति आपदा की गंभीरता के आधार पर बढ़ायी जा सकती है।
- पड़ोसी जिलों से भी जानकारियां प्राप्त करना एवं इन जानकारियों का सत्यापन करना (विशेष कर नदियों में बढ़ते जल स्तर की जानकारी हेतु)
- आपातकालीन सेवा कार्य में लगे विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों, जिला आपदा प्रबंन्धन प्राधिकरण, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डीईओसी) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाना और आपदा संबंधी अद्यतन आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करना।
- एवं संबंधित कार्यरत अधिकारियों को तैयार रहने का निर्देश देना।
- त्वरित प्रतिवादन दल और तहसील/विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों के माध्यम से संभावित आपदा क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।
- खतरो की गंभीरता के अनुरूप विभिन्न एहतियाती जानकारी/उपाय का प्रसार विभिन्न स्तरों पर करना।
- खतरे की समीक्षा करना और आपातकालीन परिचालन केन्द्र, त्वरित प्रतिवादन दल आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय करना।
- भूकम्प जैसी आपदाओं में जहां पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नही होती है, वहॉ तुरन्त सक्रियकरण के कार्य प्रारम्भ करना।

आपदा प्रतिवादन कार्य का सक्रियकरण

उददेश्य

एकीकृत आपातकालीन प्रतिवादन प्रणाली को सक्रिय करना।

मुख्य कार्य

- आपदा की जानकारी की सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, त्वरित प्रतिवादन दल, आपातकालीन सेवा कार्य एवं सम्बन्धित विभागों को सक्रिय करना।
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सूचना देने के लिए सभी संबंधित अधिकारी/सभी तरह की टीम, सेवन डैस्क सिस्टम के नोडल एवं समन्वयक अधिकारियों को निर्देश देना।
- त्वरित प्रतिवादन दल या घटनास्थल पर पहुँचे सम्बन्धित तहसील/विकासखण्ड के अधिकारियों से घटना की प्रारंभिक जानकारी लेना।
- सूचनाओं को जिला अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आयुक्त कुमाऊ मण्डल, सेवन डैस्क सिस्टम के टीम के प्रभारियों तक पहुंचाना ताकि वे अपने विशिष्ट कार्य प्रारम्भ कर सकें।
- जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी एवं सेवन डैस्क सिस्टम के नोडल एवं समन्वयक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं का विश्लेषण कर आपदा की गंभीरता का आकलन करना कि यह ग्राम/विकासखण्ड/तहसील या जिला स्तर की है।
- आपदा की गंभीरता के अनुरूप आपातकालीन परिचालन प्रत्युत्तर कार्य का सक्रियकरण।
    1. तहसील स्तर की आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन दल, राजस्व विभाग, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी आपदा प्रतिवादन के लिए प्रभार लेंगे और समन्वयन का कार्य करेंगे।
    2. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धक (जिला अधिकारी)/प्रभारी अधिकारी दै0आ0/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में रहेगें।
    3. जिला स्तर की आपदा स्थिति में अपर जिला अधिकारी/प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा द्वारा अपने दिशा निर्देशन में आपदा प्रतिवादन के कार्यों का समन्वयन किया जायेगा। इन्ही के दिशा निर्देशन में त्वरित प्रतिवादन दल, एन0डी0आर0एफ0, सेना, अर्द्ध सैनिक बलों के द्वारा आपदा प्रतिवादन का कार्य किया जायेगा।
- सभी तरह से संकलित सूचनाओं को संबंधित सभी उच्चाधिकारियों तक पहुँचाना।
- जनपद के प्रशासनिक क्षेत्रों के किसी भी विभाग/संस्थान को आपदा प्रतिवादन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश देना। जिले में अवस्थित जिला स्तर के सरकारी विभाग, संवैधानिक निकाय एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी सगठन आदि के साथ प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर कार्य के लिए सहायता, सलाह और समन्वयन करना।
- जनपद स्तर पर कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था/समाज कल्याण कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को आपदा प्रतिवादन कार्य में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

राहत एवं प्रतिवादन के कार्य

राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य निम्नलिखित भागों में विभक्त है–

- खोज एवं बचाव
- प्रारंभिक आकलन
- राहत वितरण
- अनुश्रवण

खोज एवं बचाव

उददेश्य

आपदा की स्थिति में तत्काल प्रभावी खोज, बचाव एवं राहत कार्य द्वारा जीवन बचाना।

मुख्य कार्य

- खोज एवं बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में अविलम्ब कार्य में लगा देना।
- बूढ़े, विकलांग, महिलायें गर्भवर्ती महिलायें, गंभीर बीमारी वाले कमजोर व नाजुक वर्ग पर खोज एवं बचाव दल द्वारा ध्यान केन्द्रित करना।
- निष्क्रमण के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं पर निर्णय लेना तथा उपलब्ध संसाधनों से तत्काल कार्य शुरू कर देना।
- आवश्यकता अनुसार सशस्त्र सेना एवं या तकनीकी संस्थानों से खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण कार्य संचालन के लिए मदद मॉगना।

प्रारंभिक आंकलन

उद्देश्य

प्रभावित लोगों के लिए तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक आवश्यकताओं का आंकलन करना। प्रभावित लोगों के घर, समुदाय की बुनियादी संरचनाओं यथा पेयजल, शौचालय, विद्युत, पैदल रास्तों आदि में हुई क्षति के पुर्ननिर्माण की लागत का आंकलन करना।

मुख्य कार्य

- क्षति एवं आवश्यकताओं पर प्राप्त सूचनाओं का मिलान एवं विश्लेषण करना।
- प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान एवं आवश्यकताओं के बहुविषयक आंकलन के लिए आवश्यकता अनुरूप योजना बनाना।
- आंकलन से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण एवं आपदा प्रत्युत्तर कार्य की प्राथमिकता तय करना।
- आंकलन के लिए एक मानक प्रपत्र एवं जाँच सूची का होना जिससे समाज के कमजोर वर्ग यथा बुजुर्ग, विकलांग, महिलायें, गर्भवती महिलायें, अल्पसंख्यक समूह के लोग, गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों की सबसे आवश्यक जरूरतों पर जानकारी प्राप्त हो सके।

राहत वितरण

उद्देश्य

विविध आवश्यक सेवा कार्य वाले विभागों द्वारा समन्वयन कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य में कमियों/रिक्तियों एवं दोहरीकरण को कम करना। विभागों के अतिरिक्त अन्य हितधारकों द्वारा किये जा रहे आपदा प्रत्युत्तर कार्य को एकीकृत करना जिससे यह प्रभावी एवं सक्षम हो सके।

मुख्य कार्य

- तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक जरूरतों की जानकारी के लिए प्राप्त आंकलनों का विश्लेषण करना।
- किये जा रहे सभी प्रयासों को ऐसे नियोजित करना कि गरीब/अ0जाति/अ0ज0जाति/अल्पसंख्यक समूह आदि राहत के प्रयासों से छूट न जाय।
- प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के उपायों के लिए समयबद्ध व्यापक योजना तैयार करना।

- वांछित आपदा प्रतिवादन योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानवीय/वित्तीय संसाधनों की योजना बनाना।
- आपदा प्रत्युत्तर कार्य में अन्य स्यवंसेवी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मिलित/साझा करना। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र इन्हें सुझाव दे कि वे कहाँ और क्या राहत कार्य करें।
- न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन पर विभागों द्वारा ध्यान केन्द्रित करना जिससे पीड़ितों की न्यूनतम आवश्यक जरूरतें पूरी हों।
- प्रभावित क्षेत्रों की बदलती परिस्थिति के अनुरूप आपदा प्रतिवादन कार्य में आवश्यक परिवर्तन लाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के विवरणों का तहसील स्तरीय अधिकारीगण तथा विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा विश्लेषण कर क्षतिपूर्ति /पुनर्निमाण का आंकलन करना।
- उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आपदा की स्थिति/प्रत्युत्तर कार्य प्रगति आदि का अद्यतन विवरण देना।
- तात्कालिक प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिले से बाहर की सहायता लेने के लिए निर्णय लेना। आवश्यकता अनुरूप राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए समन्वय बनाना।
- जिले की बाहर की एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायताओं के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करना। बाहर से आने वाली सहायताओ को प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार वितरित करना।

अनुश्रवण

उद्देश्य

सुनिश्चित करना कि राहत कार्य ठीक एवं सही दिशा में चल रहा है और समाज के संवेदनशील एवं दुर्बलतम समूहों पर राहत कार्य में लगे संस्थानों का ध्यान है ।

मुख्य कार्य

- राहत कार्यों का कार्यान्वयन तथा समय पालन को नियमित अनुश्रवित किया जाना।
- प्रभावित लोग, हितधारी समूह, तहसील स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारियों आदि से परामर्श कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य को बदलती आपदा परिस्थिति के मुताबिक समन्वयित करना।
- प्रभावित समुदाय में किये गये कायों के दौरान प्राप्त अनुभवों को संग्रहित किया जाना।

प्रतिवादन निष्क्रियरण

उद्देश्य

प्रत्युत्तर कार्य को निष्क्रियकरण करना तथा पुर्ननिर्माण के कार्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार होना।

मुख्य कार्य

- आंकलन करना कि तत्काल जीवन बचाने के सभी उपाय अपनी जगह पर हैं और जीवन की क्षति का कोई जोखिम नही है। सुनिश्चित करना कि आपदा प्रत्युत्तर कार्य को समाज में अपनाना शुरू कर दें और प्रर्याप्त अनुश्रवण पद्धति विकसित की जाय।
- चिन्हित जरुरतों के अनुसार पुर्ननिर्माण कार्य को प्रारम्भ कर देना।

पुर्ननिर्माण कार्य

उद्देश्य

सुनिश्चित करना कि प्रभावित समुदाय आपदा के प्रभाव से उबरने लगा है और बाहर से सहायता प्राप्त करने से बेहतर अपने जीवन को पूर्ववत जीना चाहता है तथा अपने को समाज की मुख्य धारा में पुर्नस्थापित करना चाहता है।

मुख्य कार्य

- विभिन्न विभागों यथा पेयजल, विद्युत, लोवनि0वि0, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, तहसील मुख्यालयों, विकासखण्ड मुख्यालयों आदि के द्वारा आंकलन के अनुसार पुनर्निमाण नीति का प्रारूप तैयार करना।
- सुनिश्चित करना कि क्षतिपूर्ति एवं राहत सहायता सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भेदभाव बिना लोगों के पहुँचे।
- सुनिश्चित करना कि सभी कार्यों में पारदर्शिता हो ।
- क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे/भवन/सेवाओं के पुर्ननिर्माण के लिए उपयोगकर्ता के अनुरूप आपदा–सह्य डिजाइन के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श लेना।
- पुनर्निमाण एवं पुनर्वास कार्य में लगी एजेंसियों/संस्थाओं को आपदा सह्य डिजाइन के लिए सलाह देना।
- स्थानीय टान्सपोर्टर, विक्रेताओं, बाजार आदि स्थानीय क्षमताओं को पुर्ननिर्माण प्रक्रिया में यथासंभव शामिल कर एक समन्वित कुशल आपूर्ति श्रंखला स्थापित करना।
- पुर्ननिर्माण एवं पुनर्वास कार्य के दौरान प्रभावित समुदाय के स्थानीय आजीविका विकल्पों को बहाल करने के लिए कदम उठाना।
- आपदा प्रत्युत्तर/पुर्ननिर्माण कार्य से प्राप्त अनुभवों को जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विकास एजेंसियों से साझा करना ताकि वे उनकी भावी योजना में जगह पा सकें।
- नई विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्व शामिल करना।

विशिष्ट आपदा में किये जाने वाले कार्य

भूकम्प एवं भूस्खलन के प्रासंगिक कार्य

अल्मोड़ा जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्र भूकम्प जोन 4 एवं 5 में है, जनपद से लगे जिलों बागेश्वर एवं पिथौरागढ में भूकम्प के छोटे–छोटे झटके लगातार महसूस किये जाते रहे है। अनियोजित विकास एवं भवन निर्माण में भूकम्प रोधी तकनीक न अपनाये जाने के कारण 6 रिक्टर स्केल तीव्रता से ऊपर के भूकम्प आने की स्थिति में संभावना है कि 50 प्रतिशत से अधिक घर नष्ट/क्षतिग्रस्त हो जाय। ऐसी स्थिति में जिले की 60–70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। कई बार भूकम्प के कारण भूस्खलन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

मानसून के समय अत्यधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है। कई बार अज्ञानतावश लोग नदी तटों के किनारे या पहाड़ की तलहटी में बिना भूमि का परीक्षण कराये भवनों का निर्माण कर देते हैं, विगत वर्षों में घटित भूस्खलन क्षेत्रों में फिर से संरचनाओं का निर्माण कर देते हैं जो कि क्षेत्र की भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा देता है।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के सहयोग से समुदायों में क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाकर एवं स्थानीय लोगों को आपदा के प्रति जागरुक करके काफी हद तक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा संवेदनशीलता को कम करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर भी क्षमता विकास के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

जनपद अल्मोड़ा में भूकम्प/भूस्खलन प्रत्युत्तर के लिए विशिष्ट कार्य तथा जिम्मेदार संस्थाए

क्र.सं.	कार्यवाही	जिम्मेदार
अवधिः अग्रिम प्रारंभिक कारवाई		
1.	भूकम्प/भूस्खलन सुरक्षा सावधानियॉ एवं बचाव तरीकों पर प्रशिक्षण।	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2.	मोबाइल संचार के वैकल्पिक साधन की स्थापना।	बी0एस0एन0एल0
3.	अग्निशमन सेवाये तथा सम्बन्धित कर्मचारियों का परिचालन।	अग्निशमन विभाग
4.	मलवे में फँसे लोगों के बचाव की योजना ।	त्वरित प्रतिवादन दल/पुलिस/एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0 एफ0/अग्निशमन
5.	अस्पताल, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था।	स्वास्थ्य विभाग
6.	तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं आपातकालीन अस्पताल के लिए स्वास्थ्य योजना।	स्वास्थ्य विभाग
7.	मलवे की हटाने की योजना ।	त्वरित प्रतिवादन दल/पुलिस /एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0 आर0एफ0/अग्निशमन/लोक निर्माण विभाग
8.	आपातकालीन स्वच्छता एवं वैकल्पिक जल आपूर्ति योजना।	पेयजल निगम/ जल संस्थान/ नगर पालिका एवं नगर पंचायत
9.	गृह विहीन लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास सहित कल्याणकारी सुविधायें यथा सूचना जानकारी, मार्गदर्शन आदि की व्यवस्था करना।	राजस्व/विकास विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ खाद्य आपूर्ति विभाग
10.	मृतकों की पहचान, डी0एन0ए0 सैम्पलिंग एवं शवों के अंतिम संस्कार योजना।	पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ नगर पालिका/नगर पंचायत/ वन निगम
11.	परिवहन सुविधाओं का परिचालन।	परिवहन विभाग
12.	वाहनों के अधिग्रहण एवं उसके परिचालन हेतु पेट्रोल, तेल, स्पेयर पार्टस, सहित रिपेयरिंग योजना।	परिवहन विभाग /पूर्ति विभाग
13.	कला की वस्तुओं और सांस्कृतिक महत्व की चीजों सहित अन्य संपत्तियों के संरक्षण की योजना।	पुरातत्व/ संस्कृति विभाग
14.	भूकम्प सुरक्षा पर जागरूकता के लिए सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना।	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
अवधिः 0+15 मिनट		
15.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लाइन डिपार्टमेन्ट के प्रमुख, आई0आर0एस0 में नामित अधिकारियों, एस0ई0ओ0सी0, डी0एम0एम0सी0 के अधिकारियों को सूचना /रिपोर्ट देना तथा डी0ई0ओ0सी0 में उपस्थित	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ड्यूटी पर तैनात कार्मिक)

	होने हेतु निर्देशित करना	
अवधिः 0+30 मिनट		
16.	संचार के वैकल्पिक उपायों/उपकरणों यथा सेटेलाइट फोन, एचएफ सैट आदि को सक्रिय कर संचार सम्पर्क स्थापित करना।	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ड्यूटी पर तैनात कार्मिक)
17.	घटना की प्रकृति को देखते हुए इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट, स्टेजिंग एरिया, राहत शिविर आदि सुविधाओं की आवश्यकता का आंकलन करना।	इन्सीडेन्ट कमान्डर
18.	इन्सीडेन्ट एक्शन प्लान तैयार करना	इन्सीडेन्ट कमान्डर
19.	आपातकालीन संचार इकाई को प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती कर संचार संपर्क जारी करना।	बीएसएनएल
20.	त्वरित प्रतिवादन दल, खोज एवं बचाव दल, पुलिस खोज एवं बचाव दलों को सक्रिय करना।	आपरेशन सैक्शन चीफ
21.	त्वरित प्रतिवादन दल, खोज एवं बचाव दल, पुलिस खोज एवं बचाव दलों के सभी संबंधित अधिकारी/टीम प्रतिनिधि को स्टेजिंग एरिया में रिपोर्ट करने के लिए कहना।	आपरेशन सैक्शन चीफ
22.	तहसील/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी एवं पुलिस कन्ट्रोल रुम से घटना की प्रमाणिकता की पुष्टि करना।	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ड्यूटी पर तैनात कार्मिक)
अवधिः 0+1 घंटा		
23.	आपदा की गंभीरता (स्तर) के अनुरूप आपदा प्रत्युत्तर कार्य सक्रिय करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
24.	स्टेजिंग एरिया को उचित सेटअप के साथ स्थापित करना, इन्सीडेन्ट एक्शन प्लान के अनुसार संसाधनों का भन्डारण एवं उन्हे सम्बन्धित इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट तक भिजवाना	स्टेजिंग एरिया मैनेजर
25.	प्रभावित क्षेत्रों में इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट की स्थापना करना।	इन्सीडेन्ट कमान्डर
26.	तत्काल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव कार्य को सक्रिय करेंगें।	आपरेशन सैक्शन चीफ
27.	आवश्यकतानुरूप प्रभावित लोगों की खोज–बचाव एवं निष्क्रमण के लिए सेना/अन्य तकनीकी संस्थानों से बाहरी सहयोग लेना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
28.	आपदा प्रत्युत्तर टीम/संसाधन के त्वरित परिचालन के लिए सड़क मार्गों की स्थिति का तत्काल आंकलन /अनुवर्ती कार्य।	परिवहन विभाग/लो0नि0वि0/ पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0/ए0 डी0 बी0
29.	अफवाह के नियंत्रण के लिए मीडिया के प्रबंधन और सार्वजनिक सूचना ।	इन्फॉरमेशन एण्ड मीडिया ऑफिसर
30.	आपदा की गम्भीरता को देखते हुए निजी सार्वजनिक एजेंसियॉ से आपातकालीन खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग के लिए अनुरोध ।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
31.	आवश्यकतानुरूप पड़ोसी जिलों से सहायता के लिए अनुरोध।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
32.	प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल	पुलिस विभाग

	करना /सुरक्षा प्रदान करना ।	
33.	प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा प्रत्युत्तर टीम को भेजना।	स्वास्थ्य विभाग ऑपरेशन सेक्शन चीफ के दिशा निर्देशानुसार
34.	प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट के इन्सीडेन्ट कमान्डरों से निरंतर संपर्क रखना।	आपरेशन सेक्शन चीफ/डी0ई0ओ0 सी0/स्टेजिंग एरिया मैनेजर/लाईजन ऑफिसर
35.	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर को घटनाक्रम की जानकारी देते रहना।	आपरेशन सेक्शन चीफ/डी0 ई0 ओ0 सी0/ लाईजन ऑफिसर
36.	सभी अस्पतालों को घायलों की चिकित्सा के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश देना ।	आपरेशन सेक्शन चीफ/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
37.	मीडिया ब्रीफिंग करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफि0 इन्फॉरमेशन एण्ड मीडिया ऑफिसर
अवधिः 0+12 घंटा		
38.	प्रभावित क्षेत्रों में उपकरण, मशीनें एवं स्वयं सेवकों के पहुँचने के लिए सभी रास्ते खोल देना और यातायात प्रबंधन करना।	ट्रान्सपोर्ट ब्रान्च डायरेक्टर/परिवहन विभाग/लो0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/ए0डी0बी0
39.	बस स्टैण्ड आदि आवागमन केन्द्रों पर सूचना केन्द्र स्थापित करना।	जिला सूचना अधिकारी/कम्यूनिकेशन यूनिट
40.	राहत सामग्री तथा टैन्ट, खाद्य सामग्री, पानी, कम्बल आवश्यक दवाईयां जुटाना तथा उन्हे स्टेजिंग एरिया एवं प्रभावित क्षेत्रों में भेजना।	लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ/मेडिकल यूनिट
41.	बचाये गये व्यक्तियों को अस्थाई आश्रयों में भेजना एवं उनके लिए भोजन पानी स्वच्छता सुविधा एवं सामग्री की व्यवस्था	लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ/ स्टेजिंग एरिया मैनेजर/ मेडिकल यूनिट/फूड यूनिट
42.	प्रभावित क्षेत्रो में अस्थाई अस्पताल खोलना।	स्वास्थ्य विभाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
43.	घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजना।	
अवधिः 0+24 घंटा		
44.	प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आंकलन तैयार करना तथा उन्हें सभी सम्बन्धितों तक पहुँचाना।	इन्सीडेन्ट कमान्डर/इन्सीडेन्ट कमान्डर
45.	प्रतिदिन न्यूनतम 2 बार स्थिति और प्रत्युत्तर कार्य की जानकारी का प्रेस नोट जारी करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफि0/ इन्फॉरमेशन एण्ड मीडिया ऑफि0
46.	गैर प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर /जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
47.	तहसील/जनपद मुख्यालय, ऑल इंडिया रेडियो सहित मुख्य विभागों पुलिस कार्यालय अस्पताल आदि की विद्युत, जल आपूर्ति ,दूर संचार सुविधायें आदि अनिवार्य सुविधाओं के प्राथमिकता देकर बहाल करना।	लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ/कम्यूनिकेशन यूनिट
अवधिः 0+48 घंटा		
48.	शवों के अंतिम संस्कार के लिए एनडीएमए की मार्ग निर्देशिका के अनुसार मृतकों की पहचान, डी0एन0ए0 सैम्पलिंग, फोटोग्राफ, प्राप्त सामान की सूची बनाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रखरखाव की व्यवस्था करना।	ऑपरेशन सेक्शन चीफ/पुलिस/मेडिकल यूनिट
49.	राहत केन्द्र के समीप समुदाय, रिश्तेदार, स्वैचिछक संगठन आदि के लिए सूचना केन्द्र खोलना।	जिला सूचना अधिकारी/कम्यूनिकेशन यूनिट

50.	किसी लापता व्यक्ति/क्षति के संबंध में जानकारी संग्रहन की व्यवस्था करना और प्रतिक्रिया में अस्पताल आश्रय एवं पुलिस अभिलेखों से खोज प्रारम्भ कर देना	जिला सूचना अधिकारी/ कम्यूनिकेशन यूनिट /जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ड्यूटी पर तैनात कार्मिक)
अवधिः 0+72 घंटा		
51.	अज्ञात और लावारिस शवों के निस्तारण की व्यवस्था करना।	पुलिस/स्वास्थ्य विभाग/मेडिकल यूनिट /न0पा0/नगर पंचायत/ वन निगम
52.	आवश्यकतानुरूप स्थानीय अस्पताल के घायलों को जिला अस्पताल /अन्य विशेष अस्पतालों तक पहुँचाने की व्यवस्था करना।	ट्रान्सपोर्ट ब्रान्च डायरेक्टर/ मेडिकल यूनिट
53.	राहत वितरण एवं पुनर्निमाण के कार्य शुरू कर देना।	फाईनेन्स ब्रान्च डायरेक्टर/ राजस्व विभाग

अग्नि दुर्घटना के प्रासंगिक कार्य

गर्मी के महीनों में कई क्षेत्रों में अग्निकांड होते रहते हैं यदि किसी अग्निशमन स्टेशन के क्षेत्राधिकार में 4–5 से ज्यादा जगहों पर एक ही वक्त में अग्निकांड हो जाए तो अग्निशमन विभाग पर अत्यधिक दबाव पड़ जायेगा। गर्मी के समय मे इसकी बहुत ज्यादा आशंका होती है।

विशिष्ट कार्य

अग्निकांड रोकथाम शिक्षण एवं जागरूकता

- समुदाय के लिए अग्निकांड के रोकथाम के लिए जागरूकता एव शिक्षण कार्यक्रमों/ शिक्षण सामग्रियों का विकास करना।
- जागरूकता एवं शिक्षण कार्यक्रमों/शिक्षण सामग्रियों को सरल भाषा में चित्रों द्वारा विकसित करना।
- तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से स्थानीय विद्यालय के बच्चों के लिए अग्नि/ पारिस्थितिकी प्रबंधन की पठनीय सामग्री विकसित करना।
- प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/गैर सरकारी संस्थान आदि को स्थानीय परिस्थिति मे अग्नि प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने को प्रोत्साहन करना।
- मानवीय भूल से हुए अग्निकांड की आवृति/कारण स्थान आदि के ऑकड़े का अभिलेखीकरण करना और अग्निकांड से बचाव के कार्यक्रम बनाना।

अग्निकाण्ड की रोकथाम के लिए पूर्व तैयारी

- पूर्व तैयारी में अग्निशमन कर्मचारी तथा जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
- अग्निकाण्ड की व्यापक रोकथाम योजना बनाना।
- गर्मी/जाड़े के मौसम से पहले अग्निकाण्ड के प्रबन्धन एवं उसके लिए संसाधन आवंटन तथा अन्य आवश्यक उपाय करना।
- महत्वपूर्ण भवन/कार्यालय सिनेमा घर होटल आदि में अग्निशमन यंत्र पर्याप्त संख्या में लगाना।
- अग्निशमन वाहन के आवागमन के लिए मार्गों को अवरोध मुक्त रखना।

अग्निकाण्ड प्रतिवादन

- अग्निकाण्ड की सूचना मिलते ही अग्निशमन स्टेशन को सक्रिय करना।

- अग्निकाण्ड की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस को प्रभावित क्षेत्रों में भीड़/प्रबन्धन के लिए तैनात किया जाय।
- रासायनिक आग के मामले में खोज और बचाव दल के साथ उस आग को बुझाने के संसाधन मुहैया करना।

भीड़ प्रबन्धन

भारी भीड़ से अवसर दुर्घटना हो जाया करती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी योजना तंत्र की आवश्यकता है। भीड़ नियंत्रण की योजना किसी भी भावी दंगा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा जिले में अनेक जगहों पर विशेषकर दशहरा, नवरात्री, सावन में या विभिन्न मेलों के दौरान भीड़ हो जाया करती है। ऐसे अवसरों पर भीड़ में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का अनुमान करना और उनके उचित व्यवस्था का इंतजाम करना आदि कार्य स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लिए आवश्यक है। मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या उनके ठहराव स्थल की उपलब्धता मेले में प्रवेश एवं निकासी के रास्ते आपातकाल निकासी द्वार, मेले की व्यवस्था के सम्बन्ध में बताने वाले स्वयं सेवकों की व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, प्राथमिक उपचार व्यवस्था आदि पर स्थानीय पुलिस, प्रशासन एवं आयोजकों को पूर्ण विचार एवं आकलन कर लेना चाहियें। प्रबन्धन में किसी कमी के कारण दुर्घटना की संभावना हो सकती है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयोजकों ने सभी सुरक्षा मानकों को पूरा कर लिया है ।

मेला स्थान एवं पण्डाल निर्माण की जगह

- पंद्रह फीट से कम चौड़ाई वाली सड़क में न्यूनतम 4 फीट चौड़ी जगह खाली रखी जाय। 15–30 फीट चौड़ी सड़क के लिए यह दूरी न्यनतम 6 फीट हो। 30 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क में न्यूनतम 10 फीट चौड़ी सड़क खाली रखी जाय।
- किसी भी पक्की इमारत, बाउन्ड्रीवाल या अन्य स्थायी संरचना के चारों ओर न्यूनतम 4 फीट जगह खाली रखी जाय।
- कोई भी बड़ी संरचना 40 फीट से ज्यादा ऊँची न हो।
- अग्निकाण्ड या अन्य आपातकाल के लिए अलग से अतिरिक्त प्रवेश एवं निकासी द्वार बनाये जाय।
- न्यूनतम 12–14 फीट चौड़ा प्रवेश द्वार हो। प्रवेश द्वार ऐसी जगह हो कि बिना किसी बाधा के अग्निशमन वाहन आसानी से प्रवेश कर सके।
- पंडाल में उचित रोशनी की व्यवस्था हो।
- पंडाल के समीप सार्वजनिक उद्घोषणा केन्द्र हो।
- प्रवेश, निकासी एवं परिसंचरण पर नजर रखने के लिए सुविधाजनक स्थान में सीसीटीवी लगाना।
- रोशनी के लिए वैकल्पिक इंतजाम सुरक्षित रखना ।
- अतिरिक्त आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था हो।
- पर्याप्त पुलिस/गृह रक्षक एवं अन्य सुरक्षा बलों को घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त करना।
- पंडाल बनाने वाले या मेला लगाने वाले आयोजकों के पास आपदा प्रबन्धन की योजना होनी चाहिये।

अग्नि सुरक्षा

- मुख्य पंडाल से 200 गज की दूरी के भीतर रसोईघर न हो और ना कोई खुली आग जलने दी जाय।
- पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू भरी बाल्टियॉ एवं अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था रहे।
- रोशनी के लिए लाईसेंसशुदा ठेकेदारों से ही काम लिया जाय।
- पुराना या नंगा तार व्यवहार में न लाया जाय। पंडाल के कपड़ों से तार का स्पर्श न हो।
- आयोजक अनिवार्य रूप से अग्निशमन विभाग/पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (सुरक्षा प्रमाण पत्र) लें।
- किसी भी तरह की सिन्थेटिक सामग्री/रस्सी का उपयोग न हो।
- वहॉ किसी तरह की कोई संरचना न बनायी जाय जहॉ जमीन के अन्दर से बिजली लाइन गयी है।
- पंडाल के अन्दर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक रसायन न रखा जाय।

दर्शकों हेतु अनिवार्य व्यवस्था

- पंडाल के अन्दर लोगों के घुमने–फिरने के लिए 75 प्रतिशत जगह खाली रखी जाय।
- पंडाल पर्याप्त रूप से हवादार हो।
- पंडाल क्षेत्रों के समीप पेयजल व्यवस्था हो ।
- स्त्री एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग शौचालयों की प्रर्याप्त व्यवस्था हो।
- आयोजक को चाहियें कि पर्याप्त संख्या में स्वयं सेवकों को रखें। इन्हें भीड़ नियंत्रण का प्रशिक्षण हो।
- पंडाल में प्रवेश, निकासी आपातकालीन निकासी द्वारों सहित अग्निशमन यंत्र/वाटर हाईड्रेन्ट, प्राथमिक चिकित्सा किट (स्वास्थ्य सेवा इकाई) आदि महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड हो।
- पंडाल के प्रवेश द्वार पर दर्शकों की सुविधा के लिए नक्शा/पंडाल के डिजाईन/पूजन स्थल आदि के विषय में जानकारी हो ।
- हर हाल में दर्शकों को आवश्यक जानकारी देते रहने के लिए सूचना केन्द्र अवश्य हो।

स्कूल सुरक्षा नीति हेतु दिशा निर्देश

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देश देश में सभी स्कूलों पर लागू होते है चाहे वे सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त हों या निजी स्कूल हों, चाहे वे ग्रामीण इलाकों में हों या शहरी इलाकों में हों, यह दिशा निर्देश सब पर लागू होते हैं। ये भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने में संलिप्त सभी हितधारकों पर लागू होते हैं। दिशानिर्देश भारत में उस दूरदृष्टि का समर्थन करते हैं। जिसमें सभी बच्चे तथा उनके अध्यापक, और स्कूल समुदाय में शामिल अन्य हितधारक उन प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले जोखिमों जिन्हें रोका जा सके, से सुरक्षित रहें जो शिक्षा प्रदान किए जाने के दौरान उनके अस्तित्व पर खतरा बन रहे हैं। ये दिशानिर्देश सक्रिय रूप से इस बात को बढ़ावा देते हैं कि किसी आपदा के घटने के तुरंत बाद भी शिक्षण गतिविधियां चलती रहें के भीतर शारीरिक स्कूलों में वापस शुरू की जाएं ताकि बच्चे/मानसिक तथा भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहें शिक्षा का अधिकारी भारत के संविधान में दिया गया एक मूलभूत अधिकारी हैं। शिक्षा के अधिकार के संबंध में देश में सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हुए सुरक्षित रहें।

बच्चों की बेहतरी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में आपदाएँ

'आपदाओं' को एक समुदाय या एक समाज की कार्यप्रणाली में गंभीर अबरोध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कारण व्यापक मानवीय, माली, आर्थिक या पर्यावरण की हानियॉ होती हैं। जो प्रभावित समुदाय या समाज द्वारा अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा आपदा से लड़ने की क्षमता से बाहर होती है। कई कारकों की वजह से जिनमें उम्र, शारीरिक क्षमता, लिंग, स्वास्थ्य स्थितियॉ तथा देखभाल करने वालों पर निर्भरता शामिल है, कई बच्चे किसी आपदा की स्थिति में अत्यधिक संवेदनशील/असुरक्षित होते हैं। ऐसी घटनाओं से बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि तथा विकास के साथ–साथ होती हेतु एक गंभीर बाधा उत्पत्वक्ति साथ उनके समग्र व्य हैं। डर, हिंसा, माता पिता तथा देखभाल करने–वालों से अलगाव कुछ मुख्य खतरे हैं जिनका सामना बच्चे करते हैं। इसके अलावा, उनके परिवारों की आजीविका को नुकसान होने से वे बेघर हो जाते हैं और अत्यधिक गरीबी में में जीते हैं। अन्य आधार ढ़ाचे के समान ही, स्कूल भी आपदा के खतरे से ग्रस्त हैं। आपदाओं ने न केवल सरकार तथा अन्य हितधारकों को शिक्षा प्रदान करने के काम में चुनौती दी हैं। बल्कि बच्चों की जिन्दगियों को तथा शिक्षा के काम में लगे अन्य लोगों की जिन्दगियों को भी खतरे में डाला हैं।

यह दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि स्कूल परिसरों और हितधारकों की मौजूदा क्षमताओं की गुणवत्ता का एक बच्चे की असुरक्षितता संवदेनशीलताओं पर असर पड़ता है। अनुबंध एक विश्व तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी आपदाओं में खोई हुई जिंदगियों की संख्या और स्कूल के परिसरों को होने वाले नुकसान की सीमा का ब्यौरा उपलब्ध कराता हैं।

इस तथ्य को देखते हुए की बच्चों द्वारा अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताए जाने की उम्मीद होती है, सुरक्षित स्कूलों का बच्चों की सुरक्षा तथा उनके व्यक्तित्व के निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुत अधिक महत्व होता है। स्कूल बच्चों के

लिए एक सुरक्षित स्थल बन सकते हैं जो उनकों धीरे–धीरे सामान्य होने में मदद करते हैं। सुरक्षित स्कूल के परिसरों के अन्दर, बच्चों के लिए, खासतौर पर किशोरियों तथा लड़कों के लिए सुरक्षित पानी तथा सफाई सुविधाओं के साथ अनिवार्य पूरक पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रकार विश्व स्तर पर यह सहमति है कि किसी आपदा के घटने के बाद स्कूलों को जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए।

स्कूल सुरक्षा को समझना

'स्कूल सुरक्षा' को बच्चों के लिए अपने घरों से स्कूलों तथा घर वापसी तक बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भौगोलिक जलवायु मूल के बड़े पैमाने के प्राकृतिक खतरे मानव जनित खतरे, देशव्यापी बीमारी, हिंसा के साथ–साथ आने वाली तथा छोटे पैमाने की आगजनी, परिवहन तथा अन्य संबंधित आपात स्थितियॉ और पर्यावरिणक खतरे शामिल हैं, जो बच्चों के जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। यह अवधारणा पिछले कुछ दशकों में उभर कर आई है क्योंकि बच्चों के शारीरिक अस्तित्व पर खतरा को संसार तथा देश, देनों स्तर पर अधिक नजर आ रहा हैं।

राष्ट्रीय नीति प्रपत्र

भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों को शिक्षा मिलना देश में हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है।

राष्ट्रीय बाल नीति–

राष्ट्रीय बाल नीति देश में सभी बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह मान्यता देती है कि 18 साल की आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति एक बच्चे के समान है तथा उसका बचपन उसकी जिंदगी का एक अखण्ड हिस्सा है और हमारे बच्चों के संगत विकास तथा संरक्षण के लिए दीर्घावधिक, वहु–क्षेत्रीय, ठोस, एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण जरूरी है। इस नीति में बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण, विकास, संरक्षण (आपात स्थितियों/आपदाओं से संरक्षण शमिल हैं)तथा हर बच्चे के निर्विवाद अधिकारों के रूप में भागीदारी की पहचान की है और इनको प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में घोषित किया हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005) –

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आपदा प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा सांस्थानिक, कानूनी, वित्तीय तथा समन्वय प्रक्रमों को निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान के माध्यम से, यह अधिनियम अध्यापक तथा छात्रों समेत हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर विचार करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009: राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन 2009, में स्कूलों तथा शिक्षण संस्थानों में संरचनात्मक और असंरचनात्मक सुरक्षा की जरूरत पर प्रकाश डालती है।

प्राकृतिक आपदायें

क्या करें, क्या न करें

उत्तराखण्ड राज्य अपनी भौगोलिक एवं परिस्थितिकीय संरचना के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। अतः कोई भी ऐसी क्रिया जो यहॉ की दशाओं के प्रतिकूल होती है आपदा को जन्म देती है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता परन्तु आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में एक तरफ भूस्खलन, बादल का फटना, त्वरित बाढ़, हिमस्खलन, वनाग्नि, मौसमी आपदायें हैं, जो वर्ष के एक विशेष समय में अत्यधिक आवृत्ति के साथ सक्रिय हो जाती है। दूसरी तरफ भूकम्प विनाशकारी आपदा है, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अतः इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जनसमुदाय की जागरूकता एवं सहयोग अति आवश्यक है।

भूकम्प

- भूकम्परोधी मकानों को निर्माण करें।
- भूकम्प आने से पहले, भवन से बाहर सभी लोगों के इकट्ठा होने योग्य स्थान के बारे में पहले से सोच कर रखे तथा यह स्थान परिवार के सभी सदस्यों को मालूम हो।
- भारी वस्तु को हमेशा नीचे रखें, बिस्तर के ऊपर लटके सामान जैसे फोटो शीशे, तस्वीर आदि को हटाकर अन्य स्थान पर रखें जिससे किसी व्यक्ति को हानि न पहुॅचे।
- मकान की दीवार या छत में कोई दरार हो तो उसे ठीक करा लें।
- ज्वलनशील पदार्थो को सुरक्षित स्थान पर रखें।
- लिन्टर, बिम या छत की भारी बल्ली आदि के नीचे कतई खड़े ना हों, इनकी चपेट से बचें, कांच की खिड़की व दरवाजे से दूर रहें।
- आप अपने को मेज के नीचे यहां तक कि चारपाई या पलंग के नीचे भी सुरक्षित रख सकते हैं।
- बिजली के सामान को न छूऐं, बिजली के तारों से दूर रहें।
- पालतू जानवरों को खोल दें।
- नदी, तालाबों, भूस्खलन वाले क्षेत्र से दूर रहें।
- स्वयं को मानसिक रूप से पुनः भूकम्प के झटकों के लिए तैयार रखें।
- भाग–दौड़ या चीख–पुकार से अपनी व पीड़ित व्यक्ति की परेशानी न बढ़ायें, वरना परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं।
- बिजली के उपकरण व गिरे बिजली के तारों से दूर रहें, उन तारों के पास पड़े हुए धातु के किसी भी सामान को हाथ न लगायें।

वनाग्नि

- गर्मियों के मौसम में वनों या उनके समीप कहीं भी जलती सिगरेट, बीड़ी या दियासलाई न फैकें।
- जानवरों के चारा हेतु आग न लगायें।

- शहद, महुवे के फूल व शाल बीज एकत्रीकरण के लिए आग का प्रयोग न करें।
- पिकनिक कैम्पफायर में खाना बनाने के बाद जलती आग न छोड़े, इसे भली भांति बुझाकर जायें।
- खेतों में आग लगाते समय ऐसी सावधानी रखें कि आग वन क्षेत्र में ना फैलने पाये।
- व्यक्तिगत रंजिश या शरारत से प्रेरित होकर वनों में आग न लगायें।
- आग लगने पर वन विभाग को अति शीघ्र सूचित करें, वन विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में आवश्यक सहायता प्रदान करें।
- जिन गांवों के जंगलों में आग लगी हो वहां के समुदाय आग बुझाने का कार्य करें ।
- अग्निशमन (आग बुझाने) का काम अक्रामक रूप से करें और सर्वप्रथम सुरक्षा का प्रावधान करें।

भूस्खलन, त्वरित बाढ़, बादल फटना, हिमस्खलन

- खतरे के क्षेत्र में प्रबन्धन के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करें।
- खतरे की गम्भीरता के बारे में जानने के लिए भौगोलिक नक्शों का उपयोग करें।
- उन स्थानों का चयन करें जहां भूस्खलन/हिमस्खलनों की सम्भावना नही है।
- पहाड़ी ढलानों के नीचे भूस्खलनों के पूराने मलवे पर बस्तियॉ न बनायें।
- पानी की निकासी सही रखें, उसे घर के आस–पास जमा न होने दें।
- नदी नालों के किनारे भवन निर्माण न करें।
- जमीन में दरारें पड़ने पर सूचित करें।
- बर्फ के भार को हटाने के लिए छतों का निर्माण करते हुए उसकी समय उसकी ढाल 50 डिग्री से अधिक रखें।
- छत पर और निर्माण स्थल पर हिमपेकेट न बनने दें।

सड़क दुर्घटना

- वाहन चलाने से पूर्व सुनिश्चित करे कि वाहन की सभी लाईटें, ब्रेक लाईट, बैक लाईट आदि कार्य कर रही है।
- रात्रि में डिपर का प्रयोग करें।
- मोड़ों तथा चौराहों पर वाहन की गति धीमी करें।
- वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें। यदि दण्डनीय अपराध है।
- वाहन में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही व्यक्ति व माल ले जायें।
- मोड़ों पर पास न मांगे न ही ओवरटेक करने का प्रयास करें।
- वाहन में प्राथमिक चिकित्सा पेटी (फर्स्ट एड बॉक्स) तथा लकड़ी का गुटका अवश्य रखें।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा 13 सिख बटालियन एवं पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को दिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फोटोग्राफ

परिचय एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य की जानकारी

जुमारिंग का अभ्यास

रेपलिंग का अभ्यास

ईम्प्रोवाईज स्ट्रेचर बनाने का अभ्यास

प्राथमिक उपचार	रिवर क्रासिंग का अभ्यास
गांठो का अभ्यास	जुमारिंग का अभ्यास
रेपलिंग का अभ्यास	ईम्प्रोवाईज स्ट्रेचर बनाने का अभ्यास
प्रमाण पत्र वितरित करती जिला अधिकारी महोदया	ग्रुप फोटो

परिचय एवं प्रशिक्षण के उदेश्य की जानकारी

रेपलिंग का अभ्यास

जुमारिंग का अभ्यास

वन मैन रेस्क्यु

ईम्प्रोवाईज स्ट्रेचर बनाने का अभ्यास

प्राथमिक उपचार की जानकारी देते प्रशिक्षक

जुमारिंग का अभ्यास

बो लाईन ड्रैग का अभ्यास

ईम्प्रोवाईज स्ट्रेचर बनाने का अभ्यास

प्रमाण पत्र वितरित करती जिला अधिकारी महोदया

जुमारिंग का अभ्यास

परिचय एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य की जानकारी

व्याख्यान देते प्रशिक्षक

उपकरणों का परिचय

जुमारिंग का अभ्यास

खाई में नीचे उतरने का अभ्यास

गाँठों का अभ्यास

डबल जुमारिंग का अभ्यास

रिवर क्रासिंग का अभ्यास

वन मैन रेस्क्यु का अभ्यास

ईम्प्रोवाईज स्ट्रेचर बनाने का अभ्यास

प्रमाण पत्र वितरित करती जिला अधिकारी महोदया

ग्रुप फोटोग्राफ

जेड पुली सिस्टम का अभ्यास

ग्रुप रेस्क्यु का अभ्यास

प्राथमिक उपचार की जानकारी देते प्रशिक्षक

रिवर क्रासिंग का अभ्यास

गांठो का अभ्यास

चिमनी रेस्क्यु का अभ्यास

जेड पुली सिस्टम का अभ्यास	व्याख्यान देता प्रशिक्षक
प्राथमिक उपचार की जानकारी देते प्रशिक्षक	परीक्षा देते प्रतिभागी
गांठो का अभ्यास	ग्रुप फोटोग्राफ